(1)

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अङ्क 3 ] षष्टम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 39वां दिवस [संख्या 29



बृहस्पतिवार,

दिनांक 6 अप्रेल, 1978

विधान सभा की बैठक म. पूं. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न । श्री ओमप्रकाश शर्मा, श्री गोपाल पचेरवाल, श्री माणकलाल, श्री गणेशलाल !

### केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल द्वारा गन्ने की खरीद

**759. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी), श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन), श्री माणकलाल (नैनवा), श्री गणेशलाल (हिन्डोली) :** क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल में बून्दी जिले के किसानों का सम्पूर्ण गन्ना खरीदने का वायदा करके उनको कर्ज आदि देकर गन्ना लगाने के लिये प्रोत्साहित किया था ?

(2) क्या उक्त मिल सम्पूर्ण काश्तकारों से पूरा गन्ना लेने के अपने वायदे को निभायेगी और मिल उस समय तक बन्द नहीं होगी जब तक काश्तकारों का पूरा गन्ना नहीं ले लिया जावेगा ?

**सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) :** (1) सदस्यों की गन्ना उत्पादन हेतु ऋण देकर उनके द्वारा उत्पादित समस्त गन्ना लेने के लिये केशोराय-पाटन सहकारी शुगर मिल द्वारा कोई वायदा नहीं किया गया। मिल द्वारा मिल की परिधि क्षेत्र के कृषकों को ही अधिक से अधिक गन्ना लगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया है और केवल मिल गेट व सुरक्षित क्षेत्र में समूचा प्रचार कर, रास्ते बनवा कर व बीज खाद आदि उपलब्ध करवा कर पिछले वर्ष अधिक गन्ना लगाने का अभियान चलाया गया था।

(2) गन्ना उत्पादकों द्वारा मांग करने पर ही ऋण उपलब्ध कराया गया है। केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल अपनी गन्ना पेलने की दैनिक क्षमता 1200 टन के स्थान पर अधिक गन्ना के उत्पादन को देखते हुए 1500 टन प्रति दिन गन्ना पेल रही है। इसी अनुपात से गन्ना ले रही है।

सम्भवतः शुगर मिल 15 मई, 78 तक अपना कार्य प्रारम्भ रख सकेगी। वहां तक उसकी क्षमता के अनुसार गन्ना उठा लेगी।

Page No 2

(2)



**श्री ओमप्रकाश शर्मा** : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि वायदा नहीं किया, यह पेम्फलेट बांटे हैं, फैक्ट्री के अन्दर, सारा गन्ना लिया जावेगा। इसलिये आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार का गन्ना लेने का वायदा नहीं किया था? इसका जवाब दें।

**श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : पहले वायदा था, उसके बाद सरकार ने विथड्रा कर लिया। उसको खतम कर दिया।

**श्री कैलाश मेघवाल** : अध्यक्ष महोदय, जैसा मूल सवाल के जवाब में निवेदन किया कि केशोराय पाटन शुगर मिल ने जो यह गन्ने के लिये प्रोत्साहन दिया यह परिधि क्षेत्र के किसानों को दिया था। इसकी पृष्ठभूमि, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रही थी कि मिल की गन्ना पेलने की क्षमता जितना थी, उतना गन्ना उपलब्ध नहीं हो रहा था और मिल को बन्द करना पड़ रहा था। पृष्ठभूमि यह रही, गुड़ और खण्डसारी के भाव ऊंचे हो रहे थे, गुड़ बनाने पर अधिक लाभ मिलता था। खण्डसारी यूनिट 16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये प्रति क्विन्टल तक गन्ने का भाव चुकाती थी इसलिए सारा गन्ना खण्डसारी में चला जाता था। केशोराय पाटन शुगर मिल को गन्ना नहीं मिल पा रहा था। मिल बन्द न हो जाये मिल की जितनी क्षमता है उतना गन्ना मिल के परिधि क्षेत्र में मिल जाये, इसलिये प्रोत्साहन के पर्चे निकाले थे। जहां खण्डसारी चल रही है, गन्ने का भाव सारे देश में गिरा है, गुड़ का भाव गिरा है और सारा गन्ना केशोराय पाटन शुगर मिल को जाना चाहता है यह एक समस्या है। इसके लिए सोच विचार किया जा रहा है। चारों विधायक उस क्षेत्र के हैं, जो संचालक मण्डल है उन्होंने बुला कर विचार विमर्श किया है। यह समस्या और आज गन्ना पेलने की जो समस्या है सवाया या ड्योढ़ा गन्ना पेलने की कोशिश कर रहे हैं।

**श्री ओमप्रकाश शर्मा** : जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा…

**श्री गोपाल पचेरवाल** : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि शुगर मिल की स्थापना के समय समझौता हुआ था कि गन्ना खण्डसारी दर से देंगे? दूसरा मेरा निवेदन यह है कि परिधि क्षेत्र का क्राइटेरिया क्या है? शुगर मिल से समझौता है कि काश्तकारों का गन्ना आप लेंगे। मैनेजिंग डाइरेक्टर ने हर गांव में जाकर यह प्रोत्साहन दिया कि गन्ना लगाइये। अब उस क्षेत्र का गन्ना नहीं उठाया गया तो क्या जिम्मेदारी ली गई?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यों को मेरा निवेदन है कि एक प्रश्न पर यथा सम्भव 3-4 से अधिक सप्लीमेन्ट्री नहीं पूछें। अगर सर्व सम्मति से ऐसा हो जाये तो प्रश्नोत्तर काल में मजा आ जाये।

श्री प्रद्युम्नसिंह !

**श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा)**: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल पूछना चाहता हूं…

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : श्री प्रद्युम्नसिंह, स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय उत्तर दें।

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं,

(श्री कैलाश मेघवाल)

मूल प्रश्न के उत्तर में भी स्वीकार किया है कि मिल वालों की ओर से इस बात के प्रयत्न किये गये हैं कि अधिक से अधिक गन्ना पैदा किया जाये जिसकी पृष्ठभूमि भी मैंने निवेदन की है। मेरे सामने आंकड़े यह हैं कि पिछले साल खण्डसारी और गुड़ के लिये गन्ना ज्यादा चाहिए था, मिल को गन्ना कम उपलब्ध हुआ और फलस्वरूप मिल को बन्द करना पड़ा। सहकारिता क्षेत्र की संस्था है, इस तरह से सहकारिता क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा इसलिए प्रयत्न किए गए। मैं स्वीकार करता हूं, अब विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, सारा गन्ना मिल को उठाने को कहा जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि उस क्षेत्र से पैदा होते वाला गन्ना हमने कितना लिया। साल 1975-76 में 17,800 एकड़ में गन्ना हुआ था उसमें कुल पैदावार 35.6 लाख क्विंटल हुई जिसमें से 13.2 लाख क्विटल गन्ना मिल में लिया गया जो 38.2 प्रतिशत होता है। यह आंकड़े इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इस साल अधिक ले रहे हैं। 1976-77 में 23 हजार एकड़ में गन्ना पैदा किया गया। 6 हजार एकड़ ज्यादा बढ़ गया। कुल पैदावार 46.7 लाख क्विटल थी। उसमें से मिल में 12.3 क्विटल गन्ना लिया गया जो पैदावार का 26.2 पर्सेन्ट है। इस साल जो गन्ना पैदा हुआ है वह 33 हजार एकड़ में पैदा हुआ है, 12 हजार एकड़ में ज्यादा हुआ है, करीब ड्योढ़ा हो गया। अनुमानतः जो गन्ना पेलने की 700 टन थी वह 1200 टन है, पिछले साल से करीब दुगुना पेलने के लिए उठा रहे हैं। 26 प्रतिशत से 32 प्रतिशत गन्ना इस मिल की लेने की क्षमता है। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं जितनी मिल की पेलने की क्षमता है। 1200 टन की रोज की क्षमता है, उसके बजाय 1500 टन रोज पेल रहे हैं। यह समस्या सामने आई है, इसलिए आई है कि खण्डसारी बन्द है, उनको बिजली नहीं मिल रही है। अब उन्होंने एक प्रस्ताव पास करके भेजा है कि बिजली दीजिए। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि खण्डसारी चालू हो जाय और वह हो भी रही है। हम चाहते हैं, अधिक गन्ना उठे, किसान को दुखी नहीं होना पड़े और उसकी उपज का पूरा मुआवजा मिले। गन्ने के अभी यू. पी. में भी भाव गिरे हैं, राजस्थान में भी भाव गिरे हैं। यह सच है कि किसानों का गन्ना उचित दामों पर नहीं उठ रहा है। लेकिन हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। मेरा निवेदन है और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं इस समस्या को हम जितनी अधिक क्षमता से निपटा सकेंगे निपटायेंगे। खपत बढ़ाने में हम तत्पर हैं। माननीय सदस्यों के जो भी सुझाव होंगे उनको भी मैं मानने के लिए तैयार हूं।

**श्री ओम प्रकाश शर्मा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया, कोटा में बैठक हुई थी। उस बैठक में जो निर्णय हुआ वह भी लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा था, संरक्षित काश्तकारों का गन्ना लिया जायेगा लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सभी काश्तकारों का गन्ना नहीं लिया गया है। जो पूंजीपति हैं उनसे पैसा लेकर गन्ना लिया जा रहा है। संचालक मण्डल को बचाने में लगे हुए हैं। मन्त्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो संचालक-

# Page No 4



(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

महोदय है उन्होंने भ्रष्टाचार पनपा रखा है। मिल गन्ना नहीं ले पायेगी, ऐसा आभास है। काश्तकारों को पेम्फलेट बांटे गए कि तुम्हारा सारा गन्ना लिया जायगा लेकिन अब नहीं ले रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संचालक महोदय ने इस प्रकार की गड़बड़ी की है। काश्तकारों को प्रोत्साहित किया है और फिर उनका गन्ना नहीं लिया है। अतः काश्तकारों को, जिन्होंने गन्ना लगाया है, मुआवजा दिलाया जाय। मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो काश्तकारों को ऋण दिलाया गया था; क्या वह ऋण अगले साल भी देंगे ?

**श्री गोपाल पचेरवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं क्या खण्डसारी मिलों से उनका समझौता है ? अब क्या खण्डसारी के लिए लाइसेन्स दिए जायेंगे ? इसका उत्तर आना चाहिए, क्या उनका समझौता है ? बूंदी जिले में दूसरी खण्डसारी मिलें लगी हैं, लेकिन उन्हें लाइसेन्स नहीं दिया जा रहा है। इससे काश्तकारों में असन्तोष है। जो खण्डसारी मिलें हैं वे 8-9 रुपये क्विन्टल देती हैं और केशोराय पाटन मिल 14-15 रुपये क्विन्टल देती है। इसकी दूसरी खण्डसारी मिलों ने पालना नहीं की है। अगर इस तरह का समझौता है तो उसकी पालना क्यों नहीं की जा रही है ? जो माननीय मन्त्री महोदय ने संचालक बोर्ड में फैसला कर दिया, विद्युत मन्त्री जी को चिट्ठी लिखी गई....

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : यह भाषण हो रहा है....

**श्री अध्यक्ष** : श्री प्रद्युम्नसिंह।

**श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय अगर एक आश्वासन दें तो प्रश्न पर उत्तेजना समाप्त हो जायगी। आपने बताया, 15 मई तक मिल को चलायेंगे। अगर आप इस हैसियत में हैं कि चाहे गंगानगर हो, चाहे केशोराय पाटन हो या और कोई जगह हो, आप 15 मई के स्थान पर 15 जून तक चला दें तो काश्तकारों की समस्या हल हो जायेगी। क्या मन्त्री महोदय, ऐसा आश्वासन देने की स्थिति में हैं ?

**श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़)**: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं गन्ने के टोटल एरिया का प्रोडक्शन 26 पर्सेन्ट आप पिछले साल खरीद रहे थे। इस साल 31 या 32 पर्सेन्ट खरीद रहे हैं लेकिन जो मौजूदा आब्जेक्टिव कन्डीशन है क्या उसमें इस स्थिति को आप ठीक समझते हैं ? क्या पर्याप्त है 32 पर्सेन्ट जब कि गन्ना का भाव गिरा है ?

दूसरा मेरा सप्लीमेन्ट्री है, भारत सरकार राज्य सरकारों की मार्फत एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में हर एक जिन्स की फ्लोर प्राइस तय करती है और एश्योरेन्स देती है कि इससे नीचे प्राइस आई तो गवर्नमेंट खरीदेगी। आपने काश्तकारों को आश्वासन दिया है इसके बाद अब गन्ना नहीं खरीद रहे हैं तो क्या यह भारत सरकार का और राज्य सरकार का काश्तकारों के साथ विश्वासघात नहीं है ? नम्बर 2 और नम्बर 3

(श्री परसराम मदेरणा)
जैसा अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, क्या अब जो गन्ना पेलने की तिथि निर्धारित की है उसके बाद गन्ना नहीं लिया जायगा ? कब तक आप किसानों से खरीद करते रहेंगे ? इसके लिये कोई दूसरी तारीख मुकर्रर करेंगे ?

**श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या यह सही है कि बूंदी जिले के मुकाबले कोटा जिले की गन्ने की गाड़ियां 8-8 दिन तक खड़ी रहती हैं और गन्ने को उठाया नहीं जाता है ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आपने यह कह कर बिठा दिया था कि एक प्रश्न पर 3-4 सप्लीमेन्ट्री हो जाय तो मजा आ जायेगा। लेकिन जवाब ही नहीं आ रहे हैं सप्लीमेन्ट्री के।

**श्री ओंकारलाल चौहान** (अटरू) : क्या आप गन्ना उत्पादकों को आश्वासन दे सकते हैं कि जो गन्ना पैदा हुआ है, उससे उनको हानि नहीं होगी और राज्य सरकार निश्चित रूप से उनका गन्ना खरीद लेगी ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, गन्ने के बारे में जितनी चर्चायें इस सदन में उठी उनसे काफी हद तक मैं सहमति रखता हूं। यह समस्या इसलिये आई है कि इस साल केशोराय पाटन और देश-प्रदेश के अन्य भागों में भी विशेष स्थिति है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है कि 15 जून तक समय बढ़ा दिया जाय, यह तकनीकी प्रश्न है। तब तक गन्ना रह पायगा या नहीं, संचालक मण्डल इस पर गम्भीरता से विचार करेगा। जिस समय तक गन्ना उठा कर पेला जा सकता है, उस समय तक समय आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि यह सम्भव हुआ तकनीकी दृष्टि से और उपलब्धि की दृष्टि से तो इस तारीख को आगे बढ़ाने का विश्वास माननीय सदस्यों को दिलाता हूं, सहकारिता क्षेत्र में नो प्रोफिट नो लॉस के आधार पर आगे बढ़ते हैं, ऐसी स्थिति में सहकारिता मिल को घाटा उठाना पड़े तो शायद घाटा उठाने की स्थिति में तो हम नहीं आ पाये हैं, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस पर यह किया जा सकता है। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात नीति सम्बन्धी है। मैं भी चाहता हूं, राज्य सरकार भी चाहती है, गन्ना काश्तकारों का उठे लेकिन जो विशेष परिस्थितियां हैं वह गम्भीर रूप धारण किये हुए हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं हम सब आपस में मिल कर जो कुछ कर सकते हैं जिससे किसानों को घाटा न उठाना पड़े, इस सम्बन्ध में वह करने पर विचार करेंगे...

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नीति सम्बन्धी नहीं है...

**श्री कैलाश मेघवाल** : मैं अभी निवेदन कर रहा हूं...

**श्री परसराम मदेरणा** : नहीं, नहीं, प्रश्न नीति सम्बन्धी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया और सुगर केन ग्रोअर के बीच फ्लोर प्राइस तय हो चुकी। फ्लोर प्राइस के नीचे जाने के बाद गवर्नमेंट प्रोडक्शन खरीदने के लिये ड्यूटी बाउण्ड है या नहीं ? नीति का प्रश्न नहीं है, नीति तो डिसाइड हो चुकी है।

# Page No 6



श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल जब गन्ना कम पैदा हुआ था, या कम मिला था, हमने किसानों से गन्ना 14.25 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से खरीदा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल सारे देश में गन्ने के भाव गिरे हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ना 7-8 रुपये क्विन्टल बिक रहा है। परन्तु हमारे राजस्थान में जो सहकारी मिलें हैं, वे इसी भाव से यानि 14.25 रुपये क्विन्टल के भाव से गन्ना खरीद रही हैं। जब कि दूसरी जगह गन्ने के भाव गिरे हैं हम किसानों को उचित कीमत दिला रहे हैं।

विरोधी दल के नेता महोदय ने जो सुझाव रखे हैं उन पर भी हम निश्चित रूप से विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : No more questions.

(व्यवधान)

आसन पैरों पर है। एक प्रश्न पर बीस मिनट हो गये हैं।

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। I must enforce some discipline. नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री नरेन्द्रपालसिंह (मावली) : गन्ने के सवाल को लेकर भूख हड़ताल की जा रही है, उसके बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है ?

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, आज की प्रश्न सूची में 15 स्थगित प्रश्न हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज भी समयाभाव के कारण ये प्रश्न नहीं आ पाएंगे। इसलिए पहले स्थगित प्रश्नों को ले लिया जाए। मेरा प्रश्न चार दफा स्थगित हो चुका है।

## आर. टी. एस. प्रतियोगिता परीक्षा में उच्चतम आयु की छूट

760. श्रीमती गुणवन्त कुमारी (शाहपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अधीनस्थ सेवा आर. टी. एस. प्रतियोगिता परीक्षाओं में पंचायत समितियों के कर्मचारियों (लिपिक, अध्यापक) आदि को उच्चतम आयु में छूट नहीं दी जाती ?

(2) जबकि राज्य कर्मचारियों को ऐसी परीक्षाओं में बैठने के लिए 40 वर्ष तक छूट दी जाती है तो पंचायत समितियों के कर्मचारियों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मन्त्री) :

(1) जी हां।

(2) उच्चतम आयु में छूट केवल राज्य कर्मचारियों के लिए है न कि पंचायत कर्मचारियों के लिए।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) : पंचायत कर्मचारियों के लिए आप क्यों नहीं सोच रहे हैं ? स्वायत्त शासन संस्थाओं और पंचायत समितियों के कर्मचारियों को यह छूट न मिले, यह तो अन्याय है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में संयुक्त परामर्शदात्री समिति

# Page No 7

7



(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
की बैठक 23 अगस्त, 1976 को हुई थी। उसमें यह सुझाव आया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में राज्य कर्मचारियों की भांति पंचायत राज और स्वायत्त शासन संस्थाओं के कर्मचारियों को बैठने हेतु आयु सीमा 40 वर्ष तक कर दी जाए। उन्हें भी यह छूट दी जाए। यह निर्णय, सुझाव राजस्थान लोक सेवा आयोग के पास उसकी राय जानने हेतु भेजा गया है। अभी तक उसकी राय नहीं आई है। इसके लिए याद दहानी करा दी गई।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन।

स्थान ग्रहण करें।

श्री अब्दुल हादी !

### बाड़मेर जिले के पाकिस्तान गये मुसलमानों की भूमि

**761. श्री अब्दुल हादी** (चौहटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में पाक गये मुसलमानों की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (1) (8) के तहत खालसा की जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस अधिनियम के तहत खालसा की गई भूमि को सरकारी भूमि सिवाय चक की तरह मानी जाकर आवंटन करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा 1970 में जारी किये गये थे ?

(3) क्या यह सही है कि पाक गये मुसलमानों की भूमि खालसा की जाकर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन व नियमन की जाती रही है ?

(4) क्या यह सही है कि गत राजस्व अभियान में पाक गये मुसलमानों की भूमि, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (1) (8) के तहत खालसा की गई है उस भूमि का नियमन किया गया था ? अगर नियमन किया था तो उनको पट्टे जारी किये गये या नहीं ? पट्टे जारी नहीं किये गये तो उसके क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि हाल ही में ऐसे आदेश जारी किये गए हैं कि पाक गये मुसलमानों की भूमि का आवंटन नियमन नहीं किया जाये ? अगर हां, तो किन कारणों से तथा किन नियमों के अन्तर्गत ?

(6) क्या इस प्रकार की भूमि पर राज्य सरकार के आदेशानुसार कब्जा व काश्त 1-7-75 के पूर्व का है उसे नियमन किया जायेगा या बेदखल, अगर बेदखल किया जायेगा तो किन नियमों के अन्तर्गत ?

**राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री)** : (1) यह सही है कि पाकिस्तान गये हुए मुसलमानों की भूमि, उनका पाकिस्तान जाना सिद्ध होने पर, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 63 (1) (8) के तहत खालसा की गई है।

(2) जी हां, इस प्रकार खालसा की गई भूमि को सिवाय चक माना जाता है परन्तु बाड़मेर मरुस्थलीय जिलों में जो एक

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)
है जिनमें मरुस्थलीय विकास कार्य के लिए भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूमि के आवंटन पर रोक लगाई गई है।

(3) वर्तमान में इस प्रकार की भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन एवं नियमन नहीं किया जा रहा है।

(4) जी नहीं। राजस्व अभियान के दौरान इस जिले में कोई नियमन नहीं किया गया।

(5) बाड़मेर तथा अन्य मरुस्थलीय जिलों में आवंटन एवं नियमन पर प्रतिबन्ध वर्ष 1974 से ही लगाया हुआ है। इस प्रतिबन्ध के दायरे में सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई भूमि का आवंटन नहीं आता है। एक हैक्टेयर तक के आवंटन पर भी रोक नहीं है। राज्य सरकार के पूर्व के आदेशों के संदर्भ में ही 3 फरवरी, 1978 को यह स्पष्टीकरण जिलाधीश को मार्ग दर्शन हेतु प्रेषित किये गये थे कि इन प्रतिबन्धों के कारण धारा 63 (1) (8) के तहत खालसा की गई भूमि का आवंटन एवं नियमन भी न किया जावे। प्रतिबन्ध का कारण यह है कि यदि आवंटन किया गया तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के लिए भूमि की उपलब्धि में कठिनाई होगी। यदि नियमन किया गया तो आवंटन के लिए जो लोग आवेदन-पत्र दें, उनकी तुलना में अतिक्रमियों को लाभ हासिल हो जाएगा। इस प्रकार अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा।

(6) जब तक मरुस्थलीय क्षेत्रों में आवंटन पर रोक है तब तक अतिक्रमण-शुदा भूमि का नियमन नहीं किया जा सकेगा। फलतः अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

**श्री बालकृष्ण थानवी** : जो लोग जैसलमेर से पाकिस्तान चले गये थे और जिनके मकानों व भूमि पर पिछले करीब 12 साल से दूसरे गरीब मजदूर रह रहे थे उन्हें एस. डी. ओ. और दूसरे कर्मचारियों ने फर्जी कार्यवाही कर हटा दिया है और जो वहां के रहने वाले लोग थे, गरीब लोग थे, उनको यह सम्पत्ति नहीं मिली बल्कि एस. डी. ओ. कोर्ट एवं कलेक्टरी में कार्य करने वाले कर्मचारियों के रिश्तेदारों के नाम यह सम्पत्ति एस. डी. ओ. कोर्ट में बैठे बैठे फर्जी कार्यवाही करके कौड़ियों के भावों न केवल नीलाम ही बताई गई अपितु ऐसे ही एक खण्डर में रहने वाली 74 वर्षीय वृद्धा मजदूरिन एवं उसकी विधवा लड़की को हथकड़ी लगाकर भी पुलिस ने घुमाया। यह जो उनके साथ अन्याय किया गया है, उसके लिए क्या प्रतिकार किया जा रहा है?

**श्री पुरुषोत्तम मंत्री** : यह अलग से प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री अब्दुल हादी।

**श्री अब्दुल हादी** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व अभियान करीबन एक महीने तक चला था। उसमें मैं भी शामिल था, एस. डी. ओ., तहसीलदार, प्रधान भी शामिल थे। इस प्रकार चौहटन तहसील में 70 हजार बीघा जमीन 1200 आदमियों की रेगुलराइज की गई है। यह जो जमीन रेगुलराइज की गई है उसमें अधिकतर शिड्यूल्ड

(श्री अब्दुल हादी)
कास्ट्स और ट्राइब्स तथा माइनोरिटीज के लोग हैं। उनकी जमीन को रेगुलराइज किया गया है जिनका कि नाजायज कब्जा था। वैसे दूसरी जमीन भी वहां पर काफी पड़ी है। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय ने जो यह कहा है कि रेगुलराइज नहीं किया गया है, नहीं किया जा सकता है, मैं समझता हूं कि यह इन लोगों के साथ अन्याय है। सरकार एक बार रेगुलराइज करके ऐसा निर्णय लेती है तो लोगों को सरकार पर विश्वास नहीं होगा इसलिये माइनोरिटीज और शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के ज्यादा लोग हैं, उनको राहत दी जाए और जमीन को रेगुलराइज किया जाए जो कि कर दी गई है। वरना यह एक शर्मनाक बात होगी। कृपया मंत्री महोदय इसका जवाब दें।

**श्री परसराम मदेरणा** : प्रश्न के भाग (4) का उत्तर दिया गया है—राजस्व अभियान के दौरान बाड़मेर जिले में कोई नियमन नहीं किया गया है, जब कि प्रश्नकर्ता ने यह बताया है कि जो राजस्व अभियान उनके जिले में चलाया गया था उसमें वे स्वयं शामिल थे। वे स्वय उसके मैम्बर थे तो यह उत्तर सही नहीं है। क्या यह सही है, जो मरुस्थलीय इलाका है, वहां मरुस्थलीय विकास कार्य के लिए भूमि आवंटन की रोक लगी हुई है परन्तु वहां रेगुलराइज करने के मामले में राजस्व डिपार्टमेंट की न तो रोक पहले थी और न ही आज है ? क्या यह सही है ? राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलाटमेंट आॅफ लैण्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज रूल्स, 1970 के अन्तर्गत, प्रश्न के भाग (4) के तहत मंत्री महोदय ने ना कहा है, मैं आप को सूचना देता हूं कि बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील में नियमों के अन्तर्गत एस. डी. ओ. एज चेयरमैन, एम. एल. ए., प्रधान, बी. डी. ओ., तहसीलदार इनकी जो एडवाइजर कमेटी है, उसकी प्रोसीडिंग्स के अनुसार 70 हजार बीघा भूमि का आवंटन कर दिया गया है। क्या यह सही है कि इस प्रकार स्टेट्यूटरी रूल्स लैण्ड रेवेन्यू के अन्तर्गत गवर्नमेंट आदेश करती है तो वह अवैधानिक कार्यवाही है ? इस प्रकार का कोई भी आदेश अवैधानिक है, क्या यह सही है ? आवंटन होने के बाद उन आवंटनों को जो रोका गया है, यह विधिवत् नहीं है, क्या यह सही है ?

**श्री पुरुषोतम मन्त्री** : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने जो यह भावना व्यक्त की है जो जमीन अलॉट की गई है, वह शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स और माइनोरिटी के लोगों को की गई है। इस भावना की मैं कद्र करता हूं। लेकिन मरुस्थलीय विकास का जो कार्यक्रम है और जो वहां का पशुधन है, उसका प्रश्न है।

**श्री परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिला, बीकानेर जिला, चूरू जिला, नागौर जिला में यह हुआ है। ये सभी जिले डेजर्ट एरिया में आते हैं। आपने अन्त्योदय योजना की बात कही है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आपने रेगुलराइज करने से कलेक्टर को रोका ?

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : आप जान-बूझकर आवंटन कर कैंसिल करायेंगे। आपने आवंटन पर रोक लगाई क्या ? जिन माइनो-

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
रिटीज के लोगों को जमीन का आवंटन हुआ है उसको आप कैंसिल करायेंगे, तो यह एनॉर्की है। मगर माइनोरिटी के लोग हैं तो उनका कब्जा रेगुलराइज होगा या नहीं ? आपने असली चीज बताई नहीं है।

श्री शंकरलाल : राजस्व मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि डी. पी. ए. पी. डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेन्ट को रोका है। यह आपने स्वयं कहा है। विरोधी दल के नेता ने कहा है कि अलॉटमेन्ट पर रोक है पर रेगुलराइजेशन की व्यवस्था है। आपने कहा है कि धारा 63 (1) (8) के तहत आवंटन व नियमन न किया जावे और प्रतिबन्धियों के विरुद्ध 91 की धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। रेगुलराइजेशन के नियम बने हैं तो जो अलॉटमेन्ट हो चुके हैं उनको एक्जीक्युटिव ऑर्डर से रद्द नहीं कर सकते हैं। जितने अलॉटमेन्ट हो चुके हैं...

श्री सभापति : कृपया भाषण नहीं दें।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बुलाया गया है। अलॉटमेंट देने के लिए बुलाया गया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो इस सरकार की नीति है।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनसिंह भाटी !

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने जो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न उठाया है कि रेगुलराइजेशन रोकने का नियम नहीं है। या तो विरोधी दल के नेता का कहना गलत है या मंत्री महोदय गलत हैं। मेरा कहना है कि हमारे जिले में एस. डी. ओ. व कमेटी ने रेगुलराइजेशन रिकमण्ड कर दिया है। वह रुका हुआ पड़ा है रेगुलराइज नहीं किया जा रहा है। मैं भूतपूर्व मंत्री जी से मिला हूं। इसलिए मैंने निवेदन किया है, या तो उनका कहना सही है या इनका कहना सही है।

श्री गंगाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न चौहटन तहसील का नहीं है यह बाड़मेर जिले का प्रश्न है। अलॉटमेन्ट कमेटी की राय के बाद में स्पेशल ऑर्डर किये हैं। नियमों के अन्तर्गत यह है इसलिए ये आवंटन निरस्त नहीं हो सकते हैं। आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही सरकार कैसे कर सकती है ? माननीय सदस्य ने कहा है ऐसा मामला एक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा अभियान के दौरान बहुत से आवंटन हुए हैं। प्रश्नकर्ता ने कहा है, 1200 आदमियों को 70 हजार बीघा भूमि रेगुलराइज हुई है। फिर रद्द कैसे किया जा रहा है।

श्री नूरा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, यह आवंटन कमेटी ने देखते हुए आवंटन कर दिया है उसके बाद कार्यवाही करना यह साबित करता है कि किसी प्रभावशाली आदमी का इसके पीछे हाथ है।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज !

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से इस बात का निवेदन करूंगा...

श्री अध्यक्ष : कृपया आपस में बातें नहीं करें।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर पाकिस्तान का सीमावर्ती इलाका है। वहां पर अधिकांश आबादी मुसलमानों की होने के कारण क्या उनकी नीयत पर मौजूदा सरकार को शक है इसीलिये रोक लगाई गई है?

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन !

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो नियमन की कार्यवाही हुई है, एस. डी. ओ. और जो व्यक्ति उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में हुई है। आदेश होने के बाद फिर बाद में रोका गया। कहा गया कि उनको कब्जे नहीं दिये जायें। मरुस्थलीय विकास कार्य की बात कही जाती है। मेरे क्षेत्र में बहुत जमीन है। ऐसा नहीं है, वह सामने नहीं हो। वह भी आप ले सकेंगे।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन बहुत साफ है। जहां तक रेवेन्यू कानून का सम्बन्ध है, दोनों भूतपूर्व मिनिस्टर सदन में हैं। वह सदन को कन्विंस कर दें, यह नहीं है, या यह है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने तीन-चार प्रश्न उठाये हैं। एक तो यह कि जो जवाब दिया गया है, वह सही नहीं है। पहले ऐसा था नहीं। 70 हजार बीघा जमीन के अलॉटमेन्ट का रेगुलराइजेशन रोका नहीं जा सकता 1974 में रोक लगा दी गई है। मेरे पास चिट्ठी है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : नियमन के लिए रोक नहीं लगाई गई है।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : नियमन व अलॉटमेन्ट के लिए है। वह चिट्ठी मैं पढ़ देता हूं। जहां तक मोहटन के एस. डी. ओ. ने 70,000 बीघा का रेगुलराइजेशन किया है वह कायदे से किया है या नहीं, मैं खास तौर से माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि इसकी जांच करवा ली जाएगी।

(व्यवधान)

पूरी बात सुन लीजिए। अलॉटीज के साथ जो ज्यादती हुई, वह दूर कर दी जाएगी।

दूसरी बात यह कि बिल्कुल अलॉटमेन्ट नहीं किए जायें। मैंने यह कहा था कि खेती के लिए एक ट्रैक्टेयर तक जमीन अलॉट की जा सकती है। लेकिन खालसा की गई भूमि का आवंटन व नियमन नहीं किया जाएगा।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि अलॉटमेन्ट रूल्स, 70 के हैं, उनमें संशोधन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं किये जा सकते हैं। लेजिस्लेचर के अलावा और कोई संशोधन नहीं कर सकता है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इस प्रश्न की समीक्षा कर ली जाएगी। इस प्रकार की जितनी कार्यवाही हुई है उसकी जांच करा ली जाएगी। मैं फिर निवेदन करूंगा, माननीय सदस्यों द्वारा जो भावना प्रकट की गई है, उसके आधार पर इस पर पुनः विचार किया जायगा और फिर निर्णय लिया जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि 1970 तक रेगुलराइजेशन डेजर्ट एरिया में रुके हुए थे या नहीं? 1971 में रुके हुए नहीं थे। 1974 में रोक दिये। क्या यह सही है कि चूक के

# Page No 12

(12)



(श्री परसराम मदेरणा)
कलेक्टर ने डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट चूरू के लिए राज्य सरकार से क्लेरीफिकेशन मांगा था कि रेगुलराइजेशन के मामले में डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में पाबन्दी है ? क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस क्लेरीफिकेशन को देखते हुए सभी जिलाधीशों को इसकी प्रतिलिपि भेजी थी और, यह आदेश दिया था कि डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में रेगुलाइजेशन में पाबन्दी नहीं है।

क्या यह सही है कि अब जो रेगुलेराइजेशन हो रहा है वह 71 के आदेशों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के अन्तर्गत नहीं है ? लेकिन 14 अप्रेल, 1977 को जो आदेश दिया गया था, जो नोटीफिकेशन है गवर्नमेंट का अण्डर रूल 20, उसके बीच का पार्ट है :

"The State Government has now decided that this date of 1st January, 1971 may be extended up to 1st July, 1975 so that all encroachments on the Swai Chak land up to 1st July, 1975, for agricultural purposes may be regularised, subject to the terms and conditions and restrictions laid down in the rules and existing circulars."

इसके तहत दूसरे जिलों में डेजर्ट जिलों में 1-7-75 के एन्क्रोचमेंट्स का रेगुलराइजेशन हुआ है ? क्या यह सही है कि कुछ जिलों में रेगुलराइजेशन हुआ है कुछ में नहीं हुआ है ? इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन राजाज्ञा होते हुए कैसे किया गया है ? आपने पुरानी फाइल देखी है ? लैंड रेगुलराइजेशन के मामले में गवर्नमेन्ट ने पूर्व में स्थिति साफ कर रखी है।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : विरोधी दल के नेता व माननीय सदस्यों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया, वह मेरे पास नहीं है। सारी स्थिति की मैं जांच कराऊंगा और जो भी न्यायोचित निर्णय होगा वह लिया जाएगा।

श्री किशनसिंह भाटी : मेरा एक रिलेटेड सवाल है। सन् 1973 से मेरे कम्पलीट जिले में अलॉटमेंट बंद कर रखा है। मंत्री महोदय का कहना कि पास्चर लैंड की कमी है, वह रेगिस्तानी क्षेत्रों में चाहिए। मैं तो यह नहीं कहूंगा कि उनका कहना सही नहीं है लेकिन यह उचित नहीं है। मेरे जिले में इतनी पड़त लैंड है कि पास्चर लैंड की कमी नहीं है, उतने जानवर नहीं हैं जितनी कि जमीन पड़ी है।

श्री अध्यक्ष : क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, सब मंत्री महोदय देखेंगे।

श्री किशनसिंह भाटी : क्या मंत्रीजी आश्वासन देंगे कि 1973 से मेरे जिले में अलॉटमेंट बंद हैं जब कि भूमि पड़ी हुई है ? शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के लोग व मुसलमान ज्यादातर भूमिहीन हैं, 10 हजार के करीब हैं, उनको भूमि का अलॉटमेंट करेंगे, इस बारे में क्या कहते हैं ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : एग्जामिन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयेन्द्रपाल !

भेड़ों का कृत्रिम गर्भाधान

762. श्री विजयेन्द्रपालसिंह (आसींद): क्या भेड़ व ऊन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में भेड़ों का कृत्रिम गर्भाधान कब से प्रारम्भ हुआ ? इस कार्य से आज तक संकर भेड़ों की क्या उपलब्धि हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि कृत्रिम गर्भाधान के परिणाम बहुत ही कम हैं ?

(3) क्या यह सही है कि विदेशी मेंड़ों से यदि नेचरल सर्विस ली जाये तो इन्सेमीनेशन के मुकाबले संकर मेमनों की उपलब्धि अधिक होगी ? यदि हां, तो इससे राज्य सरकार का कितना व्यय बच सकेगा ?

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री नन्दलाल): (1) राज्य में भेड़ों का कृत्रिम गर्भाधान का कार्य वर्ष 1967-68 से प्रारम्भ हुआ । कुल 99,818 कृत्रिम गर्भाधान किए गये जिससे 26,217 संकर मेंमने पैदा हुए ।

(2) जी नहीं ।

(3) विदेशी मेंढ़ों से नेचरल सर्विस कराई जावे तो इन्सेमिनेशन के मुकाबले में संकर मेंमनों की उत्पत्ति अधिक होगी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । अतः किसी बचत के अनुमान का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इनके स्टेस्टिक्स बताते हैं कि आर्टिफिशियल इन्सेमीनेशन से रिजल्ट्स 30 प्रतिशत से ऊपर नहीं जायेंगे और नेचरल सर्विस से 60 प्रतिशत होते हैं, तो फिर जो जवाब दिया है वह गलत है । दूसरे, राजस्थान में ज्यादातर जो मारवाड़ी ब्रीड है उसके अन्दर जैनेटिक्स का पता लग जायगा और भेड़ पालक····

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : समझ में नहीं आता ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : आप तो राजस्थानी अच्छी बोल लेते हैं ।

श्री विजयेन्द्रपालसिंह : जो जैनेटिक्स हैं, उनके आधार पर आर्टीफिशियल इन्सेमीनेशन पापूलर नेचरल सर्विस ? अगर ए. आई. पापूलर नहीं है तो उसे बन्द करके नेचुरल सर्विस इन्स्टीट्यूट करेंगे ?

श्री नन्दलाल : नेचरल सर्विस से ज्यादा मेंमने पैदा हुए, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । इस दिशा में राजस्थान में कोई विस्तृत कार्यक्रम नहीं चलाया गया है । उसका कारण यह है कि राजस्थान में जो प्रजनन योग्य भेड़ें हैं उनकी संख्या इतनी है कि नेचरल सर्विस के लिए इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो विदेशी मेंढ़ें चाहिए वे हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं । दूसरे, जो भी विदेशी मेंढ़ें हैं उनको एक निर्धारित तापक्रम में रखा जाता है । जहां 32 सेन्टीग्रेड के ऊपर तापमान हो, गर्मी की ऋतु में····

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, प्रश्नकर्ता को कह दीजिये कि नेचरल प्रोसेस को अपनायेंगे, आर्टीफिशियल को नहीं ।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : यह बहुत इम्पोर्टेन्ट सवाल है।

**श्री शंकरलाल** : आपका प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि अध्यक्ष को हिदायतें देनी पड़ी।

(व्यवधान)

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : भेड़ों का मामला है, इसलिए सरदार हरचरणसिंह को बोलने का मौका दें।

**श्री विजयेन्द्रपाल सिंह** : क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि जैनेटिक का मतलब होता है, फिजीकल···

**श्री अध्यक्ष** : यह सब ग्रीक व लेटिन आप बोल रहे हैं।

स्थगित प्रश्न।

**श्री हरिशकुमार शर्मा** : मेरे प्रश्न 763 का जवाब दिलाया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : श्री नवरंगसिंह !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2 मार्च, 1978 एवं 17 मार्च, 1978)

## राजस्व अभियान एवं इस पर व्यय की गई राशि

13. **श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़)**: क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राजस्व अभियान में कितने मामलों का मौके पर निर्णय किया गया तथा कितने मामले पेंडिंग रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के कारण कुछ मामले पेंडिंग रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक इन मामलों का निर्णय होने की आशा है ?

(3) इस राजस्व अभियान पर राज्य सरकार का कितना धन खर्च हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**राजस्व मंत्री (श्री पुरुषोत्तम मंत्री)** :

(1) राज्य में राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 2-10-77 से 15-11-77 तक 14 बिन्दुओं के अन्तर्गत आने वाले मामले निपटाये गये एवं अवशेष मामलों का विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्व अभियान पर राज्य सरकार के कुल 9,57,220 रुपये व्यय हुए हैं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री बजरंग लाल !

**श्री नवरंगसिंह** : मैं जानना चाहूंगा कि जो सूची सदन की मेज पर रखी है···

(व्यवधान)

मुझे सप्लीमेन्ट्री पूछना है !

**श्री अध्यक्ष** : माननीय श्री बजरंगलाल !

**श्री नवरंगसिंह:** मुझे पूरक प्रश्न पूछना है।

**श्री अध्यक्ष:** पूछिए।

**श्री नवरंगसिंह:** खातेदारी के नामान्तरकरण के मामले जो रह गए हैं वे किस कारण से रह गए ? कब तक नामांकन करके खातेदारी अधिकार मिलेंगे ?

दूसरे जो 9,57,220) की रकम खर्च होना बताया है, वह किस किस मद में खर्च की गई है ?

**श्री पुरुषोत्तम मंत्री:** माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न पूछा कि बकाया के मामले कब तक निपटा दिये जायेंगे । उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार एक ओर राजस्व अभियान चलाने का विचार कर रही है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा कि किस किस मद में कितना कितना खर्च किया गया । इसके लिये मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के उत्तर में मैंने एकजाई विवरण दे दिया है । अगर माननीय सदस्य अलग अलग मदों पर कितना कितना खर्च हुआ, यह पूछना चाहते हैं तो वह आकर मेरे से मिल लें मैं मालूमात करके पूरी सूचना दे दूंगा।

**श्री अध्यक्ष:** नेक्स्ट प्रश्न । श्री बजरंग लाल शर्मा !

## स्थगित प्रश्न

### (दिनांक 18 मार्च, 78)

### राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा सामान की खरीद

147. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम ने पिछले पांच वर्षों में किन किन राज्य अधिकारियों की पत्नियों से कितना कितना माल खरीदा ? निगम ने राज्य के किन अधिकारियों की पत्नियों का माल कन्साइनमेंट बेसिस पर रखा ?

(2) कितनी ऐसी फर्म्स या सोर्सेज से कारोबार या व्यापार किया जिनमें राज्य के अफसरों की पत्नियां प्रोपराइटर या भागीदार थी ?

**उद्योग मन्त्री** ( श्री सूर्यनारायण चौधरी) : (1) राजस्थान लघु उद्योग निगम ने पिछले पांच वर्षों में 1972-73 से 1976-77 तक किसी भी राज्य अधिकारियों की पत्नियों से सीधी खरीद नहीं की है । किन्तु संलग्न सूची "अ" में अंकित फर्मों से निगम में अधिकांशतः सामान कन्साइनमेंट बेसिस पर रखा है एवम् आवश्यकतानुसार माल की खरीद की गई है ।

(2) राजस्थान लघु उद्योग निगम के पास ऐसी तथ्यपूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि जिन फर्मों से सामान क्रय किया गया है, उनमें किस किस राज्य अधिकारी की पत्नी प्रोपराइटर या भागीदार है । उपलब्ध सूचना के आधार पर परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध सूची में अंकित फर्मों में राजकीय अधिकारियों की पत्नी का संबंध हो सकता है ।

# Page No 16



इसके अलावा परिशिष्ट 'अ' में जो सूचना है वह भी बता देना चाहूंगा।

| क्र. सं. | फर्म का नाम | 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मैसर्स बनिता हैण्डी क्राफ्ट्स, जयपुर | 1,625 | 4721.40 | — | 3701.30 | 7509.60 |
| 2. | मैसर्स कुमकुम खड़ी, जयपुर | — | - | 36 849,0 | 36906.0 | 10,327.78 |
| 3. | मैसर्स बनीठनी, जयपुर | — | — | — | 57984.86 | 70954.64 |
| 4. | एप्जीक्राफ्ट्स जयपुर | — | — | — | 7,861-09 | 319-65 |
| 5. | मैसर्स महारानी हैन्डीक्राफ्ट, जयपुर | — | — | — | 16,340-35 | — |

इसके अलावा मेरे पास जो इनकी सूचना है वह भी माननीय सदस्यों को देना चाहूंगा।

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1. | मैसर्स बनिता हैण्डीक्राफ्ट्स, जयपुर भागीदार, फर्म | भागीदार श्रीमती एम. पी. सिंह धर्मपत्नी डॉक्टर एम. पी. सिंह (श्री सिंह वर्तमान में मैडिकल कॉलेज बीकानेर में रीडर इन सर्जरी के पद पर कार्यरत हैं। एवम् श्रीमती निर्मला गुप्ता पत्नी श्री किशन गुप्ता (श्री किशन गुप्ता राज्य कर्मचारी नहीं हैं)। |
| 2. | मैसर्स कुमकुमखड़ी हैण्डीक्राफ्ट्स, जयपुर भागीदार फर्म | भागीदार श्रीमती सिंघा धर्मपत्नी श्री जे. पी. सिंघा एवम् कुमकुम सिंघा पुत्री श्री सिंघा आई. पी. एस. (श्री सिंघा अतिरिक्त महानिरीक्षक आरक्षी होम गार्ड्स, जयपुर के पद पर हैं) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | मैसर्स धनी ठनी जयपुर, प्रोपाइटर फर्म | प्रोपराइटर श्रीमती उषा वैंजल धर्मपत्नी श्री आर. के. बैंजल आई. पी. एस. (श्री आर. के. बैंजल निदेशक सतर्कता वन विभाग के पद पर कार्यरत हैं)। |
| 4. | मैसर्स एपलिक क्राफ्ट्स, जयपुर विवरण उपलब्ध नहीं है। | प्रतिनिधित्व श्रीमती गुप्ता धर्मपत्नी श्री अमिताभ गुप्ता आई. पी. एस. [श्री अमिताभ गुप्ता इस समय केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर है इस समय भारतीय दूतावास इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में प्रथम सचिव के पद पर कार्यरत हैं।] |
| 5. | मैसर्स महारानी हैंडी क्राफ्ट्स, जयपुर प्रोपराइटर फर्म | प्रोपराइटर श्रीमती शारदा कोचर धर्मपत्नी श्री के. एल. कोचर, आई. ए. एस. (श्री कन्हैयालाल कोचर इस समय निदेशक जन सम्पर्क के पद पर कार्यरत हैं)। |

**श्री कौशलकिशोर जैन** : यह कुमकुम खड़ी किससे लड़ी।

**श्री सूर्यनारायण चौधरी** : आपसे।

**श्री अध्यक्ष** : आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा।

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या यह जरूरी है कि जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की पत्नी अगर कोई इस प्रकार का धन्धा चलाती है तो उसके लिए उस सरकारी अधिकारी को राज्य सरकार को सूचना देनी पड़ती है कि उसकी धर्मपत्नी बिजनेस करती है? क्या सूचना देना अनिवार्य नहीं है, यह बतावें? और है तो क्या इन अधिकारियों ने कोई सूचना दी थी? नहीं दी, तो क्यों? क्या यह बात सही नहीं है कि सरकारी अधिकारी लोग अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं? क्या राज्य सरकार ने इसके लिए अधिकारियों के खिलाफ में कोई जांच बैठायी? क्या इन अधिकारियों के खिलाफ अपने पदों का दुरुपयोग अपनी पत्नियों के बिजनेस के लिए करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की? मैं ऐसे अधिकारी का नाम मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, जो राजस्थान स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। इसमें उनकी पत्नी है। दूसरे इसमें तीन आई. पी. एस. अधिकारी हैं जिनकी पत्नियां इस प्रकार का व्यापार करती हैं। इसके अलावा एक

Page No 18

(18)



(श्री बजरंगलाल शर्मा)

मिस्टर एम. पी. सिघा हैं जिन्हें आपने डॉक्टर बताया है, इनकी धर्मपत्नी एक मैनेजिंग डाइरेक्टर की साली है। तो यह सारा क्या चक्कर है और इस सारे लोगों का करेक्टर क्या है ? जिन महाशय की धर्मपत्नी से माल खरीदा गया वह खुद वहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थे।

श्री ईश्वरचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, धर्मपत्नी शब्द जो बोला है इसमें 'धर्म' शब्द तो हटा दिया जाना चाहिये क्योंकि धर्म तो अब रहा ही नहीं सिर्फ 'पत्नी' शब्द ही रहना चाहिए।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो भी सूचना दी गई है, उससे क्लीयर हो जाता है। उसको मैं दोहरा देता हूं, श्री के. एल. कोचर की पत्नी की जो फर्म है मैसर्स महारानी हैण्डीक्राफ्ट्स, जयपुर उनके कार्यकाल से कोई माल नहीं खरीदा गया जब वह मैनेजिंग डाइरेक्टर थे इस कार्पोरेशन के तब।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का जो एम्पोरियम है उसमें उन का माल रखा हुआ है। आप जाकर देख लें, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा, मैं खुद जाकर देख कर आया हूं। आप जाकर जांच कर लें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय सदस्य ने जो सूचना दी फैक्ट्स की, मैं उनकी जांच करवा लूंगा। दूसरी बात जो उठायी है कि राज्य सरकार के अधिकारी की पत्नी अगर कोई धन्धा करती है तो उसकी सूचना देना अनिवार्य है कि नहीं, यह मुझे पता नहीं है। इसके सम्बन्ध में जो भी सूचना होगी मैं आपको प्रश्न द्वारा पृथक् से जानकारी लेकर दे दूंगा। अभी बिना जानकारी किये कुछ भी नहीं कह सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

नेक्स्ट प्रश्न। श्री आलम अली!

श्री शंकरलाल : उद्योग मन्त्री जी एक ही प्रश्न के उत्तर में उलझ गये हैं। उनको प्रश्न का उत्तर नजर नहीं आ रहा है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तो खरगोश की चाल चलते हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 78)

फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र में वूलन फैक्ट्री लगाने की योजना

156. श्री आलमअली खां (फतेहपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या राज्य सरकार वहां वूलन फैक्ट्री लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मंत्री (श्री सूर्यनारायण चौधरी): ऐसा कोई प्रस्ताव हाल में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

श्री आलमअली खां : इसका कारण क्या है ? क्यों नहीं किया गया ?

# Page No 19



श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब आना चाहिये। एक नयी बात है। इसका जवाब आ जायेगा तो माननीय सदस्य को तसल्ली हो जायेगी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने सभी क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के लिए योजना बना रखी है इसलिये क्षेत्र विशेष को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाय यह उचित नहीं।

श्री गोपालसिंह ( खण्डेला ) : अध्यक्ष महोदय, शेखावाटी में वूलन फैक्ट्री उद्योग का ...

(व्यवधान)

दूसरे इलाकों की बजाय ज्यादा भविष्य है। दूसरे इससे बेरोजगारी भी हटेगी। इस पर राज्य सरकार को विचार करने में क्या दिक्कत है ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अवश्य विचार करेंगे।

स्थगित प्रश्न

( दिनांक 16-3-78 )

## अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत उदयपुर जिले में चयनित परिवार

287. मेजर श्री फतेहसिंह (भीम): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत उदयपुर जिले से कितने व्यक्तियों का चयन किया गया ? तहसीलवार संख्या दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त चयनित निर्धनों को कुल कितनी आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव हैं ? कृपया तहसीलवार अनुमानित अथवा प्रस्तावित धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चयनित निर्धनों को अब तक कुल कितनी धनराशि की सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है ? कृपया तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा गारन्टी के अभाव में बैंक्स इन निर्धनों को ऋण नहीं दे रही है ?

कृषि मंत्री (श्री दिग्विजयसिंह) : (1) उदयपुर जिले में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कुल 15,494 परिवारों का चयन किया गया है। पंचायत समितिवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(2) इन परिवारों को लगभग 272 लाख रुपये के ऋण व अनुदान प्रदान करने की योजना है। पंचायत समितिवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) लघु कृषक विकास अभिकरण द्वारा चयनित परिवारों को अब तक 60.59 लाख रुपये के ऋण विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं। जिनके साथ लगभग 20 लाख रुपये का अनुदान देय है। पंचायत समितिवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) अब तक बैंकों ने जो ऋण स्वीकृत किये हैं, वह बिना राज्य सरकार की गारन्टी के ही स्वीकार किये हैं। पर

(श्री दिग्विजयसिंह)

कहीं कहीं पर ऐसी समस्या आ रही है कि गारन्टी देने वाले नहीं मिलते हैं तो ऋण नहीं मिल पा रहा है इस विषय पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है और वित्त विभाग भी इस विषय पर विचार कर रहा है।

मेजर श्री फतेहसिंह : गवर्नमेंट इन अन्त्योदय योजना वालों को ऋण उपलब्ध कराने की गारन्टी दे, इसके सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट कब तक निर्णय ले लेगी ?

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर सकता हूं कि चूंकि गारन्टी का प्रश्न है और राज्य सरकार का इसमें इन्वोल्वमेन्ट हो जावेगा, फाइनेन्शियल आस्पेक्ट आता है इसलिये रिजर्व बैंक से बात करनी होगी। हम भी कहां तक इसको कर पायेंगे। हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि अगला कार्यक्रम हो उससे पहले ही इस पर निर्णय ले लें।

मेजर श्री फतेहसिंह: क्या यह बात सही है कि गवर्नमेंट ने ऐसा इम्प्रेशन दिया था कि उन सब व्यक्तियों को ऋण दिलाने में गवर्नमेंट गारन्टी देगी ? जहां तक मैं समझता हूं ऐसा इम्प्रेशन दिया था इसीलिये जहां जहां सेन्टरों पर हम गये, हमने यह कहा कि गवर्नमेंट गारन्टी देगी ऐसा इम्प्रेशन दिया गया था।

श्री दिग्विजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे पास जानकारी है लिखित में इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गयी थी और न कोई ऐसे इन्स्ट्रक्शन्स जारी किये गये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार स्वयं इस बात को महसूस करती है कि इस सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये। गरीबों को ऋण मिलना चाहिये। इस पर जल्दी ही विचार करके उनको ऋण उपलब्ध कराया जावेगा।

(व्यवधान)

मेजर श्री फतेहसिंह: उदयपुर जिले में 272 लाख 43 हजार के प्रस्ताव हैं उनमें से 60 लाख 59 हजार रुपये ही दिये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह बकाया की प्रस्तावित सहायता उनको कब तक मिल जावेगी ? दो दिन के बाद यहां से हम लोग अपने क्षेत्रों में जाने वाले हैं। हमको पूछेंगे कि क्या किया तो हम क्या जवाब देंगे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह: हमने तो पहले ही कहा था।

श्री दिग्विजयसिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है कि गारन्टी की वजह से लोन नहीं मिल पाया है। मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जल्दी ही व्यवस्था कर दी जावेगी ताकि लोन मिल सके।

मेजर श्री फतेहसिंह: ग्रामीण बैंक तैयार नहीं होंगे जब तक गवर्नमेंट स्वयं गारन्टी देने के लिये तैयार नहीं होगी। इसलिये इस पर आप जल्दी ही निर्णय लें वरना लोगों को लोन नहीं मिल सकेगा।

श्री मदनसिंह दांता: अभी ग्रामीण बैंक के मैनेजर आये थे, सीकर में यह कहा था कि हम गारन्टी नहीं देंगे। फिर भी सरपंच या प्रतिष्ठित लोग हैं वे गारन्टी दें तो जरूर लोन मिल जावेगा। गवर्नमेंट ने अनाउन्स किया था कि सब लोग सहयोग

# Page No 21



(श्री मदनसिंह दांता)
हैं। मैंने अपने एरिया में दो लाख की गारन्टी दी है।

श्री अध्यक्षः आयन्दा मत दीजियेगा।

श्री मूलचन्द डागाः कितनी राशि बजट में है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि गोगुन्दा, जिला उदयपुर पंचायत समिति में जो ऋण दिया गया है वह उन लोगों ने वापस लौटा दिया तो जिन लोगों ने वापस लौटाया तो किस कारण से ऋण लौटाने की स्थिति बनी? क्या कारण थे?

श्री दिग्विजय सिंह: यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। फिर भी आपने जानकारी दी है तो मैं इसकी जानकारी कर लूंगा।

श्री अध्यक्षः श्री श्रवणलाल!

श्री मूलचन्द डागाः स्वयं आप समाधान करें। कितना बजट है इसका?

श्री अध्यक्षः श्री श्रवणलाल!

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत गंभीर है। अन्त्योदय की योजना से जुड़ा हुआ है। जो गरीब से गरीब परिवार हैं उनको हमारी सरकार द्वारा कर्जा दिलाने के सम्बन्ध में, जैसा कि प्रश्नकर्ता के द्वारा बताया गया वह सही है, जमानत के लिये बैंक में कोई गारन्टी देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिये मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें तब ही होगा वरना लोन नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 170

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1978 व 18 मार्च, 1978)

संयुक्त कृषि सहकारी समिति, कुचेरा

170. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1960-61 में कुचेरा गांव, जिला नागौर में एक संयुक्त कृषि सहकारी समिति कार्यरत थी जिसका सन् 1962 में अवसायन कर दिया गया था और जिसकी जमीन खुड़खुड़ा खुर्द में थी? अगर हां, तो अवसायन करने के क्या कारण थे तथा उसके लिए अवसायक किनको नियुक्त किया गया था? इसकी क्या कार्यवाही, किस प्रकार, कितने समय में की गयी?

(2) इस समिति के इस कृषि फार्म पर 1961 तक कुल कितनी लागत किस किस प्रकार लगी?

(3) इसको किन कारणों से किसके आदेश से नीलाम किया गया? नीलामी की बोली लगाने वालों की लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा नीलामी कितनी बार किस किस तारीख को की गयी थी? अन्तिम

# Page No 22

(22)



(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

बोली किसकी थी जिसको उक्त जमीन दे दी गई थी ?

(4) आज वह जमीन किसके नाम से राजस्व रिकार्ड में है तथा उन्होंने किससे खरीद की थी ? उनका स्थाई पता मय प्रथम अवसायक के रिश्ते के बताने की कृपा करें।

(5) क्या उक्त खुड़खुड़ाखुर्द कृषि फार्म की जमीन नीलाम करने के बाद उक्त समिति के अध्यक्ष ने विभाग को अवसायक के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि जमीन मिलीभगत से सस्ती कीमत पर बेच दी है अतः दुबारा नीलाम की जावे एवं अवसायक के विरुद्ध कार्यवाही की जावे ? अगर हां, तो फिर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, नागौर ने या विभाग ने इस पर क्या कार्यवाही की ? क्या यह सही है कि शिकायत के बाद इसकी जांच हेतु श्री नाथूराम बेनीवाल को दूसरा अवसायक नियुक्त किया गया था ? अगर हां, तो उन्होंने क्या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(6) जिस वर्ष यह कृषि फार्म अवसायक द्वारा नीलाम किया गया इस कृषि फार्म की जमीन मय कुओं व मशीन की क्या कीमत थी ?

**सहकारी मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल)** : (1) ग्राम कुचेरा, जिला नागौर में एक सामुदायिक कृषि सहकारी समिति लि. पंजीयत थी, उसको अवसायन में लाने के आदेश 1962 में दिये गये थे।

राजस्व अभिलेख के आधार पर समिति के नाम किसी जमीन का होना नहीं पाया जाता अलबत्ता अवसायक द्वारा चार्ज लेते समय ग्राम खुड़खुड़ा के खसरा नं. 158, 148, 350 का कब्जा लिया जाना पाया जाता है। समिति में पदाधिकारियों द्वारा सहकारिता के सिद्धान्तों पर कार्य नहीं करने एवं एक ही परिवार के स्वार्थ सिद्धि हेतु कार्य करने के कारण समिति को अवसायन में लाया गया तथा आदेश क्रमांक 6037/42, दिनांक 25-7-62 के द्वारा श्री आशाराम सोनी, तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर को अवसायक नियुक्त किया गया। सन् 1969 तक समिति की अवसायन कार्यवाही में प्रगति नहीं होने के कारण आदेश क्रमांक 7505-14, दिनांक 20-6-69 के द्वारा सहकार प्रसार अधिकारी, नागौर (श्री भंवरसिंह) को अवसायक नियुक्त किया गया जिसने जमीन की नीलामी 3-9-70 को की। अवसायन की कार्यवाही अभी चालू है।

(2) इस समिति के कृषि फार्म हेतु 1961 तक निम्न प्रकार से राशि ली गई

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पंचायत समिति, मूंडवा से पम्पिंग सेट लगाने के लिए | 6,000 रु. |
| 2. | ट्रैक्टर लोन जिलाधीश, नागौर से कृषि विभाग द्वारा | 10,000 रु. |
| 3. | दी नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. खाद, बीज बैलगाड़ी के लिए | 5,000 रु. |
| 4. | पंचायत समिति, मूंडवा से कुआ गहरा कराने हेतु | 1,500 रु. |
| | | 22,500 |

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) समिति के अवसायनाधीन होने के कारण अवसायक द्वारा इस जमीन को स्वयं के आदेश से नीलाम किया जाना पाया जाता है। नीलामी की बोली लगाने वालों की सूची परिशिष्ट 'क' पर, संलग्न है। नीलामी दिनांक 3-9-77 को हुई जिसकी अन्तिम बोली श्री हीरालाल पुत्र श्री रामनारायण भंटड़ निवासी नोखा मण्डी की थी जिसे जमीन सुपुर्द की गई।

(4) इस समय खसरा नम्बर 158, 148, 350 कुल रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा जमाबन्दी के अनुसार श्री हीरालाल पुत्र श्री रामनारायण भंटड़, साकिन नोखा मंडी, जिला बीकानेर के नाम से है। इन्होंने यह जमीन मलिया पुत्र नरसिंह कौम खाती साकिन खुड़खुड़ाखुर्द से सम्वत् 2029 में जरिये नामान्तरण संख्या 36 दिनांक 21-5-71 को रजिस्ट्री दिनांक 10-11-70 के द्वारा स्थानान्तरण की गई है। पहले खातेदार व द्वितीय खातेदार से अवसायक के रिश्ते का कोई सबूत रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।

(5) जी हां, समिति के अध्यक्ष ने इस कृषि फार्म की जमीन नीलाम करने के बाद दिनांक 3-9-76, 14-12-76 व 1-2-77 को अवसायक के विरुद्ध शिकायत क्रमशः उप रजिस्ट्रार, फार्मिंग मुख्यालय, सहायक रजिस्ट्रार, नागौर को की जिस पर सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर द्वारा जांच की जाकर रिपोर्ट पत्र क्रमांक 1527, दिनांक 4-3-77 को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित की गई जिस पर सहायक रजिस्ट्रार को दायित्व निर्धारित कर दुरुपयोग की गई धनराशि की वसूली करने के आदेश दिये गये। शिकायत प्राप्ति के पश्चात् श्री नाथूराम बेनीवाल को अवसायक नियुक्त किया जाना तथा उनके द्वारा कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता।

(6) वर्ष 1970 में यह कृषि फार्म अवसायक द्वारा नीलाम किया गया। इस कृषि फार्म की कीमत जमीन मय कुआ व मशीन के रुपये 3,696 होना बतलाया गया है।

**श्री रामरघुनाथ चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहूंगा कि....

**श्री शंकरलाल :** जवाब क्या पावुजी की फड़ हो गई।

**श्री रामरघुनाथ चौधरी :** जब आपको जानकारी थी कि खुड़खुड़ाखुर्द गांव में इस समिति की कोई जमीन नहीं है तो श्री बरिशया खाती की जमीन इस अवसायक ने अपने कब्जे में किस तरह से ली एवं बिना किसी स्वीकृति के श्री हीरालाल को किस तरह से बेची जब कि वह जमीन का न तो कब्जा करने का अधिकारी था और न बेचने का अधिकारी था?

नम्बर 2 मेरा सप्लीमेंट्री यह है कि सन् 1962 में अवसायक श्री सोनी ने कोई कार्यवाही नहीं की तो विभाग ने सोनी के खिलाफ क्या कार्यवाही की? इसकी जानकारी दें।

नम्बर 3 सप्लीमेंट्री यह है कि जो कुए के ऊपर सामान लगा था जिसकी लागत आपने 22 हजार की बताई है और अब आप बताते हैं कि जमीन की कीमत 3 हजार

# Page No 24

(२४)



(श्री रामरघुनाथ चौधरी)
थी, तो क्या आपको यह उत्तर देते हुए सन्तोष होता है कि उसकी कीमत तीन हजार रुपया होना उचित है ?

इसके साथ ही क्या श्री भंवरसिंह ने जो नीलामी अपनी खुद की मर्जी से की या नीलामी से पूर्व कलेक्टर से या ए. आर. से इजाजत ली थी या नहीं ?

**श्री कैलाश मेघवाल** : माननीय सदस्य ने जब प्रश्न किया उसके बाद सारे तथ्य व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने आये। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समिति का निर्माण ही फर्जी रूप से हुआ इसीलिए यह जमीन कभी काम में आई थी या नहीं, ली भी गई या नहीं, इस तरह से जमीन की सारी स्थिति रही है। यह जो कर्ज अलग-अलग लिए गए हैं इसका सदुपयोग हुआ या नहीं, उस ट्रैक्टर की वसूली के बारे में भी झगड़े चल रहे हैं। यह सारी बातें माननीय सदस्य के प्रश्न करने के बाद मेरे ध्यान में लाई गई हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 1962 में अवसायक नियुक्त किये जाने के बाद भी मिस्टर सोनी ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की और दूसरे अवसायक महोदय ने कार्यवाही की तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 मुद्दों पर हम प्रश्न को सोच रहे हैं क्योंकि पिछली बार बहुत तेजी से जांच कराई गई। 5 मुद्दे लिए हैं, उन मुद्दों के आधार पर जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वह की जायेगी और जो भी स्थिति होगी अगर पुलिस में देने की स्थिति आई तो पुलिस में दिया जायेगा या किसी कर्मचारी ने गड़बड़ी में सहयोग दिया है तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य के पास और भी कोई जानकारी हो तो दें। मैंने कहा कि सारी स्थिति फर्जी चल रही है अतः माननीय सदस्य सहयोग देंगे तो मैं समझता हूं न्याय की दृष्टि से हम कार्यवाही कर सकेंगे।

**श्री रामरघुनाथ चौधरी** : एक सप्लीमेन्ट्री यह पूछना चाहता हूं कि जो जमीन उन्होंने फर्जी नीलाम दिखाकर 3 हजार में अपने आदमी को उसकी रजिस्ट्री तहसील में कराई गई है उसके लिए स्टाम्प कितने रुपये के खरीदे थे ? कितने रुपये के वेचान के खरीदे गये थे ? मुझे जानकारी है कि वह 500 रुपये के वेचान के स्टाम्प खरीद करके टैक्स की चोरी की है। यह सूचना अवसायक से मिली है।

नम्बर 2 आपने यह कहा है कि अवसायक का कोई सम्बन्ध नहीं है तो मेरे पास फोटोस्टेट कॉपी है। आपके विभाग का दूसरा इन्क्वायरी ऑफिसर था उसको पत्र लिखा है। यह पत्र को-ऑपरेटिव इन्सपैक्टर, नागौर, जिसको इस भंवरसिंह की जांच के लिए लगाया था, सहायक पंजीयक नागौर को कुचेरा सामुहिक कृषि सहकारी समिति की वसूली हेतु लिखा है :

"मुझे कुचेरा सामुहिक कृषि सहकारी समिति का अवसायक नियुक्त किया गया, श्री भंवरसिंह अवसायक द्वारा समिति की अवसायन की कार्यवाही अवैधानिक करने के बाद मुझे अवसायक के नियुक्त किया गया। श्री भंवरसिंह अवसायक के द्वारा समिति की सम्पत्ति की बिक्री खुड़खुड़ा खुर्द में जाकर की गई उस समय श्री शंकरलाल ने 6000 रुपये की बोली लगाई है उसके बाद खुड़खुड़ा खुर्द नहीं गए।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

श्री भंवरसिंह अवसायक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर 30,000/ रुपये की सम्पत्ति 4,000/ रुपये में बिक्री कर खुद मालिक बने हैं... ।"

उन्होंने आपके विभाग को पत्र लिख कर इस अधिकारी को सूचना दी जिसका आपने ब्यौरा नहीं दिया। आप कॉन्ट्रेडिक्ट्री ब्यौरा दे रहे हैं और गलत बता रहे हैं।

यह फोटोस्टेट कॉपी है जो कि भंवरसिंह ने खुद ने लिखा है। भंवरसिंह ने लिखा है :

"श्रीमान् शंकरलाल जी,

नमस्कार।

आपका कागज मिला पढ़कर सारे समाचार ज्ञात किये। मैं जिस दिन आपके वहां खुड़खुड़ा गया...परन्तु नहीं मिल सका। सुबह मैं आपके वहां गया था परन्तु आप नहीं मिले। आपने कुआ खेत के पांच-चार ग्राहक बताये इसलिए मैंने चुन्नीलाल जी को कहा था कि आपसे कह दें कि अभी खेत के इंजिन को तैयार न करें। और न ही बिके तो चुन्नीलालजी को ही काश्त करने को कहा था आप सुबह नहीं मिले इसलिए पूरी बात नहीं हो सकी। आप वाला खेत बिका या नहीं। अपने खेत के आपने 8000) रु. लिखे हैं जो बहुत कम हैं। आज यदि कोई दूसरा खरीददार हो तो ...

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, मंत्री महोदय को यह तथ्य दे दें तो अच्छा होगा।

**श्री रामरघुनाथ चौधरी :** ...तो 15,000) रु. से कम नहीं देना है। इसे तो 13,000) रु. नकदी देकर रख लेवें।

यह पत्र है। फिर लगातार काश्त हो रही है जो कि गिरदावरी की फर्द से साबित होगा। लोगों ने लिखा है कि नीलाम कर दी.......

**श्री रतनलाल वर्मा :** यह कौनसे साल की बात है? कौनसे साल के कारनामे हैं?

**श्री रामरघुनाथ चौधरी :** मेरे प्रश्न पूछने के बाद उस अधिकारी को तो निलम्बित कर दिया लेकिन उससे संबंधित जितने ए. आर. हैं उनको नहीं किया ...

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य !

**श्री रामरघुनाथ चौधरी :** मैं आपको यह पत्र दे दूंगा। मैं इनको सदन की मेज पर रखता हूं। इस सारे मामले की जांच जोइन्ट रजिस्ट्रार से कम अधिकारी द्वारा नहीं होनी चाहिए या कोई आई. ए. एस. या सेक्रेटेरियट के सीनियर ऑफिसर द्वारा होनी चाहिए। जिस ए. आर. को आपने भेजा है उसने पक्षपात किया है। उसका सबूत मेरे पास है। आपको उसको भी सस्पेन्ड करना पड़ेगा, सबूत मैं आपको दूंगा।

**श्री कैलाश मेघवाल :** माननीय अध्यक्ष महोदय, रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग की ओर से विशेषतौर से एक अधिकारी भेजा गया जिन्होंने यह 5 मुद्दे सामने रखे हैं। मैं उनको इसलिए पढ़ देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों को सन्तोष हो कि यह भी भ्रष्टाचारी कर्मचारियों का नमूना है जो पिछले 3 साल से सहकारिता विभाग में पनपा है ...

श्री मूलचन्द डागा : यह मास्टर है ?

(व्यवधान)

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैं अपने प्रश्न का राजनैतिक उत्तर नहीं सुनना चाहता था आपने राजनैतिक मुद्दे...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अपनी पूर्व अकारी भेजा। राजनैतिक दबाव से वह जांच करने नहीं गया। उसके मेरे पास प्रमाण हैं। उसने जांच नहीं की...

श्री चरणलाल : उस वक्त आप कहां गये थे ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री चरणलाल !

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री मूलचन्द डागा : पाइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री शंकरलाल : मेरे प्रश्न पहले भी सत्र में स्थगित हुआ ? आज भी वह नहीं लिया जा रहा है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### तहसील करणपुर में हरिजन परिवारों को कृषि भूमि का आवंटन

531. श्री मनफूलराम (केसरीसिंहपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) सन् 1960 में तहसील करणपुर (श्रीगंगानगर) के चक 2 जी. जी. का रकबा जो रिजर्व के नाते हरिजन परिवारों को लगभग 100/- रु. बीघा की दर से पुख्ता आवंटित किया गया था उसकी कीमत अब राज्य सरकार 300/- रु. बीघा के लगभग क्यों वसूल कर रही है ?

(2) पूर्व दर से ही इनसे कीमत क्यों नहीं वसूल की जा रही है ? क्या राज्य सरकार इससे पूर्व दर पर कीमत वसूल करने की कार्यवाही करेगी ?

(1) सन 1960 में तहसील करणपुर (श्री गंगानगर) के चक 2 जी. जी. का कोई भी रकबा हरिजन परिवारों के लिये आरक्षित नहीं रखा गया था। 1960 में हरिजन परिवारों को 100 रु. बीघा की दर से कोई पुख्ता आवंटन नहीं किया गया। अतः निर्धारित दर से अधिक रकम वसूल करने का प्रश्न नहीं है। उक्त चक 2 जी में केवल दो अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को सन 1960 में 300/-रु. प्रति बीघा की दर से स्थायी पुख्ता आवंटन किया गया था।

(2) इस चक के आवंटियों से पूर्व की निर्धारित 300/-रु. प्रति बीघा की दर से ही कीमत वसूल की जा रही है।

तहसील नोहर में भूमिहीनों को कृषि भूमि का आवंटन

533. श्री डूंगरमल पंवार (टीबी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर में से 1968 व 1971 के बीच में बरानी एरिया में भूमिहीन काश्तकारों को भूमि अलॉट की गई थी ? यदि हां, तो कुल कितने काश्तकारों को भूमि अलॉट की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इन समस्त काश्तकारों को खातेदारी हक दे दिये गये हैं यदि हां, तो कितने काश्तकारों को खातेदारी हक मिले हैं और, कितने खातेदारी से वंचित हैं ?

(3) क्या यह सही है कि गांव बीसरासर के रकबा में जिन भूमिहीनों को भूमि अलॉट की गई थी उनको जिलाधीश, श्री गंगानगर द्वारा खारिज करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि जिलाधीश गंगानगर के पास गांव बीसरासर के काश्तकारों के विरुद्ध एक झूठी दरख्वास्त देकर जमीन खारिज करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो किस आधार पर पुरानी अलॉटमेंट खारिज करने की कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1968 व 1971 के बीच तहसील नोहर के बारानी क्षेत्र में कुल 11192 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी।

(2) उपरोक्त आवंटियों में से 5621 व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दे दिये गये है। शेष 5568 मामलों में 10 वर्ष पूरे नहीं होने से खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सके हैं।

(3) गांव बीसरासर में भूमि का कुछ आवंटन ऐसे व्यक्तियों को हो गया जो पास पड़ोस के गांव के व साथ लगते हुए गांव के निवासी नहीं थे। इसके अतिरिक्त 30-30, 40-40 मील दूर के निवासियों को भी भूमि का आवंटन हो गया तथा जिनका कोई सही पता भी नहीं है। जिलाधीश ने एस.डी. ओ. तथा पटवारी को ऐसे व्यक्तियों का विवरण तैयार करके प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर ही इन मामलों में वे कार्यवाही करेंगे।

(4) जिलाधीश, गंगानगर के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। जिलाधीश द्वारा दिनांक 23-7-77 को पटवारी का निरीक्षण किया गया था। उस निरीक्षण के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि गलत आवंटन हुए। इस कारण जिलाधीश ने रिपोर्ट मंगवाई है।

ग्राम करोठ (अलवर) में कृषि भूमि पर अतिक्रमण

534. श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत विधान सभा सत्र के दौरान 30 सितम्बर, 1977 को तारांकित प्रश्न संख्या 100 के अन्तर्गत ग्राम करोठ, तहसील राजगढ़, जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1064 चार बिस्वा पर से अतिक्रमी (को) बेदखल करने हेतु नियमानुसार बेदखली की कार्य-

(श्री समर्थलाल)
वाही करने के आदेश जिलाधीश, अलवर को दिए जाने का निर्णय लिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उप शासन सचिव, राजस्व (3) विभाग से जिलाधीश, अलवर को आदेश दिए जाने में डेढ़ माह का अनावश्यक विलम्ब किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? सन्दर्भित आदेश दिनांक 16-11-77 पर जिलाधीश ने कब और क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्व उप-शासन सचिव ने अपने आदेश दिनांक 16-11-77 के संदर्भ में दिनांक 8-12-77 को जिलाधीश, अलवर को स्मरण-पत्र भिजवाया था ? यदि हां, तो जिलाधीश ने इस पर कब और क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि तहसीलदार, राजगढ़ को प्रेषित जिलाधीश, अलवर के आदेश दिनांक 8-12-77 के संदर्भ में नायब तहसीलदार, राजगढ़ ने जान-बूझकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अतिक्रमी हरिशंकर को स्थगन आदेश प्रस्तुत करने के लिये पन्द्रह दिन का अनधिकृत, अनावश्यक और अवैध नोटिस दिनांक 13-12-77 देकर विधान सभा निर्णय की कार्यान्विति में जान बूझकर बाधा पहुँचाई है ? यदि हां, तो नायब तहसीलदार, राजगढ़ के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया जिलाधीश के आदेश और नायब तहसीलदार के नोटिस की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ?

(5) क्या अतिक्रमी हरिशंकर ने नोटिस की अवधि पूर्ण होने से पूर्व कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो स्थगन आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ? यदि नहीं, तो अतिक्रमण हटवाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

(6) क्या यह सच है कि राजस्व उप शासन सचिव ने जिलाधीश, अलवर को दिनांक 20-12-77 को इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत पत्र लिखा ? यदि हां, तो उस पर कब और क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या यह सच है कि विधान सभा के निर्णय के पांच माह पश्चात् आज तक भी अतिक्रमी को बेदखल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस दौरान हुए परिपत्रों की विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(8) विधान सभा का निर्णय किस निश्चित तारीख तक कार्य रूप में परिणित हो जावेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि विधान सभा के पिछले सत्र के दौरान 30 सितम्बर, 1977 को तारांकित प्रश्न सं. 100 का उत्तर दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि बेदखली की कार्यवाही करने के आदेश जिलाधीश को दिये जा रहे हैं।

(2) इस आश्वासन की पालना में, मामले पर विचार होकर दिनांक 16-11-77 को जिलाधीश को आदेश दिया गया कि वे अतिक्रमी को बेदखल करने हेतु उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की व्यवस्था करें।

(राजस्व मंत्री)

जिलाधीश कार्यलय द्वारा अतिक्रमी को बेदखल करने की कार्यवाही के लिये तहसीलदार, राजगढ़ को आदेश दिये गये परन्तु चूंकि निर्माण कार्य पक्का था एवं पक्के निर्माण कार्यों को तोड़ने पर कुछ रोक स्वायत्त शासन विभाग ने लगा रखी थी इस कारण जिलाधीश ने राज्य सरकार से यह निर्देश चाहे कि क्या इस पक्के निर्माण कार्य को स्वायत शासन विभाग के आदेश को देखते हुए तुड़वाने की अनुमति है इसी दरम्यान न्यायालय उप-जिलाधीश, राजगढ़ (मु. अलवर) द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किये गये। इस कारण से बेदखली की कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(3) जी हां। जहां तक जिलाधीश के स्तर पर की गई कार्यवाही का सम्बन्ध है इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

(4) यह कहना सही नहीं है कि इस मामले में विधान सभा का कोई निर्णय था। विधान सभा प्रश्न संख्या 100 के तहत आश्वासन दिया गया था। नायब तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही नियमों के अनुसार थी।

(5) जी हां, स्थगन आदेश की प्रति साथ में प्रस्तुत है।

(6) जी नहीं। राजस्व विभाग के उप-शासन सचिव ने 23-12-77 को अर्द्धशासकीय पत्र जिलाधीश को लिखा था जिलाधीश ने पक्का निर्माण होने से पुन: विचार चाहा है इस संबंध में चूंकि प्रतिबन्द लगाने के मूल आदेश स्वायत्त शासन विभाग के थे अत: मामला राजस्व विभाग एवं उस विभाग के बीच विचाराधीन चल रहा है।

(7) मामले में जो आश्वासन विधान सभा में दिया गया था उसका क्रियान्वयन अभी होना शेष है परन्तु अदालत के द्वारा स्थगन आदेश जारी हो जाने से न्यायिक निर्णय हो जाने के पश्चात् ही कार्यवाही हो पाएगी।

(8) उप खण्डाधिकारी, राजगढ़ की न्यायालय में जो कार्यवाही विचाराधीन है उसमें स्थगन आदेश निरस्त होने के पश्चात् ही इस मामले में समुचित प्रशासनिक कार्यवाही हो सकेगी।

(आदेश की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

## तहसील दांतारामगढ़ के ग्रामों में बरसाती नदियों से फसलों को क्षति

535. श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मोहनपुरा, दूधवा रेटा, रलावता, बासड़ी राजपूतान, बासड़ी जाटान, सवाईपुरा, लिछमपुरा, तहसील दांता रामगढ़ के गांवों में दो-चार वर्षों से हुई भारी वर्षा के कारण कई बरसाती नदियों का पानी आता है?

(2) क्या यह सही है कि इन उपर्यांकित गांवों के काश्तकारों की जमीन व कुओं की जमीन पर खड़ी फसल प्रत्येक वर्ष खराब हो जाती है?

(श्री मदनसिंह दांता)

(3) क्या यह भी सही है कि रेवासा के खारड़े में पानी ज्यादा भर जाने के कारण इन दो गांवों यथा मोहनपुरा, रलावता के खेतों में पानी आता है, जिससे यहां के खेतों में खार पैदा हो गया है, जिससे हजारों काश्तकारों के खेत व कुओं की जमीन बिल्कुल बेकार हो गई है ?

(4) क्या यह भी सही कि ग्राम रेटा की नदी का मुहाना जिस पर कि भू-संरक्षण विभाग द्वारा एक बांध बांधा गया था, के बन जाने के कारण इस नदी का बहाव रेवासा के खारड़े की तरफ न होकर अब मोहनपुरा व रलावता की ओर हो गया है जिससे हजारों काश्तकारों के खेत खराब हो गये हैं और खड़ी फसल प्रत्येक वर्ष नष्ट हो जाती है ?

(5) क्या यह सही है कि ग्राम मोहनपुरा, दूधवा, बासड़ी राजपूतान, बासड़ी जाटान, रेटा, सवाईपुरा, लिछमपुरा इत्यादि गावों के हजारों काश्तकारों की जमीन इन मौसमी नदियों के बहाव के कारण बिल्कुल खराब हो गई है जिससे इन गांवों के खेतों व कुओं की जमीन में कोई भी फसल नहीं हो पाती हैं ?

(6) क्या राज्य सरकार इन उपरोक्त गांवों का भू-संरक्षण हेतु सर्वे करायेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या राज्य सरकार इन नदियों से आने वाले बहुत ज्यादा पानी को रेटा, गनोंडा ग्राम के पहाड़ों के पास बांध बांधकर रोकेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है।

(2) यह सही है कि इन गांवों के कुछ काश्तकारों की भूमि पर खड़ी फसल को वर्षा के इस पानी के आ जाने से नुकसान होता है।

(3) रेवासा के खारड़े में वर्षा का पानी ज्यादा भर जाने के कारण ग्राम मोहनपुरा व रलावता के 15 काश्तकारों की लगभग 200 बीघा भूमि में खारे पानी के कारण खार पैदा हो गया है।

(4) ग्राम रेटा की नदी का पानी अधिक बहाव के कारण रेवासा के खारड़े की तरफ न जा कर ग्राम मोहनपुरा व रलावता की ओर हो गया है जो इन गांवों में होकर ग्राम रूपगढ़ की तरफ चला जाता है। नदी के इस बहाव के कारण इन ग्रामों के 15 कुओं की भूमि चपेट में आ जाती है।

(5) इन ग्रामों के 73 काश्तकारों की लगभग 351 बीघा भूमि, जिसमें कुछ चाही भूमि भी शामिल है, मौसमी नदियों के बहाव के कारण खराब हो गई है।

(6) यह कार्य राजस्व विभाग नहीं करवाता फिर भी इस हेतु कृषि विभाग को लिखा जा रहा है।

(7) यह कार्य राजस्व विभाग नहीं कराता फिर भी इस हेतु सिंचाई विभाग को लिखा जा रहा है।

Page No 31



तहसील शिव (बाड़मेर) के गांवों की आबादी भूमि में वृद्धि

536. श्री कानसिंह (शिव) : (1) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:— बाड़मेर जिला की शिव तहसील में कौन कौन से गांव में आबादी की भूमि बढ़ाई गई ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ? उक्त भूमि के आज तक कितने केसेज चल रहे हैं और कितने निपटाये गये हैं और कितने केसेज पेंडिंग में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

तहसील शिव में कोड़ा, हरसानी, कोटड़ा, शिव, रतासर, भानासर, गडरा रोड, मौखाब व ताडोल गांवों में आबादी भूमि बढ़ाई गई है। उक्त भूमि के 20 मामले चल रहे हैं, इनमें से 9 मामले निपटाये गये हैं एवं 11 मामले अभी विचाराधीन हैं।

जिला बाड़मेर के भूमि संबंधी मामले

537. श्री कानसिंह (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला बाड़मेर की शिव, चौहटन सिवाना व पचपदरा तहसील के भूमि संबंधी कितने केसेज एस. डी. एम. कोर्ट में दिनांक 1-8-77 से आज तक भेजे गये हैं ?

(2) इनमें से कितने केसेज अभी तक नियमित कर दिये गये हैं ?

(3) कितने केसेज नियमन नहीं हुए हैं ? उसका क्या कारण है ?

(4) बाकी रहे केसेज को कब तक निपटा दिया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में तहसील शिव से 1136 मामले परगना अधिकारी, बाड़मेर की कोर्ट में व सिवाना तहसील से 67, तहसील पचपदरा से 142 मामले परगना अधिकारी, बालोतरा की कोर्ट में दिनांक 1-8-77 से आज तक प्राप्त हुए हैं तहसील चौहटन के 2150 मामले राजस्व अभियान के दौरान सहायक जिलाधीश, बाड़मेर की कोर्ट में प्राप्त हुए।

(2) उक्त मामलों में से तहसील शिव के 138, तहसील चौहटन के 328, तहसील सिवाना के 62 व तहसील पचपदरा के 69 मामले नियमित किये गये हैं।

उक्त मामलों में से निम्न मामले नियमन नहीं किये गये हैं—

| | |
|---|---|
| तहसील शिव | 298 |
| तहसील चौहटन | 1961 |

(3) ये मामले नियमन नहीं किये गये हैं क्योंकि इन मामलों की भूमि राजस्थान टिनेंसी एक्ट, 1955 की धारा 63 (1)8 के तहत खालसा हुई है और ऐसे मामलों को नियमन न करने के आदेश राज्य सरकार के हैं।

| | |
|---|---|
| तहसील सिवाना | 5(8) |
| तहसील पचपदरा | 5 |

उक्त मामले खातेदारी भूमि होने, नगर पालिका की सीमा में होने, प्रेजिंग फर्स्ट गोचर में होने से मौके पर कब्जा न

(राजस्व मंत्री)
होने से, अतिक्रमण रकबा आंवटन न होने, कुछ मामलों में खातेदारी अधिकार प्राप्त न होने से।

(4) बाकी रहे मामलों को माह अप्रेल, 78 तक निपटा दिया जावेगा।

### सांचौर अनाज मंडी के लिये गोदाम का निर्माण

538. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि सांचौर अनाज मण्डी में राज्य सरकार द्वारा अभी तक खाद्यान्न स्टोर करने हेतु कोई बड़े गोदाम का निर्माण नहीं करवाया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सांचौर अनाज मंडी में जिला जालोर में लेवी व अन्य तरीकों से सबसे ज्यादा अनाज इकट्ठा होता है और सांचौर जिले की सबसे अच्छी अनाज मंडी सांचौर है अगर हां, तो ऐसी जगह पर राष्ट्रीय मार्ग पर एक बड़े अनाज गोदाम का निर्माण राज्य सरकार द्वारा अब तक क्यों नहीं करवाया गया है ? क्या इस बारे में राज्य सरकार सर्वेक्षण करवाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार को सांचौर मंडी में अनाज स्टोर करने की बड़ी समस्या रहती है क्योंकि सांचौर में कोई प्राइवेट अनाज गोदाम भी किराये पर उपलब्ध नहीं होता ? अगर हां, तो राज्य सरकार सांचौर में किस एजेंसी द्वारा कब एक बड़ा अनाज गोदाम बनवाना उचित समझेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि अकाल वर्ष में राज्य सरकार को सरकारी सस्ता अनाज भी सांचौर में बहुत ज्यादा स्टोर करना पड़ता है एवं अनाज गोदाम नहीं होने से राज्य सरकार को बड़ी कठिनाई रहती है अगर हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु सांचौर में राष्ट्रीय कृत मार्ग पर एक बड़े अनाज गोदाम का निर्माण राज्य सरकार द्वारा कब तक करवा दिया जावेगा ?

### उत्तर

(1) जी हां, खाद्य निगम एवं राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम द्वारा आवश्यकता महसूस नहीं करने के परिणामस्वरूप सांचौर में खाद्यान स्टोर हेतु गोदाम का निर्माण नहीं करवाया गया।

(2) जी नहीं। सांचौर से भीनमाल मण्डी में ज्यादा अनाज आता है एवं भीनमाल ज्यादा बड़ी मण्डी है। अनाज भण्डारण की कोई समस्या नहीं होने के कारण सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी नहीं। सांचौर में अनाज भण्डारण की कोई समस्या नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर गोदाम हेतु मकान उपलब्ध हो जाते हैं।

(4) जी हां, अकाल के समय जालोर में स्थित गोदाम में खाद्यान का भण्डारण किया जाता है जहां से खाद्यान सप्लाई किया जाता है।

## चम्बल नदी पर कुन्हाडी के पास पुल का निर्माण

539. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: --

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार चम्बल नदी पर कोटा में कुन्हाडी के पास पुराने टूटे हुए पुल की जगह दूसरा नया पुल बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसमें कुल कितनी लागत आयेगी और प्रथम वर्ष में कितना रुपया व्यय किये जाने का प्रावधान रखा जा रहा है ?

(2) इस पुल निर्माण का कार्य कब से प्रारंभ होगा और कितने वर्षों में समाप्त होगा ?

(3) इसी पुल को सन् 1974-75 रिपेयर्स करने पर कितना खर्च हुआ था और क्या दूसरे वर्ष में इस पुल का मार्ग बदस्तूर चलता रहेगा ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण था ?

उत्तर

(1) जी हां लेकिन नया पुल का निर्माण पुराने पुल से 72 मीटर ऊपर की ओर हटकर होगा । इस कार्य पर लगभग 2.50 करोड़ रुपये व्यय होंगे । प्रथम वर्ष में 25 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान है ।

(2) नये पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है और दो वर्ष की अवधि में समाप्त होगा ।

(3) इस पुराने पुल को सन् 1974-75 में रिपेयर्स करने पर रुपये 9,13,210,- व्यय हुये थे ।

जी हां । इस वर्ष 75-76 में इस पुल पर मार्ग बदस्तूर चलता रहा केवल बरसात के दिनों में बैराज से पानी छोड़ने के कारण पुलिया के पानी से डूब जाने पर मार्ग बन्द हो जाता था ।

## क्षेत्र भरतपुर में बाढ़ प्रभावित मकान मालिकों को पुनर्वास हेतु सहायता

541. श्री सुरेशकुमार (भरतपुर): क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: --

(1) भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से गिरे कितने मकान मालिकों को पुनर्वास सहायता प्रदान की गई और कितनी कितनी राशि प्रदान की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या अब भी तहसील भरतपुर में बाढ से गिरे मकानों के मालिकों के प्रार्थना-पत्र बिना किसी उचित कार्यवाही के विचाराधीन पड़े हैं ? यदि हां, तो उन्हें कब तक सहायता प्रदान कर दी जावेगी ? दोनों प्रकार के व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से क्षतिग्रस्त 787 मकान मालिकों को पुनर्वास हेतु 1,38,850 रुपये की राशि सहायता के रूप में वितरित की गई है जिसमें विवरण सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जिलाधीश, भरतपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार इस तरह का कोई

Page No 34

(345)



(श्री राज्य मंत्री)

प्रा ... तहसील, भरतपुर में विचारा-धीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाटन से खटखड़ तक सड़क का निर्माण

542 श्री गोपाल पचेरवाल (केशोराय पाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाटन से खटखड़ तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा हुआ अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पूर्ण होगा ?

(2) क्या बून्दी से पाटन तथा पाटन से ... होता हुआ ... तक का निर्माण का कार्य पूरा हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक पूरा किया जावेगा ?

(3) क्या ... से ... होता हुआ ... और ... से लदान तक रोड बनाने की योजना है ? यदि हां तो योजना की क्रियान्विति कब तक होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या ... का वराना से ... तक रोड बनाने की योजना है और इसके लिए टेन्डर भी आमंत्रित किये गये हैं यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होगा ?

(5) क्या राज्य सरकार ... रोड के आधार पर हथनापुर से विरज रोड बनाने का विचार रखती है ?

(6) कापरेन से रोटदा तक सड़क निर्माण का कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

निर्माण कार्य प्रगति पर है और जून, 1979 तक पूरा कार्य समाप्त होने की सम्भावना है।

(2) जी नहीं।

निर्माण कार्य प्रगति पर है और सन् 1979 में पूरा कार्य समाप्त होने की सम्भावना है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) इस सड़क की कोई स्वीकृति नहीं है अतः निर्माण कार्य कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सड़कों एवं मंडियों का निर्माण

543. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकाल में कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ और कितनी मंडियों का निर्माण हुआ तकनीकी दृष्टि से ये निर्माण कार्य कैसे थे ?

(2) क्या यह सही है कि सड़कों का निर्माण बोर्ड से हटाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिया गया है और उनको इसके लिये मंडियों से 5 प्रतिशत पर्यवेक्षण व्यय बोर्ड के 10 प्रतिशत के अलावा दिया गया है ?

(श्री ओंकारलाल चौहान)

(3) क्या यह सही है कि बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों पर मिट्टी का काम भी [illegible] निविदियों के द्वारा निःशुल्क किया गया ?

क्या यह सही है कि सड़कों के ठेके बोर्ड के द्वारा दिये गये हैं ? क्या उनकी रेट सार्वजनिक निर्माण विभाग की रेट से 5 या 10 प्रतिशत कम रही है ?

(4) क्या यह सही है कि सन् 1976 में राज्य सरकार द्वारा हाई पावर कमेटी में यह निर्णय लिया गया था कि सड़कों का काम बोर्ड के द्वारा ही किया जावे ?

(5) मंडी बोर्ड के कार्यकाल में कितनी मंडियों में निर्माण कार्य चल रहे थे और अब प्रशासक के कार्यकाल में कितनी मंडियों के निर्माण कार्य स्वीकृत हुये ? क्या पुराने कार्यों के लिये तकनीकी स्टाफ को दुगना किया गया ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

## उत्तर

(1) मंडी कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकाल में 800 कि. मी. सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया जिनमें से लगभग 350 कि. मी. लम्बी सड़कों का कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष पर कार्य चल रहा है। लगभग 50 मण्डियों के प्रांगणों में भी निर्माण कार्य चल रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश कार्य तकनीकी दृष्टि से ठीक हुए हैं।

(2) जी हां।

(3) केवल गंगानगर जिले में सड़कों पर मिट्टी का कार्य अधिकतर [illegible] निविदियों के श्रमदान से किया गया है। बोर्ड के द्वारा ठेके दिये गये हैं। उनके रेट आमतौर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित (प्रोविजन) रेट के समान ही रही है। कई बार रेट कम रही है तथा कई बार अधिक रही है चूंकि रेट कई बातों पर निर्भर रहती है, अस्तु उनकी आपस में तुलना करना कठिन है।

(4) जी नहीं।

(5) मंडी बोर्ड के कार्यकाल में 81 मण्डियों में निर्माण कार्य चल रहे थे और अब प्रशासक के कार्यकाल में भी उतनी ही मण्डियों में कार्य चल रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बताये गये मापदंड के आधार पर ही बोर्ड में स्वीकृत व आयोजित निर्माण कार्यों के लिये तकनीकी स्टाफ स्वीकृत किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट क)।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

### कृषि उद्योग निगम द्वारा ट्रैक्टरों का आवंटन

544. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कृषि उद्योग निगम द्वारा आयातित ट्रैक्टरों के आवंटन के लिए कितने व्यक्तियों से कितनी राशि अग्रिम प्राप्त की तथा इसमें से कितने व्यक्तियों को अब तक आयातित ट्रैक्टर आवंटित किए गए ?

# Page No 36

(36)



(श्री रामसिंह विश्नोई)

(2) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों ने आयातित ट्रैक्टर हेतु अग्रिम धनराशि जमा कराई थी उन व्यक्तियों को अभी तक न तो आयातित ट्रैक्टर ही आवंटित किए गए न ही उनकी धनराशि ही लौटाई गई है ? जिन व्यक्तियों को अभी तक धनराशि नहीं लौटाई उन व्यक्तियों को कब तक उक्त धनराशि लौटा दी जाएगी ?

उत्तर

(1) कृषि उद्योग निगम में आयातित ट्रैक्टरों के आवंटन के लिये 11894 व्यक्तियों ने 11,89,400/- रुपये की राशि अग्रिम जमा कराई इनमें से 3,044 व्यक्तियों को आयातित ट्रैक्टर आवंटित किए गए।

(2) जी नहीं। लेकिन ट्रैक्टर (डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड सेल्स) कन्ट्रोल ऑर्डर, 1971 के प्रभाव में आने पर अग्रिम राशि पहिले 500/-रुपये और उसके बाद 1000/- रुपये उक्त आर्डर के अन्तर्गत अनिवार्य की गई इसलिए जिन व्यक्तियों ने नोटिस देने के बावजूद रुपये 500/- के बजाय रुपये 1,000/ पोस्ट ऑफिस में जमा कर पास बुक नहीं भेजी उनके प्रार्थना-पत्र स्वतः निरस्त हो गये और उनके 100/-रुपये लौटाने के लिए निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए जिन व्यक्तियों के नोटिस उनके पते पर न मिलने के कारण अथवा पोस्ट ऑफिस की यह रिपोर्ट आने पर कि उस नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, को छोड़कर बाकी की धनराशि लौटा दी गई है। जिनकी अग्रिम राशि जरिये पोस्ट ऑफिस पास बुक जमा हुई थी उनकी पास बुकें पोस्ट ऑफिस को उनकी धनराशि का भुगतान कर देने के निवेदन के साथ लौटा दी गई है। 11,89,400/- रुपये में से अब केवल 243700/-रुपये की धनराशि लौटाना शेष है और यह धनराशि अधिकांशतः उन व्यक्तियों की है जो कि उस पते पर नहीं मिल पा रहे हैं जो कि उन्होंने आवंटन के प्रार्थना-पत्र में अंकित किया था। उनमें से भी जैसे जैसे व्यक्ति अग्रिम राशि की रसीद लेकर जब तब आ जाते हैं उन्हें तुरन्त अग्रिम राशि लौटा दी जाती है। बची हुई धनराशि के लौटाये जाने की कोई समयावधि निश्चित करना सम्भव नहीं है क्योंकि जब तक जिन लोगों के नाम से धनराशि जमा है उनका मौजूदा ठौर ठिकाने का पता न लगे तब तक कैसे उक्त धनराशि लौटाई जा सकती है।

## कृषि उद्योग निगम जोधपुर द्वारा गेहूँ के बीजों का वितरण

545. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत वर्ष कृषि विभाग द्वारा कृषि उद्योग निगम, जोधपुर के मार्फत कौन कौन से गेहूं के बीज किस किस दर पर वितरित किये गये ? सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(2) क्या गत वर्ष 1976 में एच. डी. 2009 अर्जुन गेहूं की सर्टिफाईड बीज व ट्रुथफुल लेवलिंग की रेट्स अलग अलग थी ? यदि हां, तो इन दोनों की कीमत में क्या अन्तर था ?

(3) क्या कृषि विभाग उद्योग निगम, जोधपुर द्वारा एच. डी. 2009 अर्जुन गेहूं जो ट्रुथफुल लेबिल्ड था उसकी दर सर्टिफाईड

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

वसूल की थी व इसी दर से मार्केटिंग सोसाइटीज ने काश्तकारों से व सहकारी समितियों से वसूल कर ली ? यदि हां तो क्या मार्केटिंग सोसाइटीज को व काश्तकारों को अधिक दर वसूल के अन्तर की रकम पुनः लौटा दी गई ? यदि नहीं, तो विभाग या निगम कब तक लौटाने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष जोधपुर में कृषि उद्योग निगम द्वारा किस जिस किस्म के गेहूं के कितने कितने बीज किस-किस दर पर वितरित किये गये उसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर है।

(2) जी नहीं। केवल एच. डी. 2009 अर्जुन गेहूं का सत्य चिह्नित बीज उपलब्ध हो सका था जिसकी विक्रय दर रु. 210/- प्रति क्विंटल थी। प्रमाणित बीज एच. डी. 2009 अर्जुन गेहूं का उपलब्ध ही नहीं हुआ।

(3) जी हां। लेकिन मार्केटिंग सोसायटीज को प्रमाणित बीज की दर और सत्य चिह्नित बीज की दर के अन्तर की राशि लौटा दी गई है

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

क्षेत्र सांचौर में ए. आर. सी. की योजना

546. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचौर में ए. आर. सी. की योजना अब तक लागू नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में ए. आर. सी. योजना लागू करने का बड़ा भारी स्कोप है ? अगर हां, तो उक्त योजना लागू क्यों नहीं की गई ? भविष्य में सांचौर क्षेत्र में उक्त योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ?

(3) क्या यह सही है कि सांचौर क्षेत्र में अब तक ग्रामीण बैंक की भी कोई शाखा काश्तकारों को ऋण देने के लिए नहीं खोली गई है ? अगर हां, तो क्यों ? अब उक्त क्षेत्र में ऐसी बैंक शाखाएं कब तक कहां-कहां खोली जायेंगी ?

(4) सांचौर क्षेत्र में कृषि उत्पादन हेतु प्रोत्साहन देने हेतु ऋण देने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं एवं भविष्य में कब तक क्या-क्या कदम उठाये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि सांचौर क्षेत्र में ए. आर. सी. की वित्तीय सहायता से कोई लघु सिंचाई योजना अब तक लागू नहीं की गई है क्योंकि अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण के अनुसार पंचायत समिति, सांचौर के अधिकतर क्षेत्र में खारे पानी की संभावना होने से विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण हेतु प्रस्तावित किया है। किन्तु प्राप्त भू-जल के अधिकतम उपयोग हेतु पक्की नाली की योजना बनाकर ए. आर. सी. को गत माह (फरवरी, 78) को भेज दिया गया है।

(2) अब तक किये गये अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण के अनुसार पंचायत समिति,

# Page No 38

(38)



(कृषि मंत्री)

सांचोर क्षेत्र में ए. आर. सी. की लघु सिंचाई योजना लागू करने का प्रस्ताव नहीं है। क्षेत्र का विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण किया जा रहा है। जिसके 1980 में पूर्ण होने की आशा है। उसके बाद ही लघु सिंचाई योजना बनाने की संभावना के बारे में ज्ञात हो सकेगा।

(3) जी हां, क्योंकि ग्रामीण बैंक को चितलवाना के लिए स्वीकृत शाखा के लिए उपयुक्त भवन नहीं मिल पाया है। भवन मिलते ही खोल दी जावेगी। द्वितीय शाखा जाब ग्राम में खोलने हेतु भी भारतीय रिजर्व बैंक को लाइसेन्स हेतु लिखा जा चुका है। लाइसेन्स प्राप्त होते ही यह शाखा खोल दी जावेगी।

(4) मारवाड़ ग्रामीण बैंक की शाखा कार्यरत न होने के कारण उक्त बैंक द्वारा किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया है। सांचोर क्षेत्र में दी जालोर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालोर द्वारा सहकारी वर्ष 76-77 में 40 लाख रुपये का तथा जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड द्वारा 21.80 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त वितीय वर्ष 1977-78 में स्टेट बैंक आँफ बीकानेर एण्ड जयपुर की सांचोर शाखा द्वारा भी 1 लाख 18 हजार रुपये के ऋण कृषि हेतु वितरित किये गये। सहकारी वर्ष 1978-79 के लिए कृषि उत्पादन हेतु केन्द्रीय सहकारी बैंक के 32.00 लाख रुपये व भूमि विकास बैंक द्वारा 10 लाख रुपये के ऋण वितरित करने की योजना है।

## राज्य में नये पशु चिकित्सालय

547. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में नये पशु चिकित्सालय खोलने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो इसका क्या Criteria रखा गया है और कहां 2 खोलने का निर्णय लिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां।

पशु चिकित्सालय खोलने में केवल यही आधार सर्वोपरि रखा गया कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक चिकित्सालय खोला जाए तथा पशु संख्या के दृष्टिगत जिलों के उपेक्षित क्षेत्रों में नये चिकित्सालयों का लाभ पहुंच सके।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

## कृषि विपणन बोर्ड द्वारा सुपर वाइजर पद के लिये विज्ञापन

548. श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कृषि विपणन बोर्ड ने सुपरवाइजर परीक्षक के पद के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये? कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए व इनके साथ पोस्टल आॅर्डर से कितनी राशि प्राप्त हुई?

(श्री विरदीमल सिंघवी)

(2) क्या इनकी लिखित परीक्षाएं ली गई ? यदि हां, तो कब ? इनमें कितने प्रार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए ?

(3) इन सफल प्रार्थियों में से साक्षात्कार के लिए कितने प्रार्थी बुलाए गये ? साक्षात्कार के पश्चात कितने व्यक्ति योग्य घोषित किये गये ?

(4) इन प्रार्थियों का कोई प्रशिक्षण भी हुआ है या नहीं ? यदि हां, तो कितने प्रार्थी प्रशिक्षित हुए या हो रहे हैं ? प्रशिक्षण के समय इन्हें क्या सुविधा दी जा रही है ? क्या यह सुविधा पर्याप्त है ?

(5) इन प्रशिक्षित प्रार्थियों को अन्य स्थान पर नौकरी न करने बाबत क्या कोई पाबन्दी लगाई गई ? यदि हां, तो क्या ? क्या राज्य सरकार इन प्रशिक्षित व्यक्तियों पर इतना व्यय करने के पश्चात् इन्हें नियुक्त करने की गारन्टी देती है ?

उत्तर

(1) जी हां। 2,907 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे एवं इनके साथ रु. 40,397/- के पोस्टल आर्डर प्राप्त हुए।

(2) जी हां। माह-नवम्बर, 1976 में परीक्षा ली गई। 804 प्रार्थी लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।

(3) 801 प्रार्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया। साक्षात्कार के बाद 51 व्यक्ति योग्य घोषित किये गये।

(4) प्रशिक्षण अभी चल रहा है। कुल 43 प्रार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रति प्रार्थी 80/- प्रति माह प्रशिक्षण भत्ता दिया जा रहा है। यह केवल एक 'स्टाइपेण्ड' है वेतन नहीं। केवल सुविधा हेतु दिया जा रहा है न कि निर्वाह हेतु।

(5) जी हां। सफल प्रशिक्षण के पश्चात् प्रार्थी एक वर्ष तक अन्यत्र कहीं नियुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। यह केवल प्रशिक्षण है एवं बोर्ड द्वारा नियुक्ति की कोई गारण्टी नहीं दी जा सकती।

## भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र में अन्त्योदय योजना

549. श्री सुरेशकुमार (भरतपुर), श्री जगदीशसिंह (धौलपुर), श्री ताराचन्द (रूपवास) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र में किस-किस ग्राम में किस-किस व्यक्ति को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को गरीबी की रेखा के ऊपर लाने के लिए वांछित साधन उपलब्ध करा दिये गये हैं ? बाकी व्यक्तियों को कब तक साधन उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

(3) जिला भरतपुर, धौलपुर में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत छांटे गये व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने व्यक्तियों को वांछित साधन उपलब्ध कराये जा चुके हैं ? बाकी बचे व्यक्तियों को कब तक साधन उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र में 133 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन, एक व्यक्ति को नियुक्त किया, 33 व्यक्तियों को पशु क्रय करवाये एवं 5 को अन्य कार्यों पर लगाया गया। कुल 172 व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध करा दिये गये। बाकी व्यक्तियों को रोजगार देने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(3) भरतपुर जिले की धौलपुर पंचायत समिति में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 745 परिवारों का चयन किया गया। 2 परिवारों को वृद्धावस्था पेन्शन 19 व्यक्तियों को पशु क्रय करवाये, 2 व्यक्तियों को अन्य कार्य पर लगाया कुल 23 व्यक्तियों को वांछित साधन उपलब्ध कराये जा चुके हैं बाकी शेष व्यक्तियों को वांछित साधन उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केन्द्रीय सहकारी बेंक लि., पाली का सहकारी समितियों में अवधि पार ऋण

551. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., पाली का सहकारी समितियों में अवधि पार ऋण कितना है, और उसके मुकाबले बैंक में कुल अमानतें कितनी हैं?

(2) इन अवधि पार ऋणों में से तीन वर्षों से ऊपर का कितना है?

(3) क्या अवधि पार ऋणों को देखते हुए इस बैंक की स्थिति चिन्ताजनक एवं खतरनाक नहीं है? क्या यह सही है कि अमानतों से अधिक राशि अवधि पार ऋण में फंसी हुई है?

(4) पिछले चार वर्षों में (Ending 30th June, 197- से) इस सहकारी बैंक ने:—

(अ) कितने वाहन खरीदे?

(ब) पैट्रोल, डीजल एवं वाहनों के रिपेयर पर कितना रुपया खर्च किया?

(स) किराए के वाहन कितने लिये और कुल मिलाकर प्रति वर्ष वाहनों के किराये पर कितना रुपया खर्च हुआ?

(5) सहकारी वर्ष 73-74, 74-75, 75-76, 76-77 में बैंक द्वारा कितना व्यय विभिन्न मदों पर किया गया व उसकी कार्यशील पूंजी प्रत्येक वर्ष में कितनी रही?

(6) इतना भयंकर अपव्यय के होते हुए भी क्या बैंक की स्थिति चिन्ताजनक नहीं और अवसायन की स्थिति नहीं आयेगी?

उत्तर

(1) पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. में अवधि पार ऋण 110.01 लाख रुपये है अवधि पार ऋण के मुकाबले में बैंक की कुल अमानतें 61.04 लाख रुपये की हैं।

Page No 41



(सहकारिता मंत्री)

(2) पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक में तीन वर्षों से ऊपर का अवधि पार ऋण 20.06 लाख रु. है।

(3) यह सत्य है कि बैंक के अवधि-पार ऋण बैंक की अमानतों से अधिक है, किन्तु इनके कारण बैंक की स्थिति को चिन्ताजनक एवं खतरनाक नहीं कहा जा सकता। अवधि पार ऋण को कम करने एवं अमानतों में वृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) पिछले चार वर्षों में बैंक ने जो वाहन क्रय किये हैं उसकी स्थिति निम्न प्रकार है बैंक द्वारा पिछले चार वर्षों में 8 वाहन खरीदे जिसमें 5 मोटर साइकिलें हैं:—

| (अ) क्र. सं. | वाहन का प्रकार | क्रय करने की तिथि | मूल्य | अनुदान जो शीर्ष बैंक से प्राप्त हुआ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मेटाडोर | 31-10-74 | 55,254 | — |
| 2. | जीप (टू व्हील) | 12-12-75 | 49,019 | 25,000 |
| 3. | जीप (फोर व्हीलर) | 3-1-77 | 53,733 | 23,819 |
| 4. | राजदूत मोटर साईकिल (3) | 7-1-77 | 16,275 | — |
| 5. | राजदूत मोटर साईकिल (2) | 9-5-77 | 10,850 | |

(4) (ब) पैट्रोल व डीजल वाहनों के रिपेयर पर वर्ष 3-74 से 31-12-77 तक उपरोक्त मदों में खर्च निम्न प्रकार हुआ है:—

(राशि रुपयों में)

| वर्ष | पैट्रोल एवं डीजल | जीप किराया | जीप मरम्मत |
|---|---|---|---|
| 72-73 30-6-73 तक | 13,504 | 815 | 3,500 |
| 73-74 | 43,600 | 4,400 | 4,757 |
| 74-75 | 44,436 | 4,000 | 9,101 |
| 75-76 | 66,334 | 34,946 | 13,349 |
| 76-77 | 24,973 | 26,902 | 19,360 |
| 1-7-77 से 31-12-77 तक | 14,400 | 13,295 | 9,119 |

# Page No 42



(सहकारिता मंत्री)

(4) (स) किराये की वाहनों पर वर्ष वार खर्चा निम्न प्रकार है: –

| वर्ष | किराये की राशि |
|---|---|
| 72-73 | 815 |
| 73-74 | 4,400 |
| 74-75 | 4,000 |
| 75-76 | 34,946 |
| 76-77 | 28,902 |
| 1-7-77 से 31-12-77 तक का खर्चा हुआ | 13,295 |

(5) सहकारी वर्ष 73-74 से वर्ष 76-77 में केन्द्रीय सहकारी बैंक पाली में विभिन्न मदों पर जो खर्चा हुआ है उसका विवरण वर्ष वार निम्न प्रकार है:–

| मद | (रु. लाखों में) | | | |
|---|---|---|---|---|
| सहकारी वर्ष | 73-74 | 74-75 | 75-76 | 76-77 |
| [illegible] | 4.01 | 6.00 | 6.[illegible]5 | 6.52 |
| [illegible] | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.[illegible]1 |
| [illegible] | -- | 0.02 | -- | -- |
| [illegible] | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.12 |
| [illegible] | 0.17 | 0.26 | 0.[illegible]2 | 0.40 |
| [illegible] | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.39 |

(6) बैंक की आर्थिक स्थिति बैंक की स्थापना वर्ष 1956 से निरन्तर बढ़ोतरी की ओर रही है हर वर्ष बैंक का प्रॉफिट हो रहा है और उसकी पूर्ति रिपोर्ट बैंक के द्वारा भेजी जाती रही है किसी भी वर्ष में बैंक को असलाभ में लाने की रिफारिश ऑडिट द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दर्शाया है ऐसी स्थिति में बैंक को असलाभ में लाया जाना सम्भव नहीं है।

संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि. भोटवाड़ा की प्रबन्धकारिणी द्वारा अनियमितताएं

552 श्री शिवराजसिंह (बूंदी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भोटवाड़ा में कार्य कर रही संयुक्त गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की प्रबंधकारिणी द्वारा की गई अनियमितताओं के बारे में समिति के सदस्यों की शिकायत पर सन् 1972 में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर ने सहकारी अधिनियम, 65 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच करवाई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस गृह निर्माण सहकारी समिति के घोटाले में सहकारी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जांच अधिकारी को समिति के शिकायतकर्ता सदस्यों द्वारा दिये गये बयान व संबंधित पत्रादि भी जांच अधिकारी ने अपने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को बचाने के लिये गायब किये ? यदि हां, तो क्यों ? रजिस्ट्रार महोदय ने ऐसा करने पर जांच अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह भी सही है कि आज भी सहकारी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भू-खण्ड जो इस समिति से प्राप्त किये, उनके व उनके रिश्तेदारों के नाम मौजूद हैं व सहकारी विभाग के कितने कर्मचारी व अधिकारी समिति के पदाधिकारी व सदस्य हैं व थे ?

(5) क्या यह भी सही है कि सन् 71 से आज तक स.सि. के चुनाव नहीं हुए ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(6) क्या यह भी सही है कि जांच अधिकारी ने कुछ सदस्यों के बयान दुबारा लेकर दिनांक 21.11.76 को अपनी जांच रिपोर्ट दे दी ?

(7) क्या यह भी सही है कि जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट में बताये गये दोषी व्यक्ति श्री यमुना प्रसाद श्रीवास्तव आदि के विरुद्ध विभागीय जांच जो एक माह में कराई जानी चाहिए थी, आज तक नहीं की गई ऐसा क्यों ? यदि अब राज्य सरकार जांच करवाने का इरादा रखती है, तो कब तक ?

(8) जांच अधिकारी द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जांच रिपोर्ट से विभाग के निरीक्षक (अंकेक्षक) श्री यमुनाप्रसाद श्रीवास्तव द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके निजी लाभ उठाना प्रमाणित है।

(3) जी नहीं ? जांच अधिकारी के द्वारा कोई पत्रादि गायब नहीं किये गये हैं, बल्कि जांच रिपोर्ट के अनुसार दोषी अधिकारी विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां यह सही है। श्री यमुनाप्रसाद श्रीवास्तव निरीक्षक (अंकेक्षक) एवं उनकी

(सहकारिता मंत्री)

पत्नी श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव व इनके साले श्री सुशीलकुमार श्रीवास्तव एवं श्री नरेन्द्र कुमार माथुर, सहायक रजिस्ट्रार, की धर्म पत्नी उमा रानी माथुर इस समिति के सदस्य हैं तथा उनके प्लाट भी हैं। सहकारी विभाग के निरीक्षक (ऑडिट) श्री यमुनाप्रसाद श्रीवास्तव वर्ष 1971 में समिति की प्रबंधकारिणी समिति में मंत्री थे। अब वर्तमान में श्रीवास्तव को अध्यक्ष के पद पर पदासीन हैं।

(5) जी हां यह सही है कि वर्ष 1971 के पश्चात् समिति में निर्वाचन नहीं हुए हैं। वर्ष 1973 में सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर द्वारा आदेश क्रमांक 656/58, दिनांक 23-1-73 के द्वारा निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया किन्तु कोरम के अभाव में निर्वाचन नहीं हो सका। पुनः आदेश क्रमांक 7896, दिनांक 14-8-74 के द्वारा निर्वाचन कराने हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया किन्तु समिति के पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक साधारण सभा नहीं बुलाने के कारण निर्वाचन कार्य सम्पादित नहीं किया जा सका। तदुपरान्त आदेश दिनांक 5-3-75 के द्वारा समिति के पदाधिकारियों को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 30 (5) के अन्तर्गत नोटिस दिया गया। जिसका निर्णय सहायक रजिस्ट्रार, जयपुर द्वारा दिनांक 16-5-75 को निम्न प्रकार दिया:-

1. चुनाव अधिकारी श्री रणवीरसिंह चौधरी को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 30 (1) के अन्तर्गत चुनाव कराने हेतु अधिकृत किया गया।

2. रिकार्ड प्राप्त करने हेतु श्री श्री चौधरी को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 37 (2) के अन्तर्गत अधिकृत किया गया।

3. समिति की प्रबन्धकारिणी समिति को भी 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया। उपरोक्तानुसार श्री चौधरी द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना प्रतीत नहीं होता है। आदेश क्रमांक एफ. 5 (1) सविरा/नियम/74, दिनांक 3-9-76 के द्वारा संस्थाओं के चुनावों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस कारण चुनाव नहीं कराये जा सके।

(6) जी नहीं। पूर्व जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट में कुछ कमियां रह गई थी जिस पर पुनः जांच कराई गई थी और यह जांच रिपोर्ट दिनांक 1-11-75 को प्राप्त हो चुकी थी।

(7) श्री यमुनाप्रसाद श्रीवास्तव निरीक्षक ऑडिट को क्लासीफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत दिनांक 17-6-1977 को दोष-पत्र दिया जाकर, आज्ञा दिनांक 16-11-77 द्वारा डिप्टी चीफ ऑडिटर, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभागीय कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दे दिये हैं।

(8) जांच रिपोर्ट्स की प्रति परिशिष्ट (क) संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

# Page No 45



### ग्राम सरे पंचायत समिति बडगांव में शाला खुलवाना

553. श्रीमती श्यामकुमारी सेंगर (कपासन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गिरवा तहसील में बड़गांव पंचायत समिति में एक गांव सरे है जो ग्राम पंचायत चीरवा में आता है वहां की आबादी करीबन 150 घरों की है ? अधिक लोग आदिवासी रहते हैं वहां कोई स्कूल नहीं जबकि कई लड़के पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते भी हैं ।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सरे वालों की मांग है कि उनके यहां 60 विद्यार्थी पढ़ने हेतु तैयार है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा आज तक प्राथमिक स्कूल नहीं खोला गया, इसका क्या कारण है ?

(3) प्राथमिक विद्यालय खोलने का क्या आधार है ? क्या यह सही है कि कई स्थान पर 30 विद्यार्थी होने पर भी स्कूल खुले हैं ?

(4) क्या राज्य सरकार सरे गांव ग्राम पंचायत, चीरवा जो कैलाशपुरी के पास है वहां अगले सत्र में प्राथमिक विद्यालय खुलवायेगी ?

### उत्तर

(1) जी हां । सरे ग्राम में 272 मकान हैं । ग्राम की कुल जनसंख्या 1,262 में से आदिवासियों की जनसंख्या 572 है । सरे ग्राम में एक प्राथमिक पाठशाला पहले से ही चल रही है ।

(2) जी नहीं । सरे ग्राम में प्राथमिक पाठशाला पहले ही खुली हुई है ।

(3) नई प्राथमिक पाठशाला खोलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान दण्ड का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । जी हां ।

(4) सरे ग्राम में प्राथमिक पाठशाला पहले से ही चालू होने से वहां नई प्राथमिक पाठशाला खोलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें ।)

### ग्राम सेवा सहकारी समिति सहरोद (कोटा) में भू. पू. सरपंच द्वारा गबन

557. श्री ओंकारलाल चौहान (अटरू) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति होल्डर, सहरोद, तहसील अटरू, जिला कोटा में श्री विश्वनाथ भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार गबन करना बताया गया है । और उस रकम को श्री विश्वनाथ से वसूल कराना बताया गया था ? यदि हां, तो वह रकम कितनी व किस वर्ष की थी और राज्य सरकार उक्त रकम की वसूली की क्या कार्यवाही कर रही है ?

### उत्तर

जी हां ।

# Page No 46

(५६)



(सहकारिता मन्त्री)

गबन एवं दुरुपयोग की राशि 19,112.86 पैसे है वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है:—

| क्र. | वर्ष | राशि |
|---|---|---|
| 1. | 62-63 | 53.82 |
| 2. | 63-64 | 1[illegible].56 |
| 3. | 64-65 | 3,659.90 |
| 4. | 65-66 | 9995.39 |
| 5. | 6[illegible]-68 | 5367.49 |
| | | 19112.86 |

गबन एवं दुरुपयोग के सम्बन्ध में राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई जिसके अनुसार 2180·99 की डिक्री के आदेश पारित किये गये जिसकी अपील अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के न्यायालय में चल रही है। शेष राशि का आदेश सहायक रजिस्ट्रार ने पारित नहीं किया था, जिसकी जांच हेतु सैक्शन 128 में अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा मिसल तलब की हुई है।

## पंचायत समिति सांचौर के शिक्षकों का स्थायीकरण

558. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, सांचौर के कई शिक्षक अभी तक अस्थाई तौर से कार्य कर रहे हैं एवम् उनका वेतन फिक्सेशन अभी तक नहीं किया गया है? अगर हां, तो ऐसे कुल कितने शिक्षक हैं एवं उनका फिक्सेशन का मामला कब से चल रहा है अब उनका वेतन फिक्सेशन कब तक करा दिया जायेगा? सूची मय नामों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति, सांचौर के कई अन्य कर्मचारियों के भी वेतन फिक्सेशन के मामले तय करने शेष हैं? अगर हां, तो कुल कितने मामले शेष हैं एवं उनका निपटारा कब तक करवा दिया जावेगा?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति के कई शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान के भी कई मामले काफी अरसे से निपटाने शेष हैं? अगर हां, तो ऐसे कुल कितने मामले कब से निपटाने शेष पड़े हैं एवं उनका निपटारा कब तक करवा दिया जावेगा?

### उत्तर

(1) जी नहीं। कोई भी अध्यापक अस्थायी तौर पर कार्य नहीं कर रहा है। केवल एक अध्यापक का फिक्सेशन का मामला सन् 1968 से विचाराधीन है जिसे शीघ्र निपटाने के लिए आदेश दिये जा रहे हैं। सूची सदन कि मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। केवल तीन मामले शेष हैं। इन्हें भी शीघ्र निपटाने के लिए आदेश दिये जा रहे हैं।

(3) जी हां। 22 अध्यापकों के मामले गत 3 वर्ष से विचाराधीन हैं। इनका निपटारा शीघ्र करने के लिए आदेश दिये जा रहे हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)।

### बिलाड़ा क्षेत्र में सीमेंट का कारखाना

559. श्री रामनारायण (बिलाड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राज्य सरकार नई उद्योग नीति के अनुरूप बिलाड़ा तहसील में जहां सीमेंट बनाने के लिए उपयुक्त पत्थर उपलब्ध है वहां सीमेंट का कारखाना लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

बिलाड़ा में उपलब्ध होने वाला पत्थर उच्च श्रेणी का है जो रासायनिक उद्योगों में ज्यादा उपयुक्त रहता है इसलिए इसका प्रयोग सीमेंट बनाने के लिये नहीं किया जा कर रासायनिक उद्योगों में किया जाना उपयुक्त है।

सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन पर आधारित मिनी सीमेंट प्लांट बिलाड़ा (जोधपुर) में स्थापित करने हेतु राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने भारत सरकार को दिनांक 9-1-78 को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है । भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर कारखाना लगाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ।

### कुटीर उद्योग समिति, साकर में अनियमितता

560. श्री मदनसिंह दांता (दाता-रामगढ़) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सीकर शहर में कुटीर उद्योग के नाम से एक समिति कायम हुई थी ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही कि इस समिति का फर्म भागीदार श्री बैंगाराम व गोविंद-राम दोनों बाप व बेटे हैं ? अगर हां, तो ये नियम के विरुद्ध है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस समिति को उद्योग विभाग व अन्य विभाग द्वारा भी लोहे व अन्य चीजों का कोटा दिया गया है ? अगर हां, तो कब तथा इसका उपयोग किस प्रकार किया गया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। उद्योग विभाग में इस नाम की कोई समिति पंजीकृत नहीं है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) उद्योग विभाग एवं राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा इस नाम की समिति को कोई कोटा या माल नहीं दिया गया।

### धौलपुर में औद्योगिक क्षेत्र में भूमि का आवंटन

561. श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) धौलपुर में कितने लोगों ने धौलपुर औद्योगिक क्षेत्र में जमीन अलॉट कराई है व कब कब और उस अलॉट शुदा जमीन में कितने लोगों ने कारखाने लगाये और किन लोगों ने अलॉट शुदा प्लॉट में कारखाने नहीं लगाये हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार ने की है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या सरकार आयन्दा भी नोटिस देकर उन लोगों के आवंटन को खत्म करके दूसरों को देना चाहेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

(2) क्या धौलपुर में कोई जगन बल्ब फैक्ट्री को कोई लाइसेन्स दिया गया व भवन अलॉट दिया गया ?

(श्री जगदीश सिंह)

(3) यदि हां, तो कब, किन शर्तों पर व क्या यह फैक्ट्री अभी चालू है अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) यदि फैक्ट्री बन्द है तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(5) फैक्ट्री की मशीन अभी भी फैक्ट्री में लगी हुई है या नहीं ?

उत्तर

(1) धौलपुर औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 1974-75 की अवधि में 13 उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि (प्लॉट्स) आवंटित किये गये थे। आवंटित भू-खण्डों में 3 उद्यमियों द्वारा उद्योग चालू किये गये थे जिनमें से एक उद्योग बन्द हो चुका है। उसे आवंटित भूमि निरस्त की जा चुकी है। शेष 10 प्लॉटों में उद्योग स्थापित नहीं किये जाने के कारण 8 उद्यमियों के आवंटन निरस्त किये जा चुके हैं और दो के आवंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ?

(2) लघु उद्योग इकाइयों को लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती लेकिन राज्य सरकार द्वारा घोषित सहायता व सुविधाएं प्राप्त करने हेतु लघु उद्योगों का पंजीकरण किया जाता है। मैसर्स जगन इलैक्ट्रिक वल्व फैक्ट्री, धौलपुर का पंजीयन विभाग में हुआ है और इस इकाई को धौलपुर औद्योगिक क्षेत्र में दो शेड किराये पर आवंटित किये गये थे।

(3) इस इकाई को वर्ष 1971 में 379 रु. मासिक पर शेड नं. 5 व 6 का आवंटन उद्योग स्थापित करने हेतु किया गया था उपयुक्त तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध न होने एवं क्वालिटी उत्पादन स्तर का निर्माण नहीं होने के कारण यह फैक्ट्री अब बन्द हो चुकी है और इकाई द्वारा शेड खाली किये जा चुके हैं।

(4) जी हां। फैक्ट्री बन्द हो गई है तथा उसे आवंटित दोनों शेड्स का आवंटन निरस्त किया जा चुका है और शेड्स खाली किये जा चुके हैं।

(5) जी नहीं। इकाई ने आवंटित शेड खाली कर दिये हैं।

## राज्य में मोम का कोटा

563 श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में मोम का कोटा किस-किस यूनिट के नाम से कितना-कितना कितने समय कब-कब मिलता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कितनी यूनिट व कारखाने इसे सही उपयोग में लाते हैं और सही ढंग से काम करते हैं और कितनी चोर बाजारी करते हैं।

(3) किन निरीक्षक व अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर यह कोटा दिया गया है और दिया जाता है ? इन यूनिटों व कारखानों के बारे में समय-समय पर क्या-क्या रिपोर्ट की है ?

(श्री रामकरण सिंह)

(4) जयपुर शहर में किन-किन व्यक्तियों को व फर्म को कितना-कितना इसका कोटा दिया जाता है ? आज की सही हालत क्या है ?

उत्तर

(1) मोम का कोटा भारत सरकार (पैट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय), नई दिल्ली द्वारा राज्य को हर तिमाही के वास्ते आवंटन किया जाता है। आवंटित कोटे का माल प्राप्त होने पर इस कार्यालय द्वारा मोम की खपत करने वाली इकाइयों को प्रत्येक तिमाही के वास्ते उनकी पिछली खपत या क्षमता निर्धारण के आधार पर पिछले दिये गये मोम की उपयोगिता रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिया जाता है। गत वर्ष 1977 में राज्य को 898 मै. टन मोम का आवंटन हुआ व इस वर्ष 1978 में प्रथम तिमाही (जनवरी से मार्च) के वास्ते 224 मै. टन मोम का कोटा दिया गया है। वर्ष 1977 व प्रथम तिमाही, 1978 में जिन इकाइयों को नियमित रूप से मोम का कोटा आवंटित किया गया है उनकी सूची संलग्न है।

(2) जिन इकाइयों को इस कार्यालय द्वारा मोम दिया जा रहा है उनमें से किसी भी इकाई के विरुद्ध चोर बाजारी करने का कोई प्रमाण राज्य सरकार के पास नहीं है। मोम का कोटा उनके पिछले दिये गये माल का जिला अधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिये जाने पर आवंटित किया जाता है और इसमें सतर्कता बरती जा रही है।

(3) मोम का कोटा जिला स्तरीय उद्योग अधिकारी की व उसके अधीनस्थ अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर दिया जाता है। इन कारखानों के कार्य की जांच रिपोर्ट समय-समय पर इन अधिकारियों द्वारा दी जाती है व यह जांच प्रत्येक तिमाही में दिये माल की उपयोगिता देखकर दी जाती है।

(4) जयपुर शहर में 68 इकाइयों को मोम का कोटा 1964 बोरी वर्तमान में इस तिमाही में अब तक दिया गया है। उसकी सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें।)

## सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालय जालौर का भवन खाली कराना

564. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जालौर के कार्यालय का मकान खाली करवाने के बारे में मकान मालिक ने कानूनी नोटिस दिया है ? अगर हां, तो कब एवं क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त कार्यालय के मकान का किराया भी काफी महीनों का बकाया है ? अगर हां, तो किस कारण से ? मकान मालिक के दावे के अनुसार उक्त मकान के किराये का भुगतान विभाग द्वारा कब तक करवा दिया जावेगा ? विभाग मकान मालिक को पी. डब्ल्यू. डी. असेसमेन्ट के अनुसार 163 रुपये प्रति माह से मकान किराया का भुगतान क्यों नहीं करता ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(3) क्या यह भी सत्य है कि कार्यालय के मकान को खाली करवाने बाबत मकान मालिक ने काफी लम्बे अर्से से कर विभाग अधिकारियों को एवं राज्य सरकार को कई प्रार्थना-पत्र दिए हैं ? अगर हां, तो कितने समय से कार्यालय मकान खाली करवाने के बारे में विभाग को आग्रह किया जा रहा है ? अब तक उक्त कार्यालय का मकान विभाग द्वारा खाली क्यों नहीं किया जा रहा है ? अब उक्त कार्यालय का मकान कब तक खाली करवा कर मकान मालिक को सुपुर्द कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) इस विभाग को भवन मालिक की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि उनके द्वारा जिलाधीश, जालौर को दिये गये नोटिस दिनांक 4-12-73 की प्रति जिलाधीश, जालौर के पत्रांक 1962, दिनांक 4-12-73 द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जालौर को प्राप्त हुई। नोटिस मकान का किराया बढ़ाने व उसे खाली कराने के लिए दिया गया है। भवन मालिक ने राज्य सरकार के विरुद्ध 'दीवानी दावा' संख्या 122/74 जालौर में किया, जिसका निर्णय दिनांक 12-4-75 को सरकार के विरुद्ध हुआ है। इसकी अपील सत्र न्यायालय, जालौर में सरकार द्वारा की गई है। प्रथम अपील के निर्णय के विरुद्ध भवन मालिक ने अपर जिला न्यायालय, जालौर में अपील की है।

(2) किराया भुगतान न करने की बात सत्य नहीं है। माह फरवरी, 78 तक का किराया भवन मालिक द्वारा न लेने के कारण व्यवहार न्यायाधीश, जालौर के यहां जमा कराया गया है। न्यायालय के फैसले के उपरान्त ही कार्यवाही की जावेगी। क्योंकि न्यायालय में मामला विचाराधीन है, अतः जब तक प्रकरण न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं हो जाता तब तक किराया बढ़ी हुई दर से रु. 103/- प्रति माह दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) विभाग से मकान खाली कराने और किराया बढ़ाने बावत भवन मालिक द्वारा दिनांक 8-2-73 से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अतः न्यायालय के फैसले के पश्चात् उसके अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23 मार्च, 1978)

## चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण की राशि

**195. श्री मनोहरसिंह मेहता** (माण्डलगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 1 अप्रेल, 1977 से दिसम्बर, 1977 तक नौ महीनों में किस किस विभाग में मेडिकल रीएम्बर्समेंट पर कितना खर्च हुआ ?

(2) सबसे अधिक किस विभाग ने मेडिकल रीएम्बर्समेंट करवाया ?

(3) क्या किसी विभाग में फर्जी केसेज भी सामने आये ? यदि आये तो उनके विरुद्ध क्या एक्शन लिया गया ?

उत्तर

(1) विभागों से प्राप्त मेडिकल रीएम्बर्समेंट के खर्चे की सूची संलग्न है।

(2) प्राप्त सूचना के अनुसार शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा) में सबसे अधिक खर्च हुआ।

(3) हां। केवल सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक फर्जी केस सामने आया है, जिसकी जांच चल रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें।)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23 मार्च, 1978)

भू-सीलिंग कानून के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

197. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) राज्य सरकार को भू-सीलिंग कानून के अन्तर्गत कितनी भूमि प्राप्त हुई? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त भूमि में कितनी कम्बर्ड व कितनी अनकम्बर्ड भूमि है?

उत्तर

(1) जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) जिलेवार सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें।)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29 मार्च, 1978)

अनुसूचित जाति/जन जाति की भवन निर्माण सहकारी समितियां

399. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की कितनी भवन निर्माण सहकारी समितियां बनी हुई हैं?

(2) क्या ये सभी सहकारी समितियां पंजीकृत सहकारी समितियां हैं?

(3) अब तक कितनी और कौन-कौन सी सहकारी समितियों को गृह निर्माण हेतु कितना कितना ऋण दिया जा चुका है?

उत्तर

(1) राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की दिनांक 30-6-77 तक 1310 भवन निर्माण सहकारी समितियां बनी हुई हैं।

(2) जी हां।

(3) अब तक 756 गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण दिया गया है जिसका विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

व्यवस्था का प्रश्न

मेज पर रखे जाने वाले उत्तर

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, माननीय श्री डागा।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली): श्रीमान, मैंने आपका ध्यान पहले भी रूल 42 की ओर दिलाया था और आज भी दिलाना चाहता हूं। मैं बहुत इच्छुक हूं कि यह बात आपके ध्यान में लाई जाय ताकि सदन की कार्यवाही ठीक तरह से चले।

"Answers laid on the Table-Lengthy answers to starred questions may, on statement by the Minister concerned, be laid on the Table without being read, but a copy in such case may be delivered to the member asking such question in advance of the answer being laid on the Table."

मैं इस बार में कई बार कह चुका हूं, लेकिन कभी भी उत्तर इन्क्वायरी ऑफिस में या यहां पर कम से कम एक घन्टा या आधा घन्टा पहले नहीं मिला ताकि हम प्रश्न के उत्तर से वाकिफ हो जायं और जवाब देख सकें। आज भी मैं प्रश्नोत्तर काल से पहले ढूंढ़ रहा था। मन्त्री महोदय उत्तर यहां दे देते हैं और सदन की मेज पर नहीं रखते हैं। जो लेन्दी जवाब हो मेहरबानी करके ऐसी व्यवस्था करें कि प्रति पहले ही हमें मिल जाया करे।

**श्री अध्यक्ष** : मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

## स्थगित तारांकित प्रश्न का उत्तर

**श्री शंकरलाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, क्वेश्चन्स के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी।

**श्री शंकरलाल** : मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं लेकिन, अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैं आपको समय दूंगा।

**श्री शंकरलाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिये। मैंने भूमि के सीलिंग के बारे में प्रश्न दिया था। गत सत्र में भी दो बार वह स्थगित हुआ था और इस सत्र में भी वह स्थगित हुआ। वह मेरा स्थगित प्रश्न आज की प्रश्न सूची में था वह नहीं लिया जा सका। कल सदन स्थगित हो जायगा। तो आप इस पर व्यवस्था दे दें। मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाना चाहिए और अगर कल आ जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : किस प्रश्न से सम्बन्धित उत्तर नहीं आया है।

**श्री शंकरलाल** : प्रश्न संख्या 596 है सीलिंग के बारे में।

**श्री अध्यक्ष** : मैं उसका उत्तर दिलाने की व्यवस्था करूंगा।

**श्री शंकरलाल** : कल आ जायेगा उत्तर, माननीय अध्यक्ष महोदय ?

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपने एक प्रश्न स्थगित किया था। आपने यह भी आज्ञा दी थी कि स्थगित प्रश्न पहले प्रश्न के तौर पर पूछे जायेंगे। वह नहीं पूछे जा रहे हैं। उसके बारे में क्या व्यवस्था है ?

# Page No 53

(53)



**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैंने आपके प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय को बुला कर चर्चा की । जैसा कि आपको विदित है कि तत्काल ही माननीय गृह मन्त्री महोदय ने सदन को आश्वासन दिया था कि नियमों पर पुनर्विचार किया जायेगा । मन्त्री महोदय ने यह भी आश्वासन दिया था कि यदि कोई अनियमिततायें होंगी तो उस सम्बन्ध में भी देख लेंगे । मैं विश्वास दिलाता हूं कि मन्त्रिमण्डल इस सम्बन्ध में सजग है और उचित व्यवस्था करेगा । यदि उसके बाद भी कोई त्रुटि या कमी हो तो आयन्दा सत्र में पुनः इस प्रश्न को रख सकते हैं । आपको अधिकार है ।

**श्री शंकरलाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाय ।

**श्री अध्यक्ष** : सदन की परम्परा के अनुसार पहले स्थगन प्रस्तावों पर मुझे व्यवस्था देने दें । आप सब की बात यथा सम्भव सुनने को तैयार हूं । This does not provide any basis. So long as there is no basis, how can you say completely at random.

(व्यवधान)

I beg of you. There must be some basis to proceed upon.

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है ·

**श्री शंकरलाल** : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का क्या होगा ।

**श्री अध्यक्ष** : मैं, माननीय सदस्य, यथा सम्भव प्रयत्न करूंगा कि उत्तर आये । यदि उत्तर आने की स्थिति होगी सरकार की तरफ से तो मैं आपको अवगत कराऊंगा अन्यथा जैसी स्थिति होगी उस स्थिति के अनुसार मैं आपको सूचित करूंगा ।

**श्री शंकरलाल** : मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं । सरकार द्वारा पिछले सत्र में भी उत्तर नहीं दिया गया । दो दफा उस प्रश्न को स्थगित करना पड़ा । उसके बाद इस सत्र में आया तो स्थगित हुआ । आज उस प्रश्न को लेने को थे तो आज भी उसका जवाब नहीं आया है ।

सरकार राजाओं और जागीरदारों को प्रोटेक्शन दे रही है । उनकी जमीन लेना नहीं चाहती है इसलिए मैं वाकआउट करता हूं ।

(बहिर्गमन)

**श्री मूलचन्द डागा** : सारा वजन आप, अध्यक्ष महोदय, अपने ऊपर लें लेते हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप वाकआउट मत करिये । वापस आइये ।

**श्री मूलचन्द डागा** : श्रीमन्, आप सारा वजन अपने ऊपर ले लेते हैं । सरकार की गलती होती है, आप उसे अपने ऊपर ले लेते हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : क्या यह स्थगन प्रस्ताव आपका ग्राम बूसी, जिला पाली के सम्बन्ध में है ?

**श्री शंकरलाल** : मेरा स्थगन प्रस्ताव तो है ही लेकिन मैं मेरे प्रश्न के बारे में कह रहा था।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप अपना असन्तोष व्यक्त कर सकते हैं। बहिर्गमन कर सकते हैं।

**श्री शंकरलाल** : माननीय अध्यक्ष, यह आपकी दुतरफा कैसी व्यवस्था है। एक दफा तो आप वाकआउट करने से रोकते हैं और दूसरी दफा कहते हैं, करिये।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आखिरकार मैं भी इन्सान हूं। मुझे भी मिसअन्डरस्टेंडिंग हो सकती है। मैं चाहता हूं कि रोष प्रकट करके वाकआउट न करें। इसके उपरान्त भी करते हैं तो मैं मजबूर हूं। आपको अधिकार है।

**श्री बजरंगलाल शर्मा** : मुझे भी एक वाक्य कहने की इजाजत दीजिये। मैं यह निवेदन करता हूं...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मुझे आप सुनिये। पहले स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था तो दे देने दें।

**श्री बजरंगलाल शर्मा**: फिर कन्टीन्युटी नहीं रहेगी।

**श्री अध्यक्ष** : आप सुनिये। इन्टरप्ट मत करिये।

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री प्रद्युम्नसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को कूप निर्माण के लिये दिये गये कर्जों पर ब्याज की वसूली के विषय में।

(2) श्रीमती मदन कौर, सदस्या, विधान सभा की ओर से राज्य स्तरीय पशु मेला जो ग्राम तिलवाड़ा में चल रहा है, उसमें पशुओं के लिये पीने का पानी पर्याप्त नहीं होने के विषय में।

(3) श्री रामकृष्णदास, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में सन् 72 से 77 तक की ऑडिट रिपोर्ट्स में तीन करोड़ के घोटाले के विषय में।

(4) श्री माधोसिंह, रेवदर, सदस्य विधान सभा की ओर से मित्रपुरा, तहसील बौंली, जिला सवाईमाधोपुर में गेहूं के वितरण में की गई अनियमितताओं के विषय में।

(5) श्री शंकरलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम बूसी, जिला पाली के एक भूतपूर्व जागीरदार द्वारा किये गये हस्तान्तरण के अनियमित होने के विषय में।

(6) श्री शीशराम ओला व श्री रघुनाथ बिश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 3 अप्रेल को राज्य पथ परिवहन निगम, खेतड़ी आगार के कर्मचारियों द्वारा आई. टी. आई. के छात्रों को आगार के अहाते में ले जाकर निर्दयतापूर्वक पीटने के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

ये सब प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। फिर भी इन्हें राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा जा रहा है।

(7) सर्वश्री मूलचन्द डागा, मथुरादास माथुर, परसराम मदेरणा, गंगाराम चौधरी, सूरजपाल सिंह, रामदेव सिंह व बृद्धिचन्द जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्यापकों के चयन में असंगतियां होने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

यह प्रश्न राजस्थान विश्वविद्यालय की आन्तरिक व्यवस्था से संबंधित है। फिर भी यदि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय इस प्रश्न पर कोई वक्तव्य देना चाहें तो वे कल तक एक वक्तव्य दे सकते हैं। इस स्थगन प्रस्ताव को भी स्वीकार करने में मै असमर्थ हूं।

**श्री मदनसिंह दांता** : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : मेरा भी है।

व्यवस्था का प्रश्न विशेषाधिकार प्रश्न की ग्राह्यता

**श्री अब्दुल अजीज** ( मकराना ) : I am raising a point of order.

**श्री अध्यक्ष** : एक-एक करके।

(व्यवधान)

मैं आपको पूरा समय दूंगा। एक घंटा-भर आप बिराजिये।

**श्री अब्दुल अजीज** : बा अदब मैं आपकी तवज्जुह बिजनेस कन्डक्ट रूल्स के रूल 159 (3) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

"Conditions of admissibility of the question of privilege Rule 159 (3)—

"The matter requires the intervention of the House."

इस तरफ मैं आपकी तवज्जुह दिलाना चाहता हूं कि तमाम सदन की कार्यवाही रोक कर प्रिवलेज के मुद्दे को लिया जाय, सदस्य का जो अधिकार है, जब उसके अधिकार को चुनौती दी जाय तो सदन को उस पर विचार करने के अख्तियारात है। आपकी जिस रूल्स की तरफ तवज्जुह दिलाई, उसके सब रूल (3) में लिखा हुआ है—

"The matter requires the intervention of the House."

सदन की समस्त कार्यवाही को रोककर सबसे पहले इस तरफ तवज्जुह फर्माई जाये। आपने रूलिंग दी थी, कल व्यवस्था दी थी कि शासन की ओर से फैसला दूंगा, कृपा फैसला दें।

**श्री ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : आप रूल 158 तो पहले पढ़ लीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपकी सूचना मुझे मिल चुकी है। मैं इस पर विचार कर रहा हूं। कल तक मैं व्यवस्था दूंगा।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था। धौलपुर उप जिला के अन्दर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यों से कर-बद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि 5-5 मिनट से अधिक न लें। दो विधेयक पारित किये जाने है। माननीय मथुरादास जी ने कल आपत्ति भी की थी। वह बिल्कुल वाजिब है या तो समय बढ़ाया जाये।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : आपके आदेश का पालन करूंगा।

**श्री अध्यक्ष** : I thank you.

**श्री प्रद्युम्नसिंह**।

**श्री मदनसिंह दांता** : मेरा स्थगन प्रस्ताव था इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के संबंध में।

**श्री अध्यक्ष** : मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।

**श्री मदनसिंह दांता** : परसों का दिया हुआ है।

**श्री अध्यक्ष** : मैंने सम्भवतः अस्वीकार किया है।

**श्री मदनसिंह दांता** : आया ही नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : आपको क्या मालूम, मेरे पास नहीं आया।

**श्री मदनसिंह दांता** : मुझे मालूम है, आता तो आप कहते।

**श्री अध्यक्ष** : मैं इस संबंध में जानकारी प्राप्त करूंगा।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : मेरा जो प्रस्ताव है उसके द्वारा इस जनता सरकार की जो कथनी और करनी में फर्क है उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह कहते है अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हमें पूरी हमदर्दी है, कोई भेद-भाव नहीं करते हैं लेकिन यह इनकी लापरवाही का नमूना है, हरिजनों के साथ, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ ऐसा वर्ताव किया जा रहा है, वैसे तो दुनिया भर में अत्याचार हो रहे हैं, पर आर्थिक तौर पर भी उनको मारना चाहते हैं। आर्थिक तौर से भेदभाव कर रहे हैं। इस तरह का नमूना आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

धौलपुर भूमि विकास बैंक से 42 पर्सेंट लोन अनुसूचित जाति के लोगों को बांटा गया है। पिछले सात सालों से हर साल कूप निर्माण के ऊपर जो कर्जा दिया जाता है उसके ब्याज का चुकारा समाज कल्याण विभाग करता है। श्रीमान्, आपसे निवेदन करूंगा कि धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक की जो ब्याज की रकम थी, उसकी जिला समाज कल्याण अधिकारी को सूचना भेज दी कि अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों को दिये गये लोन के ब्याज का चुकारा आपको करना है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, इस सरकार की लापरवाही के कारण आज तक ब्याज का चुकारा नहीं हुआ। इस कारण शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों के के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है उनसे वसूलियां शुरू हो गई हैं। उनसे वसूलियां जब नहीं हो पायेंगी तो उन गरीब काश्त-कारों की कुर्कियां होंगी। उनको इस आश्वासन के ऊपर भूमि विकास बैंक ने कर्जा दिया था कि सरकार ब्याज की रकम

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

का चुकारा करेगी । श्रीमान्, आपसे निवेदन करूंगा कि आपके आदेशानुसार जब स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसकी एक प्रति माननीय मंत्री महोदया को प्रस्तुत कर दी थी ..........

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

अगर उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त की है तो कृपया बतावें कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दिये गये लोन के ब्याज की रकम का कब तक चुकारा कर दिया जायेगा ? जब तक ब्याज का चुकारा न करें तब तक वसूली स्थगित कराइये अन्यथा भारी अन्याय होगा ।

**श्रीमती विद्या पाठक** (राज्य मंत्री, समाज कल्याण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्भवतः यह जानकारी माननीय सदस्य के यहां आने से पहले प्राप्त हुई है । इसकी सूचना माननीय सदस्य से कल मिली उसी के आधार पर यह जानकारी प्राप्त करवाई है । माननीय सदस्य को मैं सूचित करना चाहती हूं कि धौलपुर को-ऑपरेटिव लैण्ड डवलपमेंट बैंक को तीन बार रिमाइण्ड करवाया गया । कितना ब्याज दिया जाना है, उसके लिए उन्हें तीन बार रिमाइन्ड करवाया गया, 4 लाख 45 हजार की टेन्टेटिव डिमाण्ड भेजी थी फिर इसके बाद एक्चुअल डिमान्ड आई है, इसलिए 1 लाख 63 हजार 218 वापस सरेन्डर करने पड़े। ड्राफ्ट नं. 148433, दिनांक 29-3-78 के द्वारा भुगतान कर दिया गया ।

**एक माननीय सदस्य** : धन्यवाद ।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती मदनकौर ।

**श्रीमती मदनकौर** : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आपके सामने एक स्थगन प्रस्ताव तिलवाड़ा पशु मेले में जा रहे पशुओं के लिए पीने के पानी की भयंकर समस्या के बारे में रखा है । बाड़मेर में तिलवाड़ा ग्राम में हर साल चैत के महीने में एक पशु मेला लगता है । अभी यह मेला लगना तो शुरू नहीं हुआ काफी वर्षों से लगता है । यह मेला 19-20 अप्रेल तक चलेगा । अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटा मोटा मेला नहीं है । यह राज्य स्तर का प्रसिद्ध मेला है । इस मेले में विभिन्न जिलों के ऊंट, घोड़े, बैल आदि अनेक जानवर बड़ी संख्या में खरीदने और बेचने के लिए लाये जाते हैं । मेरा निवेदन करना यह है कि इस बार तिलवाड़ा में पशुओं के लिये पीने के पानी की भयंकर समस्या है । वैसे तो जो आपकी नल योजनायें हैं, उसकी व्यवस्था खराब है लेकिन जब इतना बड़ा पशु मेला लग रहा है तो रास्ते में जो आपके नलकूप हैं, कुये हैं, पम्पिंग सैट्स हैं उनसे खास तौर से पशुओं के लिए पीने के पानी की राज्य सरकार को व्यवस्था सुचारु रूप से करनी चाहिये थी । खास तौर से, मैं निवेदन करना चाहती हूं कुण्डपुर और कुण्डल में जो नलकूप लगे हुये हैं तथा कल्याणपुरा, डोली और कूपनी में आपके जो पम्पिंग सैट्स लगे हुये हैं उनकी व्यवस्था इतनी निकम्मी है कि रास्ते में आने वाले पशुओं को कहीं पानी नहीं मिल रहा है। वे सारे रास्ते जनता सरकार को कोसते कोसते तिलवाड़ा ग्राम में पहुंचे हैं । इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं अब 2-3 दिन बाद तिलवाड़ा से उनकी रवानगी होगी, वे अपने अपने घरों

(श्रीमती मदनकौर)

को जायेंगे, इसलिए राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जो रास्ते में नल योजनायें हैं, कुएं हैं, पम्पिंग सैट्स हैं वहां 24 घंटे पर्याप्त मात्रा में पानी सप्लाई होता रहे।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा पशु मेला है। इसमें बड़ी भारी मात्रा में ग्रामीण जनता इकट्ठी होती है। यह वह समय होता है जब ग्रामीण जनता आपस में मिल कर राज्य सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को तत्पर रहकर ऐसे मौकों पर अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करनी चाहिये।

**श्री माधोसिंह** (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के द्वारा मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वे तो यहां नहीं विराज रहे हैं लेकिन दूसरे मंत्री विराजे हुये हैं, वे उन तक यह बात पहुंचा देंगे···

**श्रीमती मदनकौर**: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मंत्री महोदय विराजे हुये हैं। 2-3 दिन में मेले से रवानगी शुरू होगी। इसलिये उनके रास्ते में पड़ने वाली नल योजनाओं से पानी की व्यवस्था अच्छी हो। यह बहुत जरूरी है। यह लोक महत्व का प्रश्न भी है।

**श्री महबूब अली** (जन-स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही माननीय सदस्या ने बात की थी। मैंने उसी समय सूचना मंगवाने के लिये विभाग के अधिकारियों को टेलीफोन करवाया है। वे अभी आये नहीं हैं, उनके आने पर जो कुछ सूचना होगी, बता दूंगा।

**श्रीमती मदनकौर**: मैंने जानकारी दे दी, व्यवस्था करना आपके हाथ में है। आप निर्देश दें।

**श्री महबूब अली**: व्यवस्था के बारे में काफी कुछ किया जा सकता है लेकिन जब तक विभाग से बात नहीं करूं तब तक आपको निश्चित आश्वासन कैसे दे सकता हूं?

**श्री मथुरादास माथुर**: बात कर लीजिये।

**श्रीमती मदनकौर**: आप इतना तो निर्देश दे सकते हैं कि जो पानी की ऑलरेडी वहां व्यवस्था है, उससे सुचारु रूप से पशुओं के लिये पानी की व्यवस्था तो करें।

**श्री माधोसिंह** (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे स्थगन प्रस्ताव···

**श्री नवनीत पालीवाल**: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करता हूं कि कल सदन में हमारे माननीय सदस्य, श्री रामकृष्णदास जी ने आसन के प्रति अपमानजनक वाक्य कहे थे, उस समय चेयर पर सभापति पदासीन थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और माननीय सदस्य श्री रामकृष्णदास जी से अनुरोध करूंगा कि वे खेद प्रकट कर दें या अपने शब्द वापस ले लें।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता**: अध्यक्ष महोदय, मैं आसन के प्रति हमेशा आदर

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

रखता रहा हूं। मैंने किसी भी मैलाफाइड इन्टेन्शन से आसन के प्रति डिस-रेस्पेक्ट शो करने के लिये कुछ नहीं कहा है। गलती करना मानव स्वभाव है। हो सकता है कि कहने के पलों में और नासमझी ने कोई रिमार्क पास कर दिया हो। यदि कहीं उससे आसन की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं एक बार नहीं, सौ बार उसके लिए खेद प्रकट करता हूं।

**श्री नवनीत पालीवाल** : मैं आभारी हूं, माननीय सदस्य का।

**श्री अध्यक्ष** : जो आपत्तिजनक इबारत माननीय सदस्य काम में लाये थे, वह आसन के प्रति उचित नहीं थी। उसे एक्सपन्ज किया जाय।

**श्री माधोसिंह** (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने स्थगन प्रस्ताव की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां मन्त्री महोदय मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगा, जो इस तरीके की शैतानी और क्रूरता की घटना घटी है उसकी ओर आप ध्यान दें और मुझको आश्वासन दें कि इस सम्बन्ध में आप क्या करने जा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, अपने स्थगन प्रस्ताव के द्वारा निवेदन करूंगा, मित्रपुरा और जंतपुरा ग्राम,तहसील बोंली, जिला सवाई माधोपुर में प्रकृति के प्रकोप से ओलावृष्टि इतनी हुई है कि सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। फसलें नष्ट होने के बाद सरकार ने ग्रेचुटस रिलीफ के रूप में गेहूं उपलब्ध कराने के लिये गेहूं की बोरियां भेजीं। गेहूं के वितरण में पटवारी और गिरदावर ने बहुत बड़ी धान्धली की है और उसका वितरण ठीक नहीं किया है। कुछ लोगों को थोड़ा गेहूं देकर बाकी का सब गेहूं डकार गये। वहां के सरपंच को जब मालूम पड़ा तो उसने इत्तला दी, इत्तला देने के बाद पुलिस ने उस गेहूं को सील किया, खाली बोरियों को भी सील किया। अब मुझे मालूम पड़ा है कि कुछ प्रभावशाली लोग इस मामले को दबाना चाहते हैं। एक तरफ तो प्रकृति ने विनाश किया और दूसरी ओर पटवारी व गिरदावर इतने निम्न स्तर पर उतर गये कि जो गेहूं पेट की ज्वाला को शान्त करने के लिये पहुंचाया गया उसको भी हड़प करने को तत्पर हो गये। जो मेरे पास सूचना आई है उसके अनुसार जितना गेहूं वितरण के लिये आया था वह पीड़ित व्यक्तियों को न देकर अन्य मिलने वाले व्यक्तियों को दे दिया गया। प्रत्येक बोरी में 2 से 10 किलो तक गेहूं निकाल लिया गया, जिसके फलस्वरूप एक बोरी को तोलने पर उसका वजन 85 के. जी. रहता है। खाली बारदाना गेहूं लेने वाले व्यक्ति को न देकर स्वयं कर्मचारियों ने रख लिया है जो गोदाम में सील है। कई पर्चियों पर, जिन पर सरपंचों के हस्ताक्षर मुद्रित हैं, लोगों को गेहूं नहीं दिया गया जब कि उनका वाउचर भर लिया गया। सत्यापन के लिये वाउचर एवं पर्चियों को मिलाने की व्यवस्था करें...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अभी दो मिनट में समाप्त करता हूं।

ग्राम जैतपुरा पंचायत क्षेत्र मित्रपुरा को 105 गेहूं की बोरी कलेक्टर महोदय से अलॉट की गई थी लेकिन पटवारी ने अपनी मनमानी से उस गांव को सिर्फ 76 बोरी

(श्री माधोसिंह)

का ही वितरण किया है बाकी की बोरियों का खुद उसने गोलमाल कर दिया है। गेहूं वितरण होने के बाद दिनांक 2-4-78 को केन्द्र नवयुवक मण्डल भवन, मित्रपुरा और तहसील के कर्मचारी भवन का ताला खोलकर 3 बोरी व 2 कट्टे गेहूं रामकरण गूजर की ऊंट गाड़ी में ले जाते हुए उस समय पकड़े गये जब वे ताला वापस लगा रहे थे। उसके पश्चात् इसकी रिपोर्ट स्थानीय पुलिस थाने में करा दी गई एवं पुलिस ने माल को कब्जे में लेकर गोदाम को सील कर दिया है।

इस तरह की हरकतें लोगों के साथ में हो रही हैं। मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस सम्बन्ध में पूरी कार्यवाही करें और उन लोगों को रिलीफ दें। इस पर इमीजिएट एक्शन लें जिससे इन लोगों को सन्तोष हो। वहां लोगों के अन्दर काफी असन्तोष फैल गया है। वे अपनी बात आप तक पहुंचावें, उसके पहले इसका समाधान हो जाए। वहां पर जो गेहूं सील किया गया है, वह वापिस उन लोगों को वितरित कराया जाए और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

**श्री शंकरलाल (जैतारण)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव, इस सदन के सामने सीलिंग से बचने के लिए भूमि के बेचान का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए रखा था। यहां पर यह कहा जाता रहा है कि ऐसे मामले सामने लाये जाएं और सामने लाने पर कार्यवाही नहीं की गई हो तो उनके उदाहरण दिए जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी प्रकार का एक मामला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पाली जिले में बूसी के भूतपूर्व जागीरदार ने सीलिंग से बचने के लिए अपनी जमीन का फर्जी तरीके से बेचान किया है, बेनामी ट्रान्सफर किया है। इस सम्बन्ध में एस. डी. ओ. कोर्ट का जो फैसला है वह तो मैं पूरा पढ़ कर नहीं सुना रहा हूं परन्तु इसका जो रेलेवन्ट पोर्शन है, वह आपकी जानकारी के लिए पढ़ रहा हूं। इस फैसले में यह बताया गया है कि "सीलिंग एक्ट से बचने के लिए ये तमाम बेचान किए गए हैं। म्यूटेशन आज दिन तक नहीं हुए हैं। कब्जा बाबत कुछ भी सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इन तमाम हस्तान्तरणों को मैं अस्वीकार करता हूं। सीलिंग एक्ट के प्रोविजन्स को डिफीट करने के लिए किये गये मानता हूं।" तारीख 10-7-70 को अपनी पत्नी को जमीन बेचान करना जो बताया है वह बिल्कुल निराधार है। अपने पुराने एक्ट के तहत जो हलफनामा गैरसायल ने दिया उसमें इस जमीन बाबत नहीं बताया व फरोख्त बाबत ही बताया। नये एक्ट के तहत गैरसायल की पत्नी की जमीन 137½ बीघा होने से एस. डी. ओ. कोर्ट, बाली में मुकदमा चला था। वहां पर भी गैरसायल की पत्नी ने अपने पति की जमीन बाबत कुछ भी नहीं बताया। इस तरह गैरसायल व उसकी पत्नी ने 137½ बीघा भूमि सीलिंग एक्ट से बचाने के लिए जान बूझ कर इरादतन व इस बात को जानते हुए कि उनके पास यह भूमि है, राज्य सरकार को नहीं बताई जो राजस्थान सीलिंग एक्ट के तहत अपराध है। अतः इस मुतालिक अलग से चालान बना कर सी. जे. एम. के

(श्री शंकरलाल)

पास भेजी जावे ताकि उसको कानून सीलिंग एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करने हेतु सजा मिल सके।

एक फैसला है उप-खंड विकास अधिकारी, पाली का जो उन्होंने 29-9-77 को दिया है। इस फैसले में उन्होंने आगे कहा है:—

"भूतपूर्व जागीरदार का 427½) बीघा भूमि का फैसला जागीर कमिश्नर के कार्यालय में दिनांक 29-9-76 को मिसल नं. 37 में हो चुका है। यह रकबा गैर-खालसा की प्रापर्टी नहीं मानी गई है और जिलाधीश ने इस भूमि के आवंटन बाबत आज्ञा दे दी है। अतः तहसीलदारजी, पाली को लिखा जावे कि इस जमीन को सिवाय चक में दर्ज कर इस साल आवंटन होने वाली भूमि के क्षेत्र में दर्ज करें ताकि भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन हो सके।"

अध्यक्ष महोदय, यह फैसला 29-9-77 को दिया गया था पाली के उपखंड विकास अधिकारी द्वारा। सीलिंग एक्ट से बचने का यह एक ऐसा मामला है जिसमें पाली जिले के बूसी के भूतपूर्व जागीरदार ने जमीन का फर्जी बेचान किया है और साथ ही जमीन का बेनामी ट्रान्सफर किया है। यह सारी कार्यवाही सीलिंग एक्ट के तहत एक गंभीर अपराध है। फैसले में इसके लिए चालान पेश करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही साथ जो सरकारी भूमि है, उसको अलॉट करने का निर्णय भी दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार पर मेरा यह चार्ज है कि वह इन भू-पतियों से मिली हुई है और सीलिंग एक्ट को क्रियान्वित नहीं कर रही है। आपके सामने यह 29-9-77 का फैसला है। इस फैसले को हुए 6 महीने हो गये हैं लेकिन इस फैसले के अनुसार आज तक कोई अदालती कार्यवाही नहीं की गई है। अदालत में कोई चालान पेश नहीं किया गया है। न ही वह भूमि जिसका आवंटन करने के लिए कहा गया है, लोगों को आवंटित की गयी है। जो राजस्व अभियान चलाया गया उसमें भी यह जमीन आवंटित नहीं हुई है। सीलिंग में जो भूमि आई है, जिस पर अदालत ने अपना फैसला दे दिया है, उस भूमि का आवंटन आपने क्यों नहीं किया, इसका जवाब मंत्री महोदय दें? यह जो डाइरेक्शन दिया गया है, भूमि का आवंटन किया जाए तो इस भूमि का आवंटन क्यों नहीं किया गया? इसका मतलब स्पष्ट है कि यह सरकार भू-पतियों और जागीरदारों को संरक्षण दे रही है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा एक प्रश्न था, जो स्थगित किया गया। उसका उत्तर आज तक नहीं आया है। इस बारे में यहां पर चर्चा हो सके इसलिये इस स्थगन प्रस्ताव के जरिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं। सरकार के सामने मैं एक जागीरदार द्वारा सीलिंग एक्ट से बचने के लिये किये गये बेचान का एक उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। उसका जवाब मंत्री महोदय दें कि इस पर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? क्यों उस भू-पति को सीलिंग एक्ट से बचने के लिए संरक्षण दिया जा रहा है? हमारे राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि सीलिंग एक्ट के तहत जो जमीन आती है उसके आवंटन पर रोक नहीं है। एक तरफ

(श्री शंकरलाल)
सरकारी जमीन आवंटन के लिए नहीं है और दूसरी तरफ जो जमीन सीलिंग एक्ट के तहत आ रही है, उसको नहीं लिया जा रहा है, इसको लेकर उसका आवंटन भूमिहीनों को नहीं किया जा रहा है। सरकारी भूमि के आवंटन पर आपने रोक लगा दी है। फिर अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आप भू-आवंटन कैसे कर पाएंगे? सीलिंग की जमीन पर पैसा देना पड़ता है और पैसा गरीब लोगों के पास नहीं है। आपने यहां पर यह कहा है कि अन्त्योदय योजना में भूमि का आवंटन किया जाए तो जो सीलिंग की जमीन है, उसका मुआवजा आप दें। सरकारी जमीन आप अलॉट नहीं करना चाहते हैं और सीलिंग से आई हुई भूमि का मुआवजा नहीं देते हैं। गरीब के पास पैसा नहीं है भूमि का देने के लिए, इसका मतलब यह है कि यह सरकार भू-पतियों की जो जमीन सीलिंग के तहत आई है, उसको बरकरार रखना चाहती है ताकि उनका कब्जा बना रहे और सीलिंग एक्ट का जो एम है, वह डिफीट होता रहे। अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद आपने मुझे समय दिया।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** अध्यक्ष महोदय, करनपुर मुंसिफ मजिस्ट्रेट के कनिष्ठ लिपिक की बड़ी बुरी तरह से मारपीट की गई है। उसको तीस चोटें आई हैं ...

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, यह मैंने अस्वीकार कर दिया है। कृपया चर्चा न करें। एक यह है आपका प्रस्ताव जिसकी सूचना 3 अप्रेल को ...

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** इस पर नहीं बोलूंगा। कल दिया है, वह आपके ध्यान में नहीं आया होगा। एक मिनट बोल कर ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ...

**श्री अध्यक्ष :** मैंने उस पर व्यवस्था नहीं दी है। व्यवस्था नहीं देने का कारण यह था कि मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** 8-10 दिन से भूख हड़ताल चल रही है। एक मिनट

**श्री केदारनाथ :** भूख हड़ताल समाप्त हो गई है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि वहां पर एक कनिष्ठ लिपिक के साथ मारपीट की गई है। उसके 30 चोटें आई हैं। मेडिकल बोर्ड बैठा और उसने 30 चोट का सर्टिफिकेट दिया है। उसका मुकदमा चल रहा है परन्तु इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहां के वकीलों ने मेडिकल बोर्ड बिठा कर उसका मुआयना कराया है। मैं गृह मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला गम्भीर है। कनिष्ठ लिपिक की इतनी मारपीट की गई है कि उसके 30 चोटें आई हैं। इससे कम चोटें नहीं हैं। यह ज्युडिशियल न्यायालय में हुआ है। इससे सारे जिले में असन्तोष है। इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय आप जानकारी कर लें और जानकारी करके इस मामले में सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

**श्री शीशराम ओला :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव खेतड़ी में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा स्कूल के छात्रों की निर्दयतापूर्वक पिटायी किये जाने के सम्बन्ध में दिया था। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 3-4-78 को खेतड़ी के कुछ छात्र बस में सफर कर रहे थे, उन्हें खेतड़ी रोडवेज के आगार में जबरन ले जाया गया। वहां पर खेतड़ी रोडवेज आगार के कर्मचारियों ने उन छात्रों को इस कदर पीटा कि एक छात्र के तो कम से कम 10-15 टांके आये हैं। एक का कान फट गया और एक घायल हो गया। उनको अस्पताल में भर्ती नहीं किया। वहां के नागरिकों ने उनकी सहायता करने के लिए स्थानीय प्रशासन को कहा लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को कहना चाहूंगा जो व्यक्ति यह कहने के लिए गये थे कि यह रोडवेज के कर्मचारियों की गलती है उनको भी बुरी तरह से पीटा गया। 8 आदमी अस्पताल में भर्ती हैं। बद्रीप्रसाद शास्त्री जो 1948 से पंचायत के सरपंच हैं, एक पैट्रोल पम्प पर बैठे थे। उनको वहां से बाहर खींच लाये और पीटा। नतीजा यह है कि 3-4-78 से आज तक खेतड़ी में सम्पूर्ण हड़ताल है। खेतड़ी नगर एक ऐसा नगर है, जहां देश के कोने-कोने से अनेक व्यापारी आते हैं, सारे राज्य के प्रमुख व्यवसायी वहां जाते हैं। खेतड़ी एक बड़ा कस्बा है। वहां का सारा काम ठप्प हो गया है। कोई सामान नहीं बेच सकता है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का जघन्य काण्ड हुआ है इसके प्रति सरकार और वहां का स्थानीय प्रशासन उदासीन है, यह सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि झुंझुनू जिले के स्थानीय प्रशासन के बारे में सरकार इतनी उदासीन क्यों हो गई है? झुंझुनू जिला एक फौजी जिला है। राजस्थान का आखिरी जिला है। अगर वहां इसी प्रकार से अनुशासनहीनता बढ़ती गई तो यह सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से•••

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं दो तीन मिनट और लूंगा, अध्यक्ष महोदय।

पुलिस के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सरकार पुलिस कर्मचारियों को झूठा संरक्षण दे रही है। यही कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। भूपेन्द्रकुमार शर्मा उर्फ सीताराम के काफी चोटें आई हैं। मैडिकल रिपोर्ट में दर्ज है। उसको भी जेल में रखा गया है। जबकि 48 घण्टे के बाद जेल में नहीं रखा जाता है। मगर उसको रखा गया है और कोई भी व्यक्ति जाये तो उसको पीटा जाता है। सरपंच जाये, मुखिया जाये, उनको भी पीटा जाता है। यह सरकार का आदेश है कि कोई बोले नहीं। विश्वनाथ शर्मा, नन्दकिशोर पाण्डे, मुरलीधर नासपुरिया, डॉ. भाटिया आदि आदमी जेल में हैं। मुझे लगता है, इसके पीछे एक बड़ा षड्यन्त्र है। इस सारी घटना की न्यायिक जांच कराई जाये। कई व्यक्ति यह शिकायत करने गये कि उनके बच्चों को पीटा है तो उनको पकड़कर पीटा। कई जानकारी अपने रिश्तेदारों की लेने के लिये गये तो उनको भी पकड़कर पीटा

# Page No 64

(६५)



(श्री शीशराम ओला)

गया। उनको जेल में रखा गया। यह सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। वहां लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, यह साफ तौर से नजर आ रहा है। सीकर जिला और झुंझुनू जिले को बीकानेर रेंज में मिला दिया है। यह जिले ऐसे हैं जहां 323 को भी भारी केस मान लिया जाता था। जैसी स्थिति गंगानगर जिले की है, कि वहाँ अधिक मार-काट होती है, उसी हालत में झुंझुनू जिले को भी लाकर खड़ा कर देना चाहते हैं। नवम्बर से खेतड़ी ताम्बा प्रोजेक्ट में हड़ताल चल रही है। वहां पर आर. ए. सी. लगी हुई है। कोई भी छोटी मोटी घटना होती है तो आर. ए. सी. को बुला लेते हैं। लोगों को पुलिस पीटती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट में खतम करता हूं।

तथा आर. ए. सी. से भी पिटाई करवाते हैं। अगर ऐसा ही किया गया तो शासन चलना कठिन हो सकता है। वहां के लोग गोली चलाना भी जानते हैं। पुलिस को पीटना भी जानते हैं। उनको रोकना भी जानते हैं। असेम्बली चल रही है। इस दौरान समाज के भले लोग पुलिस से जानकारी करने गये तो उनको पीटा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें कि दोषी व्यक्तियों को सजा दी जायेगी जिससे हड़ताल समाप्त हो सके।

**श्री प्रसन्नाराम** : अध्यक्ष महोदय, जो शीशराम ओला ने बोला है, वह सब गलत बात है।

(व्यवधान)

**श्री मूलचन्द डागा** : बिना मतलब ही बोल रहे हैं आप।

## शासकीय वक्तव्य

### राज्य पथ परिवहन निगम, खेतड़ी आगार के कर्मचारियों द्वारा आई. टी. आई. छात्रों की पिटाई

**श्री सम्पतराम** (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने खेतड़ी के सम्बन्ध में कुछ बातें सदन के सामने रखी हैं। माननीय सदस्य ने फर्माया है, उसके बारे में मैं निवेदन करूं उससे पहले मैं एक निवेदन कर रहा हूं। आर. ए. सी. वहां पर इसलिए नहीं है......

**श्री शीशराम ओला** : मैंने अर्ज कर दिया है। आर. ए. सी. वहां किस लिए है? जब भी कोई घटना होती है तो उसको बुला लेते हैं।

एक माननीय सदस्य : कुछ सुनो तो सही।

**श्री सम्पतराम** : माननीय सदस्य ने कहा है कि वह पुलिस को पीटना भी जानते हैं। यह बातें सरकार के ध्यान में हैं। अगर समय आएगा तो पुलिस को पीटने का मौका भी दे दिया जाएगा। लॉ एण्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की बात कही जाती है, यह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आई. टी. आई., खेतड़ी के छात्रों व रोडवेज बस ड्राईवर व कण्डक्टर के बीच हुए झगड़े के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री सम्पतराम)

दिनांक 31-3-78 को लगभग रात्रि 8-30 बजे आई.टी.आई. के 15 छात्रों ने, जो कि रोडवेज बस आर.एम.जी. 6026 में यात्रा कर रहे थे, उक्त बस के ड्राइवर, कन्डक्टर व एक यात्री को घूसों से मारा पीटा तथा यात्री की कलाई की घड़ी भी छीन कर ले गये। इस घटना के सम्बन्ध में मानसिंह कन्डक्टर की रिपोर्ट पर थाना खेतड़ी नगर (झुंझुनू) में मुकदमा नं. 14 दिनांक 31-3-78, अन्तर्गत धारा 353, 332, 147, 379 भा. द. सं. पंजीबद्ध किया गया और दो छात्रों को गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा किया गया।

दिनांक 1-4-78 को आई.टी.आई. के विद्यार्थी फूलचन्द, बजरंगलाल, रामस्वरूप व जगदीश, खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट से रोडवेज बस में खेतड़ी जा रहे थे। इनको रोडवेज बस के ड्राइवर व कन्डक्टर सुलतान तथा हेमसिंह, रोडवेज डिपो खेतड़ी में ले गये और वहां इन छात्रों की पिटाई की। पीटने वालों में उक्त ड्राइवर के अतिरिक्त रोडवेज कर्मचारी पुष्कर, बनवारी व मदनलाल नाई भी थे। इस घटना के सम्बन्ध में मुकदमा नं. 33 दिनांक 1-4-78, अन्तर्गत धारा 147, 342, 323 भा. द. सं. पंजीबद्ध किया गया।

इस घटना की सूचना मिलने पर आई. टी. आई. के छात्रगण ने रोडवेज डिपो में पहुंच कर रोडवेज कर्मचारियों की पिटाई की और वहां के फर्नीचर टेलीफोन व एक बस को क्षति पहुंचाई। इस घटना के सम्बन्ध में मुकदमा नं. 34, दिनांक 1-4-78, अन्तर्गत धारा 147, 148, 448, 353, 427 भा. द.सं. थाना खेतड़ी में पंजीबद्ध किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक व जिलाधीश, झुंझुनू ने घटना स्थल का निरीक्षण कर लिया है।

उक्त घटना के पश्चात् रोडवेज बसों ने चलना बंद कर दिया था जो दिनांक 2-4-78 को शाम 7 बजे चलना आरम्भ हो गई हैं।

दिनांक 4-4-78 को आई.टी.आई. छात्रों के समर्थन में कांग्रेस (आई) ने खेतड़ी बंद का आह्वान किया। इस पर खेतड़ी शहर के अन्दर दुकानें बंद की गई और खेतड़ी नगर से जो राजस्थान रोडवेज की बसें चलती हैं, उनको रोका और पथराव किया गया। पुलिस ने कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं को तितर बितर कर दिया और धारा 107, 151 जा. फौ. के तहत चार व्यक्ति सर्व श्री मुरलीधर, विश्वनाथ, नन्द किशोर और डा.के.बी. भाटिया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद स्थिति शांत हो गई और रोडवेज की बसें भी चालू हो गई।

कल दिनांक 5-4-78 को आई. टी. आई. के छात्रों एवं कांग्रेस (आई) समर्थकों ने एक जुलूस निकाला और एस. डी. एम. कोर्ट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एस. डी. एम. कोर्ट व पुलिस कर्मचारियों पर पथराव किया जिससे 6-7 सिपाहियों के चोटें आई। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने हेतु हल्का बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जिन्हें बाद में मुचलकों पर उनके इस आश्वासन पर छोड़ दिया गया कि वह भविष्य में कोई गड़बड़ नहीं करेंगे और शांति व व्यवस्था बनाये रखेंगे।

(श्री सम्पतराम)

जिन 4 व्यक्तियों को पुलिस ने दिनांक 4-4-78 को धारा 107, 151 जा. फौ. में पकड़ा था, उन्हें एस. डी. एम. कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिन्हें जमानत पर छोड़ने के आदेश दिये गए परन्तु इन व्यक्तियों ने अभी तक जमानत प्रस्तुत नहीं की है।

स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है और अब शांति है।

**श्री शीशराम ओला** : कांग्रेस (आई) का नाम लेकर इस मामले को दबाया नहीं जा सकता।

**श्री मूलचन्द डागा** : हल्का बल प्रयोग कैसा होता है? लाठी चार्ज हल्का बल प्रयोग होता है? उनको चोटें आई हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं, संगीन चोटें हैं और आप कहते हैं कि हल्का बल प्रयोग किया।

**श्री शीशराम ओला** : जनता पार्टी का रामस्वरूप समर्थक है, मालाराम भी समर्थक है। उसके भाई को भी जेल में रखा है। कांग्रेस (आई) पर चार्ज लगाया है यह गलत इत्तला आपको दी गई है। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। सीताराम, भूपेन्द्र कुमार शर्मा को 10-10, 15-15 चोटें आई हैं, मेडिकल रिपोर्ट है। वह मेरे पास है।

**श्री सम्पतराम** : चोटें आई होंगी। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जो हालात थे, मैंने अर्ज कर दिए।

**श्री शीशराम ओला** : चोटें आई, इसकी आपके पास रिपोर्ट नहीं है। स्पष्ट है कि प्रशासन आपके हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता। जो कलेक्टर थे उन्होंने और आपने ही वहां के लोगों पर लाठी-चार्ज ...

**श्री सम्पतराम** : सरकार का हुक्म है कि कोई भी कानून व व्यवस्था भंग करे तो हर हालत में उसको पीटा जाए।

**श्री शीशराम ओला** : जयपुर की तरफ वे ताकते रहे हैं, वहां पूर्ण हड़ताल है, प्रशासन ठप्प है, लोगों को खाने को राशन नहीं मिल रहा है। झुन्झुनू ...

**श्री सम्पतराम** : खेतड़ी की हड़ताल की हमें आपसे ज्यादा चिन्ता है। मुख्य मन्त्री, प्रधान मन्त्री से मिल चुके हैं। हम बराबर कहते हैं कि वहां पर मजदूरों की हड़ताल है, मजदूरों की इतनी गलती नहीं है, जितनी कि मैनेजमेन्ट की है।

**श्री शीशराम ओला** : मैं हड़ताल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस सदन का सदस्य हूं। मैं वहां की हालत जानता हूं। वहां आज भी लोगों को खाने के लिए राशन नहीं मिल रहा है, दुकानें बन्द हैं। खेतड़ी में आई. टी. आई. के छात्रों को 10 टांके आए। उनको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। कलेक्टर, झुन्झुनू ने आकर अस्पताल में भर्ती करवाया है, गृह मन्त्री जी आपके पास गलत खबर है, आप न्यायिक जांच करायें। आज भी वहां के लोगों को तंग किया जा रहा है, गांव के सरपंचों को पीटा जा रहा है? जन सम्पर्क को पीट रहे हैं, सड़क पर चलने वालों को पीट रहे हैं। लाठी चार्ज करने व बल प्रयोग करने की स्थिति क्यों पैदा हुई? सरकार किसी की बात सुने नहीं यह कहां तक उचित है?

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

**श्री मदनसिंह दांता** : मैंने नोटिस दिया था भूख हड़ताल का, ट्रक वाले को पकड़ने के सम्बन्ध में। अब मुझे तसल्ली हुई, ट्रक वाले को पकड़ लिया गया है। थानेदार आ गया है, इसलिए मैं अब खाना खाऊंगा।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता** : 4 दिन पहले नवज्योति में समाचार आया है, जोधपुर में रात्रि को दो जनों को पकड़कर इतना मारा कि घायल कर दिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने क्या किया ? कुछ नहीं किया, आपको शर्म आनी चाहिए

**श्री सम्पतराम** : शर्म मुझे बिलकुल नहीं आई, शर्म आपको आनी चाहिए बोलने का होश नहीं। अगर किसी ने गलती की होगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

(व्यवधान)

**श्री दाऊदयाल जोशी** : माननीय सदस्य के शब्दों को एक्सपंज किया जाय।

**श्री सम्पतराम** : मैं आज ही प्रस्ताव लाना चाहता हूं, इस प्रकार के लोगों के खिलाफ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री सुरेशकुमार।

**श्री सुरेशकुमार** (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का और आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। प्रजापति जो करोड़ों की तादाद में हैं, वे भूख के कगार पर पहुंच रहे हैं, जिनको लोक-भाषा में कुम्हार कहते हैं, वे आर्थिक संकट में है। यह केवल भरतपुर के कुम्हारों की हालत नहीं बल्कि डूंगरपुर व डीडवाना के कुम्हारों की भी है, सारे देश, प्रदेश के कुम्हारों की यह हालत हो गई। श्रीमान्, कुम्हारों का मुख्य धन्धा मिट्टी के बर्तन बनाना और खिलौने बनाना है....

**श्री मूलचन्द डागा** : जयपुर में कुम्हार नहीं हैं।

**श्री सुरेशकुमार** : देश प्रदेश में सब आते हैं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इनका मुख्य धन्धा मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाने का है। सारी जमीन बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज के नीचे, बंगलों के नीचे, रेल की लाइन के नीचे बड़े-बड़े होटलों के नीचे चली गई है। इसलिए उनको उपयुक्त मिट्टी नहीं मिल पा रही है जिससे वे अपना धन्धा चला सकें। 70 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, यह उनका सवाल भी है। वे इस्पात के बर्तन खरीद नहीं सकते, हिण्डोलियम के बर्तन खरीद नहीं सकते। उनका मुख्य आधार है मिट्टी के बर्तन। अगर यह धन्धा खराब हुआ तो कुम्हारों को तो तकलीफ होगी सो होगी लेकिन 70 प्रतिशत गरीब जनता को भी होगी। एक तरफ उद्योग मन्त्री ढिंढोरा पीटते हैं कि ग्रामीण व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे, दूसरी ओर, ग्रामीण उद्योग नष्ट होते जा रहे हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। कुम्हार जाति एक ऐसी जाति है जो न अनुसूचित जाति है न जन जाति है। मैं पशोपेश में हूं कि इनकी समस्या के लिए समाज कल्याण मन्त्री से कहूं, श्रम व रोजगार मंत्री से कहूं, उद्योग मन्त्री से कहूं, किससे कहूं ? मैंने

(श्री सुरेशकुमार)

ऐसे लोगों का प्रश्न सदन में उठाया है, जो शायद हिंदुस्तान के किसी सदन में नहीं उठाया गया। सरकार विचार करे। उनको ऐसी जमीन बताये जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी उपलब्ध हो सके तो इनकी समस्या हल होगी नहीं तो देश में करोड़ों लोगों की बेरोजगारी की समस्या आपके सामने होगी। धन्यवाद।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता :** मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

**श्री अध्यक्ष :** एक बार आप बोल चुके हैं, फिर बोलना चाहते हैं ? उस समय आप थे नहीं।

श्री बन्शीलाल सारस्वत।

**श्री बन्शीलाल सारस्वत (नागौर) :** अध्यक्ष महोदय, खेतड़ी परियोजना का नाम न केवल राजस्थान में ही प्रसिद्ध है बल्कि यह परियोजना पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर पिछले चालीस दिनों से मजदूरों की हड़ताल चल रही है। अध्यक्ष महोदय, यह खेतड़ी परियोजना केन्द्रीय सरकार के अधीन है लेकिन उसकी सुरक्षा का प्रश्न है। वहां पर करीब आठ हजार श्रमिक हड़ताल पर हैं केवल आठ हजार श्रमिकों का ही सवाल नहीं है वरन उन आठ हजार श्रमिकों के साथ-साथ उनके परिवार वाले जो हैं उनकी भी हालत खराब हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आज सभी श्रमिक दरिद्र अवस्था में हैं और भूख के कगार पर खड़े हुए हैं। आज वहां के श्रमिकों की हालत ऐसी है कि यह लोग मौत के मुंह में जाने वाले हैं वहां पर हड़ताल चलने के कारण रोजाना उस परियोजना को 12 लाख रुपये का नुकसान होता है। इस प्रकार आज तक पांच करोड़ रुपये की क्षति तो हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी गृह मन्त्री जी ने आश्वासन दिया कि हमारे मुख्य मन्त्री जी इसके लिये वार्ता कर रहे हैं। कोई मामला हो, चाहे वह एटामिक एनर्जी का प्रश्न हो, चाहे कोटा के इन्स्ट्रूमेन्टेशन का मामला हो, चाहे खेतड़ी प्रोजेक्ट का प्रश्न हो हालांकि यह केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आता है लेकिन जहां तक सवाल लॉ एण्ड ऑर्डर का है, मजदूरों की समस्याओं का सवाल है, तो राजस्थान सरकार की कुछ जिम्मेदारी होती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह निवेदन है कि जो केन्द्रीय परियोजनाएं हमारे राजस्थान में स्थित हैं उनको समस्याओं के समाधान के लिये हमारे राजस्थान सरकार का एक सम्पर्क अधिकारी दिल्ली में स्थायी रूप से होना चाहिये ताकि जब कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो वह महत्वपूर्ण मसलों पर केन्द्रीय सरकार से सम्पर्क स्थापित करके हल निकालने की कोशिश करे। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इसके लिये केन्द्रीय सरकार से आग्रह करे और इस समस्या को सुलझाने के लिये कार्यवाही करे ताकि इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जल्दी से जल्दी समाधान निकाला जा सके। ऐसा मेरा निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष:** श्री राम कृष्ण दास गुप्ता !

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) :** अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भरतपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में सन् 72-77 तक की ऑडिट रिपोर्ट्स में जो तीन करोड़ रुपये के घोटाले के सम्बन्ध

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

में दिया है। भरतपुर केन्द्रीय को-ऑपरेटिव बैंक के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने यह घोटाला किया है। अध्यक्ष महोदय, भरतपुर केन्द्रीय को-ऑपरेटिव बैंक में बड़े भयंकर गम्भीर गबन-घोटाले हुए हैं उनकी ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आपकी मार्फत आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, भरतपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के पदाधिकारियों ने पिछले पांच साल में भाई-भतीजावाद पनपाया, गलत और इल्लीगल ढंग से धन खर्च किया और गलत ढंग से लोगों को लोनिंग किया। इस प्रकार गलत ढंग से करीब तीन करोड़ रुपये का वहां घोटाला कर दिया। यह घोटाला, अध्यक्ष महोदय, किसी एक अधिकारी द्वारा नहीं किया गया बल्कि महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों द्वारा किया गया है। वह व्यक्ति आज राज्य सभा के सदस्य हैं। वह उस बैंक के वाइस प्रेसीडेन्ट थे उन्हीं को सभी अधिकार दिये हुए थे।

**श्री मूलचन्द डागा :** कौन थे वह व्यक्ति ? नाम क्या है ?

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता :** वह जनता पार्टी के नेता हैं श्री नत्थीसिंह। वे पहले कांग्रेस में थे और जब जनता पार्टी का राज्य आया तब अपने गुनाहों को छिपाने के लिये उन्होंने जनता पार्टी जोइन कर ली। अध्यक्ष महोदय, पांच साल की ऑडिट रिपोर्ट्स में जब भयंकर गबन-घोटाले सामने आये तो जनता पार्टी की सरकार ने यहां से उस ऑडिट रिपोर्ट के तहत जांच करने को जांच कमेटी भेजी लेकिन नत्थीसिंह जी और दूसरे पदाधिकारियों ने ऊपर से प्रेशर डलवाकर जो जांच कमेटी गयी थी उनको वापिस भिजवा दिया। उस जांच कमेटी को वापस आना पड़ा। जो गबन-घोटालों का रिकार्ड था वह रिकार्ड आज भी वहां पड़ा हुआ है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सहकारिता मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उस सारे रिकार्ड की जांच होनी चाहिये। वह सारा-का सारा रिकार्ड यहां पर वापस लाया जाना चाहिये। अगर राज्य सरकार ने उस सारे रिकार्ड को अपने कब्जे में नहीं लिया तो मुझे ऐसी सम्भावना है कि उस सारे रिकार्ड को खुर्द-बुर्द कर दिया जायेगा, या उस रिकार्ड को जला दिया जायेगा, या उस रिकार्ड को कहीं दूसरी और जगह ले जाकर डाल दिया जायेगा और जो जांच आप करने जा रहे हैं, जो उद्देश्य आपका गबन-घोटालों का पता लगाने का है वह उद्देश्य आपका फेल हो जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार यहां पर उस सारे रिकार्ड को लाकर अपने कब्जे में रखे और उन लोगों के खिलाफ में भ्रष्टाचार की जांच करके उनको सजा दे। इससे भरतपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में पांच सालों में करोड़ों रुपयों का गबन हुआ है उसका तो पता लगेगा ही, इसके अलावा दूसरे हजारों घोटाले घपले भी आपके सामने आयेंगे। अध्यक्ष महोदय, उस जांच कमेटी को वापस बुला लिया है। मुझे ऐसा दिखायी देता है कि वह बड़े बड़े राजनेता लोगों का दबाव लायेंगे। मुझे डर है कि किसी भी तरह से सही जांच नहीं हो पायेगी। इससे जनता पार्टी की नेक नीयती पर दोषारोपण होगा। तीन करोड़ का घोटाला है।

श्री मूलचन्द डागा : बड़े गम्भीर आरोप हैं जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ में। तीन करोड़ के गबन-घोटालों की बात है।

(व्यवधान)

श्री कलवाराम : ठीक ठीक। हमें सब पता है।

श्री मूलचन्द डागा : आपको क्या पता है ? आप कब से मन्त्री बन गये ? आप कैसे जवाब दे रहे हैं ?

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार बनते ही मुख्य मन्त्री जी ने बहुत लम्बी घोषणा की थी कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा। तो क्या वह सारी थोथी घोषणायें थीं ? क्या भ्रष्टाचार को इस तरह से मिटाया जा रहा है ? अध्यक्ष महोदय, मैंने जो भी आरोप लगाये हैं ट्रेजरी बैंचेज पर जो मन्त्री बैठे हैं उनको यह कहना चाहूंगा कि मेरे आरोप अगर गलत हों तो मैं इस विधान सभा की एम. एल ए. शिप से स्तीफा दे दूंगा। तीन करोड़ रुपये का घोटाला है आप इसकी जांच करायें और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको आप सजा दें। जिस जांच कमेटी को यहां से भेजा गया था इसको वापस क्यों बुलाया गया ? क्या जनता पार्टी के नेता लोग गुनाहगारों को बचाना चाहते हैं ? क्या गुनाहगारों के गुनाह छिपाने के लिये उस जांच पार्टी को वापस बुलाया गया है ?

श्री रघुनन्दन व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह मन्त्री महोदय से निवेदन है कि भरतपुर को-ऑपरेटिव बैंक की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं पांच साल की उससे सम्बन्धित रिकार्ड के खुर्द-बुर्द होने की सम्भावना है इसलिये मेरा निवेदन है कि आप उस सारे रिकार्ड को राजस्थान सरकार के लॉकर में सेफ रखवा दें ताकि वह इधर खुर्द-बुर्द नहीं हो सके।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री रामकृष्णदास गुप्ता ने जो प्रश्न सदन में भरतपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अन्दर गबन-घोटालों का उठाया उसके सम्बन्ध में, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की जांच की जावेगी और जनता पार्टी की सरकार कभी भी राजनैतिक भ्रष्टाचार को नहीं पनपने देगी। जो नाम माननीय सदस्य, श्री रामकृष्णदास गुप्ता महोदय ने श्री नत्थीसिंह जी का बताया है अगर वह दोषी पाये जायेंगे तो उनके खिलाफ में जरूर कार्यवाही की जावेगी।

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : आपके मुख्य मन्त्री जी के पास सैकड़ों गबन घोटालों के कागज पड़े हैं लेकिन लोगों के खिलाफ में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री रामकृष्णदास गुप्ता ने जो भ्रष्टाचार के बारे में प्रश्न उठाया है उसके सम्बन्ध में सरकार जागरूक है। ऑडिट रिपोर्ट का जहां तक सवाल है उसके अनुरूप ही पूरी जांच कराकर कानूनी रूप से जो भी कार्यवाही समुचित हो सकेगी वह की जावेगी। मैं एक बार और, अध्यक्ष

(श्री कैलाश मेघवाल)
महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी राजनैतिक नेता को उसके भ्रष्ट आचरण के लिये सहकारिता विभाग में कोई संरक्षण नहीं दिया जायेगा।

**श्री मूलचन्द डागा :** यहां भाषण देने की जरूरत नहीं है, आप काम करके दिखाओ।

**श्री अध्यक्ष :** चर्चा समाप्त हुई।

**श्री हजारीमल सारण :** अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव है।

**श्री अध्यक्ष :** यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का समय नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं?

**श्री हजारीमल सारण (सरदार शहर):** अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चूरू से जो माननीय सदस्य आते हैं उनके साथ पुलिस ने गड़बड़ की। उसके बारे में मैंने आपको चेम्बर में भी कहा था।

**श्री अध्यक्ष :** मुझ से मिलिये, मैं आप से बात करूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। चर्चा समाप्त हुई।

**श्री रामकृष्णदास गुप्ता :** क्या सहकारी मंत्री यह बतायेंगे ...

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

**श्रीमती सुमित्रासिंह :** यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

**श्री मथुरादास माथुर :** अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में एक प्रश्न था। आपकी ओर से यह रूलिंग दी गयी थी कि यदि सरकार जवाब देना चाहे तो दे। क्या सरकार वक्तव्य देना पसन्द करती है? कल वक्तव्य देने के लिये कहा है। यदि कल वक्तव्य देना चाहते हैं और यदि वक्तव्य दे रहे हैं तो मैं कुछ प्रश्न आज ही रख देता हूं ताकि मसला साफ हो जाय वरना कल हम सवाल रेज करेंगे और फिर ऑफिसर यहां लिख कर दे देंगे वह ही पढ़ देंगे। शिक्षा मन्त्री जी यहां नहीं हैं।

**एक माननीय सदस्य :** भूतपूर्व नहीं है।

**श्री मथुरादास माथुर :** भूतपूर्व से काम नहीं चलता। भूतपूर्व काबिल होते तो पोर्टफोलियो क्यों बदला जाता?

**श्री परसराम मदेरणा :** आपकी व्यवस्था के बाद वर्तमान शिक्षा मन्त्री जी सदन में आये थे और निवर्तमान शिक्षा मन्त्री जी के पास में बैठे थे। अब मन्त्री जी भी पास बैठे हुए थे, उस समय इस प्रकार की व्यवस्था हुई थी। दोनों मन्त्री महोदय ट्रेजरी बेन्चेज में बैठे हैं। क्या शिक्षा मन्त्री जी वक्तव्य कल दे रहे हैं?

**श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी :** दे रहे हैं।

**श्री मथुरादास माथुर :** दे रहे हैं तो फिर तैयार होकर जवाब दे दीजियेगा। पहला पाइन्ट है, श्रीमन् आपके आब्जर्वेशन्स हैं यूनिवर्सिटी की आटोनामी के बारे में और एकेडेमिक पोस्ट्स के सलेक्शन के सम्बन्ध में इस सदन ने कानून बनाया था उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि एक सलेक्शन बोर्ड होगा। उसके बाइस

# Page No 72

(72)



(श्री मथुरादास माथुर)

चान्सलर एक्स ओफिशियो मेम्बर होंगे, दूसरे डीन ऑफ फैकल्टी एक्स ओफिशियो मेम्बर होंगे, दो नोमिनी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, उसमें से एक नोमिनी एजूकेशनल एक्सपर्ट होगा और एक सिन्डीकेट में से होंगे, एक बाहर से, एक सीनियर प्रोफेसर एक्स ओफिशियो मेम्बर और तीन होंगे एक्सपर्ट्स आउट साइड दी स्टेट। यह एक सलेक्शन बोर्ड होगा। इस सदन में 74 के एक्ट में 77 में अमेंडमेंट किया उसमें प्रोफेसर और एड करवाया। उस हिसाब से इस बोर्ड का कान्स्टीट्यूशन होता है। तीन एक्सपर्ट्स जो बाहर से लिये जावेंगे वे प्रोफेसर कौन होंगे और उनका किस प्रकार से चयन किया जावेगा, उसके लिये विधि उस एक्ट में दी गयी है। मेरा ऐतराज यह है कि जिसके द्वारा सलेक्शन होना चाहिये। जिसे सलेक्शन कमेटी या जो बोर्ड की संज्ञा आप दे रहे हैं वह लीगली कॉन्स्टीट्यूटेड है ? एक्सपर्ट बाहर से आवेंगे उनका चयन एक्ट में दी गई विधि के अनुसार नहीं होगा, कानून में है कि एकेडेमिक कौंसिल की बैठक पैनल बनाने के लिये होगी, उसमें सब विभागों के बड़ी बड़ी फैकल्टीज हैं उनके जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वे बैठ कर एक पैनल तैयार करेंगे जैसे इकानोमिक्स का कौन होगा, फिजिक्स का कौन होगा ? एकेडेमिक कौंसिल बनने के बाद में एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन का मेम्बर और दो स्टेट गवर्नमेन्ट ने नोमिनेट किये हैं वे बैठ कर हर फैकल्टी में से छंटे आदमियों को सलेक्ट करेंगे। 6 में से फर्स्ट थ्री को बुलायेंगे और फर्स्ट थ्री अवेलेबल नहीं हैं तो चौथे पांचवे को बुला सकते हैं। एकेडेमिक कौंसिल की मीटिंग में पैनल तैयार नहीं किया गया इसलिये इलेक्टोरल कॉलेज नहीं बना। इसलिये जो एक्सपर्ट्स बाहर से आकर इसमें बैठ रहे हैं वे ट्रेसपासर्स हैं। इल्लीगल हैं, इसलिये वे नहीं बैठ सकते। इसीलिये मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है। मीटिंग हुई थी एकेडेमिक कौंसिल की। वाइस चान्सलर उस समय पान्डे थे। उन्होंने कहा कि पैनल मेरे पास है। पैनल एप्रूव्ड मानता हूं। न तो नाम उन्होंने पढ़े, न एकेडेमिक कौंसिल की प्रोसिडिंग्स में उन आदमियों के नाम आये। उस दिन की कार्य सूची में वे नाम सक्युलेट होने चाहिये थे वे नाम उस दिन भी सक्युलेट नहीं हुए। एक तो अजेन्डा में वह लिस्ट सक्युलेट नहीं हुई, दूसरी बात सक्युलेट न भी हुई हो, वह पढ़ दी गयी हो तो वह पढ़ी भी नहीं गई। It was not discussed. तीसरी बात It was not read out there, It was not discussed there at all. So the Academic Council did not apply their mind at all.

वह लिस्ट वाइस चान्सलर की पाकेट में ही रही। नोटिस में लिख दिया कि एकेडेमिक कौंसिल में एक्सपर्ट्स के नाम एप्रूव हो गये। कोई लिस्ट ऐजेन्डा में सक्युलेट नहीं हुई, उस पर चर्चा नहीं हुई, कोई नाम निकाला या बढ़ाया नहीं गया। तो वह एप्रूव कैसे हो सकती है। पॉकेट में रखकर वाइस चान्सलर साहब उसे लाये थे। दूसरी बात लिस्ट बने हुए दो साल हो गये। उसके बाद किसी ने मनचाहा नाम काट दिया या एड कर दिया इसका किसी को कोई पता नहीं। शिकायतें हुईं, इसके सम्बन्ध में उसकी जांच करने के लिये जगतनारायण कमीशन बैठाया। उस कमीशन ने भी जांच की,

(श्री मथुरादास माथुर)

इसने भी चर्चा की है उसकी। उसकी रिपोर्ट भी आपके पास आयी है। उसको आपने सदन की मेज पर नहीं रखा है। आपने कहा आपकी कमेटी विचार कर रही है। जो एविडेन्स हुई है उसका रेफरेन्स भी उसमें होगा। होता क्या है यूनिवर्सिटी में, इसका तजुर्बा आपको होगा और मुझे भी तजुर्बा इसका बहुत है कि एक्सपर्ट्स की लिस्ट होती है तो जिसको मर्जी चाहा बुलाया जाता है। कानून में यह प्रावधान रखा गया था ताकि मर्जी आये उसको नहीं बुलाया जा सके। जो तीनों एक्सपर्ट बुलाये गये थे वे ड्यूली सलेक्टेड नहीं थे। उनका नाम नहीं था, पता नहीं था। मर्जी चाहे जिसको बुलाया, इस प्रकार हो रहा था। इसलिये यूनिवर्सिटी एक्ट के अन्दर संशोधन करके सलेक्शन बोर्ड का प्रोविजन रखा गया।

दूसरा, सलेक्शन करने का टाइम है वह रोंग टाइम है। आप जानते हैं कि स्टूडेन्ट्स के मई में इम्तिहान शुरू होंगे। जो उन स्टूडेन्ट्स को पढ़ा रहे हैं वे ही उन पोस्टों के लिये एप्लाई करने वाले हैं। जिनको इन्टरव्यू में आना पड़ेगा तो वे अपने इन्टरव्यू की तैयारी करेंगे या लड़कों को पढ़ायेंगे। लड़कों के इम्तिहान होने जा रहे हैं मई में। वे अपनी तैयारी करेंगे या लड़कों की तैयारी करायेंगे? आपके भी जब इलेक्शन चलते होते हैं तो कान्स्टीट्यूएन्सी में जाना पड़ता है। यहां सदन में बैठ कर 24 ही घंटे काम करो तो वह नहीं हो सकता है। जब खुद का ही इन्टरव्यू हो रहा है तो कौन लड़कों को पढ़ायेगा।

तीसरी बात यह है कि एक बीमारी और है कि वैसे तो किसी पोस्ट के लिए क्वालीफिकेशन्स यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन देता है कि पी-एच.डी. चाहिए या और क्या चाहिए लेकिन मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि जैसे मैंने किसी प्रोफेसर का सलेक्शन करना है तो लिखा होता कि एक डाक्टरेट होनी चाहिए और उसके साथ में इन्टरनेशनल लेवल के [illegible] की यूनिवर्सिटी में मौजूद है और वह प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड है और उन्होंने पढ़ाई भी किया है लेकिन [illegible] होगा उसको प्रिफरेन्स दिया जाएगा। यह कैसे होता है कि किसी [illegible] के लिए [illegible] किसी [illegible] के अन्दर [illegible] लिखा जाता कि [illegible] को दिया जायेगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो क्वालीफिकेशन स्पेशलाइज्ड क्वालीफिकेशन्स के लिए हैं तो या तो स्टाफ [illegible] कोई और [illegible] की नजर में [illegible] दिया। Suppose one eyed man will be given preference.

फिर अध्यक्ष महोदय, इस यूनिवर्सिटी में राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बहुत झगड़ा है। You had been Education Minister and you know it. इसलिए कि उत्तर प्रदेश का है [illegible] का है और मैं प्रोफेसर हूं और मेरा आदमी क्योंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में है और रीडर से प्रोफेसर बनाना चाहता हूं तो उसकी क्वालीफिकेशन में यह होगा कि केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है और मुझे प्रोफेसर लेना है तो मैं लिख दूंगा कि मैरियोलोजी में एक्सपर्ट होगा उसको प्रिफरेन्स दिया जायेगा। अब यहां आर्गेनिक और दूसरे एक्सपर्ट हैं उनको नहीं लिया जायेगा,

# Page No 74

(74)



(श्री मथुरादास माथुर)

इसलिए मैंने आपको सुझाव दिया था कि सब यूनिवर्सिटीज के ऊपर एक सलेक्शन कमीशन मुकर्रर कर दें। बिहार में कर दिया। यदि ऐसा कर दें तो झगड़ा ही खतम हो जाये। मेरा यह निवेदन है कि यूनिवर्सिटी का यह सलेक्शन बोर्ड प्रापरली कॉन्स्टीट्यूटेड नहीं है, लीगली कॉन्स्टीट्यूटेड नहीं है। क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब की गई हैं यह फेवरेटिज्म है और यूनिवर्सिटी के अन्दर बहुत डिस-सेटिस्फैक्शन है। प्रोफेसर को आपने और जोड़ दिया है और वही रीडर एप्लाई करता है प्रोफेसर के लिए और वही विरोध करता है तो डिपार्टमेंट में झगड़ा हो जाता है तो इन बातों को देखते हुए श्री जगतनारायण कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर गौर कर लीजिये। यह रुक जाना चाहिए और गवर्नमेंट डाइरेक्शन इश्यू कर सकती है लॉ के अन्दर और कल जवाब देते समय आप सारी चीजों को समझ कर आयें और खुद पर्सनली देखें। ऐसा नहीं हो कि आपके पास लिख कर आ गया और आपने पढ़ दिया।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : एक निवेदन है...

**श्री अध्यक्ष** : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : एक निवेदन है...

## व्यवस्था का प्रश्न
## विनियम, नियम आदि को मेज पर रखे जाने में विलम्ब

**श्री मूलचन्द डागा** : पॉइन्ट ऑफ आर्डर सर...

**श्री केदारनाथ** : मान लिया।

**श्री मूलचन्द डागा** : आप रोज चेयर की अवज्ञा करते हैं। मैंने कई बार रूल 169 की तरफ आपका ध्यान दिलाया है...

**श्री केदारनाथ** : मैं वैसे ही मानता हूं।

**श्री मूलचन्द डागा** : मानते तो हैं लेकिन रोज रखते हैं। रूलिंग माननीय अध्यक्ष तीन बार दे चुके हैं। इस प्रकार क्या हो रहा है? आप एक तरफ कहते हैं नियमों की पालना की जाये...

**श्री केदारनाथ** : मैं मानता हूं।

**श्री मथुरादास माथुर** : आपकी तरफ से कुछ होता है तो मान लेते हैं लेकिन ऑफिसर्स लोगों को तनख्वाह दी जाती है इस बात के लिए। वह टाइम पर आपको नहीं दें तो कैसे होगा। आप एक्शन लीजिये। उनका सस्पेन्शन कीजिए।

**श्री मूलचन्द डागा** : कल शिक्षा मन्त्री जी ने अधिसूचना रखी ही नहीं। कल उनको ऑर्डर भी दे दिया।

**श्री केदारनाथ** : मैं आपकी बात को मानता हूं। मैंने एक्सप्लेशन कॉल कर लिया है। जो बाहर के स्टूडेन्ट्स स्टडी टूर पर आते हैं और माल लेकर आते हैं उस पर टैक्स माफ करने के लिए यह अधिसूचनायें हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : कोई भी अधिसूचना हो। यह आपके सैक्रेटेरियेट का काम है। सदन की पहली बैठक में रखें, यह नियम है। रूल 169 की अवहेलना हमेशा होती है। यहां सरकार को अध्यक्ष महोदय आपने ताड़ना भी दी है। आपकी रूलिंग हो चुकी है। सरकार ध्यान ही नहीं देती है।

Page No 75

75



**श्री केदारनाथ** : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : सरकार इस ओर ध्यान देगी और अवश्य देगी। मैं तो ट्रेजरी बेंचेज से यही कहूंगा कि आप ऐसा मौका क्यों देते हैं कि आपकी सरकार की एफिशियेन्शी के लिए कोई एडवर्स इम्प्रेशन हो।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचनायें

**श्री केदारनाथ** : बहुत ठीक बात है।

मैं निम्नांकित अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : अधिसूचनाएं तो सारी पढ़नी होंगी।

**श्री मथुरादास माथुर** : सब पढ़नी पड़ेंगी नियमों के माफिक।

**श्री केदारनाथ** : एक साथ रख सकता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : If they are taken as read, I have no objection. Otherwise I will insist.

**श्री मथुरादास माथुर** : We take it as read.

**श्री अध्यक्ष** : If you take it as read, you are generous and I accept it.

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री कौशल किशोर।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

केन्द्रीय सहकारी बैंक की ऑडिट रिपोर्ट, 1975-76 में कथित हेरा-फेरी

**श्री कौशलकिशोर जैन** (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंक की ऑडिट रिपोर्ट 1975-76 में कथित हेरा-फेरी की घटना की ओर सहकारिता मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय।

पहले मन्त्री महोदय का वक्तव्य आने दीजिए फिर आपको समय दूंगा। मैं आपसे यह निवेदन अभी से कर देना चाहता हूं कि 7 माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं मेरी तालिका के अनुसार, आप आपस में निर्णय कर लें। तीन ही बोलें तो अति उत्तम होगा। इसके ऊपर आप ध्यान दें।

मन्त्री महोदय......

**श्री कैलाश मेघवाल** (सहकारिता मंत्री): ऑडिट रिपोर्ट 1976-77 के बारे में प्रस्ताव रखा है और माननीय भीलवाड़ा से आने वाले विधायक 1975-76 के बारे में कह रहे हैं। क्या स्थिति है वह पहले स्पष्ट कर दें।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मसला 1975-76 की ऑडिट रिपोर्ट का है।

**श्री मथुरादास माथुर** : 1976-77 की ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो गयी क्या ?

# Page No 76

76



श्री कैलाश मेघवाल : 1976-77 की तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री कौशलकिशोर जैन : 1975-76 के बारे में ही मैंने निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको देखा जाय, 1976-77 है और उसमें अभी कोई रिपोर्ट नहीं दी।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके पास 1975-76 की रिपोर्ट आ चुकी है। उत्तर भी तैयार कर लिया है। वह उत्तर देने की कृपा करें। अगर टालेंगे लिहाज़ से हैं तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मिस-अण्डरस्टैंडिंग होगी। मंत्री महोदय, आपको जानकारी नहीं है तो आप कह सकते हैं।

माननीय सदस्य, आपने सूचना दी है 1976-77 की। मेरे पास लिखित में जानकारी है 1976-77 की।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ का लिखा हुआ मेरे पास है उसमें 1975-76 है।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में दूसरी पक्ष का कोई कसूर नहीं है।

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। रिपोर्ट आ गई है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, यदि उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, शीर्ष बैंक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की ऑडिट रिपोर्ट्स प्रति वर्ष संबंधित कनकरेन्ट ऑडिटरों द्वारा ड्राफ्ट की जाती है और उसके उपरान्त चीफ ऑडिटर सम्बन्धित संस्थाओं के प्रबन्ध संचालक/प्रधान व्यवस्थापकों से विचार-विमर्श करके अन्तिम रूप देते हैं। तदनुसार शीर्ष बैंक की वर्ष 1975-76 की ऑडिट रिपोर्ट भी कनकरेन्ट ऑडिटर द्वारा ड्राफ्ट करके विभाग को भेजी गई और यह सूचित किया गया कि ऑडिट रिपोर्ट प्रबन्ध संचालक द्वारा देख ली गई है। क्योंकि बैंकों की ऑडिट रिपोर्ट प्रति वर्ष 31 दिसम्बर तक फाइनल की जानी होती है और क्योंकि ऑडिटर द्वारा यह बताया गया था कि रिपोर्ट को बैंक के प्रबन्ध संचालक ने देख लिया है अतः ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां 21-2-77 को बैंक तथा महालेखाकार आदि को भेजी गई। प्रबन्ध संचालक, बैंक के पास रिपोर्ट पहुंचने पर उन्होंने टेलीफोन पर यह निवेदन किया कि रिपोर्ट जारी करने से पूर्व उनसे विचार-विमर्श नहीं किया गया है तथा वे रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना चाहते हैं क्योंकि रिपोर्ट में तथ्यात्मक अशुद्धियां भी हैं। अतः ऑडिट रिपोर्ट की प्रति जो 21-2-77 को भेजी गई थी उसे दिनांक 24/26-2-77 को पत्र भेजकर वापिस मंगवा ली गई। तदुपरान्त चीफ ऑडिटर तथा अन्य ऑडिट स्टाफ द्वारा रिपोर्ट पर प्रबन्ध संचालक तथा बैंक के अधिकारियों के साथ खुले रूप से विचार-विमर्श किया जाकर रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया तथा दिनांक 24-3-77 को ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी गई।

(श्री कैलाश मेघवाल)

इस प्रक्रिया में बैंक द्वारा जिन मामलों में स्पष्टीकरण दिया गया तथा जिन्हें बैंक की कार्य प्रणाली तथा दिये गये स्पष्टीकरणों के आधार पर पूर्णतया विचार-विमर्श करने पर ड्रॉप करना उचित समझा गया उन्हें ड्राप किया गया है।

ऑडिट रिपोर्ट में जो परिवर्तन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बताये गये हैं उनके संबंध में, आइटमवार टिप्पणी संलग्न है जिसमें उन सभी कारणों स्पष्टीकरणों/कठिनाइयों आदि का उल्लेख किया गया है जो बैंक द्वारा विचार-विमर्श के दौरान बताये गये तथा जिनके आधार पर उन्हें ड्रॉप/संशोधित किया गया। यह ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार ही है।

**श्री कौशलकिशोर जैन** (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने यह कहा है कि ऑडिट रिपोर्ट कच्ची बनाई गई है। वह कच्ची बनाई गई थी या पक्की, इस संबंध में राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक का एक पत्र कोट करना चाहता हूं। यह 17-11-76 का पत्र है–

Rajasthan State Co-operative Bank Ltd., Jaipur.

No. F/Audit/75-76/11878, Dt. 17-11-76.

Shri N.L. Kanungo,
Chief Auditor,
Co-operative Societies,
Rajasthan, Jaipur.

Subject:—Audit of the Apex Bank for the Year 1975-76.

Respected Sir,

I am enclosing herewith some statements desired by your honour at the time of discussing the aduit report of the Bank on date 14th November, 1976.

Further it is requested to kindly visit the Bank for discussions of the Audit Report on any, date and time convenient to you, which may please be intimated so that the Bank officers may be informed.

Yours faithfully

Enclosures-8 (Omprakash Sharma)
Statements. INSPECTOR AUDIT.

ओम प्रकाशजी शर्मा ने ऑडिट रिपोर्ट कच्ची बनाने के बाद चीफ ऑडिटर श्री एन.एल. कानूनगो को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि आप पधारें, ऑडिट रिपोर्ट देखें और संशोधन करें, किन्तु श्री एन. एल. कानूनगो पधारे नहीं और ऑडिट रिपोर्ट फाइनल कर दी गई।

मैं एक दूसरा पत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं—

दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर

यह 4-2-77 का है। पहला पत्र 17-11-76 का है और दूसरा पत्र 4-2-77 का है।

# Page No 78



(श्री कौशलकिशोर जैन)

"श्रीमान चीफ ऑडिटर,
सहकारी समितियां, राजस्थान,
जयपुर।

विषय : शीर्ष बैंक की ऑडिट रिपोर्ट 1975-76

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शीर्ष बैंक की रिपोर्ट वर्ष 1975-76 की 10 प्रतियां आपकी सेवा में प्रस्तुत की जा रही हैं।

वर्गीकरण प्रपत्र अलग से भेजा जा रहा है।

(ओम प्रकाश शर्मा)"

सहकारिता विभाग को रिपोर्ट भेजने के बाद सहकारिता विभाग के चीफ ऑडिटर को इसकी कापियां अलग अलग स्थानों पर भेजी थी। मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय फर्माते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट कच्ची थी, अगर ऑडिट रिपोर्ट कच्ची थी और फाइनल नहीं हुई थी तो वह अलग अलग स्थानों पर कापियां फाइनल किये बिना कैसे भेजी गई? वहां से यह कापियां वापस मंगवाई गई। 10 प्रतियां जो, माननीय अध्यक्ष, भेजी गई थीं उनमें से एक प्रति भेजी गई महालेखाकार, राजस्थान को, दूसरी प्रति भेजी गई उप-शासन सचिव, वित्त लेखा नियोजन, वित्त विभाग, जयपुर को, तीसरी कॉपी भेजी गई रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, बम्बई, चौथी कॉपी भेजी गई रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, दिल्ली को और पांचवी कॉपी भेजी गई रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर को, और छठी कॉपी भेजी गई डिप्टी रजिस्ट्रार, जयपुर को।

इसके बाद में तीसरा पत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। यह पत्र भेजा गया 24-2-77 को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, बम्बई को। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, बम्बई के श्री दांते ने प्रबन्ध संचालक, श्री भीमनाथवाला को फोन किया कि इस प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट में आब्जेक्शन्स आये हैं तो आप मेरे को भी मरवाओगे और स्वयं भी मरोगे। इस पर श्री भीमनाथवाला ने चीफ ऑडिटर से मिलकर ओमप्रकाश शर्मा को बुलाकर धमकाया कि तुमने जो ऑडिट रिपोर्ट भेजी है वह इस प्रकार कैसे भेजी? उसमें संशोधन करने पड़ेंगे। इसके पश्चात् जो पत्र लिखे गये वह मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं—

सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर

पत्र क्रमांक 3 (1) सविरा/ऑडिट/75-76, दिनांक 26-2-77।

1. महालेखाकार राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव (वित्त लेखा विनियोजन), वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय: राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 1975-76।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के सम-संख्यक पत्र दिनांक 24-2-77 के क्रम में निवेदन है कि पत्रवाहक के द्वारा राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि. की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 1975-76 की प्रति लौटाने का कष्ट करें।

भवदीय,

नन्दलाल कानूनगो, चीफ ऑडिटर।

# Page No 79



(श्री कौशलकिशोर जैन)

प्रश्न यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बम्बई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जयपुर, महालेखाकार राजस्थान और उप शासन सचिव, वित्त विभाग को यह पत्र भेजे गये और वह ऑडिट रिपोर्ट वापस क्यों मंगाई गई ? मैं यह निवेदन करता हूं कि अन्तिम पत्र 17-3-77 का है—

पत्र क्रमांक 24337, 17-3-77

श्रीमान चीफ ऑडिटर,
सहकारी समितियां, राजस्थान,
जयपुर।

विषय :—शीर्ष बैंक की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 1975-76।"

"महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत शीर्ष बैंक की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 1975-76 को आपसे एवं प्रबंध संचालक, शीर्ष बैंक, से विचार-विमर्श करने के बाद कुछ आवश्यक संशोधन सहित 10 प्रतियां पुनः टाइप करवाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत की जा रही हैं।....

ओम प्रकाश शर्मा"

यह पत्र लिखने वाले है श्री ओमप्रकाश, ऑडिटर, एपेक्स बैंक, जयपुर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था, कि कौन से अंश निकाले गये। मेरे पास दोनों रिपोर्ट है। मैं इनको सदन की टेबल पर रखता हूं। मूल जो रिपोर्ट है और जो संशोधित ऑडिट रिपोर्ट है जो कि बाद में प्रकाशित की गई, उसमें क्या-क्या किया गया वह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

मूल ऑडिट रिपोर्ट के ऑडिट आक्षेप भाग 'अ' पृष्ठ संख्या 4, क्रम संख्या 19 पूरे का पूरा पैरा हटा दिया गया। उस पैरे का संक्षेप है—"वर्ष 1974-75 का शुद्ध लाभ निकालते समय रु. 1,97,262.48 जो बैड डेट रिजर्व फण्ड में ले जाने के लिए कम किया गया है वह बैंक उप-नियम संख्या 43 (6) के अनुसार लाभांश घोषित करने के बाद बची हुई राशि को उसमें वर्णित कोष में ही डाला जा सकता है जिसमें बैड डेट रिजर्व फण्ड शामिल नहीं है।"

इसी तरह से पृष्ठ संख्या 4, क्रम संख्या 20 पूरा पैरा हटा दिया गया है। उसका संक्षिप्त विवरण यह है कि "रु. 13,37,626.72 पै. को अवधि पार ब्याज वसूल करना था उसको वितरण योग्य लाभ में से कम नहीं किया गया जो राजस्थान को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1966 के नियम 67 के अनुसार कम किया जाना आवश्यक है।"

भाग "ब" पृष्ठ 4, क्रम संख्या 6, उप-समितियां संबंधी पूरा हटा दिया गया। संचालक मण्डल द्वारा गठित तीन उप-समितियां, जो, यूनियन व अवार्ड स्टाफ व नॉन अवार्ड स्टाफ के वेतन वृद्धि आदि हेतु तथा समझौता जो 31-8-75 को समाप्त हो गया था, के बारे में थी। कोई कार्यवाही नहीं की।

(श्री कौशलकिशोर जैन)

पृष्ठ 7, क्रम संख्या 12, हटा दिया गया। 1975-76 के दौरान एक प्रशासकीय अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लिया, 11 मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर, एक क्लर्क-कम-स्टेनोग्राफर, आठ क्लर्क नियुक्त किये गये जिसकी स्वीकृति संचालक मण्डल से नहीं ली गई।

पृष्ठ 9, क्र. सं. 1, 4, 5 हटा दिया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष गुलाबसिंह (शक्तावत) द्वारा कार नं. आर. एस. एल. 4992 अपने काम में ली गई, पर लॉग बुक में हस्ताक्षर नहीं थे। यात्रा विवरण नहीं था। बैंक की कारों के उपयोग का उचित कारण नहीं लिखा। जैसलमेर के अल्पकालीन ऋण की वसूली अवधि पार हो चुकी थी। 1974-75 का बोनस वितरण नहीं किया गया। कर्मचारियों को अनियमित यात्रा भत्ता दिया गया। एन्टरटेनमेंट खर्च अनियमित किया गया, 2-8-75 से 8-6-76 तक रु. 3,810.84 खर्च किये गये।

पृष्ठ 13, कर्मचारियों का यात्रा भत्ता, हटा दिया।

पृष्ठ 14, टेलीफोन खर्च का सही विवरण नहीं था। 25-7-75 को 1562 रुपये के. एन. भार्गव को बिना स्वीकृति के दिये गये। वसूली राशि को समय पर न चुकाने का आक्षेप।

पृष्ठ 40, विशेष विवरण सम्बन्धी सुझाव संबंधी ऑडिटर महोदय के निर्देश नं. 1 से 10, 13, 15, 17, 19 हटा दिये गये।

पृष्ठ 42 से 49, जो ऋण सम्बन्धी था, हटा दिया गया। बैंक के लोन सैक्शन सम्बन्धी आक्षेप तथा नियम विरुद्ध ऋण वितरण का 25 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के नाम सहित पूर्ण विवरण के 8 पेज बिल्कुल ही हटा दिये गये।

ऑडिट रिपोर्ट को पुनः मंगाकर तथा ऑडिटर को डरा धमकाकर उपरोक्त विवरण के अनुसार पृष्ठ या पैरा बदले गये या हटा दिये गये, इसका उद्देश्य राज्य सरकार और सदस्य सहकारी बैंकों को धोखा देना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट और लूंगा।

आखिर यह ऑडिट रिपोर्ट बदली क्यों गई ? क्या कारण थे इसके पीछे ?

**श्री रामसिंह विश्नोई** : यह बदली नहीं गई।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : इस बैंक के अध्यक्ष, श्री गुलाबसिंह शक्तावत, सहकारिता, कमिश्नर शासन सचिव, रजिस्ट्रार वी. आई. राजगोपाल, चीफ ऑडिटर नंदलाल कानूनगो, भीमनाथवाला, प्रबन्ध संचालक चारों लोगों ने मिलकर इस ऑडिट रिपोर्ट को बदला है। मैंने निवेदन किया था पहले भी इस रिपोर्ट को बदलने का एक प्रमुख कारण था, भीमनाथवाला की सी. आर. पर आपत्ति आने वाली थी, उस आपत्ति को बचाने के लिये श्री भीमनाथवाला ने इस ऑडिट रिपोर्ट को बदला है। रिजर्व बैंक के

# Page No 81



81

(श्री कौशलकिशोर जैन)

डाइरेक्टर, जिनके संरक्षण में श्री भीमनाथवाला चार साल तक रहे, सम्मान में जयपुर में दावत दी गई 13-8-76 को जो भुगतान हुआ वह 1790.50 रुपये का हुआ। 12-8-77 को 1574 रुपये का था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सहकारिता मंत्री महोदय से, उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं वे इस सदन की कमेटी बनायें, सहकारिता विभाग का मंत्री ले लें, दो सदस्य ले लें, कोई ज्युडिशियरी का ले लें, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाये। पूरी रिपोर्ट मूलतः संशोधित, मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

एक माननीय सदस्य : घोटाला कितना है?

श्री कौशलकिशोर जैन : 3 करोड़ का घोटाला है। मूल ऑडिट रिपोर्ट ही बदल दी गई। मालूम क्या पड़े कितना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : वह क्यों बदली गई? उस सम्बन्धी जो रिपोर्ट थी वह बदली गई उसके पृष्ठ बदले गये। नियमानुसार उनको बदलने की अनुमति नहीं होती। जो घोटाला किया गया है इसकी सही जांच होनी चाहिये। जांच के लिये एक कमेटी बैठानी चाहिये। मर्केन्टाइल बैंक और कई बैंक शामिल हैं जिनकी यहां पर वर्षों से चर्चा चलती आ रही है। इन सारे कामों को प्रकाश में लाइये, जो पिछली सरकार के समय में हुए। यह घोटाला स्पष्ट होनी चाहिये ताकि बैंकों में काम सुचारु रूप से चल सके।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब रिपोर्ट बदली दी गई है तो फिर सही तथ्य सदन के सामने नहीं हैं। कागज बदल दिये गये हैं। कौशलजी ने कई तथ्य यहां पर रखे हैं। मेरा निवेदन है कि सबसे पहले सही रिपोर्ट और सही तथ्य इस सदन में प्रस्तुत करने चाहियें। यही कह कर मैं आपका और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पिछली सरकार माहिर थी। कैसी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बताऊं। चाहे पुलिस की रिपोर्ट हो चाहे एक्सपर्ट की रिपोर्ट हो। रिपोर्ट बदल दी, कागजों के कागज बदल दिये।

श्री गुलमोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्सपेक्टर था ओमप्रकाश, उन्होंने 17-11-76 को जो लैटर लिखा था चीफ ऑडिटर को, उसमें लिखा था कि इसके लिये निरीक्षण करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 17 दिसम्बर, 1976 को लैटर लिखा उससे पहले डिस्कशन 14-11-76 को हुआ। मंत्री महोदय ने कहा 31 दिसम्बर तक ऑडिट रिपोर्ट फाइनल हो जाती है। जब 31 दिसम्बर तक ऑडिट रिपोर्ट फाइनल हो जाती है तो एक दफा ऑडिट रिपोर्ट फाइनल हो गई, जो इसी ओमप्रकाश ने लिखी थी, जिसकी 10 प्रतियां मंगवाई थीं, वही फाइनल मानी जानी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री गुलामीहम्मद)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको एक लेटर लिखा गया उसमें उन्होंने यह लिखा कि ऑडिट रिपोर्ट जो भेजी गई है, इसको वापस भेजा जावे। मैं कहना चाहूंगा कि क्या राजस्थान सहकारी समिति कानून के अन्तर्गत यह जांच रिपोर्ट बदलने का प्रावधान है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने ऑडिट रिपोर्ट बदली है, उनके खिलाफ भी जांच करवाई जावे।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऑडिट रिपोर्ट बदल दी गई और दूसरी ऑडिट रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिये गये तो प्रथम तो यही घोटाला है। इसमें सन्देह की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको माननीय मंत्री महोदय मन्जूर करते हैं। स्थिति सदन के सामने आ चुकी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा जिन जिन लोगों का ऑडिट रिपोर्ट बदलने में हाथ है उन सब के खिलाफ कार्यवाही करिये। यह गैर कानूनी कार्यवाही क्यों की गई ? इसकी अगर पूर्ण रूप से जांच नहीं की गई तो यह स्पष्ट है कि आने वाले समय में यह इस तरह के निकम्मे लोग, आप लोगों में भी गन्दगी करके छोड़ेंगे और जनता पार्टी को बदनाम करेंगे। आप बिल्कुल रियायत न बरतें, उनके पापों के ऊपर पर्दा न डालें, जो दोषी हैं उनको सजा दें। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग का एक कृत्य सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में, श्रीमन्, केवल मेरा इतना ही निवेदन है कि या तो वक्तव्य गलत है या ये फोटो स्टेट कापियां गलत हैं। जो राज्य के अधिकारियों की ओर से जैसा उत्तर बना कर दे दिया जाता है, वैसा ही यहां मंत्री महोदय पढ़ देते हैं। मेरा निवेदन केवल इतना है कि इस प्रकार का घोर अपराध करने वाले व्यक्ति को अगर बचाने की मंशा रखी या ऐसे लोगों के हाथ में जांच दी जो उनके जैसे ही दोषी हों तो ऐसे लोग ठीक ढंग से जांच नहीं कर सकेंगे।

कृपा करके कोई ऐसा रास्ता निकालिये कि इस प्रकार के जो काण्ड माननीय सदस्यों के द्वारा सदन के सामने लाये जाते हैं उनकी निश्चित रूप से जांच हो। यदि दोषी को सजा नहीं मिली तो अन्य लोगों को भी अपराध करने के अवसर मिलेंगे। यदि दोषी बचा लिया गया तो निश्चित रूप से मेरी मान्यता है कि बेईमान लोगों को और अधिक बेईमानी करने के अवसर मिलेंगे। भविष्य में उनके साथी, सहयोगी ऐसी गलतियां न करें, ऐसी कोई उचित व्यवस्था करें।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुद्दे इस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में उठाये गये हैं उनके बारे में मैंने अपने मूल जवाब में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पक्ष से भी और उस पक्ष से भी कई बार यह बात उठाते

(श्री कैलाश मेघवाल)

हूं कि जैसा अधिकारियों ने बनाकर दे दिया वैसा ही मंत्री महोदय उसको पढ़ देते हैं। जिस तरह की शासन पद्धति चल रही है उसमें उधर बैठने वाले जब सत्ता पक्ष में थे और उनमें से कोई मंत्री थे, उनके द्वारा भी उस समय अधिकारियों पर भरोसा किया जाता था, और आज भी इस भरोसे वाली स्थिति से इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि राज्य अधिकारियों के द्वारा दिये गये उत्तर को देखा जाता है, उसको पढ़ा जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। यह हो सकता है दिमागी दृष्टि से कोई तेज हो वह नुक्ता-चीनी करके कुछ उसमें से कोई पाइन्ट निकाल ले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर जो भी मुद्दे उठाये गये हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों ऑडिट रिपोर्ट इन्टेक्ट मेरे पास पहुंच चुकी हैं। मैं यह अध्ययन कर रहा हूं कि मूल रिपोर्ट में क्या था और दूसरी रिपोर्ट क्यों बनाई गई, मैं इस बात का गंभीरता से अध्ययन कर रहा हूं और जानकारी कर रहा हूं कि क्या अनियमितताएं थीं और क्या अनियमितताएं नहीं थीं। प्रबन्ध संचालक के इस निवेदन पर कि बिना पूछे ऑडिट रिपोर्ट भेज दी गई। इसमें जो कुछ मुद्दे उठाये गये हैं उसमें स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिये था। इस निवेदन पर उस ऑडिट रिपोर्ट के कुछ अंश उठाये गये। स्पष्टीकरण के बावजूद जो मुद्दे उठाये गये उसके आधार पर तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह देखूंगा जैसा भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, क्या बिना सहमति लिये जो ऑडिट रिपोर्ट 10 जगह भेज दी गई, वह नियमित थी या अनियमित थी। हर चीज के नियम बने हुये हैं। मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं इस प्रश्न को भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है कि मूल ऑडिट रिपोर्ट में ऐतराज यह थे। उन्होंने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी राजस्थान में आये तो यहां पर बैंक की तरफ से 100 व्यक्तियों का भोज किया गया था।

श्री माधोसिंह (रेवदर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय की जानकारी के लिये निवेदन करूंगा ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती है तो मेनेजिंग डाइरेक्टर के साथ पहले डिस्कस होती है। उसके बाद बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के द्वारा डिस्कस होती है। बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स उस पर टिप्पणी करते हैं। उस टिप्पणी के बाद ही वह फाइनल होती है। तो जिस ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि के बारे में आप फर्मा रहे हैं वह पूर्व की है या बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के डिस्कस करने के बाद की है?

श्री कैलाश मेघवाल: तो मैं निवेदन कर रहा था यह भी एक मुद्दा है। दोनों ही ऑडिट रिपोर्ट हैं। जो ऑडिट रिपोर्ट पहले बनी, उससे स्पष्टीकरण लेने के बाद हटाया गया है।

श्री माधोसिंह (रेवदर): मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स हटा सकते हैं पाल्बैंडम्स को।

84



श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपकी इस अनुकम्पा के लिये शुक्रगुजार हूं। मुझे अभी एक डेढ़ महीना ही हुआ है इस महकमे को लिये। मैं भी अधिकारी कर रहा हूँ कि [illegible]।

[illegible] मैं निवेदन कर रहा था शायद व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य सहमत नहीं होंगे लेकिन रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी को उनको भोज दिया। किसान भी भोज देते हैं और अनेक अवसरों पर ऐसा होता है। जिस रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारी यहां आयें, तो रिजर्व बैंक से व्यावसायिक संस्थाओं का सम्बन्ध रहता है, हमारा सम्बन्ध भी रहता है, उस नाते यहां की बैंक ने उनको भोज दिया। सम्बन्धित सदस्यों को बुलाना सही है या नहीं है इस पर तो मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन बुलाया गया। ऑडिट ऑब्जेक्शन हुये और जब बैंक में ऑडिट रिपोर्ट गई। उसके बाद रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को भोज दिया गया, उस भोज पर एतराज हुआ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर आये और दूसरी चर्चाएं हुई सचिवालय में तब उन्होंने इस प्रकार की अपेक्षा देखी तो उन्होंने भोजन लेने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले भोज दिया गया उसके कारण एक प्रकार से हमारी खिल्ली उड़ाई गई है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों और चाहे उधर के लोग हों......

एक माननीय सदस्य : हमारे वित्त मन्त्री महोदय आदित्येन्द्र जी भी माननीय सदस्यों को भोज दे रहे हैं। उनको भी देख लेना चाहिये।

श्री कैलाश मेघवाल : तो, अध्यक्ष महोदय, इस भोज के एतराज की वजह से उन्होंने दुबारा भोज लेने से इन्कार कर दिया।

भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातों का जिक्र किया है और फोटो स्टेट कॉपियों के बारे में कहा है। मैं उन पत्रों का भी अध्ययन कर रहा हूं। ऐसे कुछ एतराजात, जो [illegible] के बारे में हैं, के बारे में भी आइटम वाइज बताना चाहता हूं लेकिन अभी सदन में समय नहीं है। मैंने दोनों रिपोर्ट्स के आधार पर स्टेटमेंट दिया है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने 15 साल तक वकालत की है, मैं मानता हूं मेरा दिमाग इतना तो सक्षम है कि मैं सारी सम्बन्धित पत्रावलियों का अध्ययन करूं और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचूं। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस सम्बन्ध में कहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दोनों ऑडिट रिपोर्ट्स के और जो भी पत्र हैं उनका पूरा अध्ययन कर रहा हूं। उनमें कोई अनियमितताएं होंगी, गड़बड़ियां होंगी तो इस बात की कभी कोशिश नहीं की जायेगी कि दोषी व्यक्तियों को बचाया जाय। यदि अनियमितता की है तो रिजर्व बैंक के सामने भी ये तथ्य लाये जा सकेंगे। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं उन्होंने केवल 75-76 की ऑडिट रिपोर्ट के लिये कहा है लेकिन मैंने जब से वे प्रतिनियुक्ति पर पधारे, तब से अभी 31-3-78 को रिलीव किया है इस तारीख तक उनके बारे में क्या शिकायतें हैं और कितनी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं आदि सारी सामग्री मंगाई है। मैं

# Page No 85

85



(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहता हूं सभी सदस्यों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी अपनी क्षमता के आधार पर करूं। किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जायेगी। जो माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव दिये गये हैं उनको ध्यान में रखते हुये, सारी सामग्री का ध्यान रखते हुये जो भी कार्यवाही जरूरी होगी उसमें राज्य सरकार पीछे नहीं रहेगी।

श्री कौशलकिशोर जैन : जैसा अभी कहा गया बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स रिपोर्ट भेजने में सक्षम हैं...

श्री माधोसिंह (रेवदर): मैंने यह नहीं कहा है। बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के सामने डिस्कस होती है। ऑडिट रिपोर्ट से जब बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स सन्तुष्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में उस मामले को दबाया नहीं जा सकता है।

श्री कौशलकिशोर जैन : बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स सक्षम हैं लेकिन जब ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करके भेज दी— रिजर्व बैंक, जयपुर, रिजर्व बैंक, दिल्ली उसके बाद क्या ऑडिट रिपोर्ट को चेन्ज कर सकते हैं ?

श्री माधोसिंह (रेवदर): इसमें आप सूचना गलत दे रहे हैं। रिजर्व बैंक की ऑडिट रिपोर्ट अलग होती है, बैंक की अलग होती है वे अलग-अलग ऑडिट करते हैं। आप कौनसी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कह रहे हैं ?

श्री कौशलकिशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं बैंक की ऑडिट...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ध्यान ग्रहण करें। यह एकेडेमिक डिस्कशन नहीं है। मन्त्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है।

श्री कौशलकिशोर जैन : मैंने जांच कमेटी का कहा है, उसका उत्तर मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मन्त्री करीब चार बजे सदन में आयेंगे। मैं चाहता हूं कि मुख्य मन्त्री द्वारा ही आपके प्रस्ताव का उत्तर दिया जाए। अतएव मैं करीब चार बजे आपके प्रश्न को लूंगा।

चिकित्सा मन्त्री महोदय।

## शासकीय वक्तव्य

## बिजोलिया में 8 से 19 मार्च, 1978 तक लगे सर्जिकल कैम्प में दो मरीजों की मृत्यु

श्री त्रिलोकचन्द जैन (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा ग्राम बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा में मोबाइल बहुउद्देशीय सर्जिकल कैम्प, दिनांक 8 मार्च, 1978 से 19 मार्च, 1978 तक श्री माणिक्यलाल वर्मा राजकीय हायर सैकण्डरी स्कूल में आयोजित किया गया था। उक्त स्कूल में कैम्प लगाये जाने के कारण दिनांक 7 मार्च, 78 से

# Page No 86

(86)



(श्री त्रिलोकचन्द जैन)
मध्याह्न पश्चात् स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया गया था।

सर्जिकल कैम्प की टीम बिजोलिया 7 मार्च को शाम को पहुंची। स्कूल के कमरे, जिन्हें वार्ड्स व ऑपरेशन थियेटर के लिए उपयोग में लाया जाना था, को उस योग्य बनाया गया। ऑपरेशन थियेटर के कमरों का फ्यूमिगेशन व कार्बोलाईजेशन किया गया। खिड़कियों और रोशनदानों को अच्छी तरह से ढक दिया गया। उपकरण, ड्रेसिंग का सब सामान कपड़े आदि वहीं पर ऑपरेशन स्टाफ द्वारा स्टेरीलाइज किये गये। दिनांक 9-3-78 की रात से 12-3-78 तक वहां 61 आंखों के, 59 सामान्य सर्जरी व 33 गायनोकोलोजी के कुल 153 ऑपरेशन, सम्बन्धित विशेषज्ञों द्वारा सम्पन्न हुए। सभी 153 रोगियों को ऑपरेशन से पूर्व ए. टी. एस. व टेटवेक के इन्जेक्शन लगाये गये।

ग्राम बिजोलिया में किये गये रोगियों के ऑपरेशन में जिनको टिटनेस हुआ उनका विवरण इस प्रकार है:--

(1) सोहनी, उम्र 6 वर्ष, मूत्राशय से पथरी निकालने का ऑपरेशन 10-3-78 को किया गया। टिटनेस के लक्षण 15-3-78 को मालूम हुए और उसी दिन भीलवाड़ा अस्पताल भर्ती कराया गया। 16-3-78 के प्रातः 6-30 बजे मृत्यु हुई।

(2) कल्याणी, उम्र 50 वर्ष, वेजाइनल हिस्ट्रेक्टोमी का 10-3-78 को ऑपरेशन किया गया। टिटनेस के लक्षण 19-3-78 को विदित हुए और उसी दिन भीलवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर दिनांक 24-3-78 के सायं 5-30 बजे मृत्यु हो गई।

(3) घनश्यामी, उम्र 35 वर्ष का दिनांक 11-3-78 को मेनचेस्टर रिपेयर का ऑपरेशन किया गया और 17-3-78 को टिटनेस के लक्षण विदित हुए। उसी दिन भीलवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी तक वहीं पर है।

(4) प्यारी, उम्र 50 वर्ष का दिनांक 11-3-78 को अबडोमिनल हिस्ट्रेक्टोमी का ऑपरेशन किया गया। दिनांक 17-3-78 को टिटनेस के लक्षण विदित हुए। उसी दिन भीलवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया और अभी तक वहीं पर है।

(5) कजोड़ी, उम्र 55 वर्ष का दिनांक 12-3-78 को वेजाइनल हिस्ट्रेक्टोमी का ऑपरेशन दिनांक 12-3-78 को किया गया। दिनांक 16-3-78 को टिटनेस के लक्षण विदित हुए और उसी दिन भीलवाड़ा अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां पर दिनांक 27-3-78 को रात्रि के 10.30 मृत्यु हो गई।

इन पांचों केसेज का टिटेनस के लक्षण होते ही भीलवाड़ा ट्रान्सफर कर हर संभव उचित इलाज किया गया पर सुश्री सोहनी का 16-3-78 के प्रातः 6.30 बजे स्वर्गवास हो गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा ने तत्काल सावधानी हेतु संदेह में महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा का ऑपरेशन थियेटर जांच एवं स्वच्छीकरण हेतु दिनांक 17-3-78 से बन्द कर दिया व अजमेर मेडिकल कॉलेज के डॉ. टी. सी. जैन,

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)
प्रोफिसर आॅफ सर्जरी को परामर्श हेतु बुलाया जिन्होंने दिनांक 17-3-78 को सब केसेज को देखा व उनकी राय से इलाज चालू किया गया। दिनांक 23-3-78 को सायं 4-30 बजे डॉ. रामवतार शर्मा, हैड आफ डिपार्टमेन्ट मेडिसन अजमेर को भी इन रोगियों को दिखाया गया व इलाज सम्बन्धी परामर्श लिया। सभी उपलब्ध साधनों व उपचार के बावजूद दिनांक 21-3-78 को सायं 5-30 बजे श्रीमती कल्याणी की फेफड़े के एम्बुलिज्म से मृत्यु हो गई।

दिनांक 27-3-78 को सायं श्रीमती कजोड़ी भी चल बसी। ताजा प्राप्त समाचारों के अनुसार शेष केसेज की हालत सन्तोषजनक है। इस घटना की जांच उप-निदेशक, परिवार कल्याण, डॉ. दर्शनसिंह सरोइया ने दिनांक 22-3-78 व 23-3-78 को की। उन्होंने उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए लिखा है कि उनकी राय में थियेटर और औजार, केटगेट के स्टरलाइजेशन में कमी नहीं थी। पांचों केसेज एक ही वार्ड में एक सीमित हिस्से में हुए हैं। अगर स्टरलाइजेशन अथवा केटगेट कारण होता तो और बहुत से केस होते, क्योंकि जिन केसेज को टिटनेस हुआ है उनका ऑपरेशन अलग अलग दिनांक को हुआ है और उनके आगे पीछे जो ऑपरेशन हुए हैं, वे ठीक हैं। वहां के वार्ड की मिट्टी, टिटनेस की बीमारों के वेजाइनल स्त्राव, ड्रेसिंग का गाज व लिनल, स्प्रिट, सेवलोन व केटगेट अजमेर मेडिकल कॉलेज में बैक्टीरियोलोजिकल परीक्षा हेतु भेजे गए थे जिनकी रिपोर्ट में डा. टण्डन पेथोलोजिस्ट ने सूचित किया है कि ऑपरेशन के काम में आने वाले उपकरणों, दवाओं व गॉज, रूई में किसी प्रकार के कीटाणु नहीं पाये गये। सिर्फ श्रीमती कजोड़ी के वेजाइनल स्त्राव में टिटनेस के कीटाणु पाये गये। तीन दिन में किये गये अलग अलग 153 ऑपरेशनों में से सिर्फ महिला वार्ड के 5 केस को टिटनेस होने व ऑपरेशन थियेटर में काम में लिए गए उपकरणों व गॉज, कॉटन व दवाओं का कीटाणु रहित पाये जाने से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस दुखद घटना का कारण ऑपरेशन थियेटर न होकर कोई बाहरी कारण है। भविष्य में इस प्रकार के शिविरों में बाहरी वातावरण को सुरक्षित बनाने पर और भी अधिक ध्यान देने हेतु आदेश दिए जा रहे हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली): अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल उठाया था। मैंने पहले भी कहा था कि तीन की मृत्यु हो गई है परन्तु उस दिन आपने एक की मृत्यु होना बताया था। अब दो और बढ़ गये हैं और दो की हालत चिन्ताजनक है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेहरबानी करके आपने जो मोबाइल सर्जिकल यूनिट चलायी है इसका तो मैं स्वागत करता हूं परन्तु एक बात अर्ज करना चाहता हूं, सारी व्यवस्थाएं गांव में नहीं हो सकती। भीलवाड़ा नजदीक है। अगर आप सारी व्यवस्था गांव में कर पाते तो जरूरत ही क्या थी उनको भीलवाड़ा अस्पताल ले आने की। आप छोटी सी जगह पर सारी व्यवस्थाएं कर पाते हैं तो टिटनेस के कीड़े, बीमारी के कीटाणु कहां से आ गये? आपने बताया कि सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दी है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं वहां पर एक्सपर्ट था कौन? दो-तीन

(श्री मूलचन्द डागा)
डॉक्टर थे। एक श्रीमती रजनी रामपाल, जूनियर असिस्टेन्ट थी। एक डॉक्टर गहलोत थे और एक थी श्रीमती कमला जैन। तो बताइये कौन इनमें एक्सपर्ट था? जिनकी डेथ हुई क्या वे एक जगह थीं या अलग-अलग वार्ड में थीं? मेहरबानी करके बता दीजिए।

दूसरी बात यह बताइये कि जब उनका एडमिशन किया गया तो क्या उस समय सारी व्यवस्था की जांच कर ली गई थी? उनके पास जो कपड़े थे क्या वे ठीक थे? ड्रेसेज में तो कोई गड़बड़ नहीं थी? दूसरे आदमी जो वहां पर आ-जा रहे थे ऑपरेशन थियेटर में, उनके साथ तो ये कीटाणु नहीं आये? यह कीटाणु आने का तरीका नहीं है तो क्या है? बाहर से लोग आते जाते हैं। बहुत से लोग आते-जाते हैं। अपने साथ बीमारी लेकर आते हैं। जब ऑपरेशन फिक्स हुआ तो वहां पर एक्सपर्ट नहीं थे। कांग्रेस सरकार में जब इस प्रकार से मृत्यु हो जाती थी तो डाक्टर को सस्पेन्ड कर दिया जाता था परन्तु आपने इन लोगों को सस्पेन्ड नहीं किया? आपने तो इन लोगों को एक तरह से इनाम दे दिया। यह जो श्रीमती रजनी रामपाल है उसको ऊंची जगह दे दी। यह उसको रिवार्ड मिला है। प्रतापगढ़ में उसको ऊंची जगह दे दी। इस प्रकार आप गरीब लोगों का इलाज न करें। मैं तो इस बारे में एक्सपर्ट नहीं हूं इसलिये मैं इतना ही कहकर मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं।

**श्री कौशल किशोर जैन:** अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। इसलिए दो मिनट के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री मथुरादास माथुर:** अध्यक्ष महोदय, मैं दो सवाल पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय की नजर पहले मैंने पकड़ ली है।

**श्री अध्यक्ष:** माननीय सदस्य, आपका नाम नहीं है।

**श्री मथुरादास माथुर:** हाउस में चूंकि स्टेटमेंट दिया गया है, इसलिए कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक-दो बातें ही निवेदन करूंगा।

क्या इस कैम्प को चलाने या आर्गेनाइज करने के लिए राज्य सरकार ने इजाजत दी थी? अगर राज्य सरकार ने इजाजत दी थी, तो कब दी थी?

राज्य सरकार ने अपने एक्सपर्ट सर्जन्स को क्यों नहीं भेजा? तीसरा, यह कि स्पेशल मोबाइल यूनिट के लोग वहां पर क्यों नहीं थे? इसके बाद में चौथा सवाल यह है कि टिटनेस का कीटाणु वहां नहीं था तो कहां से आया? अध्यक्ष महोदय, इसके कारण 3 मर गये और दो डेथ बैड पर हैं। उस डिस्ट्रिक्ट आफिसर ने बिना इजाजत अपनी मर्जी से उनके ऑपरेशन किये हैं, राज्य सरकार ने इसके बारे में क्या कार्यवाही की है? इनक्वायरी करने या उनको सस्पेन्ड करने की कोई कार्यवाही की है?

**श्री कौशलकिशोर जैन:** मैं यह निवेदन करूंगा कि 5 ऑपरेशन हुए जिनमें से 4 के ऑपरेशन डॉ. रजनी रामपाल ने किये हैं।

(श्री मथुरादास माथुर)

इनमें से तीन महिलाएं मर गईं। डॉ. रजनी रामपाल की नियुक्ति 2-10-74 को हुई। पांच साल से पहले किसी को जूनियर स्पेशलिस्ट नहीं बनाया जाता है। उनसे भीलवाड़ा में एक ऑपरेशन खराब हो गया था। उसके बाद भी उनको भीलवाड़ा में रखा गया। क्या किसी भी डॉक्टर के अपाइन्टमेन्ट की डेट के बाद 5 साल के एक्सपीरियेन्स के बिना जूनियर स्पेशलिस्ट बनाया गया है।

(श्री ओंकारलाल चौहान, सभापति, पीठासीन)

दो साल पहले भीलवाड़ा में दरियाव-बाई एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की लड़की सीताबाई की मृत्यु हो गई। ऑपरेशन थियेटर में ही मृत्यु हो गई। उनको इस बारे में भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई थी। डॉ. गहलोत के अण्डर में यह कैम्प लगा था। दो दिन पहले ही भीलवाड़ा अस्पताल में एक की मृत्यु हो गई थी। हमारे सामने एक दरवाजे की समस्या आई तो उन्होंने यह उत्तर दिया, एम. एल. ए. साहब, यह दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि इसके सामने ही ऑपरेशन थियेटर है इसलिए इसको बन्द ही रखना चाहते हैं। डॉ. गहलोत, डॉ. रजनी रामपाल के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने निवेदन किया, तीन व्यक्तियों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं निवेदन करूंगा, जो जिम्मेदार हैं उनको अविलम्ब सस्पेण्ड किया जाये। 3 साल का एक्सपीरियेन्स उनको जूनियर स्पेशियलिस्ट बनाया गया। क्यों बनाया गया? किस कारण बनाया गया?

(क्रमशः)

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़): सभापति महोदय, यह मेरे क्षेत्र का मामला है। मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप दो मिनट ले लीजिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता: सभापति महोदय, मेरे पास बिजौलिया के सरपंच महोदय का पत्र आया है। कई प्रतिष्ठित आदमियों ने भी पत्र लिखे हैं। जिन्होंने यह सारा कैम्प लगाने के लिए 20-20 हजार रुपये इकट्ठे किये और खर्च किये। डॉ. गहलोत और डॉ. रजनी रामपाल ने जिस भावना से काम किया है, वह बड़ी उच्च भावना है। कौशलकिशोर जी जैन ने तो मन्त्री महोदय पर भी आरोप लगाया है कि वे वहां पर गये और पब्लिसिटी उसी इसलिये ऐसा हो गया। मैंने देखा है, जयपुर के अस्पताल में देखा है। भगवतसिंह जी मेहता जो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, के लड़के रघुवीर की ऑपरेशन टेबल पर ही डेथ हो गई थी। डाक्टरों ने बहुत बचाने का प्रयत्न किया लेकिन वह डेथ हो गई। बिजौलिया में यह ऑपरेशन कैम्प लगाया गया। अगर यह नहीं लगाया जाता तो वहां के वे लोग इतने गरीब थे कि कहीं जा नहीं सकते थे। लेकिन तीन व्यक्तियों की डेथ हो गई यह दुर्भाग्य की बात है। डॉक्टरों को, बिजौलिया वालों को, और उनके परिवार वालों को भी दुःख है। वे भी कहते हैं, होना था वह हो गया। इसलिये डॉक्टरों पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। जहां तक यह सवाल है कि डॉ. रजनी रामपाल को जूनियर स्पेशियलिस्ट क्यों बनाया? यह अलग बात है। लेकिन अच्छी भावना से काम करने के बाद भी प्रश्न लेंगे तो भविष्य में कोई काम नहीं

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

करेगा। इसलिए मेहरबानी करके सस्पेण्ड करने से पहले सोचिएगा। आखिर यह क्या कर रहे हैं, जो डॉक्टर सेवा भावना से काम करें, उनको सजा दें। डॉ. रजनी रामपाल ने अच्छी भावना से काम किया है। माननीय सदस्य के मन में डॉ. रजनी रामपाल के बारे में कोई बात हो तो आप अलग से बात उठायें लेकिन जो वहां के प्रतिष्ठित नागरिकों ने दोनों डॉक्टरों के बारे में लिख कर दिया है, वही मैंने कहा है। उन्होंने कहा है कि हम डॉक्टरों के आभारी हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि यह मृत्यु हो गई है। लेकिन डॉक्टरों पर दोष लगाना अच्छा नहीं है। माननीय सदस्य ने डॉक्टरों के साथ ही साथ मन्त्री पर आरोप लगा दिया है। मन्त्री महोदय वहां आये, उनके आने के कारण ऐसा हुआ है तो क्या मंत्री महोदय को भी सस्पेण्ड करेंगे?

(व्यवधान)

**श्री समापति :** माननीय सदस्य। कृपया बैठिये। No, No Please.

(व्यवधान)

**श्री कौशलकिशोर जैन :** डॉ. रजनी रामपाल को कैसे जूनियर स्पेशियलिस्ट बनाया, उत्तर दें?

(व्यवधान)

**श्री समापति :** माननीय वृद्धिचन्द्र जैन।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** माननीय समापति महोदय,...

**श्री समापति :** मन्त्री महोदय का वक्तव्य आ गया है। कोई आवश्यक नहीं है कि वाद-विवाद हो। फिर भी थोड़ा बोल लें।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन :** समापति महोदय जो स्टेटमेण्ट हुआ। उससे यह तो साबित है कि 153 ऑपरेशन हुए। टिटनेस के प्रभाव के कारण 3 की मृत्यु हो गई और दो डेथ बैड पर हैं। उसका रीजन कोई बाहरी कारण बताया है। सभी प्रकार के प्रिकॉशन ले लिये गये थे। जवाब में यह रीजन दिया गया है कि यह बाहरी वातावरण से मृत्यु हुई है। तो कौनसा बाहरी वातावरण था? इसका क्या प्रभाव रहा है? इस सम्बन्ध में जब तक जांच नहीं हो, जब तक एक्सपर्टस के द्वारा जांच नहीं हो तब तक यह बात साफ नहीं हो सकती है। यह मामला सीरियस है। तीन व्यक्तियों की डेथ हो गई है। इसलिये किसी स्पेशियलिस्ट से जांच करायें ताकि यह साबित हो जाये कि कोई डॉक्टर दोषी नहीं है। जो भी चार्ज लगाये हैं, वह स्पष्ट हो जाये। जांच कराने से ही क्लीयर नक्शा आयेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप सस्पेण्ड कर सकें तो बहुत अच्छा हो या उनका ट्रांसफर करें जिससे कि वह जांच पर प्रभाव नहीं डालें।

**श्री शिवचरण सिंह:** आपने फर्माया कि 33 ऑपरेशन्स किए गए। क्या जो गायनाकलोजी के ऑपरेशन्स किए गए, उनके लिये

(श्री शिवचरणसिंह)

मरीजों की कन्सेंट ली ? फैमिली प्लानिंग के लिए ऑपरेशन्स किए गए हैं, आपको गलत सूचना दी है, 33 ऑपरेशन्स गायनाकलोजी के नहीं हैं, फैमिली प्लानिंग के हैं। इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ? स्पष्ट करें।

श्री परसराम मदेरणा : आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि टिटनेस के कीटाणु जांच में नहीं पाए गए, किसी औजार पर टिटनेस के बैक्टेरिया नहीं थे व किसी बाहरी वातावरण से आ गए हैं, क्या यह संभव है ? टिटनेस के कीटाणु रस्ट से पैदा होते हैं, यदि किसी औजार पर थे, तो औजार स्टेरीलाइज किया होता तो कीटाणु पैदा नहीं होते। इसलिए पहले स्पष्ट करें कि बाहरी टिटनेस के कीटाणु आ सकते हैं क्या ? दूसरे, आपने कहा है सभी प्रिकॉशन्स ले लिए थे तो प्रिकॉशंस लेने के बाद में यह इन्फेक्शन होने का कारण क्या कोई नेग्लीजैंसी थी ? प्रिकॉशन्स लिये थे तो फिर ऑपरेशन में इन्फेक्शन कैसे हुआ। इन्फेक्शन हो गया, इसका मतलब यह है कि वह इन्फेक्शन पहले ही था, ऑपरेशन से पहले। कोई औजार पर रस्ट लग गई हो और उसको स्टेरीलाइज नहीं कराया हो तो ऑपरेशन से पहले टिटनेस के कीटाणु थे। क्या आपने जांच की थी उनके खून की ? जांच में अगर बैक्टेरिया नहीं आया तो फिर ऑपरेशन किया होगा। इसका मतलब टिटनेस के बैक्टेरिया बाद के हैं, पहले के नहीं हैं। यह सीरियस मैटर है, तीन महिलाओं की मृत्यु हो गई है, ऑपरेशन के 4 दिन बाद हुई है। अस्पताल में लाने के बाद ब्लड यूरिया बढ़ गया हो या इन्फेक्शन का इलाज नहीं हुआ हो तो उसके बाद यह हालत होती है, जैसे माननीय सदस्य बता रहे थे, ब्लड यूरिया का मतलब फॉरेन मैटर ब्लड में इतना ज्यादा होता है कि इन्फेक्शन इफेक्टिव नहीं रहता तो ब्लड यूरिया था उसके बाद मृत्यु हुई है। यह सीरियस मैटर तीन औरतों की मृत्यु के बाद भी ऐसी घटनाओं के प्रिवेन्शन के लिए डिटरेंट पनिशमेंट देना पसंद नहीं करते हैं। पहले भी ऐसा मामला हुआ था, हमने डॉक्टरों को सस्पेंड किया था, उनका तबादला किया था कीटाणु कोई कीड़े-मकोड़े थे जो ऊपर से आ गए ? इसलिए संबंधित डॉक्टरों को सस्पेंड करके इन्क्वायरी करनी चाहिए।

श्री त्रिलोकचंद जैन: यह जो घटना हुई है उसके बारे में जो मैंने वक्तव्य दिया है उसमें मैंने बताया है किस प्रकार से सर्जिकल कैम्प लगे हैं, किस कमरे में सारे ऑपरेशन हुए हैं, वहां ऑपरेशन्स करने से पहले जो भी प्रिकॉशन्स लेने चाहिए थे सारे लिए गए और सब मरीजों के ए. टी. एस. व टिटनेस के इन्जेक्शन्स लगाए गए। ऑपरेशन्स 10, 11, 12, तारीख को हुए और 153 लोगों के हुए। एक ही दिन नहीं हुए। उसके बाद यह जो डवलपमेंट हुआ वह 14, 15, 16 व 19 को हुआ, टिटनेस के लक्षण दिखाई दिए। पहले बच्ची को हुआ, एक ही कमरे में ये सब लोग थे। आस-पास जो महिलायें थीं उनमें सारे का सारा डवलपमेंट हुआ। सुश्री सोहनी का ऑपरेशन एस. एन. गुप्ता ने किया। यह डवलमेंट होते ही उसको भीलवाड़ा ले गए और फिर अजमेर से डॉ. जैन सर्जन को आमंत्रित

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

किया, उनकी सलाह ली गई। यदि ऑपरेशन हाल में कोई खराबी होती, इन्फेक्शन होता तो फिर 153 मरीजों पर प्रभाव पड़ता क्योंकि ये सब एक ही कमरे तक सीमित थे। इसलिए अनुमान लगाते हैं कि 4-5 दिनों में जो कोई रिश्तेदार वगैरह उनसे मिलने आए, उनके कारण से कोई इन्फेक्शन आ गया होगा। बाकी ऑपरेशन हाल में जो प्रिकोशन्स लेने चाहिए थे वे सारे ले लिए गए। यहां तक कि जो भीलवाड़ा अस्पताल के उपकरण थे उनको अजमेर भेजकर जांच कराई गई, ऐसा नहीं पाया गया कि उनमें किसी प्रकार के कीटाणु हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि बाहर से किसी प्रकार की छूत आई है, उसके कारण से एक ही कमरे में सारे का सारा डवलपमेंट हुआ है। जो कैम्प लगाते हैं वह लगाने की सरकार की योजना है कि ऐसे कैम्प जिला अधिकारी पंचायतों में, पंचायत समिति क्षेत्रों में लगायें। ये बहुद्देशीय कैम्प्स हैं, इनसे गरीब लोगों को मदद मिल जाए, इस दृष्टि से कैम्प जिला अस्पताल के सर्जन मिलकर लगाते हैं। यह योजनाबद्ध कार्यक्रम है। ऐसा नहीं है कि योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं है। जो सारी जांच हुई है, जो यहां से स्पेशलिस्ट आए हैं, उसके बाद जो कुछ हुआ है, उससे पता लगता है कि ऑपरेशन हाल के उपकरण या जो भी सामान काम में लाया गया या जो कपड़े पहनकर गए उससे नहीं लगता है कि ऑपरेशन हाल में कोई कीटाणु थे।

दूसरे, इस प्रश्न को किन्हीं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं लिया जाना चाहिए। डॉ. रामपाल का प्रमोशन हुआ एज जूनियर स्पेशलिस्ट, वह तो पहले ही हो गया था, इसका कैम्प से संबंध नहीं है। इसलिए डॉक्टरों को इस विवाद में न घसीटा जाए क्योंकि हमारी कैम्प लगाने की तो योजना है। हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हर जगह अस्पताल खोल सकें। यही एक रास्ता है कि कैम्पों के द्वारा उन लोगों को लाभ पहुंचे। मैं वहां देखने गया था, वहां डॉक्टरों ने काफी सेवा भावना से काम किया। किसी प्रकार की नेग्लीजेंस, जो रिपोर्ट्स बनकर आई हैं, उससे नहीं लगती। यहां तक कि अजमेर से डॉ. रामअवतार को बुलाकर सलाह ली गई। जितने भी प्रिकाशन्स लिये जा सकते थे लिए गए हैं। किसी डॉक्टर की नेग्लीजेंस नहीं है।

श्री केसरसिंह राठौड़ : आगे चलो।

श्री सभापति : विधायी कार्य लिया जावेगा।

## विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1978

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मंत्री) : मैं राजस्थान कृषि-उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे एतराज है। जब से जनता पार्टी की सरकार आई है उसने इरादा कर रखा है हरेक के टर्मिनेशन का। कल जब कानून लाए तब भी मैंने कहा था। जैसा विरोधी दल के नेता ने कहा, आपकी पार्टी के जो हारे हुए सदस्य हैं उनको रख दिया। इसमें आपने क्या

(श्री मूलचन्द डागा)
किया ? इस संशोधन विधेयक को लाना क्या जरूरी था ? आपका क्लॉज कहता है कि बढ़ा हुआ समय था, उसको खतम कर दो। जैसा सरकार बराबर इस प्रकार के कानून ला रही है। एक तरफ नए लोकतान्त्रिक मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं और दूसरी तरफ नगरपालिकाओं में प्रशासक मुकर्रर करते हैं।

( व्यवधान )

यह कौन सी क्रान्ति है ? सवाल यह है कि आपके जो कानून आ रहे हैं, लोकतान्त्रिक मूल्यों की दृष्टि से बिल्कुल गलत कानून हैं। आप जान-बूझकर जो लोग काम कर रहे थे, उनकी टर्म टर्मीनेट कर दें, बिना नोटिस दिए, ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं है।

श्री सभापति : कोई ऐसी स्थिति नहीं है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1978 पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दिग्विजयसिंह (कृषि मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं। सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 1, सन् 1978) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

### व्यवस्था का प्रश्न

### अध्यादेश सम्बन्धी विवरण को सदन की मेज पर रखे जाने में विलम्ब

श्री परसराम मदेरणा : ऑन ए प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। माननीय सभापति महोदय जो अध्यादेश सरकार ने जारी करवाया है राज्यपाल महोदय से, उस अध्यादेश को जारी करने के रीजन्स आज सदन की मेज पर रखे जा रहे हैं और पहले ये रीजन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होने के अभाव में हम लोग जो स्टैच्युटरी मोशन लाते, वास्तव में इसको डिसअप्रूव करना चाहिए थी या नहीं, हम कोई अपना रिजोल्यूशन नहीं दे सकते जब तक रीजन्स हमारे पास नहीं होते और ये रीजन्स अब दे रहे हैं, जबकि समय निकल गया है, इसलिए आपकी हम व्यवस्था चाहते हैं कि एक दिन पहले इसको देना चाहिए था और कल पुरःस्थापित करना चाहिए था या उस समय प्रस्तुत करना चाहिए था ताकि हम रिजोल्यूशन दे सकते थे, जो हमको कानूनन देने का हक है। चूंकि रीजन्स समय पर दिये नहीं, इसलिए मुख्य मन्त्रीजी से बात करके, इसको रखते, वे कहते हैं तो बात करने के लिए, लेकिन बात होती नहीं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिए बस तारीख को रख दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : अब तो बिल आ रहा है और रीजन्स इसके तीन बजे दे

# Page No 94

(९५)



(श्री परसराम मदेरणा)
रहे हैं, हमको समय नहीं दिया गया कि क्या रीजन्स वास्तव में सही थे, स्टडी नहीं कर सके इसलिए आप इस बारे में व्यवस्था दे दीजिये।

**श्री सभापति** : मैं निवेदन करूंगा कि रीजन्स पहले मिल जाने चाहिए थे लेकिन चूंकि इसको मूव कर दिया गया है, इस लिए खास बात नहीं है। मैं समझता हूं अब इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है, इस पर विचार किया जा सकता है।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : नियमानुसार तो बहुत आवश्यक है।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : आवश्यक है, वह हो गया, विराजिये।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर)** : अमेण्डमेंट प्रस्तुत करने का समय बढ़ा दें, कल दस बजे तक।

**श्री सभापति** : आप बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री परसराम मदेरणा** : अभी भी हम रिजयोलूशन ला सकते हैं, यह व्यवस्था है आपकी। सरकार को ताड़ना देने से मामला नहीं चलेगा। जब तक रीजन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं हों, हम रिजयोलूशन कब लायेंगे। रीजन्स को अभी हम पढ़ेंगे और फिर अपना दिमाग बनायेंगे, वास्तव में ये रीजन्स थे या नहीं ?

**श्री सभापति** : चूंकि विधेयक पुरःस्थापित हो चुका है,

**श्री परसराम मदेरणा** : हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आप निश्चित तौर पर हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे।

**श्री मूलचन्द डागा** : नियम 266।

**श्री सभापति** : नियम के अन्तर्गत ही कार्य चलता है और मैं माननीय विरोधी दल के नेता से सहमत हूं, लेकिन जो चीज सदन के सामने...

**श्री माणकचन्द सुराणा** : सभापति महोदय, जो पुरःस्थापित किया गया है वह बिल है, उसके रीजन्स इसमें दिये हैं, ऑर्डिनेन्स को रद्द करने के लिए आप स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स और रीजन्स के अभाव में निश्चित रूप से कहते तो वह दिलाने में कोई बाधा नहीं हो सकती थी। रीजन्स के अभाव में कोई अध्यादेश रद्द किया जाय, लेकिन जो बिल आया है उसमें स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हुए हैं, इसलिए वैधानिक आधार पर वह आपत्ति नहीं ठहरती है।

**श्री खेतसिंह राठौड़** : ठहरती है, बोलो मत।

**श्री परसराम मदेरणा** : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य के सामने शायद आज का बिजनेस नहीं है। बिल को इन्ट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ऑर्डिनेन्स के रीजन्स सदन की मेज पर रखे हैं, आज तो हमको अवेलेबल होंगे, रात को कोई सचिवालय से ले गया।

**श्री भैरोंसिंह शेखावत** : बिल पुरःस्थापित कर दें जब ही रीजन्स देंगे।

# Page No 95

95



श्री परसराम मदेरणा : बिल को अब इन्ट्रोड्यूस किया है, अगर दो दिन पहले मुद्रित प्रतियां नहीं मिलती हैं तो बिल पुरःस्थापित नहीं होता, आज तो रीजन्स रखे जा रहे हैं। "राजस्थान कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1978) को जारी करने के कारणों के विवरण को सदन की मेज पर" रीजन्स रखें तो उसकी जानकारी के अभाव में स्टेट्यूटरी मोशन कैसे मूव कर सकते हैं ?

श्री माणकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 63 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें साफ है कि —

"Whenever a Bill seeking to replace an Ordinance with or without modification is introduced in the House there shall be placed before the House along with the Bill a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance."

रूल 63 सारे मामले के लिए बहुत साफ है।

A statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance....

श्री मूलचन्द डागा : What have you read ?

श्री माणकचन्द सुराणा : I have read Rule 63 of the Rules of Procedure.

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान् आर्डिनेन्स के साथ-साथ रीजन्स देने होंगे।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, डागाजी अंग्रेजी नहीं समझें तो इसमें मेरा दोष नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य,

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, यह गलत समझ रहे हैं, अंग्रेजी का तर्जुमा नहीं आ रहा है।

श्री खेतसिंह राठौड़: इसको मेरा ख्याल है, आप गलत बता रहे हैं,

श्री मूलचन्द डागा : 63 का (2) तो पढ़कर देखें, वह छोड़ गये —

"Whenever an Ordinance which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a Bill pending before the House is promulgated a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance shall be laid on the Table at the commencement of the Session following the promulgation of the Ordinance."

श्री परसराम मदेरणा : You should have placed it on the Table of the House.

श्री मूलचन्द डागा : आप गलती कर रहे हैं और गलती करके हावी हो रहे हैं।

# Page No 96

(५८)



(श्री मूलचन्द डागा)
हमारे ऊपर। गलती पर नेता महोदय तो चुप हो गये, और ये अपनी गलती नहीं मानते हैं।

श्री अब्दुल अजीज : ये समझते नहीं हैं कि····

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : It should have been placed.

श्री सभापति : Which rule you are quoting ?

श्री परसराम मदेरणा : I am just refering to Rule 63. He has not read the other portion.

श्री मूलचन्द डागा : उसको छोड़ दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : He has not read the other portion.

मेरा निवेदन है कि जो आर्डिनेन्स सर्क्यूलेट किया उसकी कॉपी तो सर्क्यूलेट कर दी लेकिन उसके जो सेपरेट रीजन्स दिये जाते हैं वह आपने सर्क्यूलेट नहीं किये। जब आप इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर हैं तब आप हाउस की टेबुल पर इस बिल के रीजन्स रख रहे हैं। मैंने कल ही बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, जो हमारी पार्टी के सेक्रेटरी हैं, से पूछा कि वह बिल कैसे आ रहा है इसकी कॉपी तो आयी नहीं हमारे पास। अभी जब सात तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें इस बिल को कल लेने की बात हुई थी। यह बिल जब कल इस सदन में आ रहा है तब आप आज बिल के रीजन्स सदन की टेबुल पर रख रहे हैं। मेरे बिल दो-तीन दिन पहले तो सर्क्यूलेट होने चाहिये, उनके रीजन्स भी पहले सर्क्यूलेट सेपरेटली होने चाहियें। नहीं तो जो कान्स्टीट्यूशन की धारा 213 है उसके अनुसार आप काम नहीं कर रहे हैं। हम रीजन्स देखे बगैर संशोधन रख नहीं सकते। बिल हाउस में इन्ट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है तो रीजन्स देखे बिना संशोधन दे देंगे तो फिर वही हमारी दशा होती जैसी कि बिक्री कर वाले बिल के मामले में हुई थी। उस पर मैंने अमेंडमेंट दे दिया और अध्यक्ष महोदय ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि बिल तो इन्ट्रोड्यूस नहीं हुआ आप कैसे संशोधन रख रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि रीजन्स बिल के पहले आप सेपरेटली सर्क्यूलेट कराइये और संशोधन आदि देने के लिये जो समय दिया जाता है वह समय आप बढ़ाइये ताकि हम हमारे संशोधन प्रस्ताव जो भी देना चाहें, वह दे सकें।

श्री माणकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, यह भ्रम में पड़ गये हैं। समझे नहीं हैं। मैं बताता हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें सिर्फ आप की सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। कोई भ्रम में नहीं पड़े हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : खेतसिंह जी साहब, आप विधि मन्त्री तो रहे हैं लेकिन आपने अदालतों और कचहरी के कानूनी काम नहीं किया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम ऐसी गलती नहीं करते थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : इन्होंने वकालत नहीं की, विधान सभा की वकालत करते थे उसके लिये कचहरी जाते थे।

श्री माणकचन्द सुराणा : सभापति महोदय, जो बिल ऑर्डिनेंस की शक्ल में आता है और जो किसी कार्यवश विधान सभा में नहीं लिया जावे और बाद में लिया जावे उसके लिये हमारे रूल्स ऑफ़ प्रोसीजर के रूल 63 (2) में स्पष्ट दिया है आप उसको दुबारा पढ़ें। मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं "Whenever an Ordinance which embodies wholly or partly or with modification the provisions of a Bill pending before the House is promulgated...... ......"

जो बिल हाउस के सामने पेन्डिंग पड़ा हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आगे पढ़ें।

श्री माणकचन्द सुराणा : पढ़ रहा हूं आगे भी, आप धीरज नहीं खोयें। इतने अधीर क्यों हो रहे हैं?

"...... a statement explaining the circumstances which had necessitated immediate legislation by Ordinance shall be laid on the Table at the commencement of the session following the promulgation of the Ordinance."

श्री मूलचन्द डागा : इसमें क्या है?

श्री माणकचन्द सुराणा : आप खाली क्यों फूक रहे हैं।

ऑर्डिनेन्स जो कि विधान सभा में कानून बनने के लिए विचारार्थ रहता है, उस स्थिति में स्टेटमेंट देना जरूरी है।

(व्यवधान)

डागाजी, यह अंग्रेजी का मामला है आप नहीं समझेंगे। हिन्दी का मामला नहीं है।

आप रूल 63 (2) को देखें, पढ़ें और समझें। रूल 63 (2) को देखने से स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि इसमें जरूरत नहीं है। रूल 63 (1) जो है वह इस पर लागू होता है। आप देख लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब समझ गये। समझ में आ गया।

श्री मूलचन्द डागा : That is not the interpretation. You may again go through it. इसका मीनिंग क्या हुआ?

श्री माणकचन्द सुराणा : मैंने व्याख्या कर दी लेकिन आप समझेंगे नहीं परसराम जी मदेरणा विरोधी दल के नेता समझ गये।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, जो इन्टरप्रिटेशन रूल 63 का किया है माननीय सदस्य ने, इसका मतलब यह है कि जो बिल सदन के सत्र में पेन्डिंग था और इस सत्र में उसको पास नहीं किया तो हमारे सदन की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं लॉ मेकिंग की उससे कहां मेल खाता है। ऑर्डिनेन्स तो पेन्डिंग है बिल फर्मेन्समेंट में है...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रूल 63 (1) से कवर हो जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : रीजन्स तो पहले सक्यूलेट किये जाने चाहियें । वह पहले नहीं किये और आज कर रहे हैं तो आपको हमें समय देना पड़ेगा । कल आप बिल ले रहे हैं हमारे पास 24 घन्टे का भी समय नहीं है । कम से कम आपको बिल को तो सक्यूलेट करना चाहिये । बिल हाउस में इन्ट्रोड्यूस नहीं हो, उसके पहले हम अमेन्डमेन्ट दे नहीं सकते हैं दे तो अध्यक्ष महोदय, उसको रिजेक्ट कर देते हैं यह कह कर कि जब बिल ही सक्यूलेट नहीं हुआ है तो आप किस पर अमेन्डमेन्ट देने जा रहे हैं । बिल इन्ट्रोड्यूस नहीं हुआ तो अमेन्डमेन्ट किस पर दे रहे हैं । मैंने अमेन्डमेन्ट दिया था उन्होंने रिजेक्ट कर दिया । यह तो फिर हवाई चान्दमारी हो गयी कि बिल तो इन्ट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, यह आप कैसे हवाई फायर कर रहे हैं ।

It is a very serious matter.

अब अगर इस बिल के रीजन्स को देखें तो पता लगेगा कि जो भी रीजन्स दिये होंगे वह लचर होंगे गवर्नर साहब को जो आर्टिकल 213 ऑफ दी कान्स्टीट्यूशन के अन्तर्गत स्पेशल पावर्स लॉ मेकिंग की दी हुई हैं उन स्टेच्यूटरी पावर्स का यूज किया है । अब अगर बिना हाउस में बिल के इन्ट्रोड्यूज हुए हम अमेन्डमेन्ट दें तो रिजेक्ट हो जाये क्योंकि बिल सक्यूलेट नहीं हुआ और आप आज रीजन्स उस बिल के रख रहे हैं हाउस की टेबुल पर जो कल लिया जायगा ।

श्री मूलचन्द डागा : यह सब गलत इन्टरप्रिटेशन किया है सुराणाजी ने । आप बहुमत के आधार पर धान्धली कर रहे हैं ।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मैंने रूल 63 को देख लिया । माननीय सदस्य, जो लूणकरणसर से आते हैं, रूल 63 (2) का जो इन्टरप्रिटेशन किया है, वह सही है । जहां तक सवाल टाइम का है माननीय सदस्य कल बिल के लिये अपने अमेन्डमेन्ट कल सुबह दस बजे तक यहां पर दे सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : आप कल 11 बजे तक दे सकते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या वह सक्यूलेट हो जायेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर देंगे सक्यूलेट ?

श्री मदनसिंह दांता : अब आ गयी अक्ल जी समझ में सुराणाजी ।

श्री माणकचन्द सुराणा : यह तो आपको आनी चाहिये ।

श्री मूलचन्द डागा : यही कारण था कि आपको केबिनेट में नहीं लिया गया ।

श्री सभापति : कल सुबह 11 बजे तक अपने अपने अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य दे सकते हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इतनी जल्दी क्या है, हम दस तारीख को भी बैठ सकते हैं । सदन बिठा लें दस तारीख को भी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके ऑपरेशन का क्या होगा ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978

**श्री सभापति** : माननीय मन्त्री जी। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री !

**श्री पुरुषोत्तम मन्त्री** (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जावे।

**श्री सभापति** : क्या सदन की राय है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

परिनियत संकल्प

**श्री मूलचन्द डागा** : यह कैसे हो सकता है ? पहले इसके आइटम हैं वह लें। इसमें दिया है कि श्री रामनारायण चौधरी एवं श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे। पहले संकल्प लेना होगा। बाद में विचारार्थ लिया जा सकेगा।

**श्री सभापति** : माननीय श्री मूलचन्द जी डागा !

**श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर, 1977 को प्रख्यापित राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (अध्यादेश संख्या 4 सन् 1977) को अस्वीकार करता है।"

यह जो संकल्प मैंने रखा है, इसकी एक भावना है। मुझे मालूम हुआ है कि आपने बैरी आयोग बैठा दिया है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** (मुख्य मन्त्री) : एक मिनट, माननीय डागा जी !

सभापति महोदय, व्यवस्था इस प्रकार की रही है कि अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय, यह जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है और जो विचारार्थ लेने का प्रस्ताव किया गया है यह दोनों साथ, साथ नहीं आ सकते हैं। या तो इसको विचारार्थ लें या यह संकल्प प्रस्तुत करें। अब तक पार्लियामेंट में भी यही व्यवस्था रही है।

**श्री परसराम मदेरणा** : स्टेट्यूटरी मोशन के सम्बन्ध में पूर्व में यह व्यवस्था रही है यह स्टेट्यूटरी मोशन है, और मोशन है, बिल सलेक्ट कमेटी को रैफर किया जाय या पब्लिक ओपिनियन के लिये सक्यूलेट किया जाय। 65 से पहले तो ऐसा मोशन आया ही नहीं था केवल सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ही लेकर आये थे, कल भी ऑर्डिनेन्स आने के बाद ही सरकार की ओर से जवाब हुआ है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों मोशन्स हैं, बिल को सलेक्ट कमेटी को रैफर करने का और ऑर्डिनेन्स को रिजेक्ट करने का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।

**श्री भैरोंसिह शेखावत** : वह एक ही बात है।

श्री सभापति : माननीय डागाजी !

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, हिन्दुस्थान के बड़े-बड़े अर्थ शास्त्री और हमारे माननीय मंत्री जी भी मानेंगे इस बात को कि गरीबों को जमीन देनी है। अन्त्योदय का नारा तो दे दिया, गले में ढोल पीटने के लिये डाल दिया आपने लेकिन भगवान जाने अन्त्योदय वालों को जमीन भी उपलब्ध होगी या नहीं। हाउस में मैंने अन्त्योदय योजना के बारे में विवेचन भी पूछा था। अन्त्योदय योजना के रूप में सदन के नेता ने बड़ी अच्छी चीज पकड़ा दी। सारे विधायक लेकर इसको फिरते हैं। हमारे पास भूमि उपलब्ध है या नहीं, यह प्रश्न पैदा होता है। हम गरीब को जमीन दे सकते हैं या नहीं ? पिछली सरकार ने यह सोचा था कि सीलिंग कानून के अन्तर्गत उनसे जमीन को किस तरह से लिया जाय जिन्होंने चाहे अफसरों की मिली भगत के कारण, चाहे अधिकारियों की साजिश के कारण चाहे प्रभावशाली लोगों के कारण, बड़ी-बड़ी जमीनें हड़प ली हैं, अपने नाम, अपनी धर्मपत्नी के नाम और बेनामी तौर पर जमीन ले ली हैं, उन हड़पी हुई जमीनों को किस प्रकार से वापिस लिया जाय। इसके लिये एक सीलिंग कानून बनाया गया। जब 20 पॉइन्ट प्रोग्राम कांग्रेस के शासन काल में चला था और भूमि सुधारों की बात हो रही थी उस समय मैंने खुद जगह-जगह गांव-गांव में घूम कर देखा। कहीं भी राजस्थान में सीलिंग लॉ का इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ। कानून जरूर है। कई सालों से अर्थ शास्त्री और हमारे लोग कहते हैं, सदन के नेता बड़ी बुलन्द आवाज में कहते हैं भूखा, नंगा राजस्थान है, 56 पर्सेन्ट आदमी बिल्कुल गरीब हैं। बेचारे अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों का आज भी शोषण होता है। उसका कारण यह है कि जो बड़े-बड़े लोग थे, पहले के जमाने में जागीरें थीं तो जागीरदार लोग थे, बड़े-बड़े आसुदा लोग थे, वे लोग थे जो प्रभावशाली थे और शासन में जो लोग थे....

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के थे।

श्री मूलचन्द डागा : उन्होंने जमीनें दबा रखी हैं। हमने इसीलिये कहा था कि सीलिंग लॉ को इम्प्लीमेन्ट किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इण्डिया के 'इकॉनोमिस्ट' को माननीय चरणसिंह जी ने इन्टरव्यू दिया। हिन्दुस्तान के गृह मंत्री जी ने इन्टरव्यू दिया उसमें उन्होंने बताया है और कई बार जे. पी. साहब ने भी कहा है कि क्रान्ति लानी है और गरीब को स्वावलम्बी बनाना है। बलवन्तराय मेहता ने रिपोर्ट दी। महात्मा गांधी के स्वप्न पूरे करने हैं तो जो Rural rich exploite the rural poor गांवों में रहने वाले कुछ लोग गांव के रहने वाले अधिकांश लोगों का शोषण करते हैं, हजारों बीघा जमीन उनके पास कब्जे में है, उस जमीन को उनसे लेना होगा। मैंने इसी सदन में एक प्रश्न पूछा था और माननीय पुरुषोत्तमजी मंत्री ने जवाब दिया था, बहुत बड़ा जवाब दिया था, श्रीमान्, उसमें बताया गया था, मेरे पाली जिले के लिये कि 167 केसेज रीओपन हो चुके हैं। वह कई सालों से रीओपन किये हुए केसेज हैं। एक मर्यादा आता है एक तरफ 30 साल और दूसरी तरफ 10 साल। योजना शुरू होगी उसके लिए दस साल एक

(श्री मूलचन्द डागा)
रटा हुआ फ़ेज हो गया ताकि एक चुनाव और आ जाय ।

श्री बाऊदयाल जोशी : वे तो आते रहेंगे ।

श्री मूलचन्द डागा : आ गये । अब हिम्मत करके बोलो मत ।

एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जब बलवन्तराय मेहता कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम इतने एकड़ जमीन एक आदमी को सिंचाई के लिये देंगे, इतने एकड़ जमीन सिंचाई के लिये उसके पास रहेगी । आपका कानून बन चुका । खेतीहर मजदूरों पर और हरिजनों पर अत्याचार होते हैं, अत्याचारों की रोज घटनायें होती हैं वह इसलिये कि उन अधिकारों का उन लोगों ने मिस यूज किया । हजारों की संख्या में आज भी ऐसे लोग हैं जिनके पास हजार-हजार बीघा जमीन है, पांच-पांच सौ बीघा जमीन है । जमीनों को वे लोग दबाये बैठे हैं । वे लोग उनका लाभ उठा रहे हैं । राजनैतिक संरक्षण मिलने के कारण यह सब हुआ है । हम लोग, जो राजनीतिज्ञ हैं, इस बात को जानते हैं कि आज भी बड़े-बड़े काश्तकार हैं । पहले मोटे-मोटे जागीरदार थे, वे अपनी जमीनों के मालिक थे । वे निकम्मे फिरते हैं । "जो जोते उसकी जमीन" यह कर दो तो क्या बढ़िया है । पुरुषोत्तम जी जैसे आज रेवेन्यू मिनिस्टर हैं । इस पर देर से तो आये, काफी दिनों के बाद आये इनसे मेरा निवेदन है कि टीनेन्सी एक्ट में यह आ जाय कि जो मेहनत करे खेती की जमीन उसकी रहनी चाहिये । आज बड़े-बड़े लोगों ने राज करना शुरू कर दिया । जमीन पर कोई काम करे, धान जिन लोगों के घर में आता है वे ही प्रधान बनते हैं, वे ही सरपंच बनते हैं, वे ही पंच बनते है, वे ही भैरोंसिंह जी, मोटे-मोटे कारखाने चलाते हैं । कोई नहीं छोड़ता ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : संक्षेप में माननीय सदस्य ।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत संक्षेप में कहूंगा । संक्षेप में कहने का असर भी होगा ।

हमारे मंत्री जी बड़े ईमानदार हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपके आने के बाद कितने सीलिंग के केसेज तय हुए, यह आप बताने की कृपा करें । हमने तो गलती की । यह एक्ट लाने का पर्पज क्या है ? यह एक साल के लिये लाया गया है । क्या श्रीमान्, यह बतायेंगे कि आपने एक साल की मियाद क्यों रखी ? क्यों रखी आपने एक साल की मियाद ? जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि जो 30 साल में पाप किये वह खोले जायेंगे और भ्रष्टाचार के केसेज खोले जायेंगे । उस समय तो कहा कि नहीं साहब जब से शासन में आये उसके पहले जो आरोप लगाये गये हैं उनके केसेज खोले जायेंगे ...

श्री ईश्वरचन्द्र : कमेटी बना रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : हां, बनाओ ना कमेटी ।

वह तो कहते है 30 साल के केसेज खोले जायेंगे और इस कानून में है कि एक साल में करेंगे । एक साल में कोई

# Page No 102

(१०३)



(श्री मूलचन्द डागा)

मुकदमात तय नहीं होते। मुकदमे एक साल में फैसल नहीं हो सकते। फिर भी इन्होंने एक साल की मियाद बढ़ा दी। मैं, माननीय सभापति जी, आपके द्वारा आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जो बड़े वकील भी हैं कि क्या जो मुकदमे सीलिंग कानून में हैं उनका फैसला करना चाहते हैं या नहीं ? आप सीलिंग कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं ? इसके लिए आपका दिल है या नहीं ? मैं चार्ज लगाता हूं कि यह सामन्तवादी सरकार, यह जमींदारों की सरकार और पूंजीपतियों की सरकार उनको संरक्षण देना चाहती है। अगर संरक्षण नहीं देते तो जिस प्रकार बेरी आयोग में आपने भूमि के अलॉटमेंट की जांच की बात की है, आप कहते हैं कि अब अलॉटमेन्ट को कैंसिल करेंगे, हम उस चीज को कैंसिल करेंगे तो मैंने बेरी आयोग के टर्म्स एण्ड रैफरेन्सेज को पढ़ा है और रेडियो पर भी भाषण सुना है......

**श्री सुभाषचन्द्र** : आपके बड़े नेताओं ने नाचना के भूतपूर्व जागीरदार श्री गोविन्द-सिंह जी से जागीर समाप्त होने के बाद राजस्थान नहर क्षेत्र की गलत ढंग से जमीन प्राप्त की हुई है। आप भूले नहीं, आपने सब कुछ किया है।

**श्री मूलचन्द डागा** : आप छीनो तो सही...

**श्री दाऊदयाल जोशी** : माननीय डागा जी, आपके किसी भी सदस्य से दाऊदयाल जोशी अपनी सारी सम्पत्ति को बदलने के लिए तैयार है। जितने भी पैसे वाले, जितने धनाढ्य और तथाकथित मालदार व्यक्ति आपकी पंक्ति में बैठे हुए हैं, मैं चैलेन्ज करता हूं कि आपके किसी भी सदस्य से दाऊदयाल जोशी अपनी सम्पत्ति बदलने के लिए तैयार है।

**श्री मदनसिंह दांता** : मैं स्वीकार करता हूं। मैं आपकी सम्पति से बदलने के लिए तैयार हूं।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

**श्री दाऊदयाल जोशी** : हम खुद गरीब हैं और गरीबी क्या होती है किसको कहते हैं यह हम अच्छी तरह से जानते हैं।

**श्री मूलचन्द डागा** : अपने पापों को ढांकने के लिए जोर-जोर से बोले।

(व्यवधान)

श्रीमान्, मैं यह अर्ज करना चाहता था कि जो बेरी आयोग बैठाया गया उस बेरी आयोग के टर्म्स एण्ड रैफरेन्स आपने दिये हैं, उसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो सीलिंग लॉ में किसी ने जमीन दाबी हुई है उसको भी निकाला जायेगा। आपने घोषणा की कि हम जमीनों के घोटाले निकालेंगे। लोग समझते थे कि बहुत बड़ा काम कर दिया है श्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने। हम तो जानते हैं श्रीमान भैरोंसिंह जी शेखावत गये और पीछे जीरो। यहां विकेन्द्रीयकरण की तो बात ही नहीं है। केन्द्रीयकरण है। जोशी जी आप कहां फंस गये आप तो आयुर्वेद में ही रहो।

**श्री सभापति** : आप आसन को ही सम्बोधित करें, माननीय सदस्य।

# Page No 103



श्री मूलचन्द डागा : मैं क्षमा चाहता हूं, माननीय सभापति जी।

तो मैंने अर्ज किया कि मैंने इसको क्यों रखा है अस्वीकार करने को। आपका इरादा नहीं है। राजस्व अभियान को सफल करने का, जिसका आप नगाड़ा पीटते हैं और 11 लाख और 5 लाख केसेज हमने तय किये, ऐसा कहते हैं तो दुनिया सोचती है और अचम्भा करती है। मोरारजी का आप सर्टिफिकेट ले लो। जोशी जी बड़े ईमानदार सदस्य हैं, वे और गिरधारीलालजी भार्गव और जयनारायणजी सालोदिया सीलिंग से ज्यादा भूमि को नहीं ले सकते। सीलिंग की जमीन है, यह जमीन छीनकर भूमि हीन को दिलवा दें तब तो हम कहते हैं कि हां भूमि अभियान है। अभियान चला कर लोगों को धोखा देते हो। यह सही अभियान तभी होगा जब कि आप लोगों से जमीन छीनेंगे और रूरल रिच को कम करेंगे।

(व्यवधान)

आप अपनी जगह से बोलिये। आपको ग्रोथ नहीं दिलाई है।

ट्रेजरी बेन्चेज से बोल रही हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, कृपया बैठें।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय सभापति महोदय, नियम बने हुए हैं कि सदस्य सदन में जहां बैठें उसी जगह से बोलें। मुझे मालूम नहीं था कि ट्रेजरी बेन्चेज से क्यों बोल रही हैं।

श्री सभापति : हो सकता है उनका प्रमोशन हो गया हो।

श्री मूलचन्द डागा : मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुख्य मन्त्री जी ने प्रमोशन कर दिया। आपका कहना है, तो बहुत अच्छी बात है। एक भी महिला पूरी मन्त्री नहीं बनी है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि चरणसिंह जी ने बताया है जमीन थोड़ी है तो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने बताया।

"As regards disparities in the area of land held by the cultivators *inter-se*, we will refer the reader to the reports on agricultural census (Government of India 1970-71). He will find that while as many as 50.6 per cent, of the cultivators together held only 9 per cent of the land in 1970-71 only 3.9 per cent of the cultivators held as much as 30.9 per cent."

कुछ लोगों के पास जमीनें हैं, चन्द लोगों के पास जमीनें हैं और दूसरे लोगों के पास जमीनें हैं नहीं। मैं कहता हूं कि इन लोगों को किसने इम्प्लीमेन्ट कर दिया? माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में इस प्रकार के केसेज 28 हजार हैं। इम्पार्टेन्ट केसेज की लिस्ट, मैं आपके सामने रखूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सब लोगों ने बेनामी जमीनें ले रखी हैं। फैमिली के नाम की जमीनें हैं और लन्दन में रहते हैं, उनके नाम की जमीनें हैं, उनके कुत्ते थे उनके नाम की जमीनें हैं, नौकर थे उनके नाम की जमीनें हैं। जमीनों का सारा लाभ चन्द लोग उठाते

# Page No 104



(श्री मूलचन्द डागा)

हैं। एक वर्ग बन गया है गांवों में और उनकी हुकूमत है गांवों में और गरीबों का शोषण होता है। श्रीमान, यह अधिकार हवा से नहीं आते। जो हमारे अधिकार छीन लिये या तो हमें गवर्नमेन्ट अधिकार दिला दे नहीं तो क्रांति आयेगी। खूनी क्रान्ति आयेगी। आज नहीं तो थोड़े दिनों के बाद आयेगी। यह संविधान टूटेगा। 'गरीबी हटाओ' का नारा हमने लगाया। आपने कहा हम समग्र क्रांति लायेंगे, गांवों में क्रांति लायेंगे आप कानून ले आये कि एक साल में केसेज तय कर देंगे...

**श्री भंवरलाल ऐरन :** डागा जी, आप ज्योतिषी कब से बन गये ?

**श्री मूलचन्द डागा :** रहने दो ऐरन साहब, आप गलत जगह बैठ गये। इनकी मन्शा नहीं है।

आप यह बतायें कि आपका राज्य कब से हुआ ? आपका राज्य हुए कम से कम आज 7-8 महीने हो गये। इन 8 महीनों के अन्दर कौन सा आपने काम कर लिया ? आपने अमेंडमेंट्स लाने के बाद में कौन से केसेज तय कर लिये ? आपको आॅर्डिनेन्स लाने की बहुत जरूरत थी। आॅर्डिनेन्स आ गया फोर्स में, उसके बाद कौन से केसेज आपने ले लिये, बताइये ? श्रीमन्, हम यह चाहते हैं कि जब मन्त्री महोदय, जवाब दें तो वे अपनी पूरी हिस्ट्री बतायें कि आॅर्डिनेन्स लाने के बाद इतनी जमीन छीनी है उन लोगों से तब तो हम जानेंगे कि नैसेसिटी अराइज हुई। आपने बताया कि एक साल में सारे मामले हल कर लेंगे। एक साल में वह हल नहीं होने वाले हैं। इसलिए मैंने संशोधन पेश किया है कि एक साल में काम नहीं चलेगा इसलिये आप मेहरबानी करके 5 साल ले लें और अपना पीरियड पूरा कर लें। इस प्रकार से आधी मन्शा से काम किया, अधूरे मन से काम किया और अनिच्छा से काम किया तो वह पूरा नहीं होगा, और लोग कहेंगे कि जनता पार्टी की सरकार सामन्तवादियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है।

**श्री सभापति :** माननीय मन्त्री महोदय उत्तर दें।

**श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) :** माननीय सभापति महोदय, माननीय मूलचन्द जी डागा ने कुछ ऐतराजात उठाये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग के जो मुकदमात थे वह नियमानुसार री-ओपन हो रहे थे। जब इमर्जेन्सी समाप्त हुई, तब जो लोग बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं...

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** नाम दें।

**श्री सभापति :** कृपया व्यवधान न करें।

**श्री पुरुषोत्तम मन्त्री :** वह जब जेल से मुक्त हुए तो उस समय के मुख्य मन्त्रीजी, जो कांग्रेस के थे, से मिले। उनसे कहा कि अगर आप इन सीलिंग के केसेज को री-ओपन करना बन्द कर दें तो हम आपकी पार्टी में आ सकते हैं, चुनांचे कुछ त्रुटियां हुई हैं और लोगों का एक बहुत बड़ा भारी समूह कांग्रेस पार्टी में मिल गया...

श्री मूलचन्द डागा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। यह चार्ज है…

(व्यवधान)

यह हमारी पार्टी पर चार्ज है। आप लोगों के नाम बतायें।

(व्यवधान)

यह हमारी पार्टी पर चार्ज लगा रहे हैं तो उन लोगों के नाम खोलें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया, माननीय सदस्य, उत्तेजित न हों। आप बैठिये।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : तो, माननीय सभापति महोदय, तत्कालीन मन्त्रिमण्डल ने चुनाव होने से पूर्व एक निर्णय लिया कि सीलिंग के जो केसेज री-ओपन हो रहे हैं वह री-ओपन नहीं किये जायेंगे। मन्त्रि-मण्डल द्वारा यह निर्णय लिया गया इस निर्णय के बाद कुछ त्रुटियां हुई और वह नेता कांग्रेस में शामिल हो गये थे। पहले वह विरोध में थे। इसके बाद नई सरकार बनी तो एक राजनैतिक सौदेबाजी की गई थी तत्कालीन कांग्रेसी हुकूमत द्वारा। मैं, माननीय सभापति महोदय, सदन को यह आश्वासन देता हूं कि जनता पार्टी ऐसे मामलों में या किसी मामले में कोई राजनैतिक सौदेबाजी नहीं करेगी। और जो कानून है उस कानून की अनुपालना की जायेगी। अब तक लगभग 1,100 केसेज राज्य सरकार के सचिवालय में पेंडिग हैं। उस केबिनेट के निर्णय को बदलने की कोशिश की जा रही है। वह विचाराधीन हैं मामले। यह ऑर्डिनेन्स इसलिये निकाला गया कि इनकी मियाद खतम हो रही थी और ज्यादा समय नहीं था। जो मुकदमात सारे राजस्थान में हैं उनमें से सबसे अधिक मुकदमात राजस्थान के सचिवालय में हैं और कुछ मुकदमात बाकी जिलों के अन्दर हैं। उनके लिये भी कार्य-वाही रोके जाने के आदेश इश्यू हो गये थे इसलिए वे रुके हुए हैं। इसलिए यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया है।

दो-तीन बातें और कही थीं माननीय सदस्य ने बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के लिए। मैं श्री चरण-सिंहजी की जो नई पुस्तक निकली है इकॉनॉमिक पालिसी पर, वह दिल्ली से लेकर आया हूं। वह मैंने पूरी नहीं पढ़ी है। मैं अभी गया था तो लेकर आया हूं पढ़ने के लिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं बहुत नम्रतापूर्वक, कि सीलिंग के कानून बनाने से पहले बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट आयी थी और भी रिपोर्ट्स थीं आपने सारी रिपोर्टों का अध्ययन करके सीलिंग कानून बनाया। पहला कानून बनाया, दूसरा कानून बनाया। दुर्भाग्य से दूसरा कानून इस तरह से बनाया है कि जो दूसरा कानून प्रगतिशील होना चाहिए था, प्रगतिशील नहीं रहा और पहला कानून प्रगतिशील हो गया। व्यावहारिक दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सही बात है। बलवन्तराय कमेटी की रिपोर्ट की सारी बातों का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं समझता।

यह कहा गया कि हमारी नीति क्या है? जमीन कितनी है? इसके लिए मैं रेवेन्यू विभाग की डिमाण्ड जब थी तब निवेदन कर चुका हूं कि, राजस्थान सरकार

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)

की यह नीति है एग्रेरियन रिफार्म्स के बारे में कि जमीन उसकी है जो जोते। सीलिंग कानून के बारे में भी मैंने निवेदन किया था कि सीलिंग में संशोधन कर दिया जायगा बिना सीमा घटाये। लेकिन, माननीय डागाजी, मैं आपकी सूचना के लिए निवेदन कर दूं कि इन फाइलिंग्ज से जो आपके बड़े-बड़े नेता हैं वह ढेर हो जायेंगे।

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, कृपया बैठिये।

**श्री मूलचन्द डागा :** माननीय दाऊदयाल जी बोलते-बोलते वहां आ गये।

**श्री सभापति :** मैं डागाजी से निवेदन करना चाहूंगा, कृपया सुनें।

**श्री मूलचन्द डागा :** हम मन्त्री जी को सुनेंगे लेकिन वह क्यों वहां से वहां आ गये।

**श्री सभापति :** व्यवधान न डालें। बोलने दें।

**श्री पुरुषोत्तम मंत्री :** माननीय सभापति महोदय, यह बात कही गई कि जमीन बड़े आदमियों के कब्जे में जा सकती है। कानून के मुताबिक हरिजनों की और गरीब आदमियों की जमीन बड़े आदमियों के कब्जे में नहीं जानी चाहिए, राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कि नहीं जानी चाहिए। कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ी हंसी आती है और बड़ा दुःख होता है जब ना पक्ष के माननीय सदस्य हरिजनों की बातें करते हैं। बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने, जो बड़े जोर शोर से बोलते हैं, हरिजनों की जमीनें छीन कर अपने कब्जे में कर लीं, मेरे पास फाइल्स हैं। जो मेम्बर्स यहां हरिजनों के लिए बोलते हैं उनकी फाइल्स हैं जिन्होंने हरिजनों की जमीनें छीनकर अपने कब्जे में करलीं ...

**श्री मूलचन्द डागा :** यह हमको डराना चाहते हैं। आपने फाइल खोलकर उन केसेज का निपटारा क्यों नहीं किया ?

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, कृपया बैठिये।

**श्री रतनलाल वर्मा :** कांग्रेस के नेताओं ने जमीनें अपने नाम कर लीं।

**श्री सभापति :** श्री वर्मा जी, माननीय सदस्य, कृपया बैठिये। आप स्थान ग्रहण करें। मैं नम्रतापूर्वक माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, जो ट्रेजरी बेंचेज पर माननीय सदस्य बैठे हैं उनको खास तौर से शान्ति रखनी चाहिए।

**श्री मूलचन्द डागा :** पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

**श्री सभापति :** बैठिये आप। दाऊदयाल जी, आप बैठ जाइये।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने कुछ रेफरेन्स किया है ...

(व्यवधान)

आप बीच में न बोलें। जब आसन पैरों पर है तो क्यों बीच में बोलते हैं।

(श्री सभापति)

जब मंत्री महोदय रेफरेन्स दे रहे हैं कि मंत्रियों ने किया है, फाइल है तो यह आने दें उस पर फैसला होगा।

**श्री मूलचन्द डागा :** सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी पर लांछन नहीं लगा सकते। रूल्स 299 की ओर ध्यान दिलाते हुए मैं कहता हूं कि इनकी लेंग्वेज कैसी है। इन्होंने कहा है कि हरिजनों की जमीनें कांग्रेस के लोगों के पास दबी हुई हैं....

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** बैठिये, माननीय सदस्य। कृपया बैठिये।

**श्री भंवरलाल ऐरन :** आसन की यह व्यवस्था क्या हमीं पर लागू होती है? माननीय डागाजी से कहें कि बीच बीच में डिस्टर्ब न दें।

(व्यवधान)

**श्री सभापति--**माननीय सदस्य, बैठिये। मैं निवेदन कर रहा था कि अनुशासन बनाये रखना आवश्यक है। ट्रेजरी बेन्चेज पर जो लोग बैठते हैं, उनकी विशेष जिम्मेदारी है कि कार्य-संचालन अच्छे रूप में चले।

**श्री पुरुषोत्तम मंत्री :** एक बात और निवेदन करूंगा, 28 हजार केसेज हैं। मैं निवेदन करूंगा, उसके बारे में नियमानुसार कार्यवाही करने में मैं सक्षम हूं तो जरूर कार्यवाही की जायेगी।

एक बात और बता देना चाहता हूं कि राजस्व अभियान के दौरान यह कार्यवाही क्यों नहीं की गई। पहली बे आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं, वे स्वयं वकील हैं, सीलिंग के मामले को पुनः खोले जाने का मामला निहायत टेक्निकल है। कलेक्टर्स को पावर्स नहीं है। फिर किस तरह से उसको खोला जाये। राजस्व अभियान से इसका संबंध नहीं है। इतना ही निवेदन करके, सदन को आश्वासन दूंगा कि कानून के अन्दर जो भी गड़बड़ी है, पालना करने में गड़बड़ी हुई है उसके लिए कानून के मुताबिक कार्यवाही करने का मैं आश्वासन देना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह जो मैंने संशोधन रखा है, विचारार्थ लिया जावे।

**श्री मूलचन्द डागा :** मैं तो दो प्रश्नों का उत्तर चाहता था। यह कानून ऑलरेडी था, इसका स्टे आपने कर दिया, क्यों किया? और करने के बाद कितने केसेज आपने आर्डिनेन्स लाने के बाद खोले और किस इड कर दिये? तीसरी बात सदस्यों की कमेटी बना दें। उसमें हमारे ईश्वरचन्द्र भटनागर, एच. एन. शर्मा, गिरधारी लाल भार्गव, उजला अरोड़ा को मेम्बर्स के रूप में ले लें। यह कमेटी ओंकारलाल जी साहब, सभापति जी इनकी अध्यक्षता में बना दें तो क्या जांच कराने को तैयार हैं? यह बात चाहता हूं।

**श्री सभापति :** माननीय मंत्री महोदय!

**श्री पुरुषोत्तम मंत्री :** सभापति महोदय, यह तो निवेदन कर दिया कि कानून में जो रोक थी, पुरानी सरकार की रोक थी। मंत्री मण्डल ने यह निर्णय लिया था इनको न लिया जावे। सरकार उनको खोले जाने के लिए विचार कर रही है, इसीलिये कानून बनाया है।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1977 को अस्वीकार किये जाने सम्बन्धी परिनियत संकल्प स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

**श्री पुरुषोत्तम मन्त्री** : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाये।

## विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

**श्री सभापति** : माननीय श्री गिरधारी लाल भार्गव।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल-जयपुर) : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पिछली राज्य सरकार के सीलिंग केसेज री-ओपन नहीं होने के निर्णय को बदल कर यह प्रावधान किया है कि जिन लोगों के सीलिंग के जो केसेज तय हो चुके हैं किन्तु जिनमें शंका है, शुबाह है, उनको उचित मौका देकर उन केसेज को री-ओपन किया जायेगा। यह जो निर्णय लिया है, यह वास्तव में प्रशंसनीय है। माननीय मंत्री जी ने बताया 1,100 केसेज सचिवालय में पड़े हुए हैं और भी कई केसेज...

**श्री मूलचन्द डागा** : यह निर्णय तो हमारी कांग्रेस सरकार का लिया हुआ है।

**श्री सभापति** : बोलने दीजिये, माननीय डागा जी।

**श्री मूलचन्द डागा** : निर्णय तो हमारी सरकार ने लिया है।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** : फिर आपने विरोध क्यों किया ?

**श्री सभापति** : माननीय सदस्या, आप भी बहुत टोका-टाकी करती हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : री-ओपन की तिथि समाप्त हो रही थी, तो राज्य सरकार ने अध्यादेश के द्वारा, माननीय सभापति जी, तिथि को बढ़ाया जाये, यह बहुत आवश्यक था। यदि सरकार तिथि को न बढ़ाती तो केसेज को री-ओपन नहीं किया जा सकता था। कांग्रेस के लोगों ने जमीन को दबाया, यह स्पष्ट है। मैं जयपुर की बात करता हूं, 12 मील की परिधि में, सभापति जी, आप भी मेरे साथ चलें तो देखेंगे कि गैर नियमानुसार तरीके से कांग्रेस के मिनिस्टरों ने, दो मुख्य मंत्रियों ने, जिनमें हरिदेव जोशी भी शामिल हैं...

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : यह गलत है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : यह बिल्कुल सही है। आप उससे पहले मंत्रिमण्डल में सदस्य थे।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसका प्रतिवाद करना ही पड़ेगा, श्रीमान।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाय, इनको कांग्रेस से नफरत हो गई है, श्रीमान निर्दलीय हो गये हैं, प्रगतिशील हो गये हैं तो आप बतायें किन-किन कांग्रेसियों ने जमीनों को दबा रखा है ? आज आप सदन में पोल खोलिये, किन-किन कांग्रेसियों ने जमीनें दबाई तब आपको प्रगतिशील समझेंगे।

तो मेरा निवेदन यह है कि जयपुर शहर में 12 मील की परिधि में, जहां आवंटन नहीं हो सकता, आवंटन गैर कानूनी है, बड़े-बड़े लोगों के फार्म हैं। अजमेर रोड पर आप पधार जायें, पिछले मुख्य मन्त्री जी का फार्म मिल जायेगा। स्वर्गीय बरकतुल्ला का फार्म मिल जायेगा। सोडाला रोड पर फार्मों को गिनते चले जायें। कांग्रेस के मन्त्रियों के फार्म होंगे, ट्रैक्टर होंगे। ट्रैक्टर-ट्रॉली पर टैक्स माफ करने वाली बात आई थी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह चाहते थे व्यावसायिक आधार पर ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाते रहें और टैक्स न लिया जाये। इसलिए मैं यह निवेदन करने जा रहा हूं, किन-किन के पास जमीनें हैं, इसके लिए मेरी यह मांग है कि विधायकों की, विशेषज्ञों की, जिनको विशेष जानकारी हो, एक कमेटी बनाई जाये और इस तरह से यह जानकारी प्राप्त की जाये···

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी का घोषणा-पत्र है, विधायक अपनी प्रॉपर्टी घोषित करेगा। आप अपनी प्रॉपर्टी घोषित करते।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं अपनी प्रापर्टी घोषित कर चुका हूं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेहरबानी करके व्यवधान न डालें।

श्री मदनसिंह दांता : एक विधायक ने सम्पत्ति घोषित की। 30 हजार की चोरी हुई, उसका क्या था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं मांग कर रहा हूं, कमेटी बनाई जाये और जनता से जानकारी की जाये, एक निर्धारित समय में किन-किन लोगों ने किन-किन भूतपूर्व कांग्रेस के लोगों ने नाजायज जमीन दबाई है। जो प्रावधान रखा है उसके आधार पर केसेज को री-ओपन कर सकते हैं, ऐसे केसेज निश्चित रूप से री-ओपन किये जायें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : What is the point of order please ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : कई दफा तय हो चुका है, मुख्य मन्त्री की सीट पर कोई अन्य नहीं बैठेगा। यह गलत परम्परा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, भविष्य में ध्यान रखेंगे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह कमेटी बनाने की मांग है, शोभाराम जी कमेटी ने यह चर्चा उठाई थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा···

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चाहे शोभाराम कमेटी हो और चाहे बेरी कमीशन हो लेकिन जिन लोगों ने जमीन दबाई है उनके केसेज री-ओपन किये जायं। यहां यह कहा गया है कि राज्य सरकार के ऐसे आदेश उन मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हैं जो व्यक्तिगत झगड़े के आधार पर उठाये जाते हैं यह राज्य सरकार पर है कि इसमें प्रावधान है इसका उपयोग करे या नहीं करे। राज्य को यदि लाभ होने वाला है तो सीलिंग कानून से जिसने अधिक जमीन दबा रखी है उनके केसेज को निश्चित रूप से री-ओपन करना चाहिये। जनता पार्टी के घोषणा-पत्र में जो कहा गया है, उसके अनुसार यह आवश्यक है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा राज्य के हित में जितने काम हैं, किये जायं।

यहां पर यह भी निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के लोगों ने, प्रभावशाली लोगों ने जमीन दबा ली और जमीन दबाकर सीलिंग कानून में परिवर्तन किया, संशोधन किया है। मेरा निवेदन है कि इन लोगों की आदत पड़ गई थी कि जमीनों पर कब्जा कर लो, चुनावों में जीत कर आ गये इसलिये पांच साल की तो छुट्टी मिली। इसलिये जो भूमि सम्बन्धी कानून में संशोधन लाये थे वे अपनी मर्जी के माफिक लाये थे।

बार बार क्लेरीफिकेशन करने और बार बार स्पष्टीकरण करने से कानून का मकसद ही खतम हो जाता है। इसलिये माननीय मन्त्री जी मैं निवेदन करूंगा भूमि सम्बन्धी कानून को एक कन्सोलिडेटेड कानून के रूप में जनता पार्टी के मन्त्री महोदय को सदन के सामने लाना चाहिये।

किसान कौन होगा, यह बात स्पष्ट होनी चाहिये। एक व्यक्ति व्यवसाय करता रहे और जमीन भी दबाये रहे, यह अब नहीं चलने वाला है। रिक्शा किसका, चलाये जिसका। इसी तरह जमीन का मालिक कौन, किसान कौन, जो स्वयं खेती करे। यह नहीं कि और धन्धा करते रहें और हाली से कहें कि तू खेती करता रह और मालिक मैं बना रहूं। तो मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है ऐसे लोगों से जमीन लें। जिनके पास ज्यादा जमीन है उन लोगों से जमीन निकलवा कर राज्य सरकार अपने पास ले और उस जमीन को गरीबों को बांटे। मैं समझता हूं काफी जमीन इस प्रकार राज्य सरकार के पास आ जायेगी।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि कितनी जमीन हमने जागीरदारों से ले ली है? उन लोगों से जमीन ले सकते हैं, उनसे जमीन को लेकर कितने लोगों में बांटी है, कितने गरीब लोगों में बांटी है, कितने हरिजनों में बांटी है? यदि बांटी है तो कितने लोगों को कब्जा मिला है और कब्जा नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? यदि वास्तव में कब्जा मिल गया है तो मैं यह जो बिल लाये हैं, इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार सीलिंग के केसेज को खोलकर अधिक से अधिक जमीन कब्जे में ले और जमीन लेकर गरीब काश्तकारों को बांटे, गरीब हरिजनों में बांटे। इससे गरीबी मिटेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस के लोग जो गरीबी मिटाने का नारा दिया करते थे वह उनका थोथा नारा था।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जनता पार्टी की सरकार ने अन्त्योदय योजना का कार्य हाथ में लिया है, गरीबी मिटाने का कार्यक्रम हाथ में लिया है, हरिजनों के उद्धार का काम हाथ में लिया है। जनता पार्टी अपने घोषणा-पत्र को पूरा करने के लिए, अन्त्योदय योजना को पूरा करने के लिए इससे सक्षम हो सकेगी। गरीबी मिट जाय और हरिजनों का उत्थान हो, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

**श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण विधेयक, 1978 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। माननीय सभापति जी, राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक माननीय मन्त्री जी लाये हैं। मुझे भी इस सम्बन्ध में कुछ कहना है। राजस्थान सरकार का इस सम्बन्ध में पहले भी एक काश्तकारी अधिनियम, 1955 बना हुआ है। इस प्रकार दो विषयी प्रवृत्तियां एक साथ चलेंगी तो मेरा निवेदन है भ्रांतियां उत्पन्न होंगी। तो मेरा निवेदन है कि उन भ्रान्तियों का समाधान करने के लिए पहले देख लिया जाय किस प्रकार यह संशोधन जो लाये हैं, इनसे भ्रांतियों का समाधान करने में आप कामयाब होंगे और अन्य भ्रांतियां उत्पन्न नहीं होंगी।

दूसरा मेरा निवेदन है जो अभिलेख देखें जायं, पुराना रिकार्ड मंगाया जाय उसमें इस बात का ध्यान रखा जाय कि सभी व्यक्ति परेशान न हों। जिन लोगों ने जमीन दबा ली है उनके ऊपर इसे किया जाय। व्यक्तिगत रूप से जो पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके प्रार्थना-पत्र आये हैं उन व्यक्तियों को संरक्षण देने के ऊपर सरकार ध्यान दे। यदि किसी ने उनकी भूमि दबा ली है तो निश्चित रूप से उनको संरक्षण मिले, इस बात का भी ध्यान रखा जाय।

एक निवेदन और मैं करना चाहती हूं, धारा 15 की उप-धारा (1) में जो परन्तुक है इसमें तीन या चार साल की अवधि खोलने के लिये रखी जाय। इस अवधि में केसेज का निपटारा भी कर लिया जाय। केसेज खुल तो जायं और उनका निपटारा नहीं हो केसेज पेन्डिंग रहें तो उससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।

चौथी बात जो मैं कहने जा रही हूं, वह यह है कि जिन्होंने ज्यादा भूमि दबा ली है उनसे जो भूमि मिले वह भूमि अनुसूचित जाति और जन जाति तथा हरिजन लोगों को आवंटित की जाय। इससे एक लाभ यह होगा कि उनको रोजी-रोटी मिलेगी और दूसरे जो लगान की आय है, वह बढ़ेगी। यह भी मान लें केसेज निपटाने की चेष्टा की तो जो अधिकारीगण हैं जिनके काम में शिथिलता आई है उनको भी गति मिलेगी। निश्चित रूप से जिन लोगों ने गलत ढंग से जमीन दबाई है चाहे शोभाराम जी की कमेटी हो और चाहे बेरी कमीशन हो उसके आधार पर केसेज नहीं खोलें तो अच्छा नहीं होगा। इस चीज का भी ध्यान रखें। जयपुर क्षेत्र में एक लम्बी पट्टी है जिसमें भूतपूर्व मंत्री महोदय और कांग्रेस के एम. एल. एज. की प्रोपर्टी है। उस भूमि

# Page No 112

(११२)



(श्रीमती उजला अरोड़ा)

के केसेज को जरूर खोला जाय जिससे लोगों के समक्ष यह बात आ सके कि गलत दबाई हुई जमीन वापस भी हो सकती है और उन लोगों को दी जा सकती है जो इसके वास्तविक हकदार हैं।

**श्री सभापति :** श्री खेतसिंह।

**श्री खेतसिंह राठौड़ :** सभापति जी, मेरे स्थान पर प्रद्युम्नसिंह जी बोलेंगे।

**श्री सभापति :** श्री रामप्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री परसराम।

(अनुपस्थित)

श्री कौशलकिशोर जैन।

**श्री कौशलकिशोर जैन** (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। सभापति महोदय, सीलिंग के बारे में यह जो बिल आया है, इसका मैं वैसे स्वागत करता हूं किन्तु, माननीय सभापति जी, बड़े बड़े लोग 30 साल से घोषणा करते आये हैं कि जमीन जोते उसकी। राजस्थान के अन्दर 80 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जिनको लघु या सीमान्त कृषक कहा जाता है, जिनके पास थोड़ी जमीन है। केवल 20 प्रतिशत बड़े किसान हैं, भू-स्वामी हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है। मेरा निवेदन है जमीन का विभाजन करना पड़ेगा। हमें यदि राजस्थान से गरीबी हटानी है तो जमीन का समुचित वितरण करना पड़ेगा।

यहां सीलिंग के बारे में अनेक बातें कही गईं। माननीय सभापति महोदय, 1959 में पहली बार कानून आया, अभी माननीय मूलचन्द जी डागा साहब कह रहे थे कि कांग्रेस की हुकूमत के टाइम की बात है, मैं निवेदन करना चाहता हूं जो दूसरा कानून आया संशोधित, क्या यह बात सत्य नहीं है कि उस कानून के द्वारा हमने इस प्रकार की छूट दे दी थी जिससे बड़े बड़े भू-स्वामियों को, जिनकी जमीन सीलिंग में आ गई थी, फायदा हुआ।

मैं निवेदन करता हूं जुलाई मास में भीलवाड़ा में, महुआ में सीलिंग की जमीन थी। एस. डी. ओ. ने कहा इस सीलिंग की जमीन का पुनः अलॉटमेंट होगा। मैंने कहा जितनी सीलिंग की जमीन है जिस समय यह जमीन सीलिंग में ली गई, क्या उस समय कोई इस पर काबिज था या नहीं? माननीय सभापति महोदय, उस समय सीलिंग में ली गई जमीन पर कोई काबिज था। उस जमीन का बेचान कर दिया गया। गरीब लोगों ने जमीन खरीद ली पांच हजार रुपये, तीन हजार रुपये, दो हजार रुपये देकर पांच बीघा, दस बीघा जमीन खरीदी। छोटे-छोटे काश्तकार इस जमीन पर दस-पन्द्रह साल से काबिज हैं। उन्होंने वहां पर कुए खोद लिए हैं। ऋण ले लिया है। इस प्रकार उस जमीन से वे अपने छोटे-छोटे बच्चों का पेट भरते हैं। सीलिंग के नाम पर इन छोटे-मोटे किसानों को बेदखल किया जा रहा है। मैं पूछता हूं दोष किसका है? दोष उस

Page No 113

(113)



(श्री कौशलकिशोर जैन)

कानून का है जिस कानून ने यह खामी प्रदान की है। अगर जमीन लेनी थी तो सरकार को उसी समय व्यवस्था करनी चाहिए थी। जिस जागीरदार ने, जिस भू पति ने, बड़े किसान ने सीलिंग की जमीन छोड़ी है, उससे अतिरिक्त जमीन लेनी चाहिए थी जिस जमीन पर उसका कब्जा है। परन्तु कांग्रेस सरकार यह व्यवस्था नहीं कर सकी। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जनता सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे।

केसेज के पुनर्विचार का तो मैं स्वागत करता हूं परन्तु मैं सीलिंग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि हम ने 18 एकड़ सिंचित जमीन को सीलिंग के अन्तर्गत छूट दी है। 18 एकड़ सिंचित जमीन याने 45 बीघा जमीन। क्या राजस्थान के अन्दर इतनी जमीन है कि राजथान के हर काश्तकार को 18 एकड़ जमीन मिल जाए? नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सीलिंग की सीमा को घटा कर 6 एकड़ सिंचित जमीन कर दी जाए। असिंचित जमीन पर 54 एकड़ पर छूट है। मेरा निवेदन है कि इस छूट को भी कम किया जाए। इस प्रकार की कानून की व्यवस्था की जाए।

तीस साल से सीलिंग के मामले, जमीन के मामले पर कभी परिपूर्ण रूप से विचार नहीं हो सका। मैं जनता सरकार से आशा करूंगा और माननीय राजस्व मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि वे इस प्रकार कानून पूरी तरह का लाएं। मैं अपेक्षा तो यह करता था कि इस प्रकार का कानून जनता सरकार लाएगी जिसमें काश्तकार को हो, उसकी परिभाषा होगी। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि यह परिभाषा नहीं आई है। मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर जो जमीन को जोते जमीन उसकी हो, यह परिभाषा की जाए इसके अतिरिक्त जितने लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है, उनको हटाया जाए। यहां पर आरोप लगाये गये हैं कांग्रेसी मंत्रियों पर...

श्री मदनसिंह दांता: रहे उसका मकान, यह भी परिभाषा हो जाए। लोगों ने 1 लाख 80 हजार के मकान बना रखे हैं और काश्तकार को आप 6 एकड़ जमीन देंगे...

श्री कौशलकिशोर जैन: सभापति जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सदन में बार-बार मंत्रियों की जमीन की चर्चा हुई है। उससे जमीन ली जाए परन्तु राजस्थान में इस प्रकार के और भी लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, उन्होंने कितनी जमीन दबाई है, कितनी जमीन खरीद की है और कितनी अलॉट कराई है? उन सब लोगों को उस जमीन से बेदखल किया जाए। उस जमीन को गरीब काश्तकारों, हरिजनों को दी जानी चाहिए जिनके पास कोई जमीन नहीं है। वास्तव में जो जमीन जोतते हैं, उनको यह जमीन दी जानी चाहिए। आज हालत यह है कि हमने काश्तकार को हाली बना दिया है। काश्तकार को हमने बिना पैसे का मजदूर बना दिया है। मैं उदयपुर डिवीजन से आया हूं। उदयपुर डिवीजन में हजारों आदिवासी ऐसे हैं जो हाली का काम करते हैं। ये लोग हाली के स्थान पर काश्तकार बन

(श्री कौशलकिशोर जैन)
सकें, जमीन के मालिक बन सकें, इसलिये उनको हम 6-4 एकड़ जमीन दें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री कौशलकिशोर जैन : एक मिनट।

सभापति महोदय, एक निवेदन मैं यह और करना चाहता हूं। आज बेनामी बेचान भूमि के हो रहे हैं। यह समस्या की मूल बात है। इसलिए इस समस्या की गहराई में जाकर जितने बेनामी बेचान हो रहे हैं उन पर आप अंकुश लगावें।

सभापति महोदय, केवल एक बात और कहूंगा। चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई किसान हो, हमें इस बात को तय करना पड़ेगा कि किस के नाम जमीन है। दस-बीस साल में कानून के अन्तर्गत हम यह व्यवस्था नहीं कर पाए, इस कारण से जमीन पत्नी के नाम, मां के नाम, बेटे के नाम एक ही जमीन को दस-दस लोगों के नाम से बेचान करा कर सीलिंग कानून की हत्या कर दी। मेरा जनता सरकार से निवेदन है कि तीस साल के अन्दर वास्तव में किसानों को किसान नहीं माना गया, जो जो उसकी जमीन नहीं मानी गई, जिसकी वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है। आशा है जनता सरकार इसकी व्यवस्था करेगी तो वास्तव में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकेगी।

श्री सभापति : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : सभापति जी, यह जो राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 लाया गया है, इसको एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय, यह प्रस्ताव मैंने रखा है। जो सीलिंग के केसेज को री-ओपन करने के लिए सरकार विधेयक लाई है और विधेयक को लाने में सरकार की जो भावना है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन, सभापति जी, राजस्थान के अन्दर सीलिंग के दो कानून हैं, जो आज भी लागू हैं। ऐसी परिस्थिति हिन्दुस्तान के और किसी राज्य में नहीं है। एक राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का चेप्टर 3-बी, जिसमें कृषि भूमि पर अधिकतम जोत रखने का प्रावधान है। इसे ओल्ड सीलिंग लॉ कहते हैं। 1 जनवरी, 1973 को जो लागू किया गया, वह दूसरा कानून है जिसे सीलिंग का नया कानून कहते हैं। माननीय राजस्व मन्त्री जी मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इस राज्य में दो कानून चल रहे हैं — तो भूतपूर्व सरकार ने यह निर्णय लिया था कि पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत केवल उन मामलों का जो पेन्डिंग हैं, फैसला करना है। लेकिन नये कानून के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीति क्या है ? मैं उस वक्त पूर्व सरकार में था, जाते-जाते मैं मन्त्रिमण्डल को इस सम्बन्ध में एक मीमो पेश कर आया था। वह इसलिए पेश किया था, सभापति महोदय, 1974 के जून में सरकार ने जो निर्णय लिया था कि केवल पेन्डिंग केसेज ओल्ड लॉ में हैं वे इस लॉ के अन्तर्गत निपटाये जाएं लेकिन हाईकोर्ट का इसके बाद में डिसीजन हुआ। हालांकि हाई कोर्ट का डिसीजन उन पेन्डिंग केसेज के सम्बन्ध में था जो 2 पार्टीज ओल्ड सीलिंग लॉ से इफेक्टेड थीं वे हाई कोर्ट में गई थीं। यह

(श्री परसराम मदेरणा)

मामला सिंगल बेन्च में गया। सिंगल बेन्च के बाद डबल बेन्च में गया। डबल बेन्च ने यह मामला लार्जर बेन्च को रेफर कर दिया। लार्जर बेन्च को रेफर करने के बाद में हाई कोर्ट का जजमेन्ट हुआ — उस जजमेन्ट का ओपरेटिव पोर्शन जो है, सभापति महोदय, उसको मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए पढ़ना चाहूंगा :

"From the discussions referred to above, we have come to the conclusion that the rights and liabilities created under section 30 E of the repealed ceiling law have not in any manner been affected by the enactment of the new law."

इट मीन्स, पुराना सीलिंग कानून पूरा का पूरा उसी तरह का पड़ा हुआ है जिसको कि रिपील नहीं किया गया। सभापति जी, इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार ने पूर्व में यह निर्णय लिया था पेन्डिंग मैटर के अन्दर, जनरल क्लॉज 6 का इन्टरप्रिटेशन किया था, यह सोच कर कि पेन्डिंग केसेज में हमेशा रिपील लॉ, जो ऑन दी स्टेच्यू बुक है, लागू होगा। यह जो फैसला हुआ है उस फैसले से नये कानून की धारा 40, जिसके द्वारा पुराना कानून रिपील किया गया है, पूरा रिपील नहीं किया है, पूरा रिपील करने की इन्टेन्शन नहीं थी, इसलिए हाई कोर्ट की लार्जर बेन्च का जजमेन्ट है। इस जजमेन्ट के बाद में सरकार की नीति नये केसेज के सम्बन्ध में क्या है ? माननीय सभापति जी, नये केसेज के सम्बन्ध में मेरी राय में यह है कि 70 के अन्तर्गत किसी भी भूमिधारी अथवा लैण्ड ऑनर को अगर नोटिस नहीं दिया गया है। जब से यह पुराना सीलिंग कानून लागू हुआ, उसके सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ? 30 साल की बात भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे लेकिन 30 अप्रैल, 77 के बाद, आज तारीख 6 है, अप्रैल की, अभी अमृत महोत्सव के 3 दिन बाकी हैं, आप यह बताइये, आपने एक साल में कोई निर्णय लिया है क्या ? केबिनेट के पूर्व आदेश पेन्डिंग केसेज के सम्बन्ध में क्या थे और क्या स्थिति हाई कोर्ट के जजमेण्ट के सम्बन्ध में थी ? यह जानकारी दीजिए। दूसरी यह जानकारी दीजिए, क्या राज्य सरकार की यह नीति है कि इस राज्य में पुराने और नये दोनों प्रकार के सीलिंग कानून पेरेलल चलेंगे ? दोनों प्रकार के सीलिंग कानून पेरेलल चलेंगे तो क्या राजस्व मन्त्री जी विषम स्थिति खड़ी नहीं होगी ? कानून के संशोधन के अनुसार मियाद केवल एक साल और बढ़ी। इसका मतलब यह है कि 1-1-79 तक मियाद बढ़ी है। यह आपने बढ़ाई है तो जिन मामलों में फैसले नीचे की अदालत में हो जाएं उनको आप री-ओपन नहीं कर सकेंगे। इसका स्पष्टीकरण दीजिए।

श्री ईश्वरचन्द्र : यह प्रश्न तो उठा है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जो कह रहा हूं, वह आप समझे नहीं हैं। मन्त्री जी साफ है। मेरा जो निवेदन है, वह मन्त्री जी समझ गये हैं।

दूसरा, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पिछले एक साल में जो केसेज पेन्डिंग थे, वह 8,000 केसेज थे। पानी से आने वाले

(श्री परसराम मदेरणा)
माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि वह री-ओपन हो गये। वह तो पूर्ववर्ती सरकार के समय में हो गये। जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद ऐसे मामले कितने री-ओपन किये? माननीय राजस्व मन्त्री जी यह सूचना भी देने की कृपा करें, यह सूचना देना आवश्यक है कि अभी कितने केसेज स्टे लॉक कर दिये। कितने पेन्डिग पड़े हुए हैं?

(व्यवधान)

दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं, आपने यह लिखा है कि नये सीलिंग लॉ के अन्दर जो केसेज री-ओपन हो चुके हैं, उसमें दो साल का समय था री-ओपन करने का, वह समय अवधि समाप्त हो गया 14-8-77 को। 14-8-77 को समय समाप्त हो गया और 29-12-77 को आर्डिनेंस आपने निकाला। तो 14-8-77 और 29-12-77 के बीच इनकी क्या पोजीशन रही? इतने समय आपको ख्याल नहीं आया। इसका मतलब यह है कि उस पीरियड में एक भी केस सरकार के पास पेण्डिग नहीं था। नहीं तो सरकार को निश्चित ध्यान आता। आप राजस्व मन्त्री जी कहां सो रहे थे? 29 दिसम्बर की शाम को क्यों आपको ध्यान आ गया?

(व्यवधान)

फिर कैसे ध्यान आ गया कि 14-8-77 को अवधि समाप्त हो गई है। ठीक है, उसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से दिया है, लेकिन इस गलती के लिए कौन जिम्मेदार है? आपके द्वारा यह बहुत बड़ा लैप्स हुआ है। मेरा मतलब सरकार को कन्डेम करने का नहीं है।

राजस्व मन्त्री जी आप यह भी बताइये, आपने आर्डिनेंस इश्यू किया है, क्योंकि अवधि समाप्त हो रही थी। आपने 5 की जगह 6, 3 की जगह 4 और 2 की जगह 3 किया है। फैसला होने का समय एक साल और बढ़ाया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

माननीय सभापति जी, यह अमेंडमेंट बिल आया है इसमें आपने केवल सेक्शन 15 को सबस्टीट्यूट किया है।

सभापति महोदय, आप घण्टी तो बजा रहे हैं और मंत्री महोदय हाउस को गुमराह कर रहे हैं।

उसमें ड्राफ्टिंग में क्या लेकूना था? आर्डिनेंस में सेक्शन 15 को सबस्टीट्यूट किया है। फिर जैसे ध्यान में आया तो 5 की जगह 6, 3 की जगह 4, और 2 की जगह 3, यह तीन तरमीम की हैं। इसमें भी आपने उसे ले लिया है तो उसमें गलती क्या रही है? यह गलती हाउस से छुपानी नहीं चाहिए। हाउस को आपको कान्फीडेन्स में लेना चाहिए। आप यह कर भी नहीं रहे हैं। आप केसेज री-ओपन कर नहीं रहे थे। री-ओपन वह होता है जिसका सीलिंग लॉ में फैसला हो गया है या नये सीलिंग लॉ में फैसला कर दिया है। अपील नहीं की है या फर्स्ट अपील के अन्दर फैसला हो गया है, अपील नहीं की है, यह चौथी अपील में लेकूना रह गया है। यह गवर्नमेंट के ध्यान में आया कि री-ओपन कर सकती है। यह सरकार स्वयं री-ओपन कर रही

(श्री परसराम मदेरणा)

है। अपने लेवल पर। तो आप की सरकार बनने के बाद कितने केसेज री ओपन हुए ? कितने पेण्डिंग हैं ? पुराने कानून को जैसा है, वैसा ही लागू करना चाहते हैं या जैसा कि हाई कोर्ट का जजमेण्ट है उसके अनुसार इसमें संशोधन करना चाहते हैं ? आपकी नीति क्लीयर नहीं है। भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था जो अपने इलाके में 18 एकड़ की सीलिंग है, उस सीलिंग को रिड्यूस करके 6 एकड़ कर दिया जाये। गाइड लाइन दी थी गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने सभी राज्यों को और उसी की अनुपालना में यह नया कानून बना है। जो कानून बनता है वह पहले भारत सरकार के सभी विभागों से वेट होता है उसके बाद में उस पर असेन्ट होती है। गाइड लाइन तो केबिनेट ने और सबने मिलकर दी थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या राज्य सरकार की नीति और अब भारत सरकार की नीति, जैसी की मांग हो रही है, नई गाइड लाइन इश्यू करने की है ? नई गाइड लाइन इश्यू करने की है तो मेरा यह सुझाव है कि अर्बन प्रॉपर्टी पर सीलिंग लगनी चाहिए। मैं उस समय भी, जब लोकल सेल्फ मिनिस्टर था, यह बिल लाया था और इसको पारित करवाया था कि तीन लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं रहनी चाहिए, इम्मूवेबल। उस कानून को भारत सरकार ने असेन्ट नहीं दी। उसके बाद मैं एक दूसरा बिल लेकर आया। क्योंकि प्रॉपर्टी के खुर्द-बुर्द होने के चान्सेज थे, मैं दूसरा बिल लाया कि रिट्रॉस्पेक्टिव डेट से भी कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रान्सफर करता है या डिस्पोज ऑफ करता है तो वह भी इन दी आइज ऑफ लॉ नल एण्ड वॉइड होगी। उस बिल को प्रेसीडेण्ट को भेजा, प्रेसीडेन्ट ने असेन्ट कर दी लेकिन वह कानून राजस्थान के अन्दर इन वोग है। हालांकि डाइरेक्टली आपका उससे सम्बन्ध नहीं है राजस्व मन्त्रीजी, लेकिन केबिनेट का हर एक सदस्य रेस्पॉन्सिबिल है। उस कानून को इसलिए लाये थे कि अर्बन प्रॉपर्टीज पर सीलिंग लागू नहीं होगी। इनकम और वेल्थ का जैक बड़ा हो जायेगा उसको समाप्त करने के लिए वह कानून था। उस कानून का क्या फेट है ? वह स्टेट्यूट पर यों का यों रखा हुआ है और अर्बन लैण्ड पर सीलिंग आ गया है, आवासीय जमीनों पर, मकान वगैरह पर वह लगने का था। मैं यह जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार की उस सम्बन्ध में क्या नीति है ?

अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज के अन्दर लैण्ड रिफॉर्म्स की नीति यह रख दी कि 6 एकड़ की सीलिंग हो जानी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, मैं इस डिस्प्यूट में तो नहीं पड़ना चाहता लेकिन यह निश्चित तौर पर चाहता हूं कि गरीब और अमीर के बीच की खाई शहरों में अधिक है। जो झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं, जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं और जो स्लम्स में रहते हैं और दूसरी ओर जो बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं हैं जो सेठों की हैं; इनमें खाई बढ़ती जा रही है। इस खाई को पाटने में आप जैसे सोशलिस्ट पीछे रहें और आपकी आत्मा रिवोल्ट नहीं करे तो मुझे बड़ा दुःख होता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा जो स्पष्टीकरण चाहे गये हैं, आप निश्चित तौर पर संतोषजनक जवाब दे सकें तो फिर इसको, पब्लिक ओपीनियन, के लिए

(श्री परसराम मदेरणा)

भेजने की जरूरत नहीं है, नहीं तो यह बहुत ही महत्व मांग है कि जनता की राय लेनी चाहिए। खुली सरकार, खुला समाज, खुला चेम्बर, खुली बात, पब्लिक ओपीनियन लेने में क्या एतराज है। जनता की राय लीजिए और जनता के मेण्डेट को इम्प्लीमेन्ट कीजिए। आपकी परफोर्मेन्स पिछले एक साल में जीरो रही है और सीलिंग एक्ट में माइनस जीरो। हवा के घोड़े पर बैठकर जीतकर आ गये, अब नहीं आने वाले। इसलिए सोशलिस्ट राजस्व मंत्रीजी इस सम्बन्ध में कम से कम कारगर कदम उठायेंगे, यह मुझे आपसे अपेक्षा है।

**श्री प्रद्युम्नसिंह**: श्रीमान क्या आप मुझे अवसर देंगे, आपकी तो बड़ी कृपा रही है।

**श्री सभापति**: देंगे। माननीय श्री अब्दुल अजीज।

**श्री अब्दुल अजीज (मकराना)**: सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। सभापति महोदय, राजस्थान सीलिंग एग्रीकल्चरल होल्डिंग पर आया हुआ अमेण्डमेन्ट है जो जनता के प्रतिनिधि ने सबसे पहले जब उन्होंने इस विषय में, सभापति महोदय, सोचा था तो इस आधार पर सोचा था कि हम लोगों को आर्थिक असमानता से निकाल कर बराबरी का दर्जा दिलायेंगे। इसी आधार को लेकर सीलिंग का बिल हमारे पहले वाले लोगों ने और मैं यह कहूं कि कांग्रेस सरकार ने लाकर एक बड़ी हिम्मत का काम किया था। सभापति महोदय, यदि पुरानी हुकूमत का बढ़ती हुई आर्थिक असमानता की ओर ध्यान नहीं होता तो इस प्रकार का बिल या कानून वे हरगिज न बनाते। उस कानून को अब जनता सरकार, उसके कन्टीन्यूएशन में, जारी रखने का कदम बढ़ाती है तो सराहनीय है।

सभापति महोदय, प्रश्न इस बात का है कि आज इन्सान और इन्सान के बीच में जो खाई बन गई है उसमें जमीनें भी फर्क डालती हैं। जिनकी आमदनी ज्यादा है उन लोगों की आमदनी बढ़ने में रुकावटें डालें ताकि उनकी और ज्यादा आमदनी न बढ़े। इसके लिए जरूरी है कि होल्डिंग्ज पर इस प्रकार की लिमिट हो। राजस्थान में ज्यादा कीमती जमीनें भी हैं, जमीनों में भी फर्क है, जमीनों में कुदरती तौर पर फर्क है, इसीलिए मरहूम बरकत साहब की चीफ मिनिस्टरशिप के दौरान सीलिंग एक्ट के अन्दर जो मैक्जिमम लिमिट थी, तीस एकड़ की उसको घटाया और बढ़ाया गया। रेगिस्तान के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पैदावार कम होती है, काश्त कम होती है। ऐसे इलाकों में लोगों को ज्यादा जमीन देने के लिए दिमाग बनाया। जहां अच्छी जमीन है जैसे गंगानगर में

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

**श्री सभापति**: माननीय वृद्धिचन्द्रजी, कृपया बात नहीं करें।

**श्री अब्दुल अजीज**: सभापति महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इन्सानियत के तौर पर यह बेहतरीन बात हो रही है। इस तरह का कानून गुजिश्ता सरकार लाई

(श्री अब्दुल अजीज)

और इसमें तरमीम करते करो पैदावार के आधार पर सीलिंग का बंटवारा किया, सीलिंग की लिमिट निर्धारित की गई। रेगिस्तानी इलाके में जमीन का दायरा ज्यादा होना चाहिए और जहां पर नहरें हैं वहां दायरा कम किया जाय क्योंकि वहां ज्यादा अच्छी फसल होती है, साल में दो तीन बार हो सकती है, वहां एग्रीकल्चर पोटेन्शियल है। यह दिमाग था, इस कानून में तरमीम करने के पीछे। मैं जनता सरकार में बैठे मन्त्रियों का और सियासतदारों का ईमानदारी से उठाया कदम समझूंगा यदि बिल में जो अमेण्डमेन्ट है जब उन्हें अमल में लायें तो उसकी अच्छाई साबित हो।

सभापति महोदय, बिल लाने की नकल तो कोई भी कर सकता है, उस पर अमल करके बतायें। कितने लोग हैं जिनका सोशलिस्ट विभाग है इसको जनता सरकार जानती है वरना जितने अमेंडमेन्ट हैं उनके द्वारा डिसाइडेड केसेज को री-ओपन करने की क्या जरूरत है? मुझे इस बात का यकीन है, एतराज है और मैं मानता हूं कि इस बिल के अन्दर जहर छिपा हुआ है, दुश्मनी छिपी हुई है। अगर गुजिश्ता सरकार के दौरान किसी भी उच्च अधिकारी या मंत्री या उसके रिश्तेदार ने सीलिंग में नाजायज फायदे उठाए हैं और सीलिंग से बचने की कोशिश की है, तो आप उसकी जांच करायें, अच्छा कदम है। लेकिन आपका कदम जो लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने का जो मकसद है उस मकसद से दूर चले जायें महज राजनैतिक दुश्मनी निकालने के लिए, तो आपका यह सारा कदम खिलवाड़ है, दिखावा है।

हूं यहां 200 सदस्य हैं। यह जरूरी नहीं कि हम सारी बातें जानते हैं, मैं भी नया हूं, सीख रहा हूं। मैं आपका आह्वान करता हूं कि हर बिल को बारीकी से देखें, कि इसमें क्या बात छिपी हुई है। मैं उस ओर के साथियों से कहता हूं कि हमारे एम्स एण्ड आबजेक्ट्स आर्थिक समानता की तरफ पूरी दुनिया को ले जाने के हैं उससे हटकर हम किस तरफ जा रहे हैं? आपकी पार्टी को साल भर निकल गया, चार साल बाकी हैं।

श्री ईश्वरचन्द्र : बिना तैयारी के बोल रहे हैं। आपको क्या मालूम, क्या उद्देश्य हैं इस विधेयक के?

श्री अब्दुल अजीज : आप समझने की कोशिश करें। इस विधेयक को लाने में और कोई मकसद नहीं है। आप देखते हैं कि एक साल हो चुका। आपकी नीयत...

श्री सभापति : कृपया प्वाइन्ट पर आयें।

श्री अब्दुल अजीज : इस बिल को कम से कम जनमत जानने के लिए भेज देना चाहिए।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द समदड़िया।

(अनुपस्थित)

श्री अजीतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री रामसिंह विश्नोई।

(अनुपस्थित)

श्री रामरघुनाथ चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

**श्री शंकरलाल (अंतारण)** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। सभापति महोदय, राजस्व मंत्री ने सीलिंग के संबंध में जो जानकारी दी वह सदन में तो नहीं आ सकी, उसके अनुसार 1,93,735 एकड़ जमीन को सीलिंग के अन्दर लिया जा चुका है, आपके आंकड़ों के अनुसार 5,09,910 एकड़ जमीन ली और 3,15,472 एकड़ जमीन आवंटित की तो 1,93,735 एकड़ जमीन आवन्टित करने की है। मैंने यह भी प्रश्न किया था कि राज्य सरकार ने कितने स्टे आर्डर्स लैंड होल्डर्स के हक में दिए ? उन्होंने बताया कि करीब 1127 एकड़ जमीन के स्टे आर्डर्स दिए हैं, ये उन आसामियों को दिए हैं जो टोंक, भीलवाड़ा जिलों के हैं जिनके नाम बताने की जरूरत नहीं। 1127 एकड़ जमीन के स्टे ऑर्डर्स राज्य सरकार ने दिए, लैंड होल्डर्स के हक में। मैं इस बात को इस लिए जोड़ता हूं, राजस्व मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो बिल ला रहे हैं यह टाइम एक्सटेन्ड करने का है। पहले की सरकार लाई उस समय भी एम्बीग्युइटी रह गई। इसके अन्दर जो केसेज री-ओपन होंगे सरकार चाहेगी तो सरकार के हक वाले री ओपन होंगे या लैंड होल्डर्स की दरख्वास्त पर री-ओपन करेंगे ? एक जगह आपने लिखा है जिससे एम्बीग्यूइटी बढ़ा दी। इसमें लिखा है —

"(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि राज्य सरकार का, अभिलेख मंगाने के पश्चात् या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले में पारित किया गया कोई अन्तिम आदेश इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में है और ऐसा आदेश राज्य सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है..."

यहां तक तो ठीक है लेकिन अगर गवर्नमेंट के खिलाफ पड़ता है, उसके लिए आगे लिखा है :

"अथवा अब उसकी जानकारी में आई किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलने के कारण ऐसे आदेश का पुनः खोला जाना अपेक्षित है..."

ऐसी कोई नई चीज आ जाय जिसके जरिए पुनः केस खोला जाता है वह लैंड-होल्डर अपने हक में लाए तो उस पर भी री ओपन कर देंगे ? अगर ऐसा होता है तो इससे राज्य सरकार की नीति और सीलिंग का एम बिल्कुल डिफीट हो जायेगा। इस कानून से वही लोग फायदा उठायेंगे जिनकी जमीन पहले सीलिंग कानून में ली जा चुकी है वे चाहेंगे कि राज्य सरकार से केसेज री ओपन करवाकर वापस जमीन उनको मिल जाय। मैंने पहले की सरकार पर भी इस बात का लांछन लगाया था कि सीलिंग

(श्री शंकरलाल)

कानून में खामियां हैं। मुझे मालूम है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र जैतारण में वहां के राज टिकाने की जमीन, जब मैं 1967 से 1972 तक विधायक था, गरीब लोगों को बांट दी, कब्जे हो गये, काश्तकारों ने कुए खोद लिए लेकिन उसके बाद जागीरदार स्टे आर्डर ले आया। उन काश्तकारों से वापस जमीन छीनी जा रही है। तो यह महत्वपूर्ण मामला है, काश्तकारों को जमीन दी जा चुकी है, उस जमीन के केस को री-ओपन करेंगे तो काश्तकारों के खिलाफ बात होगी। इसलिए जो आपने लिखा है "पुनः खोला जाना अपेक्षित है", इसको स्पष्ट करें कि गवर्नमेंट के हक में केसेज री ओपन होंगे और लैंड होल्डर की दरख्वास्त पर उसके हक में कोई केस री ओपन नहीं होगा।

दूसरी बात, आपने ये पावर्स राज्य सरकार के पास रखी हैं कि रिकार्ड देखने के बाद किसी सबॉर्डिनेट को आदेश देगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये पावर्स राजस्व मंडल को दी जावें। राजस्व मन्त्री, आपके प्रति मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे मालूम है आपकी नीयत क्या है, ठीक है लेकिन आखिर इस सरकार में बैठे हुए हो जिसमें घटकवादी नीतियां चल रही हैं और जिसके पीछे बड़े पूंजीपति व जागीरदार फायदा उठाने के लिए बैठे हैं। जब आप रिकार्ड का पुनरावलोकन करेंगे तो वे प्रभाव डालेंगे। इसलिए अच्छा होगा कि ये पावर्स रेवेन्यू बोर्ड को दी जायें। हमारे पहले टीनेन्सी एक्ट में अलाटमेंट के मामले में भी रिवीजन की पावर्स गवर्नमेंट के पास थीं और डिप्टी मिनिस्टर गंगाराम चौधरी रिवीजन सुनते थे। हमने आवाज उठाई वे पावर्स अब सरकार के पास नहीं हैं। रेवेन्यू बोर्ड के पास हैं। आप पर कोई लांछन न लगाए कि राज्य सरकार ने सीलिंग के मामले में गलत आदेश दे दिए, इसलिए आप अपना दामन साफ रखने के लिये ये पावर्स राजस्व मण्डल को दें, अपने पास मत रखें जिससे आपकी नीयत का पता लग जाए और आप पर दबाव न आए।

इसलिए मैंने इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है। आपने सीलिंग कानून की तारीख बढ़ाई तो साथ साथ कुछ प्रावधान लाते कि इस तरह के केसेज री ओपन नहीं होंगे। इसके अलावा बहुत से आदमियों को सीलिंग में जमीन दे दी उसके बाद में आपने उत्तर में नहीं बताया कि कितने आदमियों को भूतपूर्व जागीरदारों ने बेदखल कर दिया। इसलिए सभापति महोदय, जो सीलिंग के अन्तर्गत अलाटमेंट हुए थे, मैं हरिजनों के लिए आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा जिले में 50 व्यक्तियों को लैण्ड अलाटमेंट की गई थी। उनके बाद में भी यही हुआ कि उनको बेदखल कर दिया गया है। इसी प्रकार बून्दी में भी यही हुआ। जिन लोगों को कांग्रेस राज्य में जमीन बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अलाॅट की गई थी उन लोगों को बेदखल किया जा रहा है। सभापति महोदय, अभी में हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में दूसरी जगह जहां पर लोगों को सीलिंग के तहत ली गई जमीनें जिन लोगों को अलाॅट की गई थीं उन लोगों से जमीनों का कब्जा छीना जा रहा है। वहां पर लोगों के खिलाफ कोर्ट्स में मुकदमे दायर हो रहे हैं। सभापति महोदय, गंगानगर जिले में, जहां कि जमीन सरसब्ज है, वहां पर जिन गरीब हरिजनों को कब्जे दिये गये थे उन लोगों को बेदखल किया जा रहा

# Page No 122

(12-5)



(श्री शंकरलाल)

है। यह लोग आज कोर्ट में फौजदारी मुकदमे लड़ रहे हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज गवर्नमेंट क्या हरिजनों की रक्षा कर रही है ? इसी प्रकार बून्दी में, भीलवाड़ा में हरिजनों को बेदखल किया जा रहा है। आज वहां पर वही पुराने जागीरदार लोग उन लोगों से जमीनें वापस ले रहे हैं। इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो इस इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो प्रस्ताव किया है उसको माना जाय।

इसके साथ ही एक बात मैं और निवेदन करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सभापति महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था जो कि राजस्व के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। हमारे पाली जिले के भूतपूर्व जागीरदार के खिलाफ में एस. डी. एम. ने फैसला भी कर दिया था। एक मुकदमा नम्बर 21/70 है और दूसरा मुकदमा नम्बर 21/71 है जिसका कि एस. डी. एम. ने 20-9-75 को फैसला सुनाया था। यह तहसील बाली के गांव के बारे में था। लेकिन उस फैसले के अनुसार आज तक कार्यवाही नहीं की गई है। अभी राजस्व मन्त्री जी यहां पर बैठे हैं, इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद जनता पार्टी पर भूतपूर्व जागीरदारों के इन्फ्लुएन्स में होने के कारण उन केसेज में आज तक उन जागीरदारों का चालान पेश नहीं हुआ है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्व मन्त्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्यों नहीं उन लोगों का आज तक चालान किया गया ? कोर्ट में फैसला हो चुका है पर कोई कार्यवाही उन जागीरदारों के खिलाफ में नहीं हो रही है।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

सभापति महोदय, मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बून्दी जिले में जमीन के बारे में आन्दोलन हुआ था उस वक्त राजस्थान के मुख्य मन्त्री मोहनलाल जी सुखाड़िया थे जिन्होंने अपने साले, सालियों के नाम और अपने रिश्तेदारों के नाम हजारों बीघा अच्छी जमीन करा दी थी। उस आन्दोलन में वर्तमान राजस्व मन्त्री जी ने भी भाग लिया था और वह भी उस आन्दोलन में दस दिन तक बूंदी जेल में रहे थे। कांग्रेस के नेताओं ने अपने-अपने रिश्तेदारों के नाम जमीनें सीलिंग लागू होने के पहले ही करा ली थीं। उस वक्त राजस्व मन्त्री जी इस आन्दोलन को चला रहे थे। आज आप राजस्व मन्त्री हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन लोगों को बूंदी जिले में मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा जमीनें दी गई थीं उनसे वह छीन कर वापस ली जावें और वह जमीन आप गरीब हरिजनों में और अन्त्योदय योजना में गरीब लोगों को पिछड़े वर्ग के लोगों में बांटें। आज सबसे बड़ी दिक्कत जो है वह यह है कि भूतपूर्व कांग्रेसी नेताओं ने अपने रिश्तेदारों के नाम जमीनें अलॉट करा ली थीं। जब तक आप उन लोगों से जमीनें छीनकर वापस नहीं लेंगे तब तक जमीनें आपको बांटने के लिए कहां से मिलेंगी ? एक एक नेता ने हजारों

(श्री हरकदयाल जोशी)

बीघा जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम करा ली थी। सभापति महोदय, जमीन कोई रबड़ का टुकड़ा नहीं है जो बढ़ जाय इसलिए मेरा निवेदन है कि उन लोगों से जमीनें छीनकर गरीब लोगों को जिन को कि दो वक्त खाने को नहीं मिलता है, दें। सभापति महोदय, पुराने भूतपूर्व नेता तथा कथित कांग्रेसी जागीरदार उन जमीनों को अपने नाम करा कर सांप की तरह कुण्डली मार कर बैठे हैं। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि उनसे यह जमीन छीन कर गरीबों में बांटी जानी चाहिये। सभापति महोदय, मैं आपको एक लिस्ट प्रस्तुत कर देता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि इन कांग्रेसी नेता लोगों ने किस तरह भूतपूर्व जागीरदारी की अच्छी अच्छी जमीनें उनसे मिल कर हथिया ली थीं। क्योंकि यह खुद ही तो कानून बनाने वाले थे और खुद ही सब काम करने वाले थे।

सभापति महोदय, जोधपुर डिवीजन के जवाई बांध के एरिया में, जिसको कि जवाई कमाण्ड एरिया कहते हैं, तहसील बाली, जिला पाली में राजस्व मन्त्री, श्री परसराम मदेरणा व उनके परिवार के सदस्यों, सम्बन्धियों द्वारा ग्राम कोसेलाव पावा, गांगरा, हिंगोला, तख्तगढ़, बसाना, नवाखेड़ा, बीड़िया, सांडेराव इत्यादि ग्रामों की सरहद में कब्जा की गई भूमि सारी की सारी भूतपूर्व जागीरदारों की थी तथा मवेशी चराने के जोड़ थे जो मकबूजा सूद दर्ज है उनके यह सब भूतपूर्व राजस्व मन्त्री जी के रिश्तेदार जोधपुर एवं नागौर जिले के निवासी हैं जिनमें कुछ की विगत इस प्रकार है। यह भूमि सारी सीलिंग में आती थी और गरीब भूमिहीन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के काश्तकारों को बंटती थी पर यह सब भूमि राजस्व मन्त्री के प्रभाव से जो 1962 से ही राजस्थान राज्य के मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं, खरीद कर कब्जे में रखी गई। जब श्री मदेरणा केबिनेट के सदस्य थे तब अपने प्रभाव से यह निर्णय कराया कि 31-12-1969 तक बेनाम बंध है। फिर 1 जनवरी, 1973 तक के बेनामों को बंध कर दिया क्योंकि श्री मदेरणा के परिवार के सदस्यों ने भूमि का बंटवारा पारिवारिक प्रबन्ध की आड़ में सीलिंग कानून को नाकामयाब करने के लिये 31-12-69 के पश्चात् ही करवाया, इसलिये 1 जनवरी, 1973 तक की मियाद बढ़ाना आवश्यक हो गया था। इसमें सबसे पहला नाम है, कोसेलाव गांव में 150 बीघा जमीन परसराम मदेरणा के पुत्र श्री महीपाल को अलाट कराई गई है। यह भी 31-12-69 के बाद में ही करवायी गयी। 1-1-73 को यह महीपाल मदेरणा, तत्कालीन राजस्व मन्त्री जी के पुत्र हैं। जिस वक्त इनको यह जमीन मिली थी तब यह केवल सात साल के थे। इसी तरह हरलाल पुत्र सीयाराम, जो कि परसराम मदेरणा के रिश्तेदार थे, को 67.1 बीघा जमीन दिलायी। इसकी तरह, सीताराम पुत्र सीयाराम निवासी चाडी को 100 बीघा जमीन जवाई कमांड में दिलायी, यह परसराम जी मदेरणा के भाई हैं। इनको 132 बीघा और 304 बीघा जमीन परसरामजी मदेरणा ने अपने पद का दुरुपयोग कर के दिलायी। इसी तरह 123 बीघा जमीन गोविन्दराम पुत्र जागाराम (बराबैत) भवरसिंह पुत्र गणेश राम को दिलायी। श्री जागाराम मदेरणा

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जी के ससुर हैं व श्री गणेशराम साले हैं। इसी तरह रुक्मा देवी पत्नी दीपाराम जाट वगैरह जो कि रिश्तेदार हैं, 984।।) बीघा जमीन दी गयी है, इसी तरह पेमाराम पुत्र बगाराम चाडी निवासी को 92 बीघा जमीन दी गयी। इसी तरह गोविन्दराम पुत्र गिरधारीराम को 45 बीघा जमीन दिलायी गयी। यह साले हैं परसराम मदेरणा के। इसी तरह मदनसिंह वगैरह कई रिश्तेदार हैं जिनको 100 बीघा जमीन दिलायी। इसी तरह मीरां देवी पत्नी लिछमनराम, आसादेवी पत्नी जसवन्तसिंह, जो कि पुलिस में थानेदार था, को नौकरी छुड़वाकर 123 बीघा जमीन दिलायी। यह मदेरणा जी का साला है। इसी तरह डूंगरराम पुत्र लिछमनराम, गणेशराम पुत्र बागाराम को जमीन दिलायी। यह भी उनके साले हैं इसी तरह रुक्मी देवी पत्नी दीपाराम को 26।।।) बीघा जमीन दिलवायी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप यह सारी लिस्ट मन्त्री महोदय को दे दें।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मदेरणा जी की साली को 500 बीघा जमीन दिलवायी और यसपाल पुत्र दूल्हाराम नायब तहसीलदार, जो कि परसरामजी मदेरणा का रिश्तेदार है जो जमीन भूतपूर्व जागीरदार की थी पावा गांव में, जो सीलिंग में जाने योग्य थी, दिलवा दी। सभापति महोदय, इसी तरह चंदरसिंह पुत्र जसवन्त सिंह भूतपूर्व सब इन्सपेक्टर ने सीलिंग कानून को प्रभावहीन करने के लिये अपने लड़के को खातेदार करवा दिया, मीरा देवी साली को सैंकड़ों बीघा जमीन दे दी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, यहां पर पहले माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि किसी भी सदस्य के खिलाफ में आरोप प्रत्यारोप लगाने के पहले सम्बन्धित मन्त्री, अध्यक्ष महोदय और सम्बन्धित व्यक्ति को नोटिस दिया जाना चाहिये। क्या दाऊदयाल जोशी जी ने नोटिस दे दिया। यह तो आप सभी के सामने अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी थी और सभी ने एग्री किया था? क्या आपने इसके लिये सूचना दी है?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आपस में बात नहीं करें।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय, यहां पर जिस तरह से भूतपूर्व राजस्व मन्त्री के ऊपर चार्जेज लगाये गये यह उचित नहीं है। जमीन आज किसके पास नहीं है। जमीन तो हरिजन के पास भी मिल सकती है। जहां तक कानून में चेंजेज कराने की बात है उसके सम्बन्ध में कहें। जमीन का सवाल है तो कल को आपके जनता पार्टी के कल्याणसिंह कालवी जमीन ले लेते हैं या अपने ससुर को जमीन दिलाते हैं या किन किन जनता पार्टी के सदस्यों के पास जमीनें हैं उनके बारे में हम भी एलीगेशन लगायेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैंने एलीगेशन नहीं लगाये हैं। मैंने तो राजस्व मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। एक रेफरेन्स दिया है।

श्री नवनीत पालीवाल : यह तो सूचना दे रहे हैं।

श्री सभापति: ऑर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी दो दिन पहले यहाँ रूलिंग दी गयी थी कि सदन के किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ में हाउस में कोई भी चार्ज लगायें तो पहले नोटिस उस व्यक्ति को दिया जाय। उसके अलावा मन्त्री महोदय को नोटिस दिया जाय और अध्यक्ष महोदय को भी पूर्व नोटिस दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठिये आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापति महोदय, यह जो कह रहे हैं उसके लिये कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी उससे हाउस में सभी ने एग्री किया था। यह अब इस तरह कर रहे हैं। यह तो आप के देखने की बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जारी रखें।

## सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल : माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सायंकाल 6 बजे तक के लिये बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय सायंकाल 6 बजे के लिये बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय सायं 6 बजे तक के लिये बढ़ाया गया।

## विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं यह पूछना चाहूंगा कि इस बिल के बाद राजस्थान सेल्स टैक्स डेलीगेशन बिल लिया जायगा या नहीं या इसको विथड्रा कर रहे हैं? आप 6 बजे तक का ही समय बढ़वा रहे हैं इसलिये यह जरूरी है जानना कि आप, उस बिल को विथड्रा कर रहे हैं या ले रहे हैं? मुझे मालूम हुआ है कि आप उसको विथड्रा कर रहे हैं। विथड्रा कर रहे हैं तो जो बोल चुके हैं वे जायें।

श्री सभापति : माननीय दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : मीरादेवी पत्नी लछमी राम 47 बीघा जमीन। 27 बीघा जमीन रुकमी देवी पत्नी दीपाराम।

श्री सभापति : आपके पास सूचना है तो माननीय मंत्री महोदय को दे दीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : सबसे बड़ी साजिश इसमें है। छोटी मोटी जमीन नहीं 500 बीघा जमीन दी गई। यशपाल पुत्र दूलाराम को 67 बीघा जमीन अलॉट की गयी थी। बहुत बड़ी लिस्ट है। उसको पढ़ूंगा तो समय लगेगा।

श्री मदनसिंह दांता : कुल कितनी जमीन है?

श्री दाऊदयाल जोशी : टोटल नहीं लगा पाया हूं। इस प्रकार से हजारों बीघा जमीन श्री परसरामजी मदेरणा साहब ने अपने-साले जवांइयों को बांटी। कोटा जाते हैं तो रास्ते में पूछते हैं कि यह किसका फार्म है तो मालूम होता है यह फलाने मंत्री का फार्म है। यह किसका फार्म है? तो यह फलाने मंत्री का फार्म है। किशनगढ़ के रास्ते पर चले जाइये। यह फार्म किसका है अमृतलाल यादव का फार्म है। यह फार्म किसका है? हरिदेव जोशी का फार्म है। वह फार्म किसका है? मथुरादास माथुर का फार्म है। ये फार्मपति सबसे बड़े जागीरदार थे।

श्री सभापति : आप बैठिये। मैं निवेदन करूंगा कि किसी के पास जमीन है और सीगली जमीन है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : कानून बनाने वाले वे स्वयं थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर सीलिंग से ज्यादा हो तो कोई बात है। आपके कई मंत्रियों के पास जमीन होगी। दिग्विजयसिंह जी के पास होगी। मेरे पास है।

श्री दाऊदयाल जोशी : सीलिंग कानून को समय के अनुसार तोड़ा मरोड़ा गया। जैसा चाहा वैसा बनाया गया। कोई मिसाल नहीं इसकी। दो दो कानून हो गये। आज का किसान परेशान है कौन से कानून को माने, कौन से कानून का पालन करे। आज का किसान परेशान है, भटकता फिरता है। उसको अलग अलग तरीकों से चूसते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात कह कर समाप्त करूंगा।

श्री सभापति : समय का अभाव है। बहुत माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन करूंगा कि कोटा जिले में सीलिंग लागू किया। चम्बल कमाण्ड होने से असिंचित जमीन पर भी सीलिंग लागू कर दिया गया। कम से कम असिंचित जमीन पर तो आपको सीलिंग से छूट देनी चाहिये थी। इन्दिरा जी की जय जयकार करने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत बांटने को सीलिंग में पुलिस के द्वारा लोगों को डरा कर धमका कर इल्लीगल तरीके से जमीनें छीन ली थी, आज भी गरीब अदालतों के अन्दर चक्कर काट रहे हैं। दूसरी तरफ जिन जमीनों के बारे में निर्णय नहीं लिया वे जमीन वाले व्यक्ति अदालतों में पहुंच गये और कब्जा ले लिया। धांधापी से, इस प्रकार से जमीनें दी गयी हैं। गलत तरीके से जमीनें दी गयीं। वे किसान आज भी भूमिहीन होकर दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। इस प्रकार के जो केसेज हैं उनको शीघ्र ही निपटाया जाना चाहिये। राजस्व मंत्री जी यह मंजूर करते हों तो सीलिंग के कानून में जो गड़बड़ियां हैं वे शीघ्र दूर करें। साथ ही निवेदन है कि दो दो कानूनों के लिये भी आपको विचार करना है कि इनको अलग अलग रखें या नहीं रखें जिस कानून से गरीब को जमीन दे सकते हों उसको स्वीकार करें।

## व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

## श्री परसराम मदेरणा का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल जी।

श्री परसराम मदेरणा : On a point of personal explanation, Sir.

# Page No 127

(127)



(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय सभापतिजी, मुझे अभी सदन में बताया गया कि माननीय सदस्य, श्री दाऊ दयाल जी जोशी ने मेरे सम्बन्ध में मेरे परिवार के सब ही सदस्यों के सम्बन्ध में, मेरे ब्रादर के सम्बन्ध में, उनके बच्चों के सम्बन्ध में, मेरे साले, साली, लड़के, पौते आदि के सम्बन्ध में, न जाने किन-किन के सम्बन्ध में, बातें यहां सदन में कही। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो सौ बीघा जमीन ली थी मेरी पत्नी और मेरे लड़के के नाम से, वह खातेदार से खरीदी हुई है। किसी भी रिश्तेदार को मैंने, चार पांच साल तक, मैं राजस्व मंत्री रहा, एक इंच जमीन का भी आवंटन नहीं किया। किसी खातेदार से जमीन खरीदी है, अलॉटमेंट का प्रश्न नहीं है, कोई अलॉटमेंट नहीं किया। सिवाय चक जमीन का किसी फैक्ट्री को एक मुरब्बा भी नहीं दिया। गवर्नमेंट को पावर्ज हैं। लेकिन मैंने उन पावर्स को इस्तेमाल नहीं किया यह जानकर कि यदि मैं इस्तेमाल करूंगा, राज्य सरकार इस्तेमाल करेगी तो जो कमेटियां बनी हुई हैं वे मिसयूज करेंगी। मैंने रिटर्न पेश किये हैं कानून के अन्तर्गत और रिटर्न पेश करने के बादे यदि सही नहीं किये हैं तो राजस्व मन्त्री जी प्रासीक्यूट कर सकते हैं। सन् 75 के एण्ड में या 76 के बिगनिंग में कानून में इसके लिये संशोधन भी किया गया, वह है 24-ए जिसको मैं पढ़ना चाहूंगा :

"Punishment for failure to file return or supplementary return under section 11-A. If any person bound to file a return or a supplementary return under section 11-A, does not file the return or the supplementary return within the time specified in that section, or files a return or supplementary return under that section, which is or which he has reason to believe to be false, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to Rs. 2,000/-, or with both."

श्री ईश्वरचन्द्र : एक केस भी बता दीजिये कि एक दिन की भी सजा दी हो ?

श्री सभापति : Let him have his personal explanation.

श्री दाऊदयाल जोशी : अलॉटमेन्ट की बात नहीं कर रहा हूं। अधिकांश जमीनें आपके रिश्तेदारों को दी हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : सहकारी जमीन है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सीलिंग से निकली हुई जमीन जागीरदारों से दबाई, यह कहा है। सारे माननीय सदस्यों ने उसको सुना है।

श्री परसराम मदेरणा : यदि मैंने कोई ऐसा फ्रॉड किया है, फाल्स रिटर्न पेश किये हैं तो आज गवर्नमेंट एन्टाइटल है मुझे प्रासीक्यूट करने के लिये। कोई अलॉटमेन्ट नहीं किया और दूसरों से खरीदी है। मैं माननीय

(श्री परसराम मदेरणा)

सदस्य को चुनौती देता हूं जिन्होंने लिस्ट दी है और जो इधर-उधर घूम रहे हैं, कौन सी 6 हजार 700 बीघा जमीन थानेदार को दिलवायी। मैंने जमीन दबाई है तो हिम्मत होनी चाहिये, परसों मुख्य मन्त्री जी भी कह रहे थे कि कमीशन बैठा हुआ है। इन्क्वायरी एक्ट के नीचे आपकी क्षमता होनी चाहिये आप कमीशन में जायं या आप अदालत में जायं।

**श्री बाऊदयाल जोशी** : आपने दी है···

(व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा** : आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। कौन हैं आप मुझे बीच में डिस्टर्ब करने वाले? I am in possession of the floor of the House. बेहूदे चार्ज लगाते हो आप। मैंने सीलिंग की जमीन छिपाई है, यह प्रोपेगण्डा करते हैं, लोगों को गुमराह करते फिरते हैं। मेरे पास में जो भी है और जिसके पास ज्यादा जमीन है और जिसने सीलिंग के पर्पज को डिफीट किया है उसका मामला कमीशन को दे दें। मैंने बहुत ही माइल्ड लैंग्वेज में कहा है। थर्ड वाचन में जब मुझे समय मिलेगा तो सब बातें यहां रखूंगा। आपने कुछ किया नहीं और नाम लेकर किसी को डीमोरेलाइज करना चाहते हैं। आपके पास में ओपन करने का अधिकार है, कमीशन बैठा हुआ है। कमीशन भी आपकी गवर्नमेन्ट ने बैठाया है, मिनिस्टर को क्या लिस्ट दे रहे हैं कमीशन को दें। वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। मेरे रिश्तेदारों का नाम लिया, साली का नाम लिया कि उसके पास इतनी जमीन है। मेरी एक साली है। उसकी जमीन एक इंच भी नहीं है। साली, साली का हस्बेण्ड यहां क्या बातें कर रहे हैं?

मैं एक बात फिर कह दूं कि अगर किसी ने भी जमीन ली है, कानून के अन्दर कोई गुनाह किया है और किसी चीज को छिपाया है, अब तो आपने सब इनफार्मेशन दे दी है, मन्त्री जी अगर आपके पास यह कानून भी नहीं होता री-ओपन करने का तो शायद उन केसेज को आप देख भी नहीं सकते पर अब तो आप सक्षम हैं, री-ओपन कर लीजिए। मैं आपको थर्ड वाचन में कहूंगा कि आप री-ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो आरोप इन्होंने लगाये हैं इनके पास कोई इनफार्मेशन नहीं है, जो तथ्य इनको दिये गये हैं वह बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, गलत हैं। यह जो चार्ज लगाये गये हैं यह पॉलिटिकली मोटीवेटेड चार्ज हैं। इन्होंने जो चार्जेज मेरे ऊपर लगाये हैं वह निराधार ही नहीं हैं बल्कि झूठे चार्जेज हैं।

## विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने संशोधन प्रस्ताव पर अग्रेत्तर विचार

**श्री सभापति** : श्री हीरालाल आर्य!

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बोलने वाले सदस्यों की संख्या काफी है और समय बहुत कम है इसलिए मेहरबानी करके बहुत सूक्ष्म में और पॉइन्ट वाइज ही कहें तो अच्छा रहेगा।

हां, अब बोलिये आप।

**श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा)** : बहुत संक्षेप में निवेदन करूंगा।

(श्री हीरालाल आर्य)

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां के लोगों का मुख्य धंधा खेती है और भारत एक कल्याणकारी राज्य भी है और समाजवाद की ओर हमारा कदम है इसलिए राजनैतिक समानता के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समानता प्राप्त कराने के लिए हमारे प्रयत्न रहे हैं। धन और धरती बंटकर रहेगी, धन तो पता नहीं कब बंटेगा लेकिन इस सिद्धान्त के अनुसार हम धरती को तो बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। फलस्वरूप देश में सीलिंग कानून लागू हुआ। सीलिंग कानून में कुछ उलझनें हैं। किसान, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा है और समझता नहीं है, शुरू शुरू में नये और पुराने कानून में किसान उलझा रहा और किसानों को जिस कानून के तहत नुकसान हुआ अक्सर किसानों से बात करने पर यह मालूम पड़ा कि वही कानून उस पर लागू हुए और मैं चाहूंगा कि नये और पुराने कानून के अनुसार जिसमें किसानों की इच्छाओं का ध्यान नहीं रखा गया है और जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। किसानों के हित में, किसान जिस कानून को लागू करना चाहे अपने आप पर, उस कानून को लागू किया जाना चाहिए।

किसानों की इच्छा के अनुसार जमीनें प्राप्त नहीं की गयी हैं। किसान जिस जमीन को देना चाहता था वह जमीन उससे ली नहीं और कर्मचारियों ने अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी जमीन ली है उससे किसान दुखी हैं। यूनिट मानते समय किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। किसानों के जो नाबालिग बच्चे हैं उनको यूनिट में नहीं माना जाकर उनको अपना पैत्रिक धंधा प्राप्त करने से वंचित किया है और मैं समझता हूं कि किसानों के बच्चे जो गांवों में रहते हैं उनके पास दूसरा कोई धंधा नहीं है और वह नाबालिग बच्चे आज बड़े होकर अपने पिता का धंधा करते हैं लेकिन उनको यूनिट में नहीं माना गया और उनके पैत्रिक धंधे से उनको वंचित किया गया है। यदि उसका ध्यान रखा जाता तो किसानों के बच्चों के साथ न्याय होता।

जो सीलिंग से प्राप्त जमीन बंटी कांग्रेस सरकार ने सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए मन चाही नीति से जमीन ली और उसको जल्दी में वितरित कर दिया जब कि ऐसे भी मामले हैं जो कि विवादग्रस्त हैं। जिस जमीन पर विवाद था ऐसी जमीनों को भी बांट दिया गया और अक्सर यह जमीन भूमिहीन लोगों को ही बांटी गयी है। फलस्वरूप जिनकी जमीनें थीं वह अदालतों में पहुंचे और स्टे लेकर जल्दी जल्दी में जमीन बांटी थी उन भूमिहीनों को जिनको वह जमीन मिली थी उनको बेदखल किया जा रहा है और इस तरह से बेदखल किया जा रहा है कि कांग्रेस वाले पहले से जानते थे कि सरकार अपनी रही तो हमको प्रशंसा मिलेगी और अगर हमारी नहीं बनी और दूसरी सरकार बनी तो सीलिंग में जो उलझे हुए मामले हैं वह कानून में जीतकर आयेंगे और जिनको जमीन बांटी गयी है उनको बेदखल करेंगे। तो इस तरीके से हम सरकार को बदनाम करेंगे यह उन्होंने सोचा हुआ था। मैं चाहूंगा कि विवादास्पद जमीन

Page No 130

(130)



(श्री हीरालाल आर्य)

नहीं बांटी जानी चाहिए थी लेकिन ऐसा हुआ, फलस्वरूप किसान परेशान हुए। थाने और तहसीलों में गये और जो जमीन बांटी गयी मेरा एक ही आक्षेप है कि बांटते समय निष्पक्षता नहीं बरती गयी और प्रभावशाली व्यक्तियों को ही इस प्रकार की जमीन बांटी गयी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि आपने मुझे आदेश दिया है कि संक्षेप में कहूं इसलिए मैं अभी समाप्त करता हूं।

किसान इन मामलों से बहुत दुखी हैं और आज हजारों मामले अदालतों में चल रहे हैं। किसानों के मामलों को री-ओपन करने का मामला सरकार कर रही है यह प्रसन्नता का विषय है और इस कानून से लोगों को न्याय प्राप्त होगा।

मैं यह भी कहूंगा कि जिन किसानों से जमीन प्राप्त हुई है उनको शीघ्र मुआवजा दिया जाये और गांव में बहुत सारी जमीन ऐसी है कि जो अभी पड़त पड़ी है उसको सरकार को उपजाऊ बनाकर भूमिहीनों में बांटनी चाहिए और सीलिंग से प्राप्त जमीन जब तक उलझे मामले सही नहीं हों तब तक सीलिंग की जमीन को ऐसे भूमिहीनों में नहीं बांटा जाये इतना ही निवेदन है, जयहिन्द।

**श्री सभापति :** श्री ईश्वरचन्द्र।

(अनुपस्थित)।

**श्री हरजीराम बुरड़क।**

(अनुपस्थित)।

**श्री हजारीमल सारण।**

(अनुपस्थित)।

**श्री मदनसिंह दांता :** माननीय सभापति जी, यदि आप फर्मायें तो दो मिनट में अर्ज कर दूं।

**श्री सभापति :** माननीय श्री दांता।

(व्यवधान)

दो मिनिट आपको कह लेने दें।

**श्री मदनसिंह दांता:** सभापति जी, सीलिंग के संबंध में जितने परिवर्तन हो रहे हैं यह बिल्कुल लीगल मैटर्स से सम्बन्धित हैं। इसलिए जो भी सदस्य रेवेन्यू के लीगल मैटर्स को नहीं समझते हैं उन्होंने फैक्ट क्या है उसके ऊपर विचार व्यक्त किये और काफी सजेशन दिये। मैं दो-तीन चीजें अर्ज करूंगा। कहीं पर ऐसे भी जुर्म हुए हैं कि सीलिंग के लागू होने के पहले चुपके-चुपके से पुरानी तारीखों में पट्टे दिये गये हैं। ऐसे भी जुर्म हुए हैं इसलिए उनके मामलों को री-ओपन किया गया। कहीं पर ऐसे भी जुर्म हुए हैं कि जो जागीरदार लोग थे उन्होंने अपने पुराने लोगों को जमीनें बिना पैसे के दी थीं। 500, 1,000 आदमी ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने भी रिप्रेजेन्टेशन दिया है। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब तक लॉ चेन्ज नहीं हो तब तक उसकी हियरिंग नहीं हो सकती है। मेरे गांव की मिसाल बताता हूं, जागीरदार ने 500, 1 000 आदमियों को जमीन दी थी उसको जबर्दस्ती मेरे खाते में डाल रखा है। मैं कहता हूं तो वह कहते हैं कि

(श्री मदनसिंह दांता)

आपकी हियरिंग भी तभी होगी। यह कतई नहीं समझना चाहिए कि जमीनों को जनता पार्टी वापस जागीरदारों को दे देगी। यह भी ठीक नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ मामलों को खोलकर जमींदारों को जमीनें दे दी हों। कांग्रेस में भी ऐसे जागीरदार और जमींदार थे जो काश्तकारों के साथ हमेशा मिलकर चेन्ज लाते थे और वह चेन्ज लाये हैं। अब प्रगतिशील कह रहे हैं कि 6 एकड़ जमीन की सीलिंग रखें। आप अगर जैसलमेर में 100 एकड़ भी रखें तो उसका काम नहीं चलने वाला है। तो यह प्रगतिशील कानून हमारे राजस्थान में रहने दें वरना यह किसान वर्ग को शहरों में लायेगा। लोग कहेंगे कि जिस मकानों में बैठे हैं, वह मकान हमारा है, जो किरायेदार जमीनों और मकानों में रह रहे हैं। वह कहेंगे कि यह हमारा मकान है। रामबाग पैलेस में जो आज कार्य कर रहे हैं वह भी कहेंगे कि पैलेस हमारा है। इसलिए उनको यह मौका न देकर कुछ ठीक निर्णय करें।

दूसरी बात परिभाषा की है जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था। वह परिभाषा दिमाग से नहीं लेकिन अनुभव के आधार पर हो। किसान वह होना चाहिए जिसकी अन्य आय काश्त की आय से कम हो। जैसे मैं किसान हूं, यदि मुझे 100 रु. तनख्वाह मिलती है लेकिन खेती की आय 1000 रु. है। अगर किसी का बिजनेस है 5 लाख का और उसके पास जमीन 3 बीघा है तो खेती से आय कम है और बिजनेस से ज्यादा तो वह किसान की परिभाषा में नहीं आता है। केवल खेती की आय से जिसका काम चलता है चाहे वह हल भी न चलाये तो वह किसान है। जिस वक्त यहां सारण साहब के संबंध में प्रश्न उठाया था कि वह किसान हैं कि नहीं तो मैंने कहा था कि वह किसान हैं क्योंकि उनके घर का सारा खर्चा खेती से चलता है चाहे सारणजी हल नहीं चलायें। किसान वह है जिसके घर का खर्चा अन्य आय से न हो और केवल खेती से हो। यहां पर इतने सारे माननीय एम. एल. एज. हैं वह कौन सा हल चलाते हैं लेकिन सब के पास जमीन है। जिसका खर्चा खेती से चले वह किसान है। यह अगर आप कर देंगे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, तो सबसे बड़ी चीज कर जायेंगे और आपका हिन्दुस्तान में नाम होगा कि कोई ऐसा रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ था। मेरा थोड़ा सा सुझाव मान लें। मैंने पहले भी इसी तरह का सुझाव दिया था जिसको समझदार लोगों ने एप्रिशियेट किया था, लेकिन यहां पर उसको मजाक में उड़ा दिया।

दूसरा, मेरा सुझाव है कि काश्तकारों के खातों में सरकारी जमीन लिखा होता है, यह शब्द हटा दिया जाय। अगर आप यह कर देंगे तो काश्तकार यह कहेगा कि ऐसा कोई रेवेन्यू मिनिस्टर पैदा हुआ था जिसने हमको टिनेन्ट से हटाकर लैण्डलार्ड बना दिया। आज जिसका 5 लाख का मकान है वह तो लैण्डलार्ड है और जो किसान है, जिसके पास जमीन है वह टिनेन्ट है। टिनेन्ट नाम किसान के लिए उचित नहीं है। जो जमीन को खड़ता है और जो जमीन का मालिक है उसको आप टिनेन्ट बताते हैं। जिसके पास 5 करोड़ का मकान है वह मालिक और किसान टिनेन्ट। इसलिए कब

# Page No 132

(132)



(श्री मदनसिंह दांता)
से कम किसान को लैण्डलार्ड बना दें। 3 बीघा जिसके पास जमीन है वह भी लैण्ड लार्ड हो। किसान यह कहता है कि जमीन सरकार की है मैं तो टिनेन्ट हूं। यदि आपने यह नहीं किया तो दूसरा भू-स्वामी आन्दोलन होगा। पहले जागीरदारों का भू-स्वामी आन्दोलन था और अब किसानों का भू-स्वामी आन्दोलन होगा। यह मैं आपको बता रहा हूं।

श्री सभापति : श्री नवरंगसिंह।

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं। मैं यह निवेदन करता हूं कि सीलिंग के मामले पुनः खोले जा रहे हैं। तो यह भी देखें कि आज राजस्थान में घोड़ों और कुत्तों के नाम से जमीनें हैं। जितने भी बड़े लोग थे उन्होंने फर्जी काश्तकार बनकर फर्जी रजिस्ट्रियां करा दीं। झुन्झुनू में पाली में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं।

इसी तरह से मैं यह भी निवेदन करूंगा ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जब आपने संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया है तो बोलने की गुंजायश नहीं है। There is nothing to speak. बोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बिरदमल सिंघवी।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री करतार सिंह!

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द जैन!

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय,...

श्री सभापति : कुछ बोलने की गुन्जाइश हो तो बोलें। काफी इल्यूसिडेशन हो चुका है, माननीय विरोधी दल के नेता द्वारा।

## विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसे प्रवर समिति में क्यों भेजा जाय इसके बारे में कहना चाहता हूं। मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह में प्रस्तुत करे। यह मैंने संशोधन प्रस्ताव रखा है।

यह जो विधेयक आया है उसमें डिसीजन को री-ओपन करने की पावर गवर्नमेंट को दी गई है। मैं यह चाहता हूं कि यह केसेज रेवेन्यू बोर्ड डिसाइड करे और रेवेन्यू बोर्ड को केसेज को री-ओपन करने का अधिकार दिया जाय तो केसेज का निर्णय ठीक हो सकेगा, अन्यथा केसेज का निर्णय ठीक नहीं हो सकेगा। मैं राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के सैक्शन 83 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

"Power of Government to call for records and revise orders—

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

The State Government may call for the record of any non-judicial proceeding not connected with settlement held by any officer subordinate to it and may pass thereon such orders as it thinks fit."

सेक्शन 84 को भी साइट करना उचित समझूंगा—

Power of Board to call for records and revise orders.—The Board may call for the record of any case of a judicial nature or connected with settlement in which no appeal lies to the Board the court or officer by which the case was decided appear to have exercised jurisdiction not vested in it or him by law, or to have failed to exercise a jurisdiction so vested or to have acted in the exercise of its or his jurisdiction illeagally or with material irregularity and may pass such orders in the case as it thinks fit.

प्रश्न यह है कि सीलिंग के बारे में जो मैटर्स हैं वह जुडिशियल हैं, जुडिशियल मैटर में रेवेन्यू बोर्ड निर्णय देता है। सेक्शन 83 जो मैंने साइट किया है उसमें सिर्फ नॉनजुडिशियल मैटर्स के ही रिकार्ड्स को गवर्नमेंट मंगा सकती है और केसेज को रिओपन करके पावर्स दे सकती है। जब यह जो पावर्स आप ले रहे हैं यह जुडिशियरी की पावर्स ले रहे हैं, तो जुडिशियरी की पावर्स गवर्नमेंट को नहीं लेनी चाहिए, और कोई गवर्नमेंट अगर लेती है तो कितनी ही ईमानदारी के साथ आप काम करें उसमें भी पक्षपात का आरोप लगा दिया जाता है। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर की इन्टेग्रिटी, आनेस्टी पर पूरी आस्था रखता हूं, परन्तु पोलिटिकल प्रेशर्स, थिंकिंग या कन्सीडरेशन वगैरह होते हैं। कोई भी प्रेशर आये उन प्रेशर से वह प्रभावित नहीं हो तो भी उस पर चार्ज लग सकता है। तो इस प्रकार के जो केसेज हों वह रेवेन्यू बोर्ड डिसाइड करे। यह पोजीशन हो सकती है कि रेवेन्यू बोर्ड के केसेज को री-ओपन करें। यह बात भी कह सकते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड में केसेज आयें तो क्या प्रेशर नहीं होंगे। तो हाई कोर्ट के बारे में कन्सीडरेशन कर सकते हैं, हाई कोर्ट को मामले डिसाइड करने को दें। यह जो जुडिशियरी की पावर्स हैं यह पावर्स गवर्नमेंट द्वारा लेना किसी तरह उचित नहीं रहेगा। इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, आप प्रगतिशील हैं, तो प्रगतिशील प्रावधान अधिकतम-सीमा अधिरोपण विधेयक में रखें। हमने कुछ त्रुटियां की हैं, हमारी कांग्रेस की सरकार ने प्रगतिशील कदम नहीं उठाये हैं। उन त्रुटियों के कारण बड़े बड़े किसानों ने फायदा उठाया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सीमा हमने बांधी है इस सीमा के अन्दर land under orchards existing on 23rd July, 1972. नहीं धारा पहले था 4A: Land

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

under assured irrigation capable of growing atleast two crops in a year 18 acres.

(b) Land under assured irrigation capable of growing atleast one crop in a year 27 acres.

(c) Land under orchard existing on 23rd July, 72. अब प्रश्न यह होता है कि दो क्राप होती है तो दो क्राप का 54 एकड़ होता है। इसका फायदा पूंजीपति किसान उठा रहे हैं। नाजायज तरीके से उन्होंने फायदा उठाया है। उनको फायदा उठाने नहीं दिया जाना चाहिये। यह प्रोवीजन डिलीट कर दिया जाना चाहिये।

दूसरा नं. (a) एण्ड (b) में 18 और 27 एकड़ में जो आता है वह वास्तव में आर्चर्ड जमीन के नाम से फायदा उठाता है। मैंने पहले भी सदन में यह प्रश्न उठाया था, यह प्रोविजन नहीं होना चाहिये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी गवर्नमेंट इसको कन्सीडर करे और जो पूंजीपति किसान आर्चर्ड के नाम से...

**श्री सभापति** : कृपया शांति बनाये रखें। माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : हमने जो पहले कानून बनाया था, टिनेन्सी एक्ट में फेमिली की डेफीनेशन दी थी इसमें फेमिली की डेफीनेशन ऐसी विस्तृत कर दी गई कि बहुत से लोगों को जमीन के मिलने का अवसर मिल गया। फेमिली की डेफीनेशन है, इसको अगर चेन्ज करें ..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि कोई भी फेमिली मेम्बर 18 वर्ष का हुआ। वह सेपरेट यूनिट हो गया। पहले यह प्रोवीजन नहीं था। पहले फाइव मेम्बर्स आफ दी फेमिली था। मेजर मेम्बर भी हो 18 साल या उससे कम हो, वह फेमिली में था। अब इसके अन्दर यह प्रोवीजन किया गया तो अधिक से अधिक जमीन जिसके पास थी उसने अनुचित लाभ उठाया। इसमें आप को परिवर्तन करना चाहिये आप सोशलिस्ट हैं, आप प्रगतिशील कदम उठायें।

**श्री सभापति** : कृपया समाप्त करें।

**श्री वृद्धिचन्द जैन** : कम्पेनसेशन के बारे में कहना चाहता हूं। सीलिंग से जो प्राप्त हुई जमीन है, वह अन्त्योदय योजना में सलेक्टेड पर्सन्स को देना चाहते हैं, उसका कम्पेनसेशन कितना होगा? वे स्थिति में नहीं कि उसका कम्पेनसेशन पे कर सकें। इस अन्त्योदय योजना के जो सलेक्टेड पर्सन्स हैं, उनको कम्पेनसेशन देते हैं तो वह दे सकेंगे। कम्पेनसेशन का पहले टिनेन्सी एक्ट में प्रोवीजन था। कम्पेनसेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया।

इसमें एक और प्रोवीजन है। जिससे जमीन ली जाती है वह रद्दी से रद्दी जमीन देता है। जमीन देना उसकी चोइस पर रखा गया है। उसकी चोइस नहीं रहे, यह प्रोवीजन भी कर सकें और एक रिवोल्यूशनरी कदम उठा कर सीमा में कुछ कमी कर दें तो कुछ प्रगतिशील कदम होगा। मैं जानना चाहूंगा कितने केसेज री-ओपन किये, कितने पेन्डिंग हैं? वह जानकारी दें।

श्री सभापति : समाप्त करें।

It is a repetition of the same thing.

माननीय श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मैंने भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करें। इसके कारण माननीय राजस्व मंत्री जी के सामने आ गये हैं। जनता पार्टी की सरकार को बने साल खतम हो रहा है। जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कुछ काश्तकार भूमि के लिये तरस रहे हैं, वे सोचते हैं कि भूमि मिलेगी। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट एक पार्टी की होते हुए अलाटमेंट हुए। सीलिंग कानून को आप इम्पलीमेंट कर पाओगे, हमें शक है। जो सुझाव आये हैं उनका मकसद है कि वास्तव में कुछ न कुछ करके, कानून को इफेक्टिव बनायें। एक साल तो चला गया। आप बतायें किस जगह कौन से केसेज पड़े हैं ? मेरे ख्याल से आप भी जुडिशियरी की पावर ले रहे हैं। कहां तक आप ऐसे मामलों में जजमेंट करेंगे ? आप बैठकर कितना क्या कर सकते हैं ? इसलिए मेरा सुझाव है कि यह पावर्स रेवेन्यू बोर्ड को दे दी जाये। वही यह देखे कि कौन सा केस री-ओपन होना चाहिये। राजस्थान में जिलाधीशों की मीटिंग बुलाकर यह इन्फार्मेशन इकट्ठी कर लें जमीनों के मामले में क्या गोलमाल हुआ है। अगर रिकार्ड से मालूम पड़ता है कि जमीन ज्यादा है, तो वास्तव में केस री-ओपन करना चाहिये Something has to be done नहीं तो देख लें, दूसरी पार्टी आ जायेगी। इस प्रकार यह काम पूरा होने वाला नहीं है। सभापति जी, निवेदन करना चाहता हूं, सारे मुद्दे रखे हैं। आप एक कन्सोलिडेटेड बिल लायें ताकि जो भी कमियां हैं, वह न रहें और कोई अड़चन न आवे। जागीरदार या एक्स रूलर्स के बारे में क्या पोजीशन है, क्या उनके केसेज री-ओपन करेंगे ? इसको इम्पलीमेंट आप कैसे करेंगे ? आपको कई कठिनाई होंगी। री-ओपन जब करेंगे तो आप कहेंगे मैंने इतने केस री-ओपन किये हैं। यह पोलिटिकल पार्टी के सदस्य के नाते कहेंगे, 30 साल कांग्रेस ने राज किया, थोड़ा बहुत हमको भी मौका दो। जिस समय कांग्रेस शासन में थी उस वक्त बहुत से जागीरदार कांग्रेस के साथ थे। जनता पार्टी की सरकार कायम हुई है तो वे अब इसमें शामिल हैं। बिलकुल जो कांग्रेस के ...

श्री मदनसिंह दांता : कांग्रेस में सबसे ज्यादा जागीरदार थे वे इनमें जाकर मिल गये।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई: मेरा ख्याल है जो पार्टी इन पावर होती है उसके साथ शामिल हो जाते हैं। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट हटी है और 30 साल परेशान हो जाने के बाद जनता पार्टी का राज्य आया है तो वे कहेंगे हमें भी कुछ मिलना चाहिये। इसलिये मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि इस बिल को जनमत जानने के लिये भेजा जाय या नहीं किन्तु सलेक्ट कमेटी में भेजकर मंत्रणा करके, विचार करके, मीटिंग करके निर्णय करें कि वास्तव में

Page No 136



(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

क्या इम्पलीमेंट करना चाहते हैं। जनता पार्टी जनता को किस प्रकार संतिसफाई करना चाहती है इस पर विचार करें। जनता पार्टी को साल भर हो गया है। अब आप कोई एक्शन लें, अब आपकी कलम चलनी चाहिये। 19 महीने में इन्दिरा ने जो कुछ किया है, वही करते रहे, यह क्या बात है। उन्होंने तो ब्लैक मार्केटिंग को समाप्त किया है। सीलिंग में थोड़ी बहुत जमीन निकाल कर अलॉट की है। विभाग में आंकड़े हैं, आप देख लें काफी कुछ किया है। जो 19 महीने में हुआ है आपने एक साल में उसको ठिकाने लगा दिया...

श्री दाऊ दयाल जोशी : जानवरों की तरह नसबन्दी नहीं की है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सीलिंग की जमीन अलाट की है। यह तो कहावत है जमीन और जोरू जोर की है...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य : जोरू शब्द तो आपका ठीक नहीं है। यह तो एक जाति पर आक्षेप है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अच्छा, मैं इसको वापस ले लेता हूं।

(व्यवधान)

तो, सभापति महोदय, इन्हीं मुद्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं, कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। अभी तो आपके आर्डिनेन्स की मियाद भी काफी है—6 महीने तक मियाद चलती है, अभी कोई खास मियाद नहीं हुई है। आपका पर्पज भी डिफीट नहीं होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि जुलाई में सेशन बुला रहे हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यह संशोधन प्रस्ताव मंजूर कर लीजिये और अच्छा कानून बनाकर जनता को लाभ दीजिये।

श्री सभापति : श्रीमती नारंगी देवी !

(अनुपस्थित)

श्री गुलाब चन्द।

(अनुपस्थित)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय...

श्री सभापति : आपका नाम तो नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : नाम का प्रश्न नहीं है, सभापति महोदय। नियमों के अन्तर्गत मुझे बोलने का अधिकार है।

श्री सभापति : यह आसन समझता है।

(व्यवधान)

बोलिये।

एक माननीय सदस्य : आपकी उदारता का नाजायज फायदा उठायेंगे।

श्री सभापति : दो-तीन मिनट में समाप्त कर दें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय सभापति जी, डेढ़ मिनट में समाप्त कर दूंगा।

श्रीमान यहां पर दो-तीन बातें कही गई हैं। मुझे माननीय मंत्री महोदय से

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

क्लेरिफिकेशन करना है, बिल से ऐसा लगता है कि इस कानून के तहत आपने साल भर में कोई कार्यवाही नहीं की। इससे यह साबित होता है कि जो मियाद बढ़ाने की बात है इसके लिये जो आप आर्डिनेन्स लाये है यह राजनैतिक आधार पर लाये हैं। बदला लेने की भावना का इससे आभास होता है। मैं स्पेसिफिक तौर से यह एश्योरेन्स चाहूंगा कि राजनैतिक आधार पर आप लोग बदले की भावना से कार्यवाही नहीं करेंगे और इस कानून का लाभ नहीं उठायेंगे। राजस्थान की जनता, राजस्थान के एग्रीकल्चरल लेबर के लाभ के लिये इस कानून का उपयोग करेंगे, आप समाजवादी मंत्री है, आप करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है ....

**श्री नवनीत पालीवाल** : आपको तो खतरा नहीं है?

(व्यवधान)

**श्री मूलचन्द डागा** : आप क्या बोल रहे हैं, सचेतक महोदय।

(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ और मजबूत हाथों से इस पर उचित रूप से अमल करिये। हम भी सहयोग देंगे।

सभापति महोदय, यहां दोनों माननीय मन्त्री महोदय नहीं हैं। यह कहा गया कि राजस्थान के जितने मन्त्री हैं सबने जमीन हड़प ली है। अगर सीलिंग से ऊपर उनके पास जमीन है तो निश्चित रूप से वे दोषी हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही करनी हो चाहिये। लेकिन ऐसा लगता था जैसे पब्लिक प्लेटफार्म से यह कह रहे हो कि कांग्रेस के सब मन्त्रियों ने जमीन हड़प ली। मैं कहता हूं आप के बहुत से लोगों के पास जमीनें हैं—पुरानी जमीनें हैं खेती की...

(व्यवधान)

कांग्रेस वालों को बदनाम करने की नियत से, विरोधी पक्ष को बदनाम करने की नीयत से आपने कह दिया, जमीन हड़प ली। मैं कहता हूं, माननीय मन्त्री महोदय, जिन लोगों ने जमीन हड़पी है, उन सब के मामलों को यहां सदन में लायें। इस तरह बदनाम करना उचित नहीं है। मैं कहता हूं आपकी पार्टी के अन्दर ...

**श्री दाऊदयाल जोशी** : सेन्ट परसेन्ट सत्य है...।

(व्यवधान)

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : जोशी जी आपको अभी मालूम नहीं है। मैं, माननीय सभापति जी निवेदन करूंगा, अगर इस तरह का व्यवधान किया गया तो जो तीन मिनट का समय दिया गया है, इसके बजाय 30 मिनट लग जायेंगे।

मैं निवेदन कर रहा था कि आप लोगों को इस प्रकार का अनर्गल आरोप नहीं लगाना चाहिये, यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। चाहे इधर बैठने वाले हों और चाहे उधर बैठने वाले हों, सीलिंग से ऊपर यदि किसी के पास जमीन है तो उसका अवश्य पर्दाफास किया जाये।

अभी भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने 6 एकड़ जमीन पर सीलिंग लगाने

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
की बात कही वह प्रवाह में आकर बात कही। मन्त्री महोदय, आप यह बात कहें तो समझ में आ सकती है। जैन साहब, कभी आपने जमीन देखी नहीं होगी। मैं आपको कहता हूं...

(व्यवधान)

राजस्थान के अन्दर 6 एकड़ की सीमा करने का सुझाव जनता पार्टी ने दिया है, यह बचकाना सुझाव है। राजस्थान की जमीन से आपकी वाकफियत नहीं है...

श्री कोमलकिशोर जैन : मैंने 6 एकड़ सिंचित जमीन के लिए कहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : डेजर्ट में 6 एकड़ जमीन में क्या हो सकता है? गुजारा हो सकता है? मैं कहता हूं 6 एकड़ सिंचित जमीन में भी गरीब का पालन पोषण नहीं हो सकता है। मैं चेलेंज करता हूं अगर आप साबित कर दें...

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अगर आप जमीन के मामले में बचकाना बातें कहेंगे तो शहरों में जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं और बड़े बड़े मकान वाले हैं उनके लिए आपकी पार्टी क्या करने जा रही है।

(व्यवधान)

श्रीमान, माननीय सदस्य बीच बीच में व्यवधान कर देते हैं,

अब, श्रीमन, मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय हम को सिर्फ यह आश्वस्त कर दें सदन में, हम केवल यह चाहते हैं कि इस सीलिंग कानून को ईमानदारी के साथ राजस्थान के अन्दर लागू किया जाएगा। हम यह जानते हैं कि कांग्रेस राज में जिस भावना के साथ यह इम्पलीमेन्ट होना चाहिए था उस भावना से इम्पलीमेन्ट नहीं हुआ। पहले भी यही मांग थी और आज भी यह मांग है कि आप इसका पूरी ईमानदारी के साथ अमल करें। अगर ईमानदारी के साथ इस कानून का अमल करेंगे, यह घोषणा मैं राजस्व मंत्री महोदय से चाहूंगा। एक साल की मियाद आपने बढ़ाई है तो ऐसे मामले, जो सरकार के सामने आए हैं, के सम्बन्ध में आप सख्ती से कदम उठाएं। यही निवेदन है।

श्री नूरा : सभापति महोदय, केवल पांच मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति : समय का अभाव है।

श्री नूरा : आप उदार हैं। मेरे साथ उदारता बरतें।

श्री सभापति: केवल तीन मिनट।

श्री नूरा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक यहां पर लाया गया है इस पर जो विधायक साथी बोले हैं, उनके भाषण से ऐसा लगता है जैसे मैं कोई पार्टी मीटिंग में भाषण सुन रहा हूं। जनता पार्टी के विधायक ने जो बातें यहां पर कही हैं, उनकी क्रियान्विति के लिए अगर कदम उठाया जाए तो जो खेती करने वाले हैं उनका बड़ा भला होगा। यह एक बहुत बड़ा काम होगा। हमारे मंत्री महोदय ने

(श्री नूरा)

एक बात कही जमीन जो जोते उसकी होगी। यह जो जनता पार्टी के विधायकों ने कहा है, यह जनता को भ्रम में डालने के लिए कहा जा रहा है। यह दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि हमने कितनी प्रगतिशील भाषा बोली है। दूसरे दिन अखबारों में यह छप जाएगा कि सारी जमीन किसानों की होगी। यह तो केवल ड्रामा है। मैं इसको ड्रामा के अलावा कुछ नहीं कह सकता

(व्यवधान)

यह आपका उसी तरह का एक नाटक है जैसे पहले 'दो बीघा जमीन' नाम की एक फिल्म बनी थी। उसमें जिस कलाकार ने काश्तकार की एक्टिंग की थी, वह केवल उसकी एक्टिंग थी वह हकीकत में किसान नहीं था। उसी प्रकार की कलाकारी, एक्टिंग, मेरे साथी विनायक यहां पर कर रहे हैं…

(व्यवधान)

अगर जनता पार्टी काश्तकारों के लिए यह कर दे तो बहुत बड़ा काम होगा वरना मैं इसे एक ड्रामा करना कहूंगा। मैं यह जानता हूं, ऐसा आप कर नहीं सकते हैं। यह जो टाइम बढ़ाने का कानून आप यहां पर लाए हैं, मैं समझता हूं इससे राजनैतिक पक्षपात होगा। मंत्री महोदय चाहे कितने ही ईमानदार हों, उन पर दबाव होगा। मजबूरी में उनको वह काम करना पड़ेगा जो वे नहीं करना चाहते हैं। यह कोई ताज्जुब की बात भी नहीं होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन इस तरह नहीं बंटेगी। इसके लिए किसान को आन्दोलन करना होगा। कांग्रेस के राज्य में भी हमने आन्दोलन किए हैं और जमीन का आवंटन कराया है…

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिल पर बोलें।

श्री नूरा : बिल पर ही बोल रहा हूं। सभापति महोदय, माननीय सदस्य व्यवधान कर रहे हैं…

(व्यवधान)

मैं तो जनरल बात कह रहा हूं। किसी माननीय सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। फिर क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन के लिए झगड़ा तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूंजीवादी विचारधारा वाले व्यक्तियों की हुकूमत रहेगी। अगर जनता पार्टी यह कर देगी तो मैं यह निवेदन भी किए देता हूं कि आगे किसी भी पार्टी की सरकार के आने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। धन और धरती को किसान, मजदूर बांट के रहेगा। मेहनत करने वाले धन और धरती को बांट के रहेंगे। जो मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हैं उन्होंने अपने अधिकार लड़ कर लिए हैं। ऐसे ही नहीं मिल गये हैं। जमीन लेने के लिए आन्दोलन करना पड़ेगा और मजदूरों को भी लड़ कर जमीन लेनी पड़ेगी। आपसे हमें यह उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस सरकार के समय जो कानून बना था, आपको तो

(१४८)



(श्री नूरा)

उस कानून की टांग के बराबर मन्शा नहीं है। साथ ही साथ आप यह संशोधन बिल लाकर इस कानून को पंगु बना रहे है। इससे किसानों का गुजारा होने वाला नहीं है। इससे किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। ऐसी बातों से आप कब तक किसानों को भ्रम में डालते रहेंगे ? यह जो बिल है वह नाकाफी है। जनता इस तरह के बिल से अब नहीं टहरेगी। यह तो कोई बिल है ही नहीं। यह तो नाम मात्र लोगों को खुश करने के लिए लाया गया है। इसके अन्दर कोई हकीकत की बात नहीं है। इसको आप हकीकत में बदल देंगे तो सचमुच बहुत बड़ी बात होगी। परन्तु आपसे मुझे उम्मीद नहीं है कि आप इसको क्रियान्वित करेंगे। उम्मीद तो यह थी कि आप इस सीलिंग को कम करने की बात इस बिल में लायेंगे। तब यह अच्छा बिल होता। वह प्रावधान इसमें नहीं है। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। यह धोखा है, महज ड्रामा है।...

(व्यवधान)

इसकी मन्शा यही है...

**श्री सभापति** : कृपया स्थान ग्रहण करें....

(व्यवधान)

**श्री नूरा** : माननीय सदस्य कह रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं कि इस बिल की मन्शा क्या है...

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

प्रभारी मन्त्री जी।

**श्री पुरुषोत्तम मन्त्री (राजस्व मन्त्री)**: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यों ने एक सीमित उद्देश्य से लाये गये बिल के सम्बन्ध में कई ऐसी बातें कही हैं जो इसकी परिधि के बाहर जाती हैं। कुछ नीति सम्बन्धी मुद्दे भी यहां पर उठाये गये हैं। ना पक्ष के माननीय सदस्य और नेता महोदय ने यह जानना चाहा है कि जब से यह सरकार बनी कितने मुकदमें खोले गये और कितने पेन्डिंग हैं। इनकी संख्या मैं पहले बता देना चाहूंगा। उसके बाद आगे बढ़ूंगा री-ओपनिंग के जो केसेज थे उनकी संख्या 1844 थी। इसमें से 717 का फैसला हो चुका है और 1127 केसेज अभी बाकी हैं।

सभापति जी, यह सवाल भी विरोधी दल के माननीय नेता ने उठाया कि हाई कोर्ट का जो निर्णय हुआ है, उस हाई कोर्ट के निर्णय के मुतल्लिक उन्होंने यह कहा कि उन्होंने एक मीमो केबिनेट को पेश किया था। इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट का निर्णय नया कानून बनने के समय जितने मुकदमें विचाराधीन थे, उनके लिए था लेकिन हाई कोर्ट की जो बेन्च थी, फुल बेन्च उसने यह निर्णय दिया कि धारा 6, जो राजस्थान जनरल क्लाज एक्ट की है, वह लागू होती है। इसका नतीजा यह है कि जितने भी केसेज हैं वे री-ओपन किए जा सकते हैं। विरोधीदल के माननीय नेता ने जो केबिनेट मीमो की बात कही है, वह केबिनेट मीमो पेश होने का सवाल यूं नहीं आया कि उन्होंने एक आदेश दिया, उस वक्त भीमसिंह जी मन्त्री थे, उनके केस में

(श्री पुरुषोत्तम मन्त्री)
एक आदेश दिया। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने, जैसा पहले मैंने निवेदन किया था, एक जनरल आॅर्डर दिया कि केसेज को खोला नहीं जाए। इसलिए कैबिनेट मीमो पेश करने का सवाल नहीं आता।

14-8-77 की बात कही, उसके लिए मेरा यह अर्ज करना है कि वह तारीख जो थी वह केवल 14-8-74 के पहले के मुकदमात के बारे में थी। उस उक्त ऐसे केसेज थे। इसलिए एहतियात के तौर पर यह तारीख दर्ज कर दी गई।

एक सवाल यह उठाया गया विरोधी दल के नेता द्वारा कि दो कानून लागू हैं। दो कानून लागू होने की वजह से सरकार यह घोषित करे कि सरकार कौनसा कानून रखना चाहती है। विरोधी दल के नेता भूतपूर्व सरकार के राजस्व मन्त्री रह चुके हैं, वे एक प्रसिद्ध वकील भी रह चुके हैं। पुराना जो कानून बना उसमें कुछ लाइ-बिलिटीज इनकर हुई तो नए कानून में उसका क्या प्रावधान रखा गया? पुराने कानून के केसेज को पुनः खोला जा सकेगा। यह इस दृष्टि से रखा गया क्योंकि ऐसे केसेज हुए हैं जिसमें पुराने कानून के अन्तर्गत जमीन ली जानी चाहिए थी लेकिन किसी प्रकार से मेनीपुलेशन करके नए कानून का फायदा उठाना चाहेंगे तो उन केसेज को पुनः नहीं खोला जायगा...

ऐसे केसेज की कार्यवाही को पुनः नहीं खोला जाये तो यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने पुराने कानून के मुताबिक कार्य शुरू किया। इसलिए यह इस तरह से रखा गया है।

एक सवाल माननीय विरोधी दल के नेता ने यह उठाया कि पुराना कानून रहेगा या नया कानून रहेगा, या दोनों कानून रहेंगे? तो मैं इसके लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की यह मन्शा है कि ये दोनों कानून लागू किये जायेंगे। दोनों ही रहेंगे।

**श्री परसराम मदेरणा :** मैंने तो नये नोटिस की बात कही है।

**श्री पुरुषोत्तम मन्त्री :** यह किया गया है। यह प्रोविजन रखा गया है। अगर नोटिस एक साल के अन्दर दे दिया गया है तो वह केसेज 6 वर्ष तक चला सकते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आर्डिनेंस लाये थे, उसमें कुछ और बढ़ा दिया गया था। जैसा कि मैंने कहा कि नोटिस देने के बाद एक्सपायर हो जाता है तो भी कार्यवाही हो सकती है।

इसके बारे में पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि राजस्थान सरकार की सीलिंग को खत्म करने की कोई नीयत नहीं है। सीलिंग को खत्म नहीं किया जाएगा। यह राजस्थान सरकार की घोषणा है।

सबसे ज्यादा सवाल सरकार की नीयत पर उठाये गये हैं। यह कहा गया है कि जैसा कांग्रेस सरकार का गठन था, वैसा ही जनता पार्टी की सरकार का गठन है। जनता पार्टी की सरकार की नीयत पर शक किया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी की सरकार की नीयत साफ है। उसका वेस्टेड इण्ट्रेस्ट लैण्ड में नहीं है। जितने भी कांग्रेसी मुख्य मन्त्री हुए हैं, स्व. जयनारायण व्यास को छोड़कर, ज्याद

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री) ..........
जी के लिए तो नहीं कह सकता हूं, बाकी ज्यादातर भूमिधर लोग थे जो पहले मुख्य मन्त्री रहे हैं। यह सही है।

श्री मदनसिंह दांता : इनको भी 5 साल रहने दो। इनके भी भूमिधर जुड़ेंगे।

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं यह नहीं मानता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : इनका आधार ही भू-पतियों पर है।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मन्त्री : मैं यह नहीं मानता हूं। मुझे पता है, मनुष्य के चरित्र का निर्माण कैसे होता है।

श्री मदनसिंह दांता : आप एक मुख्य मन्त्री की ही बातें बताना चाहते हैं। मैं देखूंगा। आज तक विरोधी पक्ष में रहकर देखा है। अब राज आया है, तब देखूंगा।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी जवाब दें।

श्री मूलचन्द डागा : आप डिफेन्स मत करो।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं निवेदन करूंगा कि सत्ता के मद के वही भूखे होते हैं, जो सत्ता के साथ चिपकना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : ओ हो !

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : सुनना चाहते हैं, तो मैं सुना देना चाहता हूं। श्री परसराम मदेरणा जानते हैं। सन् 48 में जोधपुर में सोशलिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी जिसमें जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, डा. लोहिया, आदि उपस्थित थे। उसी में रामनिवास मिर्धा के पिता बलदेव राम मिर्धा, रामनिवास जी, और नाथूराम जी आदि थे। उस समय उनके साथ सोशलिस्ट पार्टी जोइन करने के लिए कहा गया था। नाथूराम जी भी थे। तो बलदेवराम जी आदि ने कहा था कि आपके पास हुकूमत आने वाली नहीं है इसलिए सोशलिस्ट पार्टी जोइन करने की आप क्या बात करते हैं ? नाथूराम जी और रामनिवास मिर्धा ने इन्कार कर दिया था। यह परसराम जी मदेरणा ने कहा है, इसलिए मैंने कहा है।

श्री मूलचन्द डागा : ओ हो !

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : जनता पार्टी का जन्म ही इसीलिए हुआ है। इनका कोई सिद्धान्त नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय जिस समय उत्तर दें उस समय बोलें नहीं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं अधिक न कह कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक दबाव में जनता पार्टी सरकार नहीं आयेगी।

(श्री पुरुषोतम मंत्री)

जो री-ओपन का अधिकार है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो केसेज पैण्डिग हैं, उनको पुन: खोलने का अधिकार है वह अधिकार ऐसे अधिकारी को दिया जायगा जिसकी इन्टैग्रिटी बियोण्ड डाउट् और अनइम्पीचेबल है।

## सदन की कार्यवाही

## विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

**श्री नवनीत पालीवाल** : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विचाराधीन विधेयक के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये।

**श्री सभापति** : क्या सदन की अनुमति है कि विचाराधीन विधेयक के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

## विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने एवं प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के संशोधन प्रस्ताव पर पर विचार

**श्री परसराम मदेरणा** : जो पैण्डिग थे, 3 अप्रैल के बाद कितने आपके पास आये हैं ? यह जानकारी हाउस को दे दें।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। बैठिये। बैठिये। शंकर लाल जी बैठिये। एक सैकिण्ड। यह परम्परा नहीं है कि इस प्रकार के प्रश्न किये जायें।

**श्री मदनसिंह दांता** : महत्वपूर्ण सवाल है।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : अगर कोई महत्वपूर्ण बात हो तो एक आध बार पूछ सकते हैं। विरोधी पक्ष के नेता महोदय का जवाब आने दें।

**श्री पुरुषोतम मंत्री** : जैसा कि आपने अप्रेल, 77 में जनरल आर्डर निकाल दिया जो पैंडिग केसेज हैं, उनके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं, जब मैंने प्रस्तुत किया था। मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि समय नहीं है। जिनका स्टे आर्डर हो गया था, उनको अब री-ओपन करने का मामला सरकार के सामने विचाराधीन है।

(व्यवधान)

**श्री सभापति** : One by one, please. श्री शंकरलाल !

**श्री शंकर लाल** : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है किन्तु प्रश्न यह नहीं है। री-ओपन करने की पावर गवर्नमेंट के पास है। हमारा प्रश्न यह है कि आपके पास जो री-ओपन की पावर है, वह आप रेवेन्यू बोर्ड को दे दें। वह किसको देंगे ? री-ओपन करने की पावर रेवेन्यू बोर्ड को दे दें।

दूसरा प्रश्न यह है कि री-ओपन करने का प्रश्न है, तो जो लैण्ड लार्ड है, भूपति है, उसके दबाव में अगर अधिकारी आ जाएगा तो री-ओपन नहीं होगा। इसका उत्तर दे दें।

**श्री मदनसिंह दांता** : मैंने सुझाव दिया है। पूंजीपति की तरह किसान की हो

(श्री मदनसिंह दाता)
क्योंकि बिरला जी की हवेली पर सरकार का नाम नहीं है। उसका खाते में नाम नहीं आये, क्या यह आपका प्रगतिशील विचार है ?

श्री सभापति : आपका जवाब आ जाएगा। इस समय आवश्यक नहीं है।

श्री मदनसिंह दाता : यह सुनकर खुश होंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1978 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

## विधेयक पर विचार

प्रश्न यह कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

माननीय श्री रघुनन्दन व्यास

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मूलचन्द डागा

श्री मूलचन्द डागा : Yes, I am moving the amendment.

श्री सभापति : माननीय श्री बंशीलाल सारस्वत।

माननीय श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री सूर्यप्रकाशजी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गुलाबचन्दजी कटारिया।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 का खण्ड (2) स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड (2) स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 का खण्ड (3) स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

खण्ड (3) स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 का खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना नाम आदि स्वीकार किये जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

मन्त्री महोदय, प्रस्ताव करेंगे ।

विधेयक का पारण

**श्री पुरुषोत्तम मन्त्री** (राजस्व मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाय ?

**श्री मूलचन्द डागा** : आपने जो भाषण दिया वह राजनीति से प्रेरित भाषण था । जो हमने बाते पूछी उनका उत्तर नहीं दिया । जो प्रश्न आपसे पूछे थे, उनका कोई प्रश्न का जवाब नहीं दिया । जब से जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता प्राप्त की उसके बाद से आज तक कितने सीलिंग के केसेज तय किये या नये केसेज लिये ? आप जितनी बात कहते हैं, वह हमको सन्तोष नहीं देती । आपको एक बात कही कि सदन की एक कमेटी बनाकर जांच क्यों नहीं करवाते, तब आपने कहा कि मामला डेलिकेट है यहां डेलीकेट शब्द कहां से आया? सरकारी अधिकारियों से बढ़कर हमारे मेम्बर्स और जनता पार्टी के मेम्बरों में क्षमता नहीं है कि सारी चीजों को देख सकें । मैं समझता हूं कि राजस्थान में बहुत से बड़े बड़े भू-पति और जागीरदार हैं जो सामन्तवादी हैं और आज भी मौजूद हैं ।

**श्री कौशलकिशोर जैन** : एक तो बोल ही रहे हैं ।

**श्री मूलचन्द डागा** : जी हां, मुझे बताते हैं, ठीक है ।

गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स सारे केसेज रीओपन करेंगे, उसका क्या आधार होगा ? जो डोमिनेटिंग पोजीशन में होते हैं, जिनके पास जमीन होती है उनके खिलाफ न पटवारी आवाज करते हैं न सरकारी अधिकारी करते है, न चुनिन्दा लोग बोलते हैं । यह सही बात है, लोगों के पास जमीने हैं । वे विरोध में नहीं आना चाहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि यह कानून है, यह कागजों में रहेंगे ।

जो आपने समय लिया, है मैं यह कहना चाहता हूं, और समय लेने के लिए फिर सदन में आना पड़ेगा क्योंकि इस समय में पूरी जांच नहीं कर पायेंगे । जमीनें थोड़ी सी मिलेंगी अधिकतर लोगों के पास ही रहेगी । इसलिए कहा है कि कमेटी बिठाकर जांच करते तो बढ़िया होता ।

दूसरी बात कहनी है, इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले, इनके भ्रष्टाचार के मामले तीस साल के खोले सकते हैं । मैं कहता हूं जिस किसी के पास सीलिंग से ज्यादा जमीन हो, जब से कानून लागू हुआ है, तब से ज्यादा है, तो उसका मामला कभी भी खोला जा सकता है । उसको खोलकर उसको दण्डित किया जाय और जमीन छीनी जाय । क्या

(श्री मूलचन्द डागा)
आप इस बारे में कोई आश्वासन देंगे ? आप यह नहीं करेंगे तो जनता पार्टी, जैसी कि पूंजीपतियों, सामन्तवादियों और जमींदारों की पार्टी और ...

श्री मदनसिंह दांता : डागा जी, आपसे तो ज्यादा दुश्मन जागीरदारों के कोई थे नहीं आपने क्यों छोड़ी ये जमीनें ?

### वापिस लिया गया विधेयक
### राजस्थान विक्रय कर (संशोधन तथा विधि मान्यकरण) विधेयक, 1978

श्री आदित्येन्द्र (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1978 वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री मूलचंद डागा : पहले आपने गलत कानून रखा और अब वापस ले रहे हैं। अपनी कमजोरी बताना चाहते हैं। पहले हम अधिकार देंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बैठें।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : केवल यह बता दें कि वापस क्यों ले रहे हैं ?

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1978 को वापस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी गई ?

श्री आदित्येन्द्र : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

श्री मूलचंद डागा : जनता पार्टी की हार हो गई, पहले लाते हैं और फिर विथड्रा करते हैं। महीने पहले नोटिस भेजा कि इसको लिया जाय और इस पर माइण्ड अप्लाई नहीं किया गया। यह पूंजीपतियों से मिली हुई सरकार है।

श्री सभापति : माननीय डागा जी, कृपया विराजिये। अगर राज्य सरकार किसी बिल को वापस लेना चाहती है और सदन अनुमति देता है तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है

(व्यवधान)

श्री मूलचंद डागा : श्रीमान् 13 साल (व्यवधान) टैक्स री-ओपन करके (व्यवधान) करना चाहते हैं और वापस लें उनको पूछो कि क्या रीजन्स दिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय वर्मा जी विराजिये।

माननीय श्री शंकरलाल जी।

श्री शंकरलाल : मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। जो मेरे मुख्य पाईंट्स हैं उनका जवाब मंत्रीजी ने नहीं दिया है। एक तो यह है कि क्या भूमिपति अपनी दरख्वास्त पर अपने केसेज री-ओपन करवायेंगे ?

(व्यवधान)

(श्री शंकरलाल)

पहले मुझे बोलने दीजिए। राजस्व मंत्री ने लिखित उत्तर में बताया कि कुछ बड़े भूमिपतियों को 27 हजार एकड़ जमीन के स्टे आर्डर्स दिए। मेरा निवेदन है कि यह केवल गवर्नमेंट को मालूम हो जाए कि किसी की जमीन लेने से रह गई है उस पर लागू होगा, यह नहीं कि कोई कह दे कि मुझसे जमीन ले ली है, वह वापस दी जाए। तो जिन पर काश्तकारों के कब्जे हो गए उनके मामले री-ओपन होंगे तो फिर अन्याय होगा, सत्याग्रह होंगे। काश्तकारों को जमीन आवंटित कर दी, उनके केसेज री-ओपन कर देंगे, स्पष्ट क्यों नहीं करते?

श्री बन्शीलाल सारस्वत : यह तो इसमें साफ है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। सदन की परम्परा बनाये रखें। आपको यदि बोलना है तो आपको भी समय दिया जा सकता है।

श्री शंकरलाल : राजस्व मंत्री स्पष्ट करें कि इसकी मन्शा केवल जिन लोगों के पास जमीन ज्यादा रह गई है उनके केसेज री-ओपन करने की है, न कि जो जमीन ले ली गई है और बांट दी गई है उनके केसेज री-ओपन करने की है। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए।

दूसरे, जैसा मैंने पहले कहा री-ओपन करते समय, रिवीजन सुनते समय आप किसी के प्रभाव में आ सकते हैं। क्यों नहीं राजस्व मंडल को ये पावर्स देते हैं? जिस तरह से अलाटमेंट के संबंध में है उसी तरह आप रिवीजन की पावर्स राजस्व मंडल को दें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, मैं राजस्व मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा, उन्होंने भाषण में कहा कि यह सरकार सत्ता से चिपके रहना नहीं चाहती और न इस पर किसी प्रकार का दबाव आ सकता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जोधपुर में हुई सोशलिस्ट पार्टी की बैठक का आपने जिक्र किया। आप केवल नाममात्र के लिए कह रहे हैं। लोहिया की जो बातें थी, क्या आप उनको निभा रहे हैं। मैं भी उस समय जोधपुर में उपस्थित था आपको शायद याद नहीं होगा। क्या जनता पार्टी सोशलिस्ट विचारधाराओं को पनपा रही है? आप तो गिरवी के रूप में हैं, अब चाहे आप गिरवी रखे जाते हैं। आप दूसरे घटकों के गिरवी हो। आपने देखा कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ? आप कहते हैं कि जनता के हित के लिए आप सत्ता में बैठे हैं। अगर ऐसा होता तो राजस्व मंत्री को यह कानून नहीं लाना चाहिए था। आप जो समाजवादी विचारधारा का ढिंढोरा पीटते हैं, जागीरदारों को संरक्षण देने के लिए यह कानून लाए हैं। आप इन्कार नहीं कर सकते, आप मुकर नहीं सकते•••

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप कहना चाहते हैं कि आप प्रोग्रेसिव हो, आप सिद्ध करना चाहते हैं नाथूराम मिर्धा से•••

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रतनलाल वर्मा : यह सदन का अपमान है, माननीय सदस्य आसन की बात नहीं मान रहे हैं। यह बरदाश्त होने वाली बात नहीं है। आप आदेश दे रहे हैं फिर भी वह बैठते नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेशकुमार : व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम 269 के उपनियम 9 की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि कोई सदस्य चीतकार नहीं करेगा जिस तरीके से विपक्ष के सदस्य कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : It is no point of order.

श्री सभापति : It is no point of order.

श्री परसराम मदेरणा : उनकी आवाज ही ऐसी है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : विरोधी दल के नेता जब बोलते हैं तो मेरी तरफ घूर घूर कर देखते हैं।

श्री रतनलाल वर्मा : घूर घूर कर देखने से नजर नहीं लग सकती।

श्री सभापति : Let the house run smoothly and calmly.

(व्यवधान)

श्री नूरा : आप दाऊदयाल जी को सम्भालिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : राजस्व मंत्री के सामने कुछ मुद्दे उठाए गए। मंत्री जी ने एक अच्छे वकील होने के नाते इधर उधर जैसे वकालत के पेशे में किया जाता है, उत्तर दिया। इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं देने को होता तो हमेशा एक जवाब ये देते हैं 30 साल। दूसरा इनका जवाब है, यह तो पहले से ही होता चला आया है।

श्री जगदीशचंद्र शर्मा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। 30 साल कहना बन्द कर दें क्या ?

श्री सभापति : There is no point of order.

श्री शंकरलाल : It is a point of disorder.

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपकी योग्यता का परिचय इस बात से नहीं होने वाला है कि आप केवल उस जगह पर बैठकर राजनैतिक तौर पर बोलें। आपके अन्दर एक कमी है कि आपकी जनता पार्टी की अभी रीति नीती स्पष्ट नहीं है। जमीन के मामले में आपकी क्या रीति नीति है, लेबर के मामले में क्या रीति नीति है ? आज आपकी नीतियां स्पष्ट न होने के कारण आपको इस प्रकार का भाषण इस विधान सभा में देना पड़ता है। इसलिए आप अपनी नीति-रीति को स्पष्ट कर लें, तो यह बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। यह ठीक है कि कुछ लोगों की कोई विचारधारा पसन्द थी। आपने देश के बहुत बड़े महान नेताओं के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु वह दिन मुझे

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
याद है जिस समय लोहिया ने गर्जना की थी और जय प्रकाश जी को राजनीति से अलग होना पड़ा वह भी मेरे सामने हुआ था। आप किस किस का पुराना इतिहास खोलेंगे ? इसलिए समाजवादी विचारधारा

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री जय कृष्ण शर्मा : आप तो यहां की बात करो।

श्री सभापति : श्री मदनसिंह !

श्री मदनसिंह : वाकई मुझे कानूनी प्वाइंट पर बोलना चाहिए। बोलते बोलते कुछ ऐसी बातें आ गई इसलिए कानून के दायरे में ही बोलना ठीक है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदय, जनता पार्टी ने अपने मेनीफेस्टो में कहा कि हमारी पार्टी प्रोपर्टी राइट में विश्वास नहीं रखती है तो फिर झगड़ा ही कहां आकर अटकता है जब पर्सनल प्रोपर्टी किसी की नहीं है तो फिर यह जमीन वगैरहा का झगड़ा ही कहां आकर खड़ा होता है। आज राजा महाराजाओं के महल किले वगैरह की बातें करते हैं लेकिन कभी आप इन टाटा बिड़ला वगैरह की बात नहीं करते हैं।

(व्यवधान)

तो यह जमीन फिर किसकी हुई। अगर आप कहते हैं कि किसान की जमीन है तो वह जमीन किसान की नहीं है। वह तो सरकार की जमीन है। इसके अलावा सभापति महोदय, बार बार माननीय सदस्य जागीरदारों का नाम ले रहे हैं अब पता नहीं कौनसी जागीरदारी रह गयी है। पुराने जागीरदारों की जागीरें खत्म हुए आज वर्षों गुजर गये हैं फिर भी यहां पर जागीरदारों का लगातार नाम लिया जा रहा है जागीरदारों ने वर्षों पहले ही प्रजातन्त्र को स्वीकार कर लिया है। आज हरिजन और जागीरदार एक ही लाइन में काश्तकार की हैसियत से खड़े होते हैं पर पता नहीं माननीय सदस्यों को क्या हो गया है कि जागीरदारों को बिला वजह उजागर किया जाता है। आज पुराने जागीरदारों की यह स्थिति है कि उनके पास एक पैसा नहीं है खाने को, जमीन उनके पास नहीं है। वह तो एक साधारण किसान के लेवल पर हो गये हैं। हम लोग तो अपने आपको जागीरदार कहते हुए शर्माते हैं। हम कोई जागीरदार नहीं हैं। अब तो जागीरदार वह लोग हैं जैसे टाटा, बिड़ला, डालमिया इनका नाम ही आप लोग लेते नहीं हैं।

श्री शंकरलाल : मेरा मतलब उन जागीरदारों से है जिनके पास आज भी बड़ी बड़ी जमीनें हैं।

श्री मदनसिंह दांता : यह गलत बात है। आपका निश्चित रूप से जागीरदारों से मतलब राजपूत लोगों से है आप बतावें की कितने राजपूतों के पास अब जागीरें रह गयी हैं।

श्री शंकर लाल : आप समझ रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता नहीं है कि हम जागीरदारों से पुराने राजपूत जागीरदारों से मतलब निकाल रहे हैं। पर जिसके पास जमीन है...

श्री मदनसिंह दांता : जमीन तो गरीब हरिजनों के पास भी है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री मदनसिंह दांता : अगर आप माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि अब बड़ी जमीन हजारों बीघा में किसी भी पुराने जागीरदार के पास नहीं है। जो भी जमीन थी राज्य सरकार ने ले ली बाकी अभी दो साल पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हरिजनों को जमीन अलॉट कर दी। अब तो 30 एकड़, 15 एकड़ जमीन लोगों के पास है। जिनके पास जमीन थीं उनके पास से भी पिछले दो सालों में जमीनें छीन ली जिन राजपूत लोगों की जमीनों पर इन्जन लगे हुए थे, सीलिंग के अन्तर्गत जो जमीन नहीं आती थी वह जमीन भी उन लोगों से राज्य सरकार ने छीन ली और हरिजनों को बांट दी। भीलवाड़ा के अन्दर भूतपूर्व जागीरदार जो था उसके साथ ऐसा हुआ। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनके पास 500 बीघा जमीन है जबकि कानून 30 एकड़ और 15 एकड़ तक जमीन रखने का ही है। उन लोगों ने कानूनी दाव पेचों से जमीनें रख ली हैं। मेरा निवेदन है कि जब तक कानून में ही दोष है तब तक तो यह चलेगा।

(व्यवधान)

श्री नूरा : सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप तो बोल चुके हैं।

श्री नूरा : सभापति महोदय, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। सभापति महोदय अभी माननीय सदस्य मदनसिंह जी दांता ने यह बताया कि आज भी लोगों के पास जमीनें हैं पर वह राज्य सरकार ले नहीं पायी है। मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं। अगर अब आप जमीनों के पुराने केसेज खोलने के बारे में बात करते हैं तो जो भूतपूर्व जागीरदार लोग थे जिन्होंने अपने बेटों के पोतों के नाम जमीनें अलॉट करा ली थीं और सीलिंग में नहीं आने दी थी और नियमन करा दी तो क्या उन लोगों से वापस जमीनें लेकर हरिजनों में बांटी जायेगी? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी बड़े-बड़े भू-पति लोग हैं जो कि कानून होते हुए भी उसमें नहीं आते हैं तो उनके लिए क्या राज्य सरकार कोई कार्यवाही करेगी जिससे कि वह जमीन हरिजनों और कमजोर वर्ग के लोगों के हाथ में आ सके।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य, नूराजी! माननीय विरोधी दल के नेता।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य! माननीय सदस्य, नूरा जी, आप बैठें। माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री नूरा : कांग्रेस की सरकार ने भी हरिजनों के साथ जुल्म किया। जनता पार्टी वाले भी कर रहे हैं।

श्री कौशलकिशोर जैन : आप लोग तो उस समय कांग्रेस के साथ मिल गये थे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आप बैठ जावें।

श्री नूरा : माननीय राजस्व मंत्री जी समाजवादी हैं पर यह जनसंघ वाले इनको चलने नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य श्री नूरा जी आप कृपया बैठिये। माननीय सदस्य कृपया आपस में बातचीत नहीं करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नूरा : यह दस बोलते हैं तो मुझे दबा नहीं सकते हैं। मैं दसों को जवाब दे सकता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री नूरा जी, मैं आपका नाम लेकर बार-बार पुकार रहा हूं आप स्थान ग्रहण करें। मैं आपको बहुत ही अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ भी कहना सुनना हो सदन के बाहर भी बात कर सकते हैं। यहां हाउस में व्यवधान नहीं डालें। मेहरबानी करें। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय विरोधी दल के नेता।

श्री जय कृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, आप कहते हैं कि हाउस के बाहर वाद-विवाद कर सकते हैं वहां जाकर बातचीत करें तो फिर हाउस के बाहर की बातें अखबारों के अन्दर नहीं छपती हैं।

श्री बन्शीलाल सारस्वत : सभापति महोदय, इस विधेयक की धारा में जो संशोधन किया जा रहा है उसके अन्तर्गत जो जागीरदार लोगों की जमीनें सीलिंग में आ गयीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, यह धारा 15 है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। यह स्पष्ट होना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह काफी स्पष्ट है। धारा 15 जो है उसके अनुसार मामलों को पुनः खोलने की शक्ति है। सभापति महोदय सन् 1931 में जब मैं राजस्व मंत्री नहीं था।

एक माननीय सदस्य : सन् 1931 में नहीं। सन् 1973 में।

श्री परसराम मदेरणा : हां सन् 1973, 1973 में जब यह लागू हुआ था तब मैं राजस्व मन्त्री नहीं था। यह तो पहले ही लागू हो गया था। मैं राजस्व मन्त्री बाद में बना हूं। किसी भी व्यक्ति का केस री-ओपन किया जा सकता था। चाहे प्राइवेट आदमी हो या प्रिजुडिशियल टू दी स्टेट गवर्नमेंट हो, यह उसके बाद में संशोधन किया है। प्रिजुडिशियल टू दी स्टेट गवर्नमेंट वहां होता है जहां भूमि का रिजम्पशन नहीं हो

# Page No 152

(152)



(श्री परसराम मदेरणा)

रहा है। स्टेट भूमि रिज्यूम करके गरीबों को भूमि का वितरण नहीं कर रही है। तो वह री-प्रोपन नहीं हो सकते हैं। माननीय सदस्य को आपकी ओर से इस सम्बन्ध में उत्तर दे दिया जाय, माननीय राजस्व मंत्रीजी, मेरी तरफ से स्पष्टीकरण करना तो गुमराह करने वाली बात हो जायगी उनके दिमाग में इसलिये आप स्पष्टीकरण करें।

राजस्व मंत्री महोदय ने सन् 1948 में जोधपुर में हुई जिस कान्फ्रेंस का उल्लेख किया, मुझे प्रसन्नता है सदन में सुन कर कि इस प्रकार की राजनैतिक चर्चा वहां पर हुई थी। उस राजनैतिक चर्चा में जो सम्मिलित हुए उसमें स्वर्गीय बलदेव रामजी मिर्धा के नाम का उल्लेख किया, नाथूराम जी का उल्लेख किया और रामनिवास मिर्धा का उल्लेख किया। मैं इस बात को कतई मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि रामनिवासजी मिर्धा 1948 में राजनीति में आये। 1978 में वे राजनीति में आये। इससे पहले वे कतई राजनीति की बात नहीं करते थे उससे पहले वे सरकारी अधिकारी थे।

श्री किशनसिंह भाटी : 1978 ?

श्री परसराम मदेरणा : 1953।

श्री किशनसिंह भाटी : मुझे यह मालूम नहीं था कि माननीय परसरामजी जैसा व्यक्ति इस तरह से गफलत कर जाय ......

एक माननीय सदस्य : तम्बाखू का पान भी कर लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : 5 की जगह 7 हो गया।

आपके कहने का अभिप्राय क्या है? सत्ता में आने की बात में नहीं मानता कि येन केन प्रकारेण सत्ता से मोह नहीं है, न आपकी इच्छा इसको छोड़ने की होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय राजस्व मंत्रीजी से कि कोई पोलिटिकल पार्टी पावर में आना चाहती है और पावर के इन्स्ट्रूमेन्ट के जरिये वह लोगों की सेवा करना चाहती है फिर भी आप यह कहें कि सत्ता से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं तो आपकी पार्टी के ही कई लोग हैं जो राजस्व मंत्री बनने के इच्छुक हैं। आप घोषणा कर दीजिये और वह आपको करनी भी चाहिए क्योंकि आपने सत्ता में बैठने के लिए अपने सिद्धान्तों से समझौता कर लिया है। इस तरह से समझौता किया कि सीलिंग कानून लैंड रिफॉर्म्स का एक पार्ट है। लैंड रिफार्म्स का उल्लेख किया है सीलिंग प्लान के प्रारम्भ में। इससे आपकी कैबिनेट में डिस्कस हुई तो लैंड रिफार्म का सेक्शन एंड करवायें तो फिर आपकी विचारधारा का लाभ किस प्रकार से होगा। हो सकता है कि आपकी विचारधारा से आपकी पार्टी के लोग सहमत न हों।

दो बात ही राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। साल भर में आपने कुछ नहीं किया। आप मुझे यह बता दीजिये कि 30 अप्रेल से पहले रिज्यूम लैंड थी 3 लाख एकड़ के आस पास जो कि ट्रेस पासर्स की रिज्यूम लैंड थी उसमें से दो चार बीघा भी जमीन किसी को अलॉट की ? एक इस बात का आप उत्तर दीजिये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में लैंड सीलिंग की बात कही थी जहां कास्तेकारी कन्फर्म करके खातेदारी दे दी। लेकिन यह राजस्थान

(श्री परसराम मदेरणा) :
में ही है, शायद हिन्दुस्तान में राजस्थान एक ही स्टेट होगा जहां खातेदारी के अधिकार बिना कम्पेन्सेशन दिये गये। ऐसा प्रोग्रेसिव स्टेप और किसी स्टेट के लैंड रिफार्म्स एक्ट में नहीं होगा। मैं राजस्व मंत्रियों की कांफ्रेंस में गया था और वहां पर यह दावा किया था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जमीन सीलिंग एक्ट में अलॉट की है। यह 18 जनवरी, 1977 की बात कह रहा हूं। चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस थी।

**श्री मावजी भाई :** किसी गरीब को मिली है क्या ?

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य !

(व्यवधान)

**श्री परसराम मदेरणा :** आप बैठ जाइये।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य, मेहरबानी करके इस प्रकार का आचरण न करें।

**श्री परसराम मदेरणा :** 5 लाख और कुछ एकड़ जमीन का अतिक्रमण किया गया उसमें से आधी जमीन अलॉट करनी थी 9 माह का समय निकल गया, उसमें से आपने कितनी जमीन अलॉट की ? 9 महीने तो पूरे हो गये। 9॥ वां महीना चल रहा है। शायद ऑपरेशन करके निकालना पड़े।

(व्यवधान)

**श्री सभापति :** No interruption please.

**श्री परसराम मदेरणा :** एक दो मिनट और लूंगा।

दूसरा मेरा प्रश्न राजस्व मंत्रीजी आप से यह है कि हमने कुछ आदेश दिये हैं। 355 वालों के लिए 15 'ए' के सम्बन्ध में जो आप प्रावधान करने जा रहे हैं, उसमें शब्द इमिजिएटली रख दिया जैसे बड़ा घपला कर दिया हो, रेवेन्यू के सम्बन्ध में जितने सक्यूंलर निकले हैं, मुख्य मंत्रीजी के पास कई सक्यूंलर थे, आपने कोई सक्यूंलर नया निकाला नहीं, हमने जो निकाले उनमें कोई कमी बतायी नहीं कि क्या गलत किया है। री-ओपन करने के आदेश थे तो मुझे मालूम नहीं कि किसने दिये।

**श्री बजरंगलाल शर्मा :** विरोधी दल के नेता सीधे माननीय राजस्व मंत्रीजी को ही सुबह से सम्बोधित कर रहे हैं और आपको बाई पास कर रहे हैं।

**श्री शंकरलाल :** सदन को मालूम हो गया है कि आप आ गये हैं।

**श्री परसराम मदेरणा :** माननीय सभापतिजी, आपके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए राजस्व मंत्रीजी से कुछ स्पष्टीकरण और उत्तर चाहता हूं। वह उत्तर आएगा या नहीं यह मुझे नहीं मालूम। अगर, माननीय सभापति महोदय, कोई भी उनके पास में आता है, गवर्नमेन्ट के पास में आता है और कहता है तो क्या उनको सांप सूंघ गया था। जाते जाते क्या खजाना ढूंढ रहा था ? खजाना ढूंढ रहा था तो खजाने का पहला हक उनको देता। जाते जाते स्टे ऑर्डर कर गये दस पन्द्रह करोड़ का कर्मशियल क्राप का हटा दिया जो 1॥ करोड़ का था।

(श्री परसराम मदेरणा)

1 करोड़ के अन्दर अन्दर रहेगा । कुछ भी हो लेकिन एग्जीक्यूटिव साइड में कोई ऑर्डर था तो आपको री-टेक करना चाहिए था और री-टेक करके, सभापति महोदय, हाउस में कहना चाहिए था कि इस पर कांग्रेस सरकार ने इस प्रकार का स्टे दिया था और उसको हमने वैकेट किया है । मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, राजस्व मंत्रीजी से कि वह कौन सा स्टे ऑर्डर है उसकी कॉपी आप सदन की मेज पर रखें । वह स्टे ऑर्डर किसने इश्यू किया ? गवर्नमेंट खुद ही केसेज री-ओपन करती है । गवर्नमेन्ट में किसने किया ? प्रेसीडेन्ट ऑफ इण्डिया की तरफ से कोई नोटिफिकेशन इश्यू हुआ या क्या हुआ? इसका आप उसका उत्तर देने की कृपा करें ताकि सदन को जानकारी मिल जाये ।

दूसरा एक मुद्दा जो शायद मैं नहीं उठाता वह है, आपने बेरी कमीशन बैठाया । बेरी कमीशन इसलिए बैठाया है कि जो लोगों ने जमीन इल्लीगल तरीके से ले ली है, कानूनन जो उनको नहीं मिलती उस प्रकार की जमीनों के सब मामले वह डिसाइड करेगा । वह जमीन आपके पास आयेगी और वह अन्त्योदय योजना में लोगों को वितरित की जायेगी, ऐसा मैंने मुख्य मंत्री जी का एलान सुना था ।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य बारबार यह कह रहे हैं कि रेवेन्यू बोर्ड को आप पावर्स दे दीजिए । रेवेन्यू बोर्ड को आप पावर्स नहीं दे सकते क्योंकि आज आपको पता नहीं है कि रेवेन्यू बोर्ड के केसेज भी गवर्नमेन्ट री-ओपन कर सकती है । इसलिए रेवेन्यू बोर्ड को पावर्स नहीं दे सकते । जब मैंने यह पावर्स ली थी, यह भी मेरे वक्त में अमेन्डमेन्ट हुआ था, मुझे मालूम है कि उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड के केसेज जो फैसले हुए हैं वह ठीक नहीं हुए हैं और टेक्नीकल लॉ का ध्यान रखकर फैसला कर रहे हैं। लैण्ड रिफार्म की उनकी नीति नहीं है इसलिए गवर्नमेन्ट ने यह पॉवर्स अपने हाथ में ली थी, आज वहां अधिकारी बैठे हुए हैं; मुझे लेश-मात्र भी शंका नहीं है, वे कनवेंसिंग नहीं कर सकते । इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप हाई कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड जज को री-ओपन के मामले जांच करने के लिए दीजिए । एक साल के अन्दर आप किसी को तसल्ली नहीं दे सकते और आप री-ओपन नहीं कर सकते । आपके हाथ जकड़े हुए हैं । आज किसी भी लच्छेदार जुबान में री-ओपन की बात माननीय मंत्री जी कहें लेकिन कोई भी व्यक्ति जो कि लैण्ड रिफार्म्स में विश्वास रखने वाला है राजस्थान में और एक्सेस भूमि लेकर गरीबों में वितरण करने की जिनकी फिलासफी है उसकी इस फिलासफी की कभी पूर्ति नहीं होने वाली है । री-ओपन मामले तय करने के लिए किसी जज को रख दीजिए ताकि किसी को शक और शुबहा नहीं हो । कोई रिटायर्ड या सीटिंग जज या रिटायर्ड चीफ जस्टिस इस मामले को करे तो निश्चित रूप से एक बात होगी कि आपके ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगेगा, और जनता में भी विश्वास रहेगा कि आप केसेज जो री-ओपन करा रहे हैं वह मेरिट्स पर करा रहे हैं ।

मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, आपके बिल का एम्बिट तो बहुत अच्छा आया है, आप जो भी कानून लाये हैं ठीक लाये हैं । गवर्नमेंट पावर्स ले रही है केसेज को री-ओपन करने की । जिस तरह से सीलिंग के मामले 1,100 या 1,200 या

(श्री परसराम मदेरणा) 1,300 यहां पर आये उनमें से तीन सो, चार सो केसेस री-ओपन हुए और उसके बाद में मामला ठप्प। एक भी री-ओपन नहीं हुआ। एक भी बीघा जमीन आपने अलॉट नहीं की और अब कर पायेंगे इसमें मुझे शक है। इसलिए आप किसी भी ऐसे तंत्र को स्थापित कीजिए। उस समय केसेज री-ओपन करने के लिए कलेक्टर सो मोटो भेजने वाले थे। उनको गवर्नमेन्ट के स्ट्रिक्ट आदेश थे। केसेजको देख कर जिन में फैसला हुआ है, नीचे की अदालतों में फैसले गलत हो गये हैं और प्राइवेटली हमको इत्तला हो गई तो मने केसेज की फाइल भेजने को कहा। हमने उस समय साफ कहा कि हम एग्जामिन कर लेंगे। इसलिए ऐसे तंत्र की स्थापना कीजिए

(व्यवधान)

बैठ जाइये आप......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए आप ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गनाइजेशन की स्थापना कीजिये नहीं तो आपके पास केसेज कैसे आयेंगे और आप कैसे सन्तोष कर लेंगे ? 800 के आस पास जो केसेज पेंडिंग पड़े हैं और री ओपन कर रहे हैं तो आपकी इन्टेंशन में डाउट करने की गुंजाइश दिख रही है - इसलिए आप ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव आर्गनाइजेशन एस्टेब्लिश कीजिए जो जगह जगह जाकर पुराने केसेज जहां भी रिकार्ड में पड़े हुए हैं पूरे राजस्थान के अन्दर उनको एग्जामिन करें

श्री उगमराज मेहता : व्यवस्था का प्रश्न है। जो आदिवासी माननीय सदस्य हैं उनको माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा, बैठ जाइये, बैठ जाइये — इस तरह से नहीं कहना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति जी, मैं जब पजेशन ऑफ फ्लोर हूं तो कोई मुझे आब्सट्रेक्ट नहीं करेगा। यह रूल्स में प्रावधान है। अपने बीच में व्यवधान डालते तो मैंने कहा, आप बैठ जाइये। आप व्यवधान ही क्यों डालते हैं। मुझे बोलने का अधिकार है। यह मेरा अन-एलीनेबल राइट है। यह फ्रीडम, यह राइट अण्डर आर्टिकल 194 ऑफ दी कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ इन्डिया मुझे है जिसको मैं कभी फोरगो करने वाला नहीं हूं। मेरा राइट है और मुझे बोलने दीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य से निवेदन करता चाहता हूं कि इसमें क्या आपत्ति है।

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा यह बिल्कुल सही कहा है कि बीच में आब्सट्रक्ट नहीं करना चाहिए। यह राइट भी है लेकिन एक बात है जैसे अदालतों में आर्ग्यूमेन्ट्स होते हैं और कहीं भी फैक्ट्स गलत होते हैं तो उसको करेक्ट करते है। तो इनको असिस्ट करने के हम करेक्शन करते हैं। जो कर सकते हैं।

156

**श्री बजरंग लाल शर्मा :** आज आपने काफी पाठ पढ़ा दिया है। ज्यादा लम्बा पढ़ायेंगे तो भूल जायेंगे। इसलिए बाकी दूसरे कोर्स को बाद में पढ़ाना।

**श्री सभापति :** माननीय सदस्य बैठें। कृपया समाप्त कीजिए।

**श्री परसराम मदेरणा :** मुझे और नहीं कहना, सभापति महोदय। जो मैंने प्रश्न उठाये हैं राजस्व मन्त्री जी उनका उत्तर दें।

**श्री सभापति :** मन्त्री महोदय।

**श्री पुरुषोत्तम मंत्री :** माननीय सभापति महोदय, जो मैंने निवेदन किया था, जोधपुर की सभा का, उसके सम्बन्ध में माननीय जयकृष्ण जी ने जिस प्रकार की बातें कहीं हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा, उस भाषा में जवाब देना, मेरे संस्कारों के विरुद्ध है। मैं उस संस्कृति का आदमी हूं, वरना मैं सारी बातें जानता हूं कि क्यों उन्होंने कांग्रेस जोइन की मुझे सारी बातें याद हैं। कहें कि मैंने जनता पार्टी के अन्दर सम्मिलित होकर, लोहिया के दर्शन को छोड़ दिया तो मैं यह नहीं मानता। 1955 में जब इलाहाबाद में सोशलिस्ट पार्टी का जलसा हुआ, उस वक्त लोहिया की एक थीसिस थी, वे समस्त विरोधी पार्टीयों को मिलाकर एक सशक्त विरोधी दल का निर्माण करना चाहते थे। इसी थीसिस के आधार पर आचार्य कृपलानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में सम्मिलित हुए और उसके बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी। सन् 55 में जो डॉ. लोहिया ने सपना देखा वह 77 में साकार हुआ। 67 में सरकारें बदलीं, उसी की वजह से बदलीं। एक बात जो मीटिंग के बारे में कही गई, उसके सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं विरोधी दल के नेता से यह जरूर निवेदन करूंगा, रामनिवास जी थे।

**श्री जय कृष्ण शर्मा :** नहीं थे। राम निवास जी उस मीटिंग में नहीं थे।

**श्री पुरुषोत्तम मंत्री :** जिस भाषा में आप बात करते हैं, उस भाषा का प्रयोग करने का मैं आदी नहीं हूं।

अब रहा सवाल, दो-तीन मुद्दे उठाये। माननीय शंकरलाल जी ने कहा कि री-ओपन करने का, संशोधन करने का कानून है, जो गलत तौर पर निर्णय हो गये हैं। या जिसमें रिज्यूम नहीं की गई हैं, उनको लेने के लिए यह प्रोवीजन है। रेवेन्यू बोर्ड का मुझे अनुभव है। मैंने सैकड़ों केसेज किये हैं। अभी भी जो रेवेन्यू बोर्ड का जो तरीका है मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हूं। हाई कोर्ट के बारे में जो बात कही, मैं निवेदन करूंगा, विरोधी दल के नेता से, इस पर विचार किया जायेगा। मैं अभी कुछ कमिट नहीं कर सकता। जमीनों के बारे में मामले री-ओपन हुए। अप्रैल, 77 के बाद तो 100 केसेज ओपन हुए। जोशी जी के मंत्रि-मण्डल का डिसीजन है। मैंने वह मिसल देखी है उसमें इस पर दस्तख्त हैं कि यह सारे पुराने केसेज जो पैन्डिग हैं, इनको री-ओपन न किया जाये। आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा...

**श्री माणक चन्द सुराना :** इस बात का रेफरेन्स माननीय राजस्व मंत्री जी ने किया है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसी उचित वक्त पर कैबिनेट को दिया गया मीमो, भूतपूर्व मुख्य मंत्री का नोट

(श्री माणक चन्द सुराणा)
सदन की मेज पर रखा जाना चाहिये। यह सब को याद है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने यह घोषणा गंगानगर की आम सभा में की थी कि राजस्व के मामले ओपन किये गये हैं, वे बन्द कर दिये जायेंगे। यह घोषणा लोकसभा के चुनावों के दौरान की गई थी। शायद राजस्व मंत्री उस समय परसराम मदेरणा थे।

**श्री परसराम मदेरणा** : पैन्डिग केसेज के सम्बन्ध में कैबिनेट का जून, 74 का निर्णय है। जनरल क्लॉजेज एक्ट को एग्जामिन करने के बाद डिसीजन यही दिया था कि सीलिंग लॉ पैन्डिग केसेज पर ही लागू होगा। इस लॉ की स्थिति को देखते हुए वह 74 का कैबिनेट डिसीजन है। अगर 74 के डिसीजन को आप स्टे मानते हैं तो जैसा मैं पहले प्रारम्भ में निवेदन कर चुका हूं जब मैं बोल रहा था कि 74 का डिसीजन पैन्डिग केसेज पर था। हाई कोर्ट का जजमेंट हो गया। जजमेंट होने के बाद सरकार की क्या नीति है। यह तो कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। इसको आप स्टे आर्डर क्यों मानते हैं जब कि हाई कोर्ट का जजमेंट यह हो गया है कि पन्डिग वेंडिंग कुछ नहीं हैं। सब केसेज के अन्दर डिसीजन है। इसमें रीज्यूम करनी चाहिये। 1-4-67 के बाद में जिस किसी के पास एक्सेस जमीन है, सीलिंग लॉ के अन्तर्गत लाइबल है और गवर्नमेंट के कोरसपोंडिग राइट एक्यू हो गये हैं। मेरी नोटिंग है, फाइल के ऊपर। अगर मीमो सदन में रखते हैं तो मेरी नोटिंग भी, जो फाइल में है रखें। नीति संबंधी निर्णय लेना चाहिये। आपने लिया कि नहीं। वह जो आप कह रहे हैं वह स्टे आर्डर नहीं है। जो अदालतों में पड़े हुए थे, एस. डी. ओ. कोर्ट के अन्दर, रेवेन्यू बोर्ड में पेंन्डिग केसेज पड़े हुए हैं इनमें सीलिंग लॉ के थे या नहीं यह प्रश्न है।

**श्री जय कृष्ण शर्मा** : On a point of ... ..

**श्री माणकचन्द सुराणा** : आन ए पाइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन जो भूतपूर्व राजस्व मंत्री थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा, वे बात कर रहे हैं, 74 के आर्डर की। मैं बात कर रहा हूं उसकी जो 1977 में लोकसभा के चुनावों के दौरान भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री हरिदेव जोशी ने आर्डर दिया। वह आदेश उन्होंने पब्लिक मीटिंग में दिया उसके बाद री-ओपन किये हुए सीलिंग के मामले राजस्थान में रुके रहे। मैं यह पूछना चाहता हूं भूतपूर्व राजस्व मन्त्री अपने आपको तत्कालीन मुख्य मंत्री से अलग करना चाहते है चाहे इस संबंध में उन्होंने उस फाइल पर कोई नोट लिखा हो। प्रश्न सीधा है।

**श्री परसराम मदेरणा** : कोई फाइल इस प्रकार की प्रस्तुत नहीं हुई।

**श्री माणक चन्द सुराणा** : उस निर्णय से...

श्री **परसराम मदेरणा**: कौन सा निर्णय है ?

**श्री माणकचंद सुराणा** : उस निर्णय की कापी, जो मैं कह रहा हूं, 1977 का है।

**श्री परसराम मदेरणा** : उसी के लिये कह रहा हूं, सदन की मेज पर रख दीजिये।

( व्यवधान )

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जयकृष्णा जी, बैठने की कृपा करें। जो रेफरेंस आया है, उचित समय पर रख दिया जाये।

श्री मूलचंद डागा : कल ही रखवा दो, अच्छा काम कल कर दो। उचित समय कब आयेगा।

श्री बजरंग लाल शर्मा : जब से हाई कोर्ट की 5 जजेज की बेंच ने इस मामले में फैसला दिया उस फैसले के हिसाब से गवर्नमेंट ने उस पर विचार किया और जो उस समय रेवेन्यू बोर्ड का दृष्टिकोण था उस पर हाई कोर्ट ने डिफरेंट दृष्टिकोण अपनाया। उस दृष्टि से सरकार ने विचार किया। हाई कोर्ट के निर्णय पर सरकार को विचार करना था, सरकार ने विचार किया है ऐसा शायद राजस्व मंत्री नहीं कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : उत्तर आ जाने दीजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उसी से संबंधित है। हाउस में सन् 48 में जोधपुर में हुई सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री ने यह बात कही कि किन कारणों से मैं कांग्रेस में आया। राजस्व मंत्री जी, आप अपने को समाजवादी कहते हो, समाजवादी विचारधारा के हो, मुझे कोई इनकारी नहीं है। राजस्व मंत्री को यह मालूम होना चाहिये कि सन् 1952 में जब कांग्रेस में आया हूं उससे पहले समाजवादी था। सन् 52 के बाद 62 में विधान सभा में आया हूं। किन कारणों से कांग्रेस में आया, यह कह कर राजस्व मंत्री दबाना चाहते हैं। गलत बयानी करते हैं। समाजवादी नेता.....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य...।

माननीय प्रभारी मंत्री जी जवाब दें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय सभापति जी, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी, एक मिनट आप बैठिये।

कोई भी पोलिटिकल चीज यहां न लायें। जो बिल पायलट किया है, उसी के फैक्ट्स पर ध्यान आकर्षित करें।

(व्यवधान)

कृपया व्यवधान न करें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय सभापति महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने एक शंका जाहिर की कि लैण्ड रिफार्म्स के बारे में जनता पार्टी की नीति स्पष्ट नहीं है और न ही रोलिंग प्लान में इसका उल्लेख है। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं माननीय विरोधी दल के नेता को कि चीफ मिनिस्टर्स की जो कान्फ्रेंस हुई है दिल्ली में उसमें यह निर्णय लिया गया है कि जितने लैण्ड रिफार्म के मामले हैं उनको तीन साल में पूरी तरह लागू कर दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो यूनियन केबिनेट की बात कर रहा हूं। रोलिंग प्लान के लिये कह रहा हूं।

# Page No 159

(159)



**श्री पुरुषोत्तम मंत्री :** माननीय सभापति महोदय, इसलिये मैं यह दोहराते हुये कि लैण्ड रिफार्म्स को सख्ती से लागू किया जावेगा और मैं निवेदन करता हूं कि-संशोधन विधेयक को पारित किया जाय।

**श्री सभापति :** प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को पारित किया जाय ?

( स्वीकृत )

सर्व सम्मति से विधेयक पारित किया गया।

सदन की बैठक कल दिनांक 7 अप्रैल, 1978 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.02 बजे शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल, 1978 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 387 की सूची)

उदयपुर जिले में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जिन परिवारों का चयन किया है उसकी पंचायत समिति वाइज संख्या निम्न प्रकार है:—

| नाम पं. समिति | चयनित व्यक्तियों की संख्या |
|---|---|
| गिर्वा | 727 |
| बडगांव | 536 |
| खमनोर | 532 |
| गोगुन्दा | 761 |
| रेलमगरा | 548 |
| राजसमन्द | 653 |
| आमेट | 671 |
| कुम्भलगढ़ | 1085 |
| भीम | 464 |
| देवगढ़ | 492 |
| सलूम्बर | 1035 |
| सराडा | 921 |
| खेरवाड़ा | 1194 |
| झाडोल | 1224 |
| कोटड़ा | 1564 |
| धरियावद | 1213 |
| मावली | 718 |
| भीन्डर | 1156 |
| योग:- | 15,494 |

अन्त्योदय परिवारों के परियोजनाओं की अनुमानित राशि निम्न प्रकार है:—

| नाम पं. समिति | राशि (लाखों में) |
|---|---|
| गिर्वा | 17.56 |
| बडगांव | 4.60 |
| खमनोर | 4.18 |
| गोगुन्दा | 14.84 |
| रेलमगरा | 11.34 |
| राजसमन्द | 8.11 |
| आमेट | 7.23 |
| कुम्भलगढ़ | 16.76 |
| भीम | 7.02 |
| देवगढ | 8.65 |
| सलूम्बर | 22.12 |
| सराडा | 16.28 |
| खेरवाड़ा | 31.60 |
| झाडोल | 21.43 |
| कोटड़ा | 27.96 |
| धरियावद | 24.18 |
| मावली | 10.00 |
| भीन्डर | 16.57 |
| योग:- | 272.43 |

जिन अन्त्योदय परिवारों को अब जो आर्थिक सहायता बैंकों के मार्फत ऋण स्वीकृत कराये जा चुके हैं। उसका विवरण पंचायत समिति वार निम्न प्रकार है:—

| नाम पंचायत समिति | सहकारी बैंक | व्यवसायिक बैंक |
|---|---|---|
| गिर्वा | 1.11 | 0.75 |
| बडगांव | 0.90 | 0.63 |
| खमनौर | 0.87 | — |
| गोगुन्दा | 1.76 | — |
| रेलमगरा | 2.60 | 1.11 |
| राजसमन्द | — | 6.43 |
| आमेट | 0.87 | — |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| कुम्भलगढ | 0.83 | — |
| भीम | 0.51 | — |
| देवगढ़ | 1.68 | — |
| सलूम्बर | 2.60 | — |
| सराड़ा | 1.83 | — |
| खेरवाड़ा | 3.45 | — |
| झाडोल | 0.92 | — |
| कोटड़ा | 1.92 | — |
| धरियावद | 2.78 | 10.25 |
| भीण्डर | 1.11 | 12.25 |
| मावली | 1.23 | 2.15 |
| योग:— | 26.97 | 33.62 |
| कुल योग:— 60.59 | | |

इस राशि में से लगभग एक तिहाई अर्थात 20 लाख रुपया लघु कृषक विकास अभिकरण द्वारा अनुदान के रूप में देय हो हाथ में लिये गये कार्यक्रम के द्वारा दिनांक 31-3-78 तक विभिन्न पंचायत समितियों में अतिरिक्त 55-00 लाख रुपयों की राशि स्वीकृति होने की सम्भावना है।

परिशिष्ट 2

## समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

### ग्राम सेवा सहकारी समिति अरलाई में गबन का मामला

763. श्री हरीश कुमार शर्मा : (राम गंज मंडी) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति अरलाई, तहसील रामगंज मण्डी में गबन हुँ ? यदि हां, तो कितनी धनराशि का और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? क्या यह भी सच है कि इस गबन के कारण समिति के सदस्यों को ऋण नहीं मिल रहा है ? इसकी क्या व्यवस्था की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम भावपुरा, तहसील रामगंज मण्डी के हरिजन नन्दा आत्मज नारायण की जमीन की नीलाम बोली भूमि विकास बैंक के बिक्री अधिकारी ने 21-1-76 को लगाई थी ? यह जमीन कितनी बीघा थी तथा भूमि विकास बैंक कोटा को उक्त किसान से कितना ऋण वसूल करना था तथा इसकी नीलामी बोली कितने रुपये तक समाप्त हुई ? क्या वास्तव में उक्त जमीन की कीमत उतनी थी जितने पर बोली समाप्त हुई क्या नीलाम बोली फर्जी और मिली जुली नहीं थी ?

(3) क्या अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी ने सचिव, भूमि विकास बैंक को पत्र लिखकर श्री नन्दा से एक हजार रु. जमा कर उक्त नीलामी को निरस्त करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो फिर उस जमीन को क्यों नीलाम कर दिया गया ? क्या ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार श्री एन. एल. भटनागर ने इस मामले की जांच की है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? नन्दा को जमीन वापिस दिलाने के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

### उत्तर

(1) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. अरलाई, तहसील रामगंज मंडी में 35140 रुपयों की राशि के गबन की जानकारी मिली है। इस राशि के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत मामला रजिस्टर कर सुनवाई की जा रही है। यह सही है कि समिति में गबन हो जाने एवं बहुत कम वसूल होने के कारण समिति को ऋण उपलब्ध नहीं हो सकता है। समिति के सदस्यों से ऋणों के वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार वसूल हो जाने पर समिति के सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा।

(2) जी हां। यह जमीन कुल 12 बीघा 11 बिस्वा थी। भू. वि बैंक, कोटा को इस किसान से 4477.21 रु. वसूल करना था जिसमें रुपये 3,000 रु. मूलधन

(सहकारिता मंत्री)

तथा 147721 रु. ब्याज व दण्डनीय ब्याज के थे। इस जमीन की नीलामी रु. 5,000/- में समाप्त की गई है। जांच रिपोर्ट के अनुसार एवं हल्का पटवारी के कथनानुसार भूमि का अनुमानित मूल्य 18,000 रु. आंका गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार भूमि की नीलामी नियमानुसार नहीं की गई है।

(3) जी हां यह सही है कि अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी, कोटा ने बैंक के अध्यक्ष को उक्त कृषक से 1,000 रु. जमा करा लिये जाने के लिये लिखा था किन्तु श्री नन्दा के द्वारा 1,000 रु. जमा नहीं कराये गये इसके अतिरिक्त अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी ने नीलामी कार्यवाही रोकने के लिये नहीं लिखा था इसलिये नीलामी नहीं रोकी गई।

जी हां। दोषी अधिकारी श्री हमीदुद्दीन निरीक्षक कार्यकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। इस भूमि की नीलामी की पुष्टि की जाकर भूमि के खरीददार को जमीन का कब्जा दिलाया जा चुका है अतः राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 109(3) के अनुसार जमीन वापसी की कार्यवाही करना संभव नहीं है।

### आहोर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत

764. श्री गोपाल सिंह (आहोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार पुरानी बनी हुई खराब हालत की सड़कों की मरम्मत करवाने में नई सड़कें बनवाने के मुकाबिले में पहल करेगी ? अगर हां, तो आहोर विधान सभा क्षेत्र में पुरानी बनी टारमेटल और ग्रावल की सड़कों की जो खराब हालत में हैं उनकी मरम्मत जल्द करवाने के लिए आदेश जारी कर अतिरिक्त धन दिलायेंगे ?

(2) क्या राज्य सरकार खासतौर से चांदराई थूम्बा, पादरली, तखतगढ़ रोड, (2) गोदन से बिशनगढ़ रोड (3) भाद्राजून से रावा होती हुई मोकलसर रोड की जल्द मरम्मत करवायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। सड़कों मरम्मत के लिये निर्धारित बजट के हिसाब से हर वर्ष मरम्मत की जाती है। आहोर विधान सभा क्षेत्र में मरम्मत के लिये उपलब्धी के अनुसार धन राशि आवंटित की जायगी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराना अभी संभव नहीं है।

(2) जी हां, मरम्मत का कोई सालाना निर्धारित बजट के अनुसार कराया जायगा।

### अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत राजगढ़ में लोगों का चयन

765. श्री समरथलाल (राजगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत राजगढ़ तहसील (अलवर) के कितने लोगों का चयन किया गया है तथा चयन का आधार क्या था। उनकी प्रगति की सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(कृषि मंत्री)

उत्तर

राजगढ़ तहसील में 2 पंचायत समितियां (1) राजगढ़ व (2) रेंणी आती है। राजगढ़ पंचायत समिति में 572 परिवारों का तथा रेंणी पंचायत समिति में 425 परिवारों का कुल 997 परिवारों का चयन अन्त्योदय योजना में किया गया है।

चयन का आधार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था व चयन उसी आधार पर किया गया। राजगढ़ पंचायत समिति में 88 परिवारों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें 59 व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत, 12 व्यक्तियों को भू-आवंटन एवं 17 व्यक्तियों को 7450 रु. का विभिन्न कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराया गया है।

रेंणी पंचायत समिति में 72 परिवारों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें 27 व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकृत एवं 45 व्यक्तियों को विभिन्न कार्यों हेतु, 51,571 रु. का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

## मेंनार फतहनगर सड़क का कार्य

766. श्री कमलेन्द्र सिंह (आसीन्द): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार मेंनार (तहसील वल्लभनगर) से फतहनगर (तहसील मावली) वाया रूण्डेड़ा इन्टाली की सड़क पूरी कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं।

(2) क्या राज्य सरकार रूण्डेड़ा (तहसील वल्लभनगर) से ताणा (तहसील भूपाल सागर) तक की सड़क बनाने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) इस समय मेंनार से फतहनगर सड़क वाया इन्टाली के लिये कोई स्वीकृति नहीं है। इस वक्त धनराशि सीमित होने के कारण अगले वर्षों में विचारार्थ लिया जायेगा।

(2) रूण्डेड़ा (तहसील वल्लभनगर) से ताणा (तहसील भूपाल सागर) की कोई स्वीकृति नहीं है। इसमें भी धनराशि उपलब्ध नहीं है।

## सवाई माधोपुर में उद्योगों के लिये भूमि का आवंटन

767. श्री उमरावसिंह गूजर (महुआ): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा सवाई माधोपुर में उद्योग के लिए कितनी भूमि अवाप्त की है उसमें कितने प्लाट आवंटन किए हैं? इस क्षेत्र में कितने कारखाने उत्पादन की स्थिति में हैं?

(2) क्या सवाई माधोपुर जिले के महुआ, करोली, हिन्डोन और गंगापुर में

# Page No 165

(165)



(श्री रामराव सिंह गूजर)
राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम की ओर से कोई औद्योगिक बस्ती स्थापित करने का विचार है ?

(3) सन् 1974 में कर्मचारी कल्याण के लिए प्रति वर्ष जो कर्मचारियों को सुविधा दी जा रही थी क्या वह भी आपातकाल के दौरान बंद कर दी गई और कर्मचारियों के द्वारा बार 2 निवेदन करने पर भी पहले के प्रबंधक इसके प्रति उदासीन रहे ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) आर. आई. एम. डी. सी. के द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए गत चार वर्षों में कितनी धन राशि कर्मचारी कल्याण कोष में रखी गई और कितनी कितनी धन राशि किन किन मदों में व्यय की गई ?

(5) वर्तमान वित्तीय सलाहकार की क्या क्या योग्यता थी या इससे अधिक रखने वाले व्यक्ति इस निगम में पहिले से उपलब्ध नहीं थे ? यदि हां, तो फिर इनको रेल्वे विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) को सवाई माधोपुर में राज्य सरकार द्वारा दो स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन की गई जो निम्न प्रकार है :—

1. औद्योगिक क्षेत्र सवाई माधोपुर (रणथम्भोर रोड पर) 143.00 एकड़

औद्योगिक क्षेत्र सवाईमाधोपुर (शेरपुर रोड पर) 57.56 एकड

2. औद्योगिक क्षेत्र सवाई माधोपुर (रणथम्भोर रोड पर) का विकास दो चरणों में किया जाना है। प्रथम चरण में 3 भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया है। कोई कारखाना उत्पादन की स्थिति में नहीं है।

(2) गंगापुर में औद्योगिक बस्ती क्षेत्र कायम करने का निश्चय किया है। शेष स्थानों के लिये अभी कोई प्रस्ताव नहीं है

1. निगम में 1974 तक मुख्यालय तथा सभी यूनिट कार्यालयों पर दीपावली का पूजन तथा मिठाई वितरण का आयोजन होता था जो कि 1975 से बन्द कर दिया गया था क्योंकि राजस्थान में किसी निगम में दीपावली पर पूजा आयोजन का कोई कार्यक्रम नहीं होता था।

2. 1974 के पूर्व प्रतिवर्ष निगम की वर्षगांठ मनाई जाती थी परन्तु अप्रेल, 1974 में निगम के बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष वर्षगांठ मनाने के ध्यान पर श्रमिकों के कल्याण के लिये कोष की सेवा अधिकारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त नहीं की जा सकी।

इसके पश्चात् सचिव उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार से यह कोशिश की गई कि भारतीय लेखा एवं ऑडिट सेवा भारतीय रेल्वे लेखा सेवा या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सेवा जो सभी समान सेवायें हैं, की योग्यता वाले अधिकारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर निगम

(उद्योग मंत्री)

को उपलब्ध कराई जावे । साथ ही निर्देशक ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज, कन्ट्रोलर जनरल डिफेन्स तथा रेल्वे मंत्रालय को भी एक आई. डी. ए. एस. आई. आर. ए. एस. सेवा का अधिकारी निगम को प्रतिनियुक्ति पर देने हेतु लिखा गया। कन्ट्रोलर डिफेन्स सर्विसेज न्यू दिल्ली द्वारा यह सूचित किया गया कि इस योग्यता का अधिकारी उपलब्ध नहीं है । निर्देशक ब्यूरो पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा श्री आर. एन. शुक्ल वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी हिन्दुस्तान जिंक लि. का नाम प्रस्तावित किया। सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज द्वारा श्री ए. एन. गुप्ता, ए. एस. ग्वालियर और श्री सी. आर. मेहता, आई. ए. सी., अजमेर का नाम प्रस्तावित किया । रेल्वे बोर्ड द्वारा श्री डी. एन. बासू उप वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी केन्द्रीय रेल्वे का नाम प्रस्तावित किया। इन नामों पर विचार करने हेतु सितम्बर, 1973 में निगम की सलेक्शन कमेटी की मिटिंग हुई । इस कमेटी ने इन चारों अधिकारियों की योग्यता एवं गुप्त प्रतिवेदन पर विचार कर श्री सी. आर. मेहता, आई. ए. सी. अजमेर को प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष के लिये निगम में वित्तीय सलाहकार के पद पर नियुक्ति करने की सिफारिश की । कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि श्री डी. एन. बासू को अरावली स्वचालित वाहन लि., अलवर में वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति की जावे ।

इस सिफारिश के अनुसार सैंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेज भारत सरकार से प्रार्थना की गई और श्री सी. आर. मेहता की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर निगम को दे दी गई, लेकिन श्री मेहता ने दिसम्बर 1973 तक अपना कार्यभार नहीं संभाला । अतः रेल्वे बोर्ड स्थापना की जावे और वर्ष 1974 में 20,000/- रु. की राशि से कल्याण कोष की स्थापना की गई । इस कल्याण कोष से आपातकाल के दौरान भी सहायता दी जाती रही है ।

इससे स्पष्ट है कि आपातकाल में श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याण की सुविधाएं बन्द नहीं की गई ।

(4) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन लि. के द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिये पिछले चार वर्षों में व्यय की गई राशि की सूचना निम्न प्रकार है:—

| वर्ष | मेडिकल एवं फर्स्टएड | अन्य वेलफेयर एक्टीवीटीज (युनिफार्म, सेफ्टी आइटम्स एवं रिक्रेएशन आदि) | योग |
|---|---|---|---|
| 1973-74 | 0·33 | 0·39 | 0·71 |
| 1974-75 | 0·52 | 1·26 | 1·78 |
| 1975-76 | 0·55 | 1·55 | 2·10 |
| 1976-77 | 0·70 | 1·33 | 2·03 |
| | | | 6·62 लाख |

वर्तमान वित्तीय सलाहकार भारतीय रेल सेवा के अधिकारी हैं।

प्रारम्भ में निगम में वित्तीय सलाह-

(उद्योग मंत्री)

कार के पद पर सेवा निवृत्त महालेखाकार की सेवाएं ली गई थीं, जो कि निगम में मई, 72 तक रहे।

सितम्बर, 72 में निगम के संचालक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय सलाहकार के पद पर किसी इंडियन ऑडिट तथा एकाउन्ट्स सर्विस के किसी वरिष्ठ अधिकारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर ली जावे। इस निर्णयानुसार निगम द्वारा कन्ट्रोलर व आडिटर जनरल, भारत सरकार को एक भारतीय लेखा सेवा अधिकारी की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर निगम में वित्तीय सलाहकार के पद पर भेजने हेतु निवेदन किया था परन्तु कोशिशों के बावजूद भारतीय लेखा से श्री डी. एन. बासु को प्रतिनियुक्ति पर निगम में वित्तीय सलाहकार के पद पर भेजने हेतु निवेदन किया गया। रेल्वे बोर्ड द्वारा यह सूचित किया कि श्री बासु को प्रतिनियुक्ति पर 31 मार्च, 1974 के पश्चात् ही भेजा जा सकेगा। तदुपरान्त श्री बासु ने दिनांक 15 अप्रेल, 1974 को वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यभार प्रतिनियुक्ति पर संभाला।

(5) सचालक मंडल द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार इंडियन आडिट तथा एकाउन्ट्स सर्विस का अधिकारी ही वित्तीय सलाहकार के पद पर लेना था और इस योग्यता वाला कोई भी अधिकारी उस समय निगम में कार्य नहीं कर रहा था। इस पद को भरने के लिए प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लेने के लिए पत्राचार के अलावा और कोई माध्यम नहीं अपनाया गया।

इस कारण श्री बासु को जो भारतीय रेल्वे लेखा सेवा के अधिकारी थे, उन्हीं को चयन समिति की सिफारिश पर प्रतिनियुक्ति पर लेना उचित समझा गया।

## गंगापुर सिटी में नया औद्योगिक क्षेत्र

769. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने गंगापुर सिटी में एक नया औद्योगिक क्षेत्र (सालोदा) विकसित करने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? कृपया प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र का पूर्ण नक्शा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

(2) क्या यह सही है कि उक्त औद्योगिक क्षेत्र के विकसित करने के मामले में उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश लागू हो रहा है? यदि हां, तो क्या यदि स्थगन आदेश निरस्त हो गया तो कब?

(3) यदि उक्त स्थगन आदेश समाप्त हो गया तो राज्य सरकार की इस क्षेत्र के विकास करने के सम्बन्ध में क्या योजना है? कृपया योजना के प्रारूप की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

### उत्तर

(1) जी हां। निगम को गंगापुर सिटी के सालोदा में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 140-19 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में 267 भूखण्ड आयोजित

(उद्योग मंत्री)

है, 118 भू-खण्डों का आवंटन किया गया है। इस क्षेत्र के विकास पर कुल 35.47 लाख रुपये की लागत आयेगी। जिसका विवरण निम्न है:–

| | | |
|---|---|---|
| | | (रुपये लाखों में) |
| 1. | सिविल कार्य | 13.06 |
| 2. | जल प्रदाय योजना | 6.00 |
| 3. | विद्युत् एवं पावर | 9.63 |
| 4. | स्ट्रीट लाइट्स | 0.33 |
| 5. | सार्वजनिक सुविधा केन्द्र | 1.00 |
| 6. | ऊपरी व्यय | 5.45 |
| | | 35.47 |

औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों के निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदार को वर्क आर्डर दे दिया गया है परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा भूमि के संबंध में स्टे आर्डर दिये जाने के कारण विकास कार्य रोक दिये गये हैं। औद्योगिक क्षेत्र का 'ले-आउट' प्लान की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) जी नहीं। स्थगन आदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं। न्यायालय से स्थगन निरस्त नहीं हुआ है।

(3) स्थगन आदेश के पूर्व ही औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्रारम्भ कर दिया था एवं प्लाटों का आवंटन भी विशिष्ट औद्योगिक अभियान के अन्तर्गत कर दिया था। विकास का कार्य स्थगन आदेश के कारण रुका हुआ है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

धरियावाद तहसील की सहकारी समितियों की भूमि

770. श्री नारायण मीणा (लसाड़िया): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) धरियावाद तहसील में जवाहर नगर गांव में जो भूमि सोसाइटियां बनवाई गई है उनके पास काबिल काश्त कितनी जमीन कब्जे में है? अगर वह कब्जे में है तो क्या वे वास्तविक किसानों की सहकारी समितियां हैं एवं नियमानुसार वे भूमि में कृषि उत्पादन कार्य कर रही हैं?

(2) यदि उक्त समितियां बराबर कार्य नहीं कर रही हैं तो क्यों नहीं राज्य सरकार उन समितियों को निरस्त कर भूमि जो कि उनके अधीन है, वापस सही काश्तकारों को सुपुर्द करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) धरियावाद तहसील में जवाहर नगर में जवाहर नगर कृषि सहकारी समिति लि. है। समिति का 618½ बीघा काबिल काश्त जमीन पर कब्जा है। समिति की भूमि पर काश्त करने वाले समस्त कृषक हैं। किन्तु समिति के उपनियमों के अनुसार सदस्य सामूहिक रूप से कृषि नहीं करते हैं बल्कि व्यक्तिगत रूप से काश्त करते हैं।

(2) समिति के सदस्यों द्वारा सामूहिक खेती नहीं करने, एवं समिति के सदस्यों व पदाधिकारियों के द्वारा समिति के कार्य को चलाने में रुचि नहीं लेने के कारण समिति को दिनांक 14-6-77 को अवसायन

(सहकारी मंत्री)

में लाया जा चुका है। जवाहर नगर की जमीन पर काबिज परिवारों को खातेदारी अधिकार देने के सम्बन्ध में जिलाधीश, उदयपुर द्वारा दिनांक 11-2-78 को जवाहर नगर के निवासियों को एकत्रित कर यह निर्णय किया गया कि समिति के सदस्य, समिति पर बकाया ऋण को चुकाने के लिये 40 रु. प्रति बीघा के हिसाब से राशि जमा करावे तो उनको खातेदारी अधिकार दिए जा सकेंगे।

### ग्राम करमावास में आग लग जाने से नुकसान

771. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम करमावास, तहसील सोजत, जिला पाली में वेरा खारवियावास में पिछले महीने अचानक आग लग जाने से किन-किन व्यक्तियों का कितना कितना नुकसान हुआ? क्या सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार आग पीड़ित ग्रामवासियों को कोई राहत देने का विचार रखती है यदि हां, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जिलाधीश, पाली ने यह सूचित किया है कि ग्राम करमावास तहसील, सोजत के वेरा खारवियावास में दिनांक 7-1-78 की रात को अचानक अग्निकाण्ड हो गया जिससे 10 परिवार प्रभावित हुए। प्रभावित परिवारों के नुकसान की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिलाधीश पाली ने नियमानुसार प्रभावित परिवारों के लिए 1,235) रुपये स्वीकृत कर दिये हैं जिसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

सूची

ग्राम करमावास तहसील, सोजत जिला, पाली में वेरा खारवियावास में अचानक आग लग जाने से जिन जिन व्यक्तियों को नुकसान हुआ तथा जो राहत दी गई उसकी सूची:—

| क्र. स. 1 | नाम व्यक्ति 2 | नुकसान रुपयों में 3 | सहायता जो स्वीकृत की गई है। 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री डूंगलाराम | 2350 | 250 |
| 2. | श्री दानाराम | 3700 | 300 |
| 3. | श्री जोराराम | 250 | 42 |
| 4. | श्री जीताराम | 3000 | 250 |
| 5. | श्री गंगाराम | 600 | 100 |
| 6. | श्री बाताराम | 600 | 100 |
| 7. | श्री नन्दाराम | 400 | 67 |
| 8. | श्री भोजाराम | 250 | 42 |
| 9. | श्री खीवाराम | 250 | 42 |
| 10. | श्री गोमाराम | 250 | 42 |
| | योग:— | 11650 | 1235 |

चूरू जिले में पशु अस्पताल

772. श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले तीन वर्षों में चूरू जिले में किस किस स्थान पर पशु अस्पताल खोले गये ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) पशु अस्पताल खोले जाने के संबन्ध में राज्य सरकार ने क्या कोई क्राईटेरिया तय कर रखा है ? यदि हां, तो उसकी एक एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) राज्य में पशु अस्पतालों के खुलने और बन्द होने के रोजाना के क्या टाइमिंग निर्धारित हैं ?

(4) क्या इमरजेंसी से पूर्व अस्पतालों के रोजाना खुलने व बन्द होने के टाइम कुछ और थे ? यदि हां, तो उनके बदलने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में चूरू जिले में बीन्धा, भोमासर एवं साहवा में तीन पशु अस्पताल खोले गये हैं। तहसीलवार सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कोई निश्चित क्राईटेरिया नहीं है किन्तु नये अस्पताल खोलते समय सर्वोपरि आधार यह है कि जिले की पशु संख्या ध्यान में रखी जाए तथा सभी जिलों को नए अस्पताल खोलने में प्रतिनिधित्व मिल सके।

प्रातः 9 बजे से सायंकाल 5 बजे तक, बीच में एक से ढाई बजे तक डेढ घन्टे का विश्राम।

(3) जी हां।

| | प्रातः | सायं |
|---|---|---|
| ग्रीष्म काल | 8 से 12 | 5 से 7 |
| शीत काल | 9 से 1 | 4 से 6 |

(4) पशुपालकों की सुविधा के लिए समय बदले गये हैं जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से 5 घन्टे तक इन्तजार न करना पड़े।

सूची "क"

चूरू जिले में गत तीन वर्षों में खोले गये अस्पताल

| क्र.सं. | स्थान | तहसील | वर्ष | चिकित्सालय/औषधालय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बीधा | डूंगरगढ़ | 1976-77 | चिकित्सालय |
| 2. | भोमासर | ,, | 1977-78 | औषधालय |
| 3. | साहवा | तारानगर | 1977-78 | औषधालय |

तहसील सराडा व सलूम्बर में सीलिंग के अन्तर्गत ली गई भूमि

773. श्री गम्भीरीलाल मीणा (सराड़ा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सराड़ा व सलूम्बर जिला उदयपुर में किन किन बड़े किसानों से सीलिंग के अन्तर्गत कुल कितने एकड़ भूमि राज्य सरकार ने ली है ?

(श्री गम्भीरीलाल मीणा)

(2) राज्य सरकार ने ली हुई भूमि का मुआवजा किस आधार पर तय किया है व कब तक कितने किसानों को मुआवजे की रकम अदा की जा चुकी है व कितने किसानों को नहीं राज्य सरकार उसका भुगतान कब तक कराएगी ?

(3) सीलिंग से ली गई जमीन वापस किन गरीब भूमिहीनों में बांटी गई है सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(4) क्या सीलिंग के अन्तर्गत ली हुई भूमि वापस उन्हीं भूमिहीनों को बांटी गई है जिनके पास पहले भूमि थी ?

(5) क्या सीलिंग की भूमि एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों व उनके रिश्तेदारों को दी गई है अगर उनको दी गई है और वे भूमिहीन नहीं हैं। क्या राज्य सरकार उसे वापस लेकर गरीबों में बांटेगी ?

उत्तर

(1) तहसील सराडा एवं सलुम्बर में सीलिंग कानून के तहत 4206 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने ली है काश्तकार वार सूची संलग्न है।

(2) इस भूमि का मुआवजा अभी तक तय नहीं किया गया है क्योंकि सम्बन्धित व्यक्तियों की ओर से क्लेम पेश नहीं हुए हैं ? अतः अवधि बताये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) सीलिंग से प्राप्त की गई भूमि 1364 व्यक्तियों को आवंटन की गई है।

(4) जी नहीं।

(5) एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों और उनके रिश्तेदारों को सीलिंग से प्राप्त भूमि आवंटन नहीं की गई है। अतः उनसे लेकर अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

काश्तकार वार सूची

| क्र. सं.<br>1 | मु. नं.<br>2 | नाम व्यक्ति<br>3 | रकबा (एकड़ में)<br>4 |
|---|---|---|---|
| 1. | 1/66 | सुगर भाट फर्म | 90.00 |
| 2. | 3/66 | श्री खुमाणसिंह, सलुम्बर | 843.00 |
| 3. | 5/70 | हिम्मतसिंह, परमार | 104.00 |
| 4. | 12/70 | प्रतापसिंह, जोधपुर | 69.00 |
| 5. | 13/70 | हमीर कुंवर, रावडी | 69 00 |
| 6. | 14/70 | किशोरसिंह, बिम्नी कलां | 13.00 |
| 7. | 15 70 | नाथुसिंह तायरअली | 48.00 |
| 8. | 16/70 | ओंकारसिंह पित्ता | 107.00 |
| 9. | 22/70 | हिम्मतसिंह राजपूत, भानपुर | 243.00 |
| 10. | 23/70 | देवीलाल नोटः-इसका रकबा क्र. सं. 2 में शामिल है | |
| | | | 1587.00 |

# Page No 172

(172)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1. | 2/73 | फजल हुसैन, सलुम्बर | 40.01 |
| 2. | 4/73 | हडमतसिंह, भानपुर | 241.05 |
| 3. | 5/73 | तायरअली, सलुम्बर | 1104.00 |
| 4. | 12/73 | प्रतापसिंह, जोधपुर | 18.00 |
| 5. | 13/73 | श्रीमती हमीर कुंवर, राठडी | 118.07 |
| 6. | 23/73 | अभयसिंह, खेमारी | 20.00 |
| 7. | 24/73 | प्रतापसिंह, खेमारी | 64.00 |
| 8. | 26/73 | डूंगरसिंह, शम्लावली का गुडा | 5.00 |
| 9. | 30/73 | हिम्मतसिंह परमार | 227.92 |
| 10. | नोटः- मु. न. 1/75 से 5 तक रकबा मु. नं. 5/73 के तायरअली में से लिया गया है। | | |
| 11. | 55/75 | रूपसिंह प्रेमसिंह, नयागांव | 11.02 |
| 12. | 56/75 | गमोरसिंह भवानीसिंह, नयागांव | 11.02 |
| 13. | 57/75 | केसरसिंह उभयसिंह ,, | 11.02 |
| 14. | 58/75 | कानुलाल नाथुलाल जैन ,, | 11.02 |
| 15. | 59/75 | रुपादेवजी पटेल ,, | 11.02 |
| 16. | 60/75 | मोकसाखेती मीना ,, | 11.02 |
| 17. | 61/75 | खुमानसिंह केसरसिंह, धारोद | 11.02 |
| 18. | 62/75 | गुमानसिंह केसरसिंह ,, | 11.02 |
| 19. | 63/75 | भीमसिंह पृथ्वीसिंह, थोबावाड़ा | 11.02 |
| 20. | 64/75 | भेजे राम/बनाजी को., थोबावाडा | 11.02 |
| 21. | 65/75 | चमना/भेरा मीना ,, | 11.02 |
| 22. | 66/75 | वाला/प्रथी मीना ,, | 11.02 |
| 23. | 67/75 | भवानीसिंह/पृथ्वीसिंह, वामनियां | 11.02 |
| 24. | 68/75 | नाथूसिंह/देवीसिंह, वामनियां | 11.02 |
| 25. | 69/75 | अमरचन्द/भेरजी महाजन, ,, | 11.02 |
| 26. | 70/75 | नारायण/कानजी का. | 11.02 |
| 27. | 71/75 | प्रेमजी पिता गोविन्द जोगी, कलुका | 11.02 |
| 28. | 72/75 | फवरा/गोतमा मीना | 11.02 |
| 29. | 73/75 | हिम्मतसिंह/लक्ष्मणसिंह, भानपुर | 11.02 |
| 30. | 74/75 | रुपसिंह/भेरूसिंह, ,, | 11.02 |
| 31. | 75/75 | हमीरा/भाणा मीना, खुन्डीयावाडा | 11.02 |
| 32. | 76/75 | भेरा/भीमा मीना, डुंगर | 11.02 |
| 33. | 77/75 | नाबू उदा मीना, पुनारिया | 11.02 |

# Page No 173

(1731)



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 34. | 78/75 | भीमा/कोदरा डांगी वेरवा | 11.02 |
| 35. | 79/75 | पेमा/हीरा डांगी | 11.02 |
| 36. | 80/75 | कान्या/खेली मीना | 11.02 |
| 37. | 81/75 | हमीरसिंह/लीमसिंह रुबाव | 11.02 |
| 38. | 82/75 | गुमानसिंह/पदमसिंह | 11.02 |
| 39. | 83/75 | गमेरसिंह/कुवंरसिंह मुड | 11.02 |
| 40. | 84/75 | उदयसिंह/तखतसिंह, | 11.02 |
| 41. | 85/75 | हरनाथसिंह/लालसिंह मुड | 11.02 |
| 42. | 86/75 | श्रीमतीगंगा पत्नि रूपसिंह मुड | 11.02 |
| 43. | 87/75 | कान्या/चौखा मीना रावली भगल | 11.02 |
| 44. | 88/75 | दौला पिता खेमा मीना रा. भ. | 11.02 |
| 45. | 113/75 | मोव/काना मीना मगपुर | 11.02 |
| 46. | 114/75 | उंकारसिंह पिता | 54.04 |
| 47. | 116/75 | केशरसिंह खन्डेला | 15.00 |
| 48. | 125/75 | जगदीशसिंह सेमारी | 37.00 |
| | | | 2619.00 |

पत्थर व खण्डों पर सेल्स टैक्स

774. श्री खंगार सिंह (खारची) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पत्थर व खण्डों पर भी सैल्स टैक्स लागू है ? यदि हां, तो किस दर से ?

(2) क्या यह सही है कि पत्थर व खण्डे, खान से मजदूर निकालते हैं जो अमूमन अनपढ़ होते हैं ? यदि हां, तो क्या जोधपुर डिवीजन के लिए वाणिज्यकर आयुक्त ने कोई आदेश खण्डों व फाचरों के कर की वसूली हेतु निकाला ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर की खानियों में आज भी उसी आदेश के अनुसार पत्थर व फाचरों का बिक्री कर वसूल किया जाता है ?

(4) क्या यह सही है कि सोजत में खण्डो व फाचरों का कर उस दर से वसूल नहीं किया जाता ? यदि हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार इस तरह के भ्रष्टाचार को समाप्त करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। पत्थर व खण्डों पर बिक्री कर की दर 7 प्रतिशत है।

(2) जी हां। वाणिज्यिक कर आयुक्त के आदेश क्रमांक पृ.16(16) टैक्स/सीसीटी/68/5850, दिनांक 20-7-1973 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(174)



(श्री खनिज मंत्री)

(3) जी हां।

(4) यह सही है कि सोजत में खण्डों व फार्मरों पर कर उस दर से वसूल नहीं किया जाता। जोधपुर की भांति पाली जिले के पत्थरों आदि पर भी कीमत के बजाय वजन के आधार पर कर वसूल करने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

## GOVERNMENT OF RAJASTHAN
### Commercial Taxes Department

No. F. 16/(16)Tax/CCT/68/5850 Dated 20-7-1973

From,

The Commissioner,
Commercial Taxes, Jodhpur
Rajasthan Jaipur.

To

The Dy. Commissioner (Adm.),
Commercial Taxes, Jodhpur.

Sub: — Rates of Sales Tax on Stone

In superssession of this office letter No F. 16(16) Tax/CCT/68/4098, dated 5th June, 1973, it is hereby ordered that the following rates of sales Tax which have been approved by the Government shall be charged on the following categories of building stone at the various Check-posts located at Jodhpur in absence of a satisfactory evidence of their price to the contrary, with immediate effect: —

| Sl.No. | Category of Stone | Rate of Tax. Rs. P. |
|---|---|---|
| 1. | Patti | 1.30 Per ton |
| 2. | Undressed Aslet | 0.75 " |
| 3. | Dressed Aslet | 3.00 " |
| 4. | Chapan | 0 70 " |
| 5. | Khanda | 0.50 Per truck |
| 6. | Fachra | 0.35 " |

You may please ensure that the Sales Tax at the above approved rates is now collected at the Check-posts at Jodhpur with immediate effect.

Sd/-BHIM SINGH,
20/7/73
COMMISSIONER,
Commercial Taxes, Rajasthan,
JAIPUR

IMMEDIATE
REGISTERED

No.F. 16 (16) Tax/CCT/63, 5851-52 Dated 20-7-1973.

Copy forwarded to C.T.O., Circle-'A'/Circle-'B' Jodhpur for information and immediate necessary action.

Sd/-BHIM SINGH,
20/7/73
COMMISSIONER

एम्बूलेटरी क्लीनिक, बीकानेर

775. श्री अचलाराम (देसूरी) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर नगर में आज से लगभग 6 वर्ष पूर्व एक एम्बूलेटरी क्लीनिक स्थापित की गई ?

(2) इस क्लीनिक हेतु राज्य सरकार ने उपकरण खरीदने, औषधियां खरीदने एवं स्टाफ के वेतन हेतु राशि प्रदान की।

(3) क्या यह सही है कि इस क्लीनिक का कोई अस्तित्व नहीं है तथा क्लीनिक पूर्णतः फर्जी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान तहसीलदार सेवा में अनुसूचित जाति के व्यक्ति

776. श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान तहसीलदार सेवा में अनुसूचित जाति के कितने तहसीलदार वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और कब से ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के तहसीलदारों का स्थायीकरण एवं उनकी

# Page No 176



(श्री परसराम मोरदिया)
पदोन्नति का क्या प्रावधान है तथा नियमों में कितने अनुसूचित जाति के तहसीलदारों के पद आरक्षित हैं व कितने आर. ए. एस. के लिये ?

(3) अनुसूचित जाति के कितने तहसीलदारों का स्थायीकरण हो चुका है ? स्थायीकरण की तारीख व नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) जो अनुसूचित जाति के तहसीलदार अब तक स्थायी नहीं किये गये हैं उसका क्या कारण है ?

(5) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के स्थायी तहसीलदारों के पश्चात की नियुक्ति अन्य जातियों के तहसीलदारों की आर. ए. एस. में पदोन्नति की गयी ? यदि हां, तो उनके नाम की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें और क्या कारण थे कि अनुसूचित जाति के स्थायी तहसीलदारों को आर. ए. एस. में पदोन्नत न करके अन्य जाति के व्यक्तियों को पदोन्नत कर दिया गया ?

(6) क्या यह सही है कि उपरोक्त अनुसूचित जाति के तहसीलदारों के विरुद्ध जानबूझ कर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर राज्य सरकार की यह नीति है कि इन्हें पदोन्नति न दी जाय ?

## उत्तर

(1) वर्तमान में अनुसूचित जाति के 20 तहसीलदार कार्य कर रहे हैं जिसकी सूची संलग्न है। (परिशिष्ट ए)

(2) राजस्थान तहसीलदार सेवा नियमों में अनुसूचित जाति के तहसीलदारों के लिए स्थाईकरण करने के लिए पृथक् से कोई प्रावधान नहीं है। इनका स्थाईकरण अन्य वर्गों के लोगों की भांति राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम के नियम 36 के अनुसार किया जाता है। जहां तक तहसीलदार के पद पर पदोन्नति का प्रश्न है अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 16 प्रतिशत पद पदोन्नति तथा 12 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित हैं। तहसीलदारों से एवं अन्य प्रशासनिक अधीनस्थों से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति द्वारा जो भर्ती की जाती है उनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए राज्यादेशों के अनुसार कोई आरक्षण नहीं है।

(3) अनुसूचित जाति के एक ही व्यक्ति स्थाईकरण के लिए पात्र है उन्हें स्थाई कर दिया है। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-बी)

(4) स्थाईकरण राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम के नियम 36 के अनुसार उन्हीं व्यक्तियों का किया जाता है जो रेगुलर में पदोन्नत किये जाते हैं ? अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का स्थाईकरण इसलिये नहीं किया है कि इनका अभी तक चयन डी. पी. सी. द्वारा नियम 29 के अन्तर्गत नहीं किया गया है ये व्यक्ति अर्जेन्ट टेम्पोरेरी बेसिस के आधार पर नियम 31 के अन्तर्गत पदोन्नत किये हुए हैं। जब इनका चयन डी. पी. सी. द्वारा हो जावेगा तब इनका स्थाईकरण भी नियमानुसार कर दिया जावेगा।

पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में अलग कार्मिक (क-5) विभाग की आज्ञा संख्या प. 9 (19) (कार्मिक 'क'-5) 74, दिनांक 10-2-75 द्वारा किया

# Page No 177



(राजस्व मंत्री)
गया। दिनांक 10-2-75 के पश्चात तह-सीलदारों से नियमित रूप से पदोन्नती द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भर्ती दी गई की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-सी)

(5) जी नहीं।

## परिशिष्ट 'ए'

वर्तमान में कार्यरत अनुसूचित जाति के तहसीलदारों की सूची निम्न प्रकार है

| क्र.सं. | नाम अधिकारी | कार्यवाहक तहसीलदार के पद पर कार्य करने की तिथि |
|---|---|---|
| 1. | श्री किशोरी लाल अग्रवाल | 13-6-75 |
| 2. | ,, भंवर लाल वर्मा | मई, 1974 |
| 3. | ,, गंगासहाय वर्मा | 24-12-75 |
| 4. | ,, कल्याणसहाय वर्मा | 20-11-69 |
| 5. | ,, नाथूलाल वर्मा | 21-6-75 |
| 6. | ,, लक्ष्मीचन्द वर्मा | 1-3-67 |
| 7. | ,, मेवाराम जोनवाल | 1975 |
| 8. | ,, रामस्वरूप नरेनियाँ | 5-1-76 |
| 9. | ,, गौरी शंकर | 20-11-74 |
| 10. | ,, कालूराम कमलेश | 1-9-74 |
| 11. | ,, माधीलाल भट्ट | 17-2-78 |
| 12. | ,, दुर्गाप्रसाद | 3-2-78 |
| 13. | ,, भगवाना राम | मई 75 |
| 14. | ,, दामोदरलाल सोलंकी | 24-12-75 |
| 15. | ,, मेला राम | 20-5-74 |
| 16. | ,, रतनलाल बैरवा | 16-3-61 |
| 17. | ,, पृथ्वीराज आर्य | 1975 |
| 18. | ,, ओम प्रकाश | 12-8-74 |
| 19. | ,, रामपतसिंह | 26-5-76 |
| 20. | ,, शंकरलाल बुनकर | 3-2-78 |

S/d.
उपनियन्त्रक (प्रशासन),
राजस्व मण्डल, राजस्थान,
अजमेर।

(178)



## परिशिष्ट 'बी'

अनुसूचित जाति के तहसीलदार को स्थाईकरण किया गया है उसकी सूची :—

| क्र.सं. | नाम अधिकारी | स्थाईकरण की तिथि |
|---|---|---|
| 1. | श्री शकुनचन्द सौठवाल | 1-10-75 |

उपनियन्त्रक (प्रशासन),
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर।

## परिशिष्ट 'सी'

दिनांक 10-2-75 के पश्चात् तहसीलदारों से निम्नलिखित व्यक्तियों को नियमित रूप से पदोन्नति द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भर्ती की गई

**सर्व श्री**

1. गुमान सिंह
2. उदयलाल धाभाई (दिनांक 31-8-77 से सेवा निवृत्त)
3. श्याम सुन्दर श्रीवास्तव (दिनांक 31-12-77 से सेवा निवृत्त)
4. राधा किशन गुप्ता
5. श्री नारायण माथुर
6. बहोतराम यादव (दिनांक 31-1-78 से सेवा निवृत्त)
7. सुखवीरसिंह गहलोत (राज. आचरण सेवा नियम के अन्तर्गत दिए गए दण्ड के फलस्वरूप दिनांक 22-2-78 के आदेश से तहसीलदार सेवा में पदावर्तित)
8. मोतीलाल भारद्वाज (दिनांक 28-2-78 से सेवा निवृत)
9. दशरथ सिंह (दिनांक 31-1-77 से सेवा निवृत्त)

दिनांक 10-2-75 के पश्चात् राजस्थान प्रशासनिक सेवा में तहसीलदार वर्ग से पदोन्नत अस्थायी एवं अविलम्बनीय अधिकारियों की सूची।

1. श्री के. पी. दत्ता
2. श्री वंशीधर
3. श्री पी. एल. लोहार
4. श्री भीम सिंह
5. श्री देवीसिंह बारेठ
6. श्री डूंगरसिंह
7. श्री भनेश्वर पट्टीदार

8. श्री गिर्राज गुप्ता (सेवा निवृत्त दिनांक 31-1-78)
9. श्री गोविन्दसिंह चुण्डावत ( सेवा निवृत्त दिनांक 31-8-77)
10. श्री हरीमोहन गुप्ता
11. श्री हुकमपाल गर्ग
12. श्री हरीशंकर शर्मा
13. श्री जुगलकिशोर शर्मा
14. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
15. श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा
16. श्री खीवंसिंह रावत (सेवा निवृत दिनांक 30-6-76)
17. श्री भगवानसहाय सिंहल
18. श्री कृष्ण मोहन माथुर
19. श्री कृष्णकुमार जैमन
20. श्री कृष्णसिंह
21. श्री खैराती राम
22. श्री कानसिंह जैसोल
23. श्री एल. के. चतुर्वेदी
24. श्री लक्ष्मणसिंह राजावत
25. श्री मोहनलाल जैन
26. श्री मगनलाल बोहरा
27. श्री महेन्द्र दत्त
28. श्री माणकचन्द जैन
29. श्री नथमल रावल (सेवा निवृत्त दिनांक 31-10-76)
30. श्री ओम प्रकाश गोदरा
31. श्री पुरुषोतमलाल शर्मा
32. श्री पन्नालाल
33. श्री प्यारेलाल माथुर
34. श्री पुरुषोतम आचार्य
35. श्री पी. एन. पांडे (सेवा निवृत्त दिनांक 3.-12-7.)
36. श्री रिडमलसिंह
37. श्री रामजीलाल वर्मा
38. श्री रामेश्वर प्रसाद
39. श्री रामप्रताप चौधरी
40. श्री सन्तूलाल शर्मा
41. श्री कृष्णशर्मा
42. श्री सुरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव
43. श्री सुरेशबिहारीलाल माथुर

44. श्री श्यामलाल माथुर
45. श्री सोहनलाल सांकला
46. श्री सकुनचन्द सोठवाल
47. श्री शम्भुदयाल गुप्ता
48. श्री तराचन्द जैन
49. श्री उमरावसिंह
50. श्री उम्मेदसिंह
51. श्री बी. डी. थानवी
52. श्री धनवानचन्द भंडारी
53. श्री दलपतसिंह
54. श्री आत्मा राम कुदाल
55. श्री अजीतसिंह
56. श्री अमोलाल

## कृषि पैदावार का मूल्य तय करने का आधार

777. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य में किस किस जिले मे किसान के गेहूं, बाजरा की, पर क्विटल लागत क्या आती है, सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) राज्य सरकार कृषि पैदावार का मूल्य किस आधार पर तय करती है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार गन्ने का भाव तय कर देती है मगर चीनी, खण्डसारी, गुड़ के भाव तय नहीं करता यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार गन्ना मिल के आसपास के क्षेत्रों के किसानों को गुड़ निकालना मना कर देती है तथा निश्चित दामों पर गन्ना किसानों को मिल को देना पड़ता है ? क्या राज्य सरकार उन मिलों से काश्तकारों को निश्चित कीमत पर चीनी दिलाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ।

### उत्तर

(1) राज्य में अलवर, सवाईमाधोपुर व चितौड़गढ़ में गेहूं और बाजरे की उत्पादन लागत की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(2) मूल्य नीति निर्धारण भारत सरकार द्वारा की जाती है ?

(3) मूल्य नीति निर्धारण भारत सरकार द्ववारा की जाती है ।

(4) जी नहीं । मिल के आरक्षित क्षेत्र में किसान 25 प्रतिशत गन्ने का उपयोग अपने ढ़ंग से कर सकते हैं । इस वर्ष गन्ने की उपज अत्याधिक होने के कारण उन्हें 25 प्रतिशत तक के और परमिट दिये जा सकते हैं । हस्तचालित क्रेशर से गुड़ बनाने के लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है । परन्तु पावर क्रेशर से गुड़ बनाने के लिये उद्योग विभाग से लाईसेन्स लेना होता है । चीनी वितरण सम्बन्धी नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है ।

## परिशिष्ट—क

1976-77 में उत्पादन लागत प्रति क्विंटल (रुपयों में)

| जिन्स का नाम | अलवर | सवाई माधोपुर | चित्तौड़गढ़ |
|---|---|---|---|
| 1. गेहूं (उन्नत) | 101-63 | 127-25 | 149-91 |
| 2. गेहूं (देशी) | 94-59 | 119-06 | 143-42 |
| 3. बाजरा (देशी) | 92-79 | 80-81 | — |

### कस्बा भरतपुर के चक नं. एक व दो की भूमि

778. श्री ताराचन्द (रूपवास) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) भरतपुर जिले में कस्बा भरतपुर के चक नं. 1 व 2 की कृषि भूमि गत तीन साल से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने कितनी और किस भाव पर बेची है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कृषि भूमि अधिकतर जो बेची गई है उस पर ईंटों के भट्टे लगाये गये हैं अथवा ईंटें बनाई जा रही हैं।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि की कीमत 3,000/- से 5,000/- रुपये प्रति बीघा तक चुकाई गई है परन्तु सरकारी कागजात में 1,000/- रुपये प्रति बीघा बताई है जिससे राजस्व कर की चोरी हुई है व नं. 2 के रुपये का छिपाव हुआ है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच करवायेगी ?

(4) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति की जमीन अनुसूचित जाति के ही व्यक्ति के नाम बिक्री में दिखाई गई है परन्तु उस पर ईंटों का भट्टा किसी अन्य व्यक्ति ने लगा रखा है और असल मालिक जमीन का कोई पता नहीं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसकी भी जांच करवायेगी ?

(5) इस प्रकार की बेनामी जमीनों के मालिकों का जिनका पता न हो क्या राज्य सरकार उक्त जमीन को अपने कब्जे में लेने को तैयार है ?

### उत्तर

(1) गत 3 वर्षों में कस्बा भरतपुर के चक नं. 1 व 2 की भूमि में से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों ने 38 बीघा भूमि बेची है। इनमें से 19½ बीघा भूमि 1001/- रु. प्रति बीघा की दर से, 14½ बीघा भूमि 1380/- रु. प्रति बीघाकी दर से एवं 4 बीघा भूमि 1,875/- रु. प्रति बीघा की दर से बेची गई।

(2) यह सही है।

(3) भूमि की स्थिति एवं मौके को देखते हुए यह संभव है कि जो बिक्री दर बताई गई है यह वास्तव में चुकाई गई दर से कम है। उप-पंजियक के रेकार्ड के अनुसार आमतौर पर कीमत 1,500 से 2,000 रु. प्रति बीघा है।

(4) यह सही है कि भूमि की बिक्री अनुसूचित जाति के लोगों के नाम की है। पटवार रिकार्ड में सवर्ण जाति के लोगों के नाम इन्द्राज नहीं है परन्तु मौके पर जो भट्टे लगे हुए हैं उन पर सवर्ण जाति के लोग भी कार्य कर रहे हैं। इसकी जांच करा ली जायेगी।

(राजस्व मंत्री)

(5) यदि ऐसा कोई विशेष (स्पेसिफिक) मामला सामने आयेगा तो उसमें नियमानुसार जांच एवं अन्य कार्यवाही की जावेगी।

### हिन्दू समाज उत्तराधिकार कानून और मीणा जाति

**779. श्री भंवरलाल काला बादल** (खानपुर): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरकार ने हिन्दू समाज उत्तराधिकार कानून से अनुसूचित जन जाति को अलग कर दिया है? यदि हां, तो यह भेद-भाव इस कानून में क्यों किया गया? क्या मीणा जाति हिन्दू समाज से अलग है?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कानून के अनुसार पिता की सम्पत्ति कृषि भूमि का उत्तराधिकार केवल उसके लड़के को ही है? उसकी पत्नि व पुत्री को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया है?

(3) क्या राज्य सरकार इस कानून में संशोधन करके हिन्दू समाज उत्तराधिकार मीणा जाति पर भी लागू किया जावेगा?

### उत्तर

(1) धारा 2 (2) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार यह अधिनियम अनुसूचित जन जाति पर लागू नहीं है। यह केन्द्रीय अधिनियम है, जो कि सन् 1956 में तत्कालीन केन्द्रीय शासन द्वारा बनाया गया है। अनुसूचित जन जाति पर यह कानून इसलिए प्रभावी नहीं किया गया क्योंकि तत्कालीन संसद ने ऐसा उचित नहीं समझा।

(2) यह गलत है। धारा 40, राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के प्रावधान स्पष्ट हैं, जिनसे हिन्दू पर्सनल लॉ के उत्तराधिकारी संबंधी प्रावधान कृषि भूमि पर भी लागू हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ने पत्नी या पुत्री को उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया है वरन् जो स्थिति इस अधिनियम के पूर्व में थी, उसे अनुसूचित जन जाति के लिये यथावत् रखा है।

(3) धारा 2 (2) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार अधिसूचना प्रसारित कर उक्त अधिनियम को मीणा जाति पर भी लागू कर सकती है। अतः संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अगर उसे लागू करना उचित समझा जावेगा तो केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की जा सकती है।

### स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2 मार्च, 78 एवं दिनांक 17 मार्च, 78)

### राजस्व अभियान एवं इस पर व्यय की गई राशि

**13. श्री नवरंगसिंह** (नवलगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में राजस्व अभियान में कितने मामलों का मौके पर निर्णय किया गया तथा कितने मामले पेंडिंग रहे? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री नवरंगसिंह)

(2) क्या यह सही है कि राजस्व अधिकारियों की लापरवाही के कारण कुछ मामले पेंडिंग रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक इन मामलों का निर्णय होने की आशा है ?

(3) इस राजस्व अभियान पर राज्य सरकार का कितना धन खर्च हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 2-10-77 से 15-11-77 तक 14 बिन्दुओं के अन्तर्गत आने वाले निपटाये गये एवं अवशेष मामलों का विस्तृत ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) राजस्व अभियान पर राज्य सरकार के कुल 9,57,220 रुपये व्यय हुए हैं।

विधान सभा प्रश्न संख्या 1 रा. मं. द्वारा श्री नवरंग सिंह,
सदस्य विधान सभा के प्रश्न भाग (1) के उत्तर का विवरण

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | | खातेदारी अधिकार देने बाबत | |
| | (1) | दस वर्ष पूर्व भूमि आवंटन होने से खातेदारी अधिकार देने योग्य व्यक्तियों की संख्या। | 138664 |
| | (2) | व्यक्ति जिन्हें खातेदारी अधिकार दिये गये। | 123106 |
| | (3) | व्यक्तियों की संख्या जिन्हें जांच के पश्चात् खातेदारी अधिकार देने योग्य नहीं पाया गया | 6860 |
| | (4) | शेष व्यक्ति जिन्हें खातेदारी अधिकार दिये जाने हैं। | 8698 |
| 1.2 | | दिसम्बर, 1974 से पूर्व आवंटित भूमि वाले व्यक्ति जिन्होंने दस वर्ष की शेष अवधि का ढाई गुना लगान जमा कराकर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिये। | 14766 |
| | (3) | ऐसे व्यक्तियों में से खातेदारी अधिकार दिये गये व्यक्तियों की संख्या | 13156 |

| | | |
|---|---|---|
| | (3) व्यक्ति जिन्हें जांच के पश्चात् खातेदारी अधिकार नहीं पाया गया। | 294 |
| | (4) शेष व्यक्ति जिन्हें खातेदारी अधिकार देने हैं। | 1316 |
| 2. | नामान्तरकरण के बकाया मामलों का निपटारा | |
| | (1) कुल बकाया नामान्तरकरणों की संख्या | 589120 |
| | (2) स्वीकृत किये गये नामान्तरकरणों की संख्या | 577393 |
| | (3) शेष नामान्तरकरणों की संख्या। | 11727 |
| 3. | सरकारी जमीन पर बनाये गये मकान एवं वाड़ों का निपटारा | |
| | (1) कुल निपटाने योग्य मामले | 39184 |
| | (2) निपटाये गये मामलों की संख्या | |
| | (i) नियमन द्वारा | 21660 |
| | (ii) बेदखली द्वारा | 9357 |
| | योग। | 31017 |
| | (3) शेष मामलों का निपटारा करना है | 8167 |
| 4. | सिकायत गैर मुमकिन पडवा अंगोर या वन भूमि पर स्थापित किये गये ग्रामों और ढाणियों का नियमितीकरण | |
| | (1) ऐसी भूमि पर स्थापित किये गये ग्राम एवं ढाणियों की संख्या जिनका नियमितीकरण करना था। | 782 |
| | (2) संख्या ग्राम व ढाणियां जिनका नियमितीकरण किया गया। | 575 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (3) शेष ग्राम व ढाणियां जिनका नियमिती-करण करना है। | 267 | |
| 5. | अतिक्रमण के बकाया मामलों का निपटारा | | क्षेत्रफल (एकड़ों में) |
| | (1) अतिक्रमण के कुल बकाया मामले | 336745 | 587672 |
| | (2) निपटाये गये मामलों की संख्या | | |
| | (i) नियमन द्वारा | 48157 | 93720 |
| | (ii) बेदखली द्वारा | 218382 | 344653 |
| | | 266539 | 438373 |
| | (3) शेष मामले जिनका निपटारा किया जाना है | 70206 | 149299 |
| 6. | रहन बिल कब्ज की भूमि का कब्जा संबंधित काश्तकार को दिलाने बाबत | | |
| | (1) संख्या व्यक्ति जिनकी भूमि को रहन रखे हुए पांच वर्ष से अधिक का समय हो गया किन्तु कब्जा अभी तक नहीं मिला | 6447 | |
| | (2) ऐसे व्यक्तियों में से कब्जा दिलाये गये व्यक्तियों की संख्या। | 3462 | |
| | (3) शेष व्यक्ति जिन्हें कब्जा दिलाया जाना है | 2985 | |
| | (4) संख्या व्यक्ति जिन्हें रहन रखी हुई भूमि का कब्जा तो मिल गया था किन्तु नामान्तरकरण नहीं खोले गये थे | 3131 | |
| | (5) नामान्तरकरण खोले गये व्यक्तियों की संख्या। | 3000 | |
| | (6) शेष व्यक्ति जिनके नामान्तरकरण खोले जाने है। | 131 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | काश्तकारों की अवाप्त की गई भूमि के लगान में कमी करना | | |
| | (1) संख्या व्यक्ति जिनकी भूमि अवाप्त की गई थी किन्तु लगान में कमी नहीं की गई। | 34307 | |
| | (2) संख्या व्यक्ति जिनकी लगान में कमी की गई | 32713 | |
| | (3) शेष मामले जिनमें लगान में कमी करना है। | 1594 | |
| 8. | कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण संबंधी मामलों का निपटारा | | |
| | (1) कुल विचाराधीन मामलों की संख्या | 15415 | |
| | (2) निपटाये गये मामलों की संख्या | 12778 | |
| | (3) शेष मामलों की संख्या | 2637 | |
| 9. | ग्रामों के आबादी के लिए भूमि उपलब्ध कराना | | |
| | (1) संख्या ग्राम जिन्होंने आबादी विस्तार हेतु भूमि की मांग की | 3493 | |
| | (2) ग्राम जिन्हें आबादी विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध कराई। | 1838 | ( क्षेत्रफल 15864 एकड़) |
| | (3) शेष ग्राम जिन्हें भूमि उपलब्ध करानी है। | 1655 | |
| 10. | कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण शिल्पियों एवं सीमान्त कृषकों जिनकी आय 2,400/- रुपये वार्षिक से कम हैं के ऋण भार समाप्ति संबंधी प्रमाण-पत्र देने बाबत। | | |
| | (1) विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की संख्या | 1238 | |
| | (2) निपटाये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या | 1131 | |
| | (3) शेष मामलों की संख्या | 107 | |

11. बैंकिंग संस्थानों से काश्तकारों को ऋण दिलाने के लिए राजस्व अभिलेखों की प्रतियां एवं बकाया राशि संबंधी प्रमाण-पत्र दिलाने बाबत।

| | | |
|---|---|---|
| (1) | कुल विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की संख्या | 27464 |
| (2) | निपटाये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या | 27095 |
| (3) | शेष प्रार्थना-पत्रों की संख्या | 369 |

12. वृद्धावस्था पेंशन दिलाने बाबत

| | | |
|---|---|---|
| (1) | विचाराधीन मामलों की संख्या | 23941 |
| (2) | निपटाये गये मामलों की संख्या | 18611 |
| (3) | शेष मामलों की संख्या | 5330 |

13. अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में आर्थिक दृष्टि संबंधी कमजोर पांच परिवारों का चयन करके उनके आर्थिक विकास का कार्य करने संबंधी

| | | |
|---|---|---|
| (1) | परिवारों की संख्या जिनका चयन करना है | 159409 |
| (2) | चयनित परिवारों की संख्या | 132777 |
| (3) | शेष परिवार जिनका चयन करना है | 26632 |

(4) राज्य में 3098 चयन किये गये परिवार जिन्हें पशुपालन भेड़ पालने आदि के लिए बैंक से 1347729 रुपये का ऋण दिलाया गया।

(5) राज्य में 16576 चयनित परिवारों को जिन्हें कृषि प्रयोजनार्थ 44106 एकड़ भूमि का आंवटन किया गया।

(6) राज्य में 3459 चयनित परिवारों को जिन्हें स्वयं की भूमि के विकास के लिये 2240060 रुपयों का ऋण दिलाया गया।

14. पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने बावत

| | | |
|---|---|---|
| (1) | ग्रामों की संख्या जिनके लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने थे। | 5338 |
| (2) | संख्या ग्राम जिनके लिए पीने के पानी पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये। | 4989 |
| (3) | शेष ग्राम जिनके लिए प्रस्ताव तैयार करने हैं। | 349 |

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16-3-78)

कामां क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

298. श्री मोहम्मद जहूर (कामां): क्या बाढ़ सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कामां क्षेत्र में आई भयंकर बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों को किन किन गांवों में, किन लोगों को, क्या क्या सहायता दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

भरतपुर जिले के कामां पहाड़ी क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को वितरित की गई सहायता की चाही गई सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18 मार्च, 1978)

राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा सामान की खरीद

147. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम ने पिछले 5 वर्षों में किन किन राज्य अधिकारियों की पत्नियों से कितना कितना माल खरीदा? निगम ने राज्य के किन अधिकारियों की पत्नियों का माल कनसाइनमेंट बेसिस पर रखा?

(2) कितनी ऐसी फर्म्स या सोर्सेज से कारोबार या व्यापार किया जिनमें राज्य के अफसरों की पत्नियां प्रोपराइटर या भागीदार थीं?

उत्तर

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम ने पिछले 5 वर्षों में 1972-73 से 1976-77 तक किसी भी राज्य अधिकारियों की

(उद्योग मंत्री)

पत्नियों से सीधी खरीद नहीं की गई है। किन्तु संलग्न सूची 'अ' में अंकित फर्मों से निगम ने अधिकांशतः सामान कन्साइनमेन्ट बेसिस पर रखा गया है एवम् आवश्यकता अनुसार माल की खरीद की गई है।

(2) राजस्थान लघु उद्योग निगम के पास ऐसी तथ्य पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि जिन फर्मों से सामान क्रय किया गया है उसमें किस राज्य अधिकारी की पत्नी प्रोपराइटर या भागीदार है। उपलब्ध सूचना के आधार पर परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध सूची में अंकित फर्मों में राजकीय अधिकारियों की पत्नी का सम्बन्ध हो सकता है।

परिशिष्ट 'अ'

| क्र.सं. | फर्म का नाम | वर्ष 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. मैसर्स | बनिता हैण्डीक्राफट्स, जयपुर | 1,625-00 | 4,721-40 | – | 3,701-30 | 7,509-60 |
| 2. मैसर्स | कुमकुम खड़ी क्राफट्स, जयपुर | – | – | 36,840-00 | 36,906-00 | 10,327-78 |
| 3. मैसर्स | बनीठनी, जयपुर | – | – | – | 57,984-86 | 70,954-75 |
| 4. मैसर्स | एपलिक क्राफट्स, जयपुर | – | – | – | 7,861-09 | 319-65 |
| 5. मैसर्स | महारानी हैण्डीक्राफट्स, जयपुर | – | – | – | 16,340-35 | – |

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1978)

## फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र में वूलन फैक्ट्री लगाने की योजना

**156. श्री आलमअली खां** (फतेहपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या राज्य सरकार वहां वूलन फैक्ट्री लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

ऐसा कोई प्रस्ताव हाल में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1978 व 18 मार्च, 1978)

## संयुक्त कृषि सहकारी समिति, कुचेरा

**170. श्री रामरघुनाथ चौधरी** (डेगाना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1960-61 में कुचेरा गांव, जिला नागौर में एक संयुक्त कृषि सहकारी समिति कार्यरत थी जिसका सन् 1962 में अवसायन कर दिया गया था और जिसकी जमीन खुड़खुड़ा खुर्द में थी? अगर हां, तो अवसायन करने के क्या कारण थे तथा उसके लिए अवसायक किनको नियुक्त किया गया था तथा इसकी क्या कार्यवाही किस प्रकार कितने समय में की गई?

(2) इस समिति के इस कृषि फार्म पर 1961 तक कुल कितनी लागत किस किस प्रकार लगी?

(3) इसको किन कारणों से किसके आदेश से नीलाम किया गया? नीलामी की बोली लगाने वालों की लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा नीलामी कितनी बार किस किस तारीख को की गई थी? अन्तिम बोली किसकी थी जिसको उक्त जमीन दे दी गई थी?

(4) आज वो जमीन किसके नाम से राजस्व रेकार्ड में है तथा इन्होंने किससे खरीद की थी? इनका स्थाई पता मय प्रथम अवसायक के रिश्ते के बताने की कृपा करें।

(5) क्या उक्त खुड़खुड़ा खुर्द कृषि फार्म की जमीन नीलाम करने के बाद उक्त समिति के अध्यक्ष ने विभाग को अवसायक के विरुद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि जमीन मिलीभगत से सस्ती कीमत पर बेच दी है अतः दुबारा नीलाम कि जावे एवं अवसायक के विरुद्ध कार्यवाही की जावे अगर हां, तो फिर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, नागौर ने या विभाग ने इस पर क्या कार्यवाही की? क्या यह सही है कि शिकायत के बाद इसकी जांच हेतु श्री नाथूराम बेनीवाल को दूसरा अवसायक नियुक्त किया गया था? अगर हां, तो उन्होंने क्या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

(6) जिस वर्ष यह कृषि फार्म अवसायक द्वारा नीलाम किया गया इस कृषि फार्म की जमीन मय कुओं व मशीन की क्या कीमत थी ?

उत्तर

(1) ग्राम कुचेरा जिला नागौर में एक सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि. पंजीबद्ध थी उसको अवसायन में लाने के आदेश 1962 में दिए गये थे।

राजस्व अभिलेख के आधार पर समिति के नाम किसी जमीन का होना नहीं पाया जाता इसका अवसायक द्वारा चार्ज लेते समय ग्राम खुडखुड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 148/148/350 का कब्जा लिया जाना पाया जाता है। समिति ने पदाधिकारियों द्वारा सहकारिता के सिद्धान्तों पर कार्य नहीं करने एवं एक ही परिवार के स्वार्थ सिद्धी हेतु कार्य करने के कारण समिति को अवसायन में लाया गया तथा आदेश क्रमांक 6037/42, दिनांक 25-7-62 के द्वारा श्री आशा राम सोनी तकनीकी सहायक, कार्य सहायक, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, नागौर को अवसायक नियुक्त किया गया। सन् 1979 तक समिति को अवसायन कार्यवाही प्रगति नहीं होने के कारण आदेश क्रमांक 7505-14, दिनांक 20-6-69 के द्वारा सहकारी प्रसार अधिकारी, नागौर (श्री मगन सिंह को अवसायक नियुक्त किया गया जिसने जमीन की नीलामी 3-9-70 को की। अवसायन की कार्यवाही अभी चालू है।

(2) इस समिति के कृषि फार्म हेतु 1961 तक निम्न प्रकार से राशि ली गई।

1. पंचायत समिति गमूडा से पम्पिंग सेट लगाने के लिए 6000

2. ट्रेक्टर लोन जिलाधीश नागौर से कृषि विभाग द्वारा 10,000

3. नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. खाद्य, बीज सोसायटी के लिए 5000

4. पंचायत समिति मूडवा में कुवा गहरा कराने हेतु 1500

22,50

(3) समिति के अवसायनाधीन होने के कारण अवसायक द्वारा इस जमीन की स्वयं के आदेश से नीलाम किया जाना पाया जाता है नीलामी की बोली लगाने वालों को सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। नीलामी दिनांक 3-9-70 को हुई जिसकी अन्तिम बोली श्री हीरालाल पुत्र श्री रामनारायण भट्ट निवासी नोखा मण्डी की थी जिसे जमीन सुपुर्द की गई।

(4) इस समय खसरा नम्बर 148/148/350 कुल रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा जमाबन्दी के अनुसार श्री हीरा लाल पुत्र श्री रामनारायण भट्ट सांकीन नोखा मण्डी जिला बीकानेर के नाम से इन्होंने बस, जमीन, कालिया पुत्र नरसिंह कौम सासी, साकिन खुड़खुड़ा खुर्द में सम्वत् 2029 में जरिये नामाकरण संख्या 36, दिनांक 22-5-71 को रजिस्ट्री दिनांक 10-11-70 के द्वारा स्थानान्तरण की गई है पहले खातेदार व द्वितीय खातेदार से अवसायक के रिश्ते का कोई सबूत रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।

(5) जी हां। समिति के अध्यक्ष ने इस कृषि फार्म की जमीन नीलाम करने के बाद दिनांक 30-9-76, 14-12-76 व 1-2-77 को अवसायक के विरुद्ध शिकायतें क्रमशः उप-रजिस्ट्रार फार्मिंग मुख्यालय सहायक रजिस्ट्रार, नागौर को कि जिस पर

(सहकारिता मंत्री)
सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर द्वारा जांच की जाकर रिपोर्ट-पत्र क्रमांक 1527, दिनांक 3-3-77 को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित की गई जिस पर सहायक रजिस्ट्रार को दायित्व निर्धारित कर दुरुपयोग की गई धन राशि की वसूली करने के आदेश दिये गये। शिकायत प्राप्ति के पश्चात् भी नाथूराम बैनीवाल को अवसायक नियुक्त किया जाना तथा उनके द्वारा कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता।

(6) वर्ष 1970 में यह कृषि फार्म अवसायक द्वारा नीलाम किया गया इस कृषि फार्म की कीमत जमीन मय कुवा व मशीन के रुपये 3696 होना बतलाया गया है।

## सूची परिशिष्ट "क"

नीलामी दिनांक 3-9-70 कुचेरा सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि. (अवसायनाधीन) के खेत खसरा नं. 148/148/350 तादादी बीघा 14.4 ग्राम खुड़खुड़ा खुर्द की राशि

| क. सं. | नाम बोली लगाने वाला | निवासी स्थान | राशि बोली | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री लक्ष्मीचन्द पुत्र जयनारायण | श्री बालाजी | 1,000 | लक्ष्मीचन्द |
| 2. | ,, हीरालाल पुत्र रामनारायण | नोखा मण्डी | 1,210 | हीरालाल |
| 3. | ,, शंकरलाल पुत्र रामदयाल | संतवास | 1,300 | शंकरलाल |
| 4. | ,, सीताराम पुत्र रामनाथ माली | खुड़खुड़ा | 1,350 | सीताराम |
| 5. | ,, अमोलकचन्द पुत्र तुलसीराम | श्री बालाजी | 1,500 | अमोलकचन्द |
| 6. | ,, शंकरलाल पुत्र रामदयाल | संतवास | 1,575 | शंकरलाल |
| 7. | ,, हीरालाल पुत्र रामदयाल | नोखा मंडी | 1,600 | हीरालाल |
| 8. | ,, लक्ष्मीचन्द पुत्र जयनारायण | श्री बालाजी | 1,650 | लक्ष्मीचन्द |
| 9. | ,, अमोलकचन्द पुत्र तुलसीराम | श्री बालाजी | 1,700 | अमोलकचन्द |
| 10. | ,, मायाराम पुत्र मोड़ाराम सुथार | नोखा मंडी | 1,800 | मायाराम |
| 11. | ,, शंकरलाल पुत्र रामदयाल | संतवास | 1,825 | शंकरलाल |
| 12. | ,, लक्ष्मीचन्द पुत्र जयनारायण | श्री बालाजी | 1,850 | लक्ष्मीचन्द |
| 13. | ,, मायाराम पुत्र मोड़ाराम सुथार | नोखा मंडी | 1,875 | मायाराम |
| 14. | ,, अमोलकचन्द पुत्र तुलसीराम | श्री बालाजी | 2,000 | अमोलकचन्द |
| 15. | ,, शंकरलाल पुत्र रामदयाल | संतवास | 2,100 | शंकरलाल |
| 16. | ,, पूनाराम पीरजी | खुड़खुड़ा | 2,150 | अ.नि. पूनाराम |
| 17. | ,, मायाराम पुत्र मोड़ाराम सुथार | नोखा मंडी | 2,200 | मायाराम |
| 18. | ,, लक्ष्मीचन्द पुत्र जयनारायण | श्री बालाजी | 2,250 | लक्ष्मीचन्द |
| 19. | ,, अमोलकचन्द पुत्र तुलसीराम | श्री बालाजी | 2,500 | अमोलकचन्द |
| 20. | ,, मायाराम पुत्र मोड़ाराम सुथार | नोखा मंडी | 2,550 | मायाराम |
| 21. | ,, हीरालाल पुत्र रामनारायण | नोखा मंडी | 3,000 | हीरालाल |

अन्तिम बोली श्री हीरालाल पुत्र रामनारायण भट्ट साकिन नोखा मण्डी की 3,000 रुपये अक्षरे तीन हजार रुपये रखी जो स्वीकृत की गई। उक्त राशि का 1/4 भाग जमा कराने हेतु आदेश दिये गये तथा शेष राशि नियमानुसार बोली का कब्जा मिलने पर जमा कराने की सूचना दी गई।

ह. अवसायक
30-9-70

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18-3-78)

### जयपुर-शाहजहांपुर राष्ट्रीयकृत मार्ग पर कार्यरत व्यक्ति

347. श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) जयपुर से शाहजहांपुर तक 1970 से आज तक कितने लोगों ने मस्टररोल पर राष्ट्रीय मार्ग पर कितने दिन क्या क्या कार्य किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उनमें से किस किस को कितने दिन काम करने पर स्थायी नियुक्ति-पत्र दिया गया ?

(3) इस समय कौन कौन कब से कार्य कर रहे हैं ?

(4) जिनकी नियुक्ति की गई वे किस किस ने की ?

(5) क्या यह सही है कि 5-7 व्यक्ति कनिष्ठ या सहायक अभियन्ता के घर व मर्जीदानों के काम करने जाते हैं और पैसे मस्टररोल से उठा रहे हैं ? यदि हां, तो यह कब तक हुआ ?

उत्तर

(1) सूची (क) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। उनमें से कोई श्रमिक स्थाई नहीं किया है क्योंकि स्थाई 10 साल पूर्ण होने पर ही किया जाता है।

(3) वर्तमान में कार्य करने वाले नियुक्ति तिथि सहित सूची 'ख' में दर्शाया गया है जो सदन के पटल पर रखदी गई है।

(4) तालिका में वर्णित श्रमिकों की नियुक्ति प्रतिदिन के आधार पर मस्टररोल पर तत्कालीन सहायक अभियन्ता, भवन व पथ, रा. राज मार्ग, उप खण्ड-4, जयपुर एवं कोटपूतली द्वारा समय समय पर आवश्यकतानुसार की गई।

(5) जी नहीं। उप-खण्ड कार्यालयों के अधीन सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ट अभियन्तओं के यहां कोई ऐसा कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-78)

### तहसील लाडपुरा एवं चेचट में एनीकट बनाने का सर्वे

467. श्री हरीशकुमार शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या तहसील लाडपुरा एवं चेचट में आने वाले खाल-नाल-पर 'एनीकट' बनाने पर राज्य सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या इस हेतु सर्वेक्षण करवाया जा रहा है ?

उत्तर

जी नहीं। अभी तक तहसील लाडपुरा एवं चेचट में आने वाले नालों पर एनीकट

(पंचायत मन्त्री)
बनाने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23-3-78)

आमेर विधान सभा क्षेत्र में सैटलमेंट का कार्य

**469. श्रीमती पुष्पा जैन (आमेर) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर की 12 मील की परिधि में आमेर विधान सभा क्षेत्र के करीब 60 गांवों की पैमाइश करवाई गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि पैमाइश के अन्तर्गत लैण्ड-रिकार्ड की दुरुस्ती राजस्व सम्बन्धी मामलों के निपटारे उजरदारियों के निपटारे आदि का कार्य भी सम्पूर्ण कर लिया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सभी गांवों का नक्शा व खसरा रिकार्ड तहसीलदारों और सम्बन्धित पटवारियों को दिया जा चुका था ?

(4) क्या यह सही है कि इतना होने के बावजूद भी हजारों किसानों की राहत को समाप्त कर उपरोक्त सैटलमेंट के प्रभाव को अचानक रोक दिया गया ?

(5) क्या यह सैटलमेंट विधिवत् करवाया गया था ? अगर हां, तो कब तक प्रभाव में लाया जावेगा और इसको रोके जाने की राज्य सरकार की क्या नीति रही है ?

(6) क्या 8 गांवों का सैटलमेंट हो जाने के बाद पुनः सैटलमेंट कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर के 12 मील परिधि में आने वाले ग्रामों की पैमाइश करवाई गई थी। यह पैमाइश राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 106 व 107 के अन्तर्गत करवाई गई थी।

(2) जी हां। पैमाइश व इससे सम्बन्धित विवादों का निपटारा तथा उजरदारियों का निस्तारण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 106 व 107 के अन्तर्गत किया गया था।

(3) जी हां। उक्त सभी गांवों का नक्शा खसरा तहसीलदारों व सम्बन्धित पटवारियों को दिया जा चुका है।

(4) यह सही नहीं है कि सैटलमेंट के प्रभाव को अचानक रोक दिया गया है।

(5) जी नहीं। यह विधिवत् आंशिक भू-माप व आंशिक भू-अभिलेखों में संशोधन कार्यवाही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 106 व 107 के अन्तर्गत किया गया था। इसे रोके जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

(6) नहीं। जयपुर जिले की सैटलमेंट सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार आमेर तहसील के केवल 2 गांवों का बंदोबस्त द्वारा पुनः केवल रेकार्ड ऑपरेशन ही कराया जा रहा है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23-3-78)

ग्राम सारनियां एवं ग्राम मोमणा की गोचर की भूमि

492. श्री नूरा (मसूदा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सारणियां व ग्राम मोमणा, पंचायत समिति, मसूदा में सेटलमेंट से गोचर भूमि घोषित की हुई है ? अगर हां, तो इनके खसरा नम्बर बताने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस गोचर भूमि पर वन विभाग ने अनाधिकृत कब्जे कर मेंडबन्दी कर दी है ? अगर हां, तो क्यों व किन कारणों से ?

(3) क्या राज्य सरकार ग्राम के मवेशियों के लिए गोचर भूमि रखना उचित नहीं समझती ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) अगर हां, तो कौन सी भूमि किस किस खसरे नम्बर की कितना रकबा चरागाह रखेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम सारणियां व ग्राम मोमणा पंचायत समिति मूसदा, में सेटलमेन्ट के समय गोचर भूमि घोषित नहीं की गई थी। ग्राम सारणियां में 1970 में भू-संशोधन कार्य के दौरान अनौपचारिक तौर से निम्नांकित भूमि चरागाह घोषित की गई:—

| खसरा नं. | क्षेत्र फल |
|---|---|
| 80 | 227)1 |
| 637 | 191-111)1 |
| 633 | 1) |
| 634 | 5) |
| 703 | 32)3 |
| 773 | 214-11)2 |
| योग | 671-11)2 |

ग्राम मोमणा में वर्ष 1962 में निम्न भूमि चरागाह घोषित की गई:—

| खसरा नं. | क्षेत्रफल |
|---|---|
| 16 | 301-1)1 |
| 33 | 41-11)3 |
| 41 | 11)3 |
| 281 | 13-1)4-10 |
| 289 | 80-111)1-10 |
| 290 | 149-1)2-10 |
| 316 | 61-111)2 |
| योग | 659-11)2-10 |

(2) जी नहीं। वन विभाग का अनाधिकृत कब्जा नहीं है। ग्राम मोमणा तथा सारणियां में उपरोक्त घोषित चरागाह भूमि वन विभाग के नाम भूतपूर्व अजमेर राज्य की विज्ञप्ति के अनुसार दर्ज की गई है वन विभाग द्वारा पत्थरों की मेडबन्दी लगाई हुई है।

(3) जी हां। राज्य सरकार ग्राम के मवेशियों के लिये गोचर भूमि रखना उचित समझती है।

(राजस्व मन्त्री)

4. चरागाह के लिये वन विभाग एवं राजस्व विभाग में बातचीत कर इस समस्या का निराकरण किया जाना सम्भव होगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30-3-78)

भू-सीलिंग के तहत अधिग्रहण की गई भूमि

596. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में किन किन जिलों में कितनी भूमि, भू-सीलिंग कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई थी और अधिग्रहण की गई कितनी भूमि, भूमि-हीन किसानों को एलॉट कर दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहण की गई कितनी भूमि के लिये किन किन जिलों में राज्य सरकार द्वारा स्टे ऑर्डर जारी कर अग्रिम कार्यवाही को रोक दिया गया है और ऐसे मामलों का आखिरी निर्णय राज्य सरकार द्वारा कब तक ले लिया जायेगा ? अधिग्रहण में आई हुई भूमि पर राज्य सरकार द्वारा भू-पति के हक में जारी किये गये स्टे ऑर्डर की जमीनों की एक सूची गांव व आसामीवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि सीलिंग द्वारा प्राप्त भूमि जो भूमिहीनों में आवंटित की जा चुकी है उस पर कई स्थानों पर भूतपूर्व भू-पतियों द्वारा पुनः कब्जा कर आवंटियों को जबरन बेदखल किये जाने की शिकायतें राज्य सरकार को व राजस्व अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर कहां कहां क्या कार्यवाही की गई ?

(4) सीलिंग कानून के तहत अब और कितनी भूमि किन किन जिलों में राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने की संभावना है और ऐसे पैंडिंग मामलों का निर्णय कब तक हो जायेगा ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राज्य में सीलिंग कानून के तहत 509/210 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई व 3.15,075 एकड़ भूमि भूमिहीन किसानों में आवंटित की गई । जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।'

(2) जी हां। कुछ मामलों में स्थगन आदेश जारी किये गये हैं । जिन 2 मामलों में स्थगन आदेश जारी किये गये हैं उनका शीघ्र ही फैसला कर दिया जावेगा । सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(3) जिन स्थानों पर आवंटियों को बेदखल किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है । वहां पर बेदखल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। की गयी कार्यवाही की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(4) सरकार द्वारा अनुमानतः जो भूमि अब अधिग्रहण की जानी है उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करदी गई है । ऐसे अधिकतर मामले अदालतों में चल रहे हैं वहां से निर्णय होते ही राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही करदी जावेगी ।

सूची नं. 1

| क्र. सं. | नाम जिला | अधिग्रहण की गई भूमि | | | आंवटित की गई भूमि | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नया कानून | पुराना कानून | योग | नया कानून | पुराना कानून | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | अजमेर | 3905 | 3894 | 7799 | 2938 | 2923 | 5861 |
| 2. | अलवर | 1496 | 192 | 1688 | 141 | 173 | 314 |
| 3. | वांसवाड़ा | 10 | 1432 | 1442 | 10 | 1281 | 1291 |
| 4. | वाड़मेर | 17922 | 31233 | 49155 | 7267 | 19545 | 26812 |
| 5. | भरतपुर | 1412 | 802 | 2214 | 478 | 371 | 849 |
| 6. | भीलवाड़ा | 3993 | 26364 | 30357 | 2186 | 12611 | 14797 |
| 7. | बीकानेर | 39369 | 54614 | 93983 | 3807 | 53686 | 17493 |
| 8. | बून्दी | 1780 | 10754 | 12534 | 665 | 9544 | 10209 |
| 9. | चित्तौड़गढ़ | 3095 | 3379 | 6474 | 1623 | 1851 | 3474 |
| 10. | चूरू | 101 | 1590 | 1691 | 360 | 1590 | 1950 |
| 11. | डूंगरपुर | 618 | 1295 | 1913 | 257 | 1199 | 1456 |
| 12. | गंगानगर | 13124 | 5189 | 18313 | 10495 | 3759 | 14254 |
| 13. | जयपुर | 12647 | 6598 | 19245 | 9726 | 4224 | 13950 |
| 14. | जैसलमेर | 38073 | 44900 | 82973 | 16543 | 26149 | 42962 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | जालौर | 3486 | 25549 | 29035 | 2591 | 22282 | 24873 |
| 16. | झालावाड़ | 641 | 1756 | 2397 | 422 | 1064 | 1486 |
| 17. | झुन्झुनू | 930 | 63 | 993 | 502 | 63 | 565 |
| 18. | जोधपुर | 14616 | 9262 | 23878 | 12624 | 8457 | 21088 |
| 19. | कोटा | 21030 | 23126 | 44156 | 13414 | 12568 | 25982 |
| 20. | नागौर | 1008 | 3114 | 4122 | 859 | 1874 | 2733 |
| 21. | पाली | 12899 | 13255 | 26154 | 10755 | 9426 | 20181 |
| 22. | सवाई माधोपुर | 2617 | 4794 | 7411 | 1577 | 2266 | 3853 |
| 23. | सीकर | 905 | 535 | 1440 | 388 | 486 | 874 |
| 24. | सिरोही | 6730 | 2007 | 8737 | 5567 | 1349 | 6916 |
| 25. | टोंक | 11233 | 3229 | 14462 | 3224 | 961 | 4185 |
| 26. | उदयपुर | 8282 | 8362 | 16644 | 4522 | 2832 | 7554 |
| योग | | 221922 | 287288 | 509210 | 112941 | 202534 | 315475 |

(208)



## सूची नं.-2

भूमि को आवंटन से रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किये स्थगन आदेशों की सूची

| जिला | आदमियों का नाम | भूमि (एकड़) में |
|---|---|---|
| 1. टोंक | प्रदीपसिंह पुत्र रघुवीरसिंह से अवाप्त की गई भूमि के आवंटन न किये जाने हेतु स्थगन आदेश। | 217 एकड़ |
| 2. भरतपुर | बृजेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह | 315 एकड़ |
| 3. भीलवाड़ा | श्री मनमथसिंह राजपूत | 158 एकड़ |
| | श्री शिवचरण दास राजपूत | 229 एकड़ |
| | श्री चन्द्रसेन राजपूत | 208 एकड़ |

## सूची नं. 3

वेदखली कार्यवाही पर की गई कार्यवाही की सूची

| जिला | |
|---|---|
| 1. झालावाड़ | कुल 56 व्यक्तियों को एलॉट शुदा 103 एकड़ भूमि पर से भूतपूर्व भूपति द्वारा वेदखल किया गया था उनमें से 20 व्यक्तियों को 46 एकड़ एलॉट शुदा भूमि का कब्जा दिला दिया गया है शेष 36 व्यक्तियों को 56 एकड़ आवंटित भूमि का कब्जा दिलाने की कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ में चल रही है। |
| 2. जयपुर | दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनके मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। |
| 3. कोटा | कुछ मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें वेदखलियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाकर आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया है। |
| 4. गंगानगर | वेदखल करने वालों के खिलाफ हनुमानगढ़ में फौजदारी मुकदमे दर्ज कर दिये गये हैं। |
| 5. भीलवाड़ा | एक ही भूत-पूर्व भूपति की जमीन के ऐसे मामलों की संख्या 33 हैं जिनमें स्टे ऑर्डर की वजह से कार्यवाही पेंडिंग है। |
| 6. बुन्दी | जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उन सभी मामलों में आवंटियों को पुनः उनका कब्जा दिलाकर शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। |

**सूची नं. 4**

जिलेवार भूमि अधिग्रहण किये जाने की सम्भावना की सूची

| जिला | भूमि एकड़ों में |
|---|---|
| 1. चित्तौड़गढ़ | 500 एकड़ |
| 2. सीकर | शून्य |
| 3. झुन्झुनू | ,, |
| 4. अलवर | 865 |
| 5. टौंक | शून्य |
| 6. उदयपुर | 5099 |
| 7. नागौर | 193 |
| 8. झालावाड़ | 449 |
| 9. पाली | 960 |
| 10. जैसलमेर | शून्य |
| 11. बीकानेर | 2000 बीघा |
| 12. डूंगरपुर | शून्य |
| 13. सवाई माधोपुर | 28 एकड़ |
| 14. जोधपुर | शून्य |
| 15. जयपुर | 4921 |
| 16. जालौर | 2665 |
| 17. चूरू | 60 |
| 18. कोटा | 8091 |
| 19. गंगानगर | 8141 |
| 20. भरतपुर | 315 |
| 21. बाड़मेर | 540 |
| 22. अजमेर | 1608 |
| 23. भीलवाड़ा | 17239-84 एकड़ |
| 24. बांसवाड़ा | शून्य |
| 25. सिरोही | 123 |
| 26. बून्दी | 875 |

202



स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30-3-78)

गांधी शताब्दी वर्ष के अन्तर्गत जिला भरतपुर में भूमिहीनों को दिये गये पट्टे

602. **श्री ताराचन्द (रूपवास)**—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गांधी शताब्दी वर्ष के अन्तर्गत सन् 1970 से सन् 1976 तक भरतपुर जिले में भूमिहीन व्यक्तियों को प्रत्येक तहसील में वर्षवार कितने पट्टे दिये गये ?

(2) इन व्यक्तियों में से कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को पट्टे दिये गये और कितने अन्य सवर्णों को ?

(3) इन पट्टेदार व्यक्तियों में से राज्य सरकार ने मौके पर कितनों को कब्जा दिलवाया और कितने व्यक्ति पट्टेदार इस भूमि से वंचित रहे जिनको आज तक कब्जा नहीं मिल पाया है ?

(4) क्या राज्य सरकार पट्टेदार व्यक्तियों से लगान ले रही है जिनको पट्टे वितरित हो चुके हैं परन्तु कब्जा अन्य व्यक्तियों ने किया हुआ है ?

(5) क्या राज्य सरकार उन व्यक्तियों को जिनको राज्य सरकार द्वारा पट्टे दिये गये हैं उनको जमीनें वापस दिलाने को तैयार है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) इस अवधि में जो आवंटन हुआ उसकी सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) उपरोक्त व्यक्तियों में से 11,766 अनुसूचित जाति, 953 अनुसूचित जन जाति एवं 8,763 अन्य व्यक्तियों को पट्टे दिये गये।

(3) उपरोक्त पट्टेदारों में से 21,304 व्यक्तियों को मौके पर कब्जा दिया गया। 100 व्यक्तियों को भूमि की कीमत अदा न करने के कारण व 67 व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय के स्थगन आदेश होने के कारण कब्जा नहीं दिलाया जा सका। एवं 11 व्यक्तियों को अन्य कारणों से कब्जा नहीं दिलाया।

(4) जिन व्यक्तियों को आवंटन के बाद उपरोक्तानुसार कब्जा नहीं मिला उनसे लगान नहीं लिया जा रहा है।

(5) जिन लोगों के विगत न्यायालय के स्थगन आदेश हैं। स्थगन आदेश एवं मुकदमों के निर्णय के अनुसार कब्जे देने की कार्यवाही की जावेगी।

कमांड क्षेत्र की एवं कस्टोडियन की भूमि की निर्धारित कीमत या किश्त देने पर कब्जा देने की कार्यवाही की जावेगी।

## सूची

| क्र. सं. | तहसील | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्षवार आवंटियों की संख्या | | | | | | | |
| 1. | भरतपुर | 616 | 196 | 167 | 446 | 13 | 71 | 181 | 1690 |
| 2. | नदबई | 1000 | 143 | 86 | 254 | -- | 191 | 988 | 2662 |
| 3. | डीग | 4 | 197 | 289 | 111 | — | 3 | 9 | 613 |
| 4. | नगर | -- | 53 | 155 | -- | — | 5 | 10 | 223 |
| 5. | कामां | 4 | 393 | 335 | 14 | — | 16 | 4 | 766 |
| 6. | बयाना | 1997 | 144 | 246 | [illegible] | — | 31 | 155 | 3263 |
| 7. | वैर | 997 | 339 | 46 | 330 | — | 10 | 8 | 1730 |
| 8. | रूपवास | 978 | 185 | 162 | - | — | — | — | 1325 |
| 9. | धौलपुर | 953 | -- | — | -- | 808 | --- | 196 | 3657 |
| 10. | बाड़ी | 691 | 1244 | 185 | 236 | 31 | 323 | 742 | 3487 |
| 11. | बसेड़ी | 20[illegible] | --- | — | -- | 419 | — | — | 619 |
| 12. | राजाखेड़ा | 211 | 45[illegible] | 57 | 79 | 159 | 258 | 233 | 1447 |
| | वर्षवार कुल योग | 7651 | 3344 | 1723 | 219[illegible] | 1430 | 913 | 4226 | 21482 |

स्थगित प्रश्न

(दिनांक-30-3-78)

### खेतड़ी ठिकाने के कर्मचारियों को पेन्शन

**604. श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

खेतड़ी ठिकाने के कितने कर्मचारियों को पेन्शन दी जा रही है ? पेंशन की दर क्या है और क्या वह दर जीवनयापन के लिये पर्याप्त है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) इस समय खेतड़ी ठिकाने के 33 कर्मचारियों को पेन्शन दी जा रही है । जिसकी सूची सदन के पटल पर रखदी गई है । मूल पेन्शन की राशि सूची में अंकित है । राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 1-1-1971 से पेन्शन की न्यूनतम दर 40/- माहवार करदी थी और अब आदेश संख्या एफ. 1 (44) वित्त/ग्रुप-2/76 पार्ट-II, दिनांक 13-3-78 के अनुसार दिनांक 1-3-78 से न्यूनतम पेन्शन 70/- प्रतिमाह दी जावेगी ।

# Page No 204

(204)



सूची ठिकाना खेतड़ी के पेंशनरों की जो इस जिले से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं

| क्र.सं. | नाम पेन्शनर | पी. पी. ओ नं. | वास्तविक स्वीकृत दर पेन्शन | मासिक दर पेन्शन प्राप्त कर रहे हैं। |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री जसवंतसिंह | 6234 (आर) | 108-रु. | 108-रु. |
| 2. | श्री हरीप्रसाद शाह | के-205 (आर) | 11-25 | 40-रु. |
| 3. | श्री प्रतापसिंह | के-203 (आर) | 3-00 | 40-रु. |
| 4. | श्री सुलतानसिंह | के-199 (आर) | 2-06 | 40-रु. |
| 5. | श्री महादेवप्रसाद | के-133 (आर) | 37-50 | 47-50 |
| 6. | श्री सूरजनारायण माथुर | के-135 (आर) | 59-81 | 69-81 |
| 7. | श्री माधोसिंह | के-130 (आर) | 2-69 | 40-रु. |
| 8. | श्री रामकिशन शाह | के-128 (आर) | 6-19 | 40-रु. |
| 9. | श्री महादेवप्रसाद शर्मा | के-127 (आर) | 40-30 | 50-30 |
| 10. | श्री द्वारकाप्रसाद | के-102 (आर) | 9-62 | 40- |
| 11. | श्री मांगेलाल | के- 98 (आर) | 6-62 | 40- |
| 12. | श्री प्रभुदयाल अग्रवाल | के- 80 (आर) | 27-50 | 40- |
| 13. | श्री अगरसिंह | के- 38 (आर) | 5-19 | 40 |
| 14. | श्री बनवारीलाल | के- 36 (आर) | 17-19 | 40- |
| 15. | श्री रामनाथसिंह | के- 31 (आर) | 6-00 | 40- |
| 16. | श्री देवीसिंह | के- 25 (आर) | 5-46 | 40- |
| 17. | श्री बसन्तीलाल | के-19 (आर) | 3-44 | 40- |
| 18. | श्री गिरधारीसिंह | के-208 (आर) | 2-94 | 40- |
| 19. | श्री सुगनसिंह | के- 82 (आर) | 5-56 | 40- |
| 20. | श्री द्वारकाप्रसाद | के-20 (आर) | 22-50 | 40- |
| 21. | श्री ओंकारप्रसाद शर्मा | के- 84 (आर) | 5-62 | 40- |
| 22. | श्री श्रीराम | के-174 (आर) | 27-50 | 40- |
| 23. | श्री रिछपाल | के- 32 (आर) | 6-19 | 40- |
| 24. | श्री दुर्जनसिंह | के-166 (आर) | 7-12 | 40- |
| 25. | श्री पूलाराम | के- 27 (आर) | 6-25 | 40- |
| 26. | श्री सवाईसिंह | के-440 (आर) | 12-19 | 40- |
| 27. | श्रीमती पन्ना पत्नी बदरीप्रसाद | 975 (आर) एस. | 5- | 5- |
| 28. | श्री सफी मोहम्मद | 917 (आर) एस. | 5- | 5 |
| 29. | श्रीमती अन्नी पत्नी डडूसिंह | 3015 (आर) एस | 3- | 3- |
| 30. | श्रीमती अंजन पत्नी गंगासिंह | 1168 (आर) एस | 2-50 | 2-50 |
| 31. | श्रीमती गुलाब पत्नी सोहनसिंह | 1263 (आर) | 3-00 | 3-00 |
| 32. | श्रीमती भागीरथी पत्नी द्वारकाप्रसाद | 6 (आर) एस | 1-75 | 1-75 |
| 33. | श्रीमती लोड़ी पत्नी रामलाल | 991 (आर) | 6-00 | 6-00 |

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 30-3-78)

रजिस्टर्ड पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट की सम्पत्ति

618. श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : क्या देवस्थान मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट देवस्थान विभाग द्वारा रजिस्टर्ड हैं ?

(2) इनमें से किस-किस ट्रस्ट की कितनी सम्पत्ति है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या अभी भी ऐसे चेरिटेबल ट्रस्ट मौजूद हैं जिन्हें देवस्थान विभाग ने रजिस्टर नहीं किया है ? यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है तथा इन्हें रजिस्टर क्यों नहीं किया गया है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 1124 प्रन्यास माह फरवरी, 78 तक देवस्थान विभाग में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं।

(2) पंजीकृत प्रन्यासों की अचल सम्पदा की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) देवस्थान विभाग में अभी तक 562 मामले विभिन्न प्रन्यासों के पंजीयन हेतु विचाराधीन हैं। जिन पर राजस्थान सार्वजनीन प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीयन की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

206.



परिशिष्ट-3

( अतारांकित प्रश्न संख्या 534 की सूची )

IN THE COURT OF S. D. O. RAJGARH (ALWAR)

Case No. of 19

हरिशंकर सैनी, राजगढ़ — राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, राजगढ़

Plaintiff-applicant — Defendant, Non applicant.

TEMPORARY INJUNCTION

अस्थाई निषेधाज्ञा

UNDER ORDER 39 RULE 1-2 and Sec. 151 C.P.C.

To

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, राजगढ़

Shri S/o

Caste R/o

(Defendant)

Upon consideration of the motion moved before this court on behalf of plaintiff and upon perusal of plaintiff petition & affidavit accompanying it & upon reading the documents & site plan & on anxious hearing of Shri .. ...... .. .... ........ ... ... .. .. ........ Advocate for plaintiff THIS COURT DOTH ORDER that an exparte adinterim temporary Injunction is granted against you, your servants, agents, workmen in the following terms.

आराजी खसरा नम्बर 1064/)4 वाके तन कारोठ से मुद्दई को बेदखल न करें और न आप कब्जा करें। इसमें जो ऐतराज हों तारीख 18-1-78 को हाजिर अदालत होकर पेश करें।

आज श्री जगदीश प्रसाद सैनी ने पेश किया।

शामिल मिशन की जाकर पालना करें।

ह. 2-1-78

You are required to show cause on 18-1-78 as to why this order be not made absolute till decission of substantive case.

Given under my hand and the seal of the Court, this 31-12-77 day of 1977.

ह. सब-डिविजनल ऑफीसर,

राजगढ़ मुख्यालय, अलवर।

## परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 543 की सूची)

विपणन बोर्ड में स्वीकृत किये गये अतिरिक्त तकनीकी स्टाफ की सूची :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अधिशासी अभियन्ता | 5 |
| 2. | सहायक अभियन्ता (सिविल) | 17 |
| 3. | सहायक अभियन्ता (विद्युत) | 2 |
| 4. | कनिष्ट अभियन्ता (सिविल) | 42 |
| 5. | कनिष्ट अभियन्ता (विद्युत) | 8 |
| 6. | फोरमैन | 4 |

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 545 की सूची)

कृषि उद्योग निगम द्वारा वितरित किये गये गेहूं के बीजों का वितरण
(वर्ष रबी-- 1977 में)

| क्र. सं. | बीज का नाम | वितरित की गई मात्रा | दर प्रति क्वि. |
|---|---|---|---|
| 1. | कल्याण सोना (प्रमाणित) | 1651.00 क्विंटल | रु. 233/- |
| 2. | सोनालिका (प्रमाणित) | 73.60 ,, | रु. 233/- |
| 3. | एच. डी.-2009 (प्रमाणित) | 290.00 ,, | रु. 233/- |
| 4. | डी-65 (प्रमाणित) | 154.02 ,, | रु. 233/- |
| 5. | लालबहादुर (प्रमाणित) | 73.70 ,, | रु. 233/- |
| 6. | ए-9-30-1 (प्रमाणित) | 6.00 ,, | रु. 233/- |
| 7. | के-65 (प्रमाणित) | 33.25 ,, | रु. 233/- |
| | कुल मात्रा | 2281.57 ,, | |

परिशिष्ट 6

( अतारांकित प्रश्न संख्या 547 की सूची)

File No. F. 2 (84) Agri./ Gr. VI/ 77

**Proposals For 50 New Veterinary Dispensaries,.**

| Sl. No. of disiricts | District | Tehsil | Place |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ajmer | Kekri | Baghera |
| 2. | Alwar | Kishangarh | Khairthal |
| | ,, | Laxmangarh | Kherli |
| 3. | Banswara | Garhi | Loharia |
| 4. | Barmer | Barmer | Samdhari |
| 5. | Bharatpur | Bharatpur | Sikri |
| 6. | Bhilwara | Jahazpur | Ropan |
| | ,, | Kotri | Akola |
| 7. | Bikaner | | Kumbhana |
| | | Kolayat | Bajju |
| 8. | Bundi | Keshoraipatan | Lakheri |
| | | ,, | Kapren |
| 9. | Chittorgarh | Gangrar | Gangrar |
| | ,, | Badesar | Bhadsora |
| 10. | Churu | Dungargarh | Momasar |
| | ,, | Taranagar | Sahba |
| 11. | Dungarpur | Sagwara | Cheentri |
| | ,, | ,, | Faloch |
| 12. | Ganganagar | Ganganagar | Lalgarh |
| | ,, | ,, | Peeli Bhanga |
| | ,, | Hanumangarh | Makasar |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 13. | Jaipur | Jaipur | Purani Basti |
| | ,, | ,, | Heerapura |
| | ,, | Phulera | Kishangarhrenwal |
| 14. | Jaisalmer | Pokaran | Lathi |
| | ,, | Jaisalmer | Devikot |
| | ,, | Jaisalmer | Sankara |
| 15. | Jalore | Jalore | Siyana |
| 16. | Jhalawar | Iklera | Ghatoli |
| 17. | Jhunjhunu | Udaipurwati | Paonkh |
| | ,, | Jhunjhunu | Ranasar |
| 18. | Jodhpur | Osian | Bawri |
| | ,, | Jodhpur | Dhawa |
| 19. | Kota | Chabra | Kavai |
| | ,, | Kishanganj | Kelwara |
| 20. | Nagaur | Deedwana | Chhoti Khatu |
| | ,, | Degana | Sanjoo |
| 21. | Pali | Kharchi | Dhanla Babra |
| 22. | Sawai Madhopur | Karauli | Masalpur |
| | ,, | Sawaimadhopur | Bhagwatgarh |
| 23. | Sikar | Dantaramgarh | Khachriawas |
| | ,, | ,, | Bay |
| 24. | Sirohi | Revdar | Mandar |
| 25. | Tonk | Tonk | Peeplu |
| | ,, | Uniara | Banetha |
| | ,, | Malpura | Lawa |
| 26. | Udaipur | Relmagra | Kurj |
| | ,, | ,, | Kheroda |
| | ,, | ,, | Kurabad |

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

AGRICULTURE (GR. VI) DEPARTMENT

To,

The Director,
Animal Husbandry Department,
Rajasthan, Jaipur.

Room No. 272, Secretariat,

No. F2(84) Agri. VI/77 Jaipur, dated 23rd February, 1978.

Sub.:—Opening of Veterinary Dispensaries in Rajasthan.

Sir

In Supersession of this department sanctions of even number, dated 23rd April, 1977, I am directed to convey the sanction of the Government to the opening of 50 Veterinary Dispensaries in Rajasthan at the places mentioned in list enclosed.

I am further directed to convey the sanction of the Governor to the creation of the following posts for each of the 50 Veterinary Dispensaries from the date the same are filled in upto 28th February, 1979.—

| Sl. No. | Name of the post | No. of posts | Scale |
|---|---|---|---|
| 1. | Veterinary Assistant | 1 | 440-770 |
| 2. | Live Stock Assistant | 1 | 355-570 |
| 3. | Water man | 1 | 240-290 |
| 4. | Syce | 1 | 240-290 |
| 5. | Sweeper | 1 | 240-290 |

The expenditure is debitable to the budget head—"310-Animal Husbandry-c-Veterinary Services and Animal Health-(V) Hospitals and Dispensaries."

212



This issues with the concurrence of the Finance (Exp. I) Department vide their I. D. No. 2615/FD/Exp. I/77, dated 22nd April, 1977.

Yours faithfully,
सुरेन्द्र कुमार
(Surendra Kumar)
Dy. Secretary to the Government.

Copy forwarded to the following for information and n/a:-

1. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
2. Finance (Exp. I/Budget) Department/Planning Department.
3. Agriculture (Gr. III) Department.
4. Accounts Officer, Agriculture (Gr. VI) Deptt.
5. The Collector concerned.

सुरेन्द्र कुमार
Dy. Secretary to the Government.

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 553 का विवरण)

नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिये मानदण्ड

(अ) प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए मानदण्ड

(1) 5 किलोमीटर की दूरी में स्थित गांवों की ढाणियों की जनसंख्या 500 हो। यदि ऐसे स्थान शेष न हो तो जन संख्या क्रमश 400 तथा 300 भी ली जा सकती है।

(2) रेगिस्तानी तथा जन जाति वाले स्थानों में यदि 5 किलोमीटर में 500 की जनसंख्या उपलब्ध न हो तो 8 किलोमीटर में 250 अथवा 150 तक के लिये भी स्कूल खोला जा सकता है।

(3) उचित भवन की व्यवस्था पंचायत समिति या स्थानीय जनता द्वारा हो।

(4) छात्रों के स्कूलों में कम से कम 25 छात्र तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 20 छात्र हों।

(5) ग्रामीण जनजाति व छात्राओं वाले स्कूलों में 15 विद्यार्थी होने पर ही शाला प्रारम्भ की जाये।

(6) दो या अधिक गांवों के बीच लगभग समान स्थिति हो तो शाला प्रारम्भ करते समय उस स्थान को प्राथमिकता दी जाये जहां भवन व्यवस्था तथा अध्यापक आवास व्यवस्था, नल, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध हो।

(7) जो स्कूल विद्यमान है यदि उसमें पर्याप्त छात्रायें हैं तथा वहां दूसरे स्कूल की आवश्यकता प्रतीत होती है तथा भरती होने वाली लड़कियों की तादाद भी पर्याप्त हो तो वहां छात्रा स्कूल अलग से खोला जा सकता है अन्यथा सामान्यतः प्राइमरी स्कूल छात्र व छात्रा दोनों के लिए एक ही होगा।

२५७



परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 558 की सूची)

पंचायत समिति सांचौर में अध्यापकों के फिक्सेशन के बकाया मामलों का विवरण

(1) श्री नानकराम अध्यापक का सन् 1968 की वेतन श्रृंखला में फिक्सेशन का मामला विचाराधीन है।

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 563 की सूची)

राजस्थान में मोम की खपत करने वाली इकाइयों की सूची जिनकी वर्ष 1977 व प्रथम तिमाही वर्ष 1978 के वास्ते नियमित रूप से मोम का आवन्टन किया गया।

| क्र. सं. | इकाई का नाम | वर्ष 1977 के वास्ते आवन्टित किये गये मोम की मात्रा (बोरी में) | प्रथम तिमाही वर्ष 1978 के वास्ते आवन्टित किये गये मोम की मात्रा (बोरी में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | मैसर्स कृष्णा प्रोडक्ट्स, जयपुर | 53 | 13 |
| 2. | ,, राज केण्डल वर्क्स, जयपुर | 22 | 5 |
| 3. | ,, इण्डियन प्रिंटिंग वर्क्स, जयपुर | 28 | विचाराधीन |
| 4. | ,, शंकर मोमबत्ती उद्योग, जयपुर | 134 | 33 |
| 5. | ,, इण्डियन वैक्स प्रोडक्ट्स, जयपुर | 102 | 37 |
| 6. | ,, विमल कोटेज इन्डस्ट्रीज, जयपुर | 137 | 45 |
| 7. | ,, राजस्थान इण्डस्ट्री (वैक्स प्रोडक्ट्स), जयपुर | 22 | 9 |
| 8. | ,, महेश गृह उद्योग संस्थान, जयपुर | 63 | 13 |
| 9. | ,, गर्ग ट्रेडर्स, जयपुर | 61 | 15 |
| 10. | ,, लिबर्टी केण्डल वर्क्स, जयपुर | 22 | 5 |
| 11. | ,, विनीत उद्योग, जयपुर | 22 | 5 |
| 12. | ,, अग्रवाल केमिकल वर्क्स, जयपुर | 22 | 5 |
| 13. | ,, कुंज बिहारी सारड़ा, रेनवाल, जयपुर | 22 | 5 |
| 14. | ,, मोहन एण्ड कम्पनी, जयपुर | 23 | 6 |
| 15. | ,, राजस्थान वैक्स प्रोडक्ट्स इण्डस्ट्री, जयपुर | 237 | 76 |
| 16. | ,, आदर्श इण्डस्ट्री, जयपुर | 22 | 5 |
| 17. | ,, स्टाईलो क्राफ्ट, जयपुर | 125 | 38 |
| 18. | ,, ज्योती उद्योग, जयपुर | 22 | 52 |
| 19. | ,, जेरमल ट्रेडर्स, जयपुर | 22 | 5 |
| 20. | ,, महेश मोमबत्ती उद्योग, जयपुर | 22 | 5 |
| 21. | ,, गीता लघु उद्योग, जयपुर | 22 | 5 |
| 22. | ,, आभा लघु उद्योग, जयपुर | 22 | 5 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 23. | मैसर्स | जय उमाशंकर हाईड्र एण्ड क्लाथ प्रिंटिंग वर्क्स सांगानेर, (जयपुर) | 18 | 5 |
| 24. | ,, | खण्डेलवाल केमिकल इन्डस्ट्री, जयपुर | 22 | 5 |
| 25. | ,, | एम. जी. इन्डस्ट्रीज, जयपुर | 60 | 62 |
| 26. | ,, | आर्कम लेबोरेट्रीज, जयपुर | 19 | 5 |
| 27. | ,, | राज सीमेन्ट प्रोडक्ट्स, जयपुर | 22 | 38 |
| 28. | ,, | शिव शक्ति इन्डस्ट्रीज, जयपुर | 22 | 5 |
| 29. | ,, | एगसन्स केण्डल्स, जयपुर | 7 | 6 |
| 30. | ,, | मीना प्रिंटर्स जयपुर | 18 | 5 |
| 31. | ,, | जयपुर वैक्स प्रोडक्ट्स, जयपुर | 20 | 5 |
| 32. | ,, | चिमको केमिकल्स, जयपुर | 22 | 5 |
| 33. | ,, | ऊषा ट्रेडर्स, जयपुर | 22 | 5 |
| 34 | ,, | अजय एन्टरप्राईजेज, जयपुर | 18 | 5 |
| 35. | ,, | शिवकोटेज इन्डस्ट्रीज, जयपुर | 22 | 5 |
| 36. | ,, | कला वैक्स प्रोडक्ट्स, जयपुर | 22 | 5 |
| 37. | ,, | ईश्वर मोमबत्ती भण्डार, जयपुर | 22 | 5 |
| 38. | ,, | भारत पेपर प्रोडक्ट्स, जयपुर | 16 | विचाराधीन |
| 39. | ,, | श्री भगवती उद्योग, जयपुर | 22 | 5 |
| 40. | ,, | मधुबाला केमिकल्स, जयपुर, | 22 | 5 |
| 41. | ,, | श्री श्याम उद्योग, जयपुर | 22 | 5 |
| 42. | ,, | महावीर रबर वर्क्स, जयपुर | 36 | 14 |
| 43. | ,, | पी. पी. एन्टरप्राईजेज, जयपुर | 8 | 5 |
| 44. | ,, | गोविन्द केण्डल इन्डस्ट्रीज, जयपुर | 38 | 10 |
| 45. | ,, | अग्रवाल परफ्यूमरी वर्क्स, जयपुर | 22 | 5 |
| 46. | ,, | गणेश उत्पादन उद्योग, जयपुर | 18 | 5 |
| 47. | ,, | लिट वेल प्रोडक्ट्स, (इण्डिया) जयपुर | 20 | 5 |
| 48. | ,, | श्रीराम केण्डल वर्क्स जयपुर | 22 | 5 |
| 49. | ,, | हंसा केमिकल फार्मेसी, नरायना (जयपुर) | 19 | 5 |
| 50. | ,, | राजस्थान वैक्सेस इन्डस्ट्रीज, जयपुर | 445 | 285 |
| 51. | ,, | दुर्गा मोमबत्ती उद्योग, जयपुर | 22 | 5 |
| 52. | ,, | प्रेम गृह उद्योग, जयपुर | 22 | 5 |
| 53. | ,, | डेन्टीकम लेबोरेट्रीज, जयपुर | 18 | 5 |
| 54. | ,, | स्नेह उद्योग प्रतिष्ठान, जयपुर | 22 | 5 |
| 55. | ,, | अशोक सार्ईनिंग फैक्ट्री, जयपुर | 10 | 5 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 56. | मैसर्स | नामदेव डाईंग एण्ड प्रिंटिङ्ग वर्क्स, जयपुर | 1 | 5 |
| 57. | ,, | वैस्टर्न इन्डस्ट्रीज, जयपुर | 14 | 5 |
| 58. | ,, | प्रताप (इण्डिया) इण्डस्ट्रीज, जयपुर | 14 | 5 |
| 59. | ,, | कलात्मक मोमबत्ती उद्योग, जयपुर | 16 | 5 |
| 60. | ,, | जैन उद्योग प्रतिष्ठान, जयपुर | 16 | 5 |
| 61. | ,, | गुप्ता इन्डस्ट्रीज, जयपुर | 11 | 5 |
| 62. | ,, | राजस्थान केमिकल सप्लायर्स, जयपुर | 14 | 5 |
| 63. | ,, | महालक्ष्मी केमिकल्स, जयपुर | 7 | 5 |
| 64. | ,, | विक्ट्री केण्डल्स, जयपुर | 9 | 5 |
| 65. | ,, | गुप्ता मोमबत्ती उद्योग, जयपुर | 7 | 5 |
| 66. | ,, | परनामी रबर इण्डस्ट्रीज, जयपुर | 4 | 5 |
| 67. | ,, | रतन मोमबत्ती वर्क्स, जयपुर | – | 5 |
| 68. | ,, | ईगल केमिकल्स, जयपुर | 2504 | 396 (इनकी 886 बोरी बनती है बकाया 499 बोरी माल आने पर आंवटित किया जावेगा) |
| 69. | ,, | मोती केमिकल्स, जयपुर | 1329 | 576 |
| 70. | ,, | रेजिन्स एण्ड केमिकल्स, जोधपुर | 1519 | 172 (इनकी 344 बोरी बनती है, बकाया माल आने पर दिया जावेगा ) |
| 71. | ,, | जे. के. इन्डस्ट्रीज कांकरोली, (उदयपुर) | 160 | 16 |
| 72. | ,, | जय किशन माहेश्वरी, जोधपुर | 22 | 5 |
| 73. | ,, | बिरला उद्योग, जोधपुर | 23 | 5 |
| 74. | ,, | अम्बिका ट्रेडर्स, जोधपुर | 22 | 5 |
| 75. | ,, | महेश स्नफ फैक्ट्री, जोधपुर | 118 | 42 |
| 76. | ,, | प्रकाश इन्डस्ट्रीज, जोधपुर | 22 | 5 |
| 77. | ,, | राजस्थान पेपर प्रोडक्टस, जोधपुर | 18 | 5 |
| 78. | ,, | नवीन गृह उद्योग, जोधपुर | 20 | 5 |
| 79. | ,, | राजस्थान प्रोसेर्स, जोधपुर | 6 | 5 |
| 80. | ,, | तापड़िया प्रोडक्टस (इण्डिया), जोधपुर | – | 5 |
| 81. | ,, | अजय टेक्सटाइल्स, जोधपुर | – | 16 |
| 8[illegible] | | कृष्णा केण्डल्स, अलवर | 22 | 5 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 83. | मैसर्स | हिन्दुस्तान प्रोडक्टस, अलवर | 22 | 5 |
| 84. | ,, | व्यास सीलिंग वैक्स एण्ड केण्डल वर्क्स, अलवर | 22 | 5 |
| 85. | ,, | मिलन ट्रेडर्स, अलवर | 22 | 5 |
| 86. | ,, | सुभाष केण्डल वर्क्स, अलवर | 22 | 5 |
| 87. | ,, | स्वास्तिक केमिकल इन्डस्ट्रीज, अलवर | 22 | 5 |
| 88. | ,, | गुप्ता केमिकल वर्क्स, अलवर | 22 | 5 |
| 89 | ,, | प्रिन्स केलेण्डर कार्पोरेशन, अलवर | 22 | 5 |
| 90. | ,, | तनसुखलाल कन्हैयालाल जैन, अलवर | 22 | 5 |
| 91. | ,, | महावीर मोमबत्ती वर्क्स, किशनगढ गंज (अलवर) | 22 | 5 |
| 92. | ,, | जे. के. एस. इण्डस्ट्रीज, अलवर | 22 | 5 |
| 93. | ,, | कैलाश मोमबती उद्योग, अलवर | 22 | 5 |
| 94. | ,, | गिर्राजप्रसाद वेदप्रकाश खण्डेलवाल, अलवर | 22 | 5 |
| 95. | ,, | राज सोप फैक्ट्री, खैरथल मण्डी, अलवर | 16 | 5 |
| 96. | ,, | ईनाणी गृह उद्योग, भीलवाड़ा | 24 | 6 |
| 97. | ,, | मदनलाल परसराम पुरिया, भीलवाड़ा | 106 | 39 |
| 98. | ,, | दारूका इण्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा | 13 | 5 |
| 99. | ,, | लक्ष्मी केण्डल मैन्यू. कम्पनी, भीलवाड़ा | 61 | 15 |
| 100. | ,, | महावीर वैक्स प्रोडक्टस, भीलवाड़ा | 22 | 5 |
| 101. | ,, | तोषनीवाल लघु उद्योग, भीलवाड़ा | 18 | 5 |
| 102. | ,, | विजय कुमार जय प्रकाश नारायण, भीलवाड़ा | 22 | 5 |
| 103. | ,, | गोखरू कैमिकल्स, भीलवाडा | 18 | 5 |
| 104. | ,, | श्रीनाथ सोप एण्ड कैण्डल वर्क्स, भीलवाड़ा | 22 | 5 |
| 105. | ,, | कृष्णा केण्डल वर्क्स, भीलवाड़ा | 22 | 5 |
| 106. | ,, | सुशील कुटीर उद्योग, भीलवाड़ा | 22 | 5 |
| 107. | ,, | ईगल त्रिपाल उद्योग, भीलवाड़ा | 7 | 5 |
| 108. | ,, | महावीर केण्डल वर्क्स, अजमेर | 63 | 16 |
| 109. | ,, | मोहिनी केण्डल एण्ड दीपक मेकर्स, अजमेर, | 22 | 5 |
| 110. | ,, | जयरामदास हसमत राय, अजमेर | 22 | 5 |
| 111. | ,, | शंकर अगरबत्ती वर्क्स, अजमेर | 22 | 5 |
| 112. | ,, | सरस्वती केण्डल वर्क्स, अजमेर | 22 | 5 |
| 113. | ,, | अजय इण्डस्ट्रीज, अजमेर | 22 | 5 |
| 114. | ,, | शिवाजी अगरबत्ती एण्ड केण्डल वर्क्स, अजमेर | 54 | 13 |
| 115. | ,, | किशोर कुमार दोषी, ब्यावर (अजमेर) | 22 | 5 |

# Page No 219



219.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 116. | मैसर्स पुष्पा कैमिकल्स, पीसांगन, (अजमेर) | 22 | 5 |
| 117. | ,, गुरूनानक मॉयल एण्ड केण्डल वर्क्स, अजमेर | 61 | 15 |
| 118. | ,, मूनलाइट केण्डल्स, दादाभाई क्वार्टर्स, अजमेर | 22 | 5 |
| 119. | ,, लक्ष्मी गृह उद्योग, अजमेर | 6 | विचाराधीन |
| 120. | ,, मल्होत्रा इण्डस्ट्रीज, अजमेर | 21 | 5 |
| 121. | ,, शर्मा वैक्स उद्योग अजमेर | 22 | 5 |
| 122. | ,, मून लाइट केण्डल्स, मोती कटला, अजमेर | 22 | 5 |
| 123. | ,, अजय पाल केमिकल इन्डस्ट्रीज, अजमेर | 22 | 5 |
| 124. | ,, देवी केण्डल वर्क्स, किशनगढ़ (अजमेर) | 22 | 5 |
| 125. | ,, बाबा मोमबत्ती वर्क्स, ब्यावर (अजमेर) | 22 | 5 |
| 126. | ,, गुप्ता वेक्सर्स, अजमेर | 18 | 5 |
| 127. | ,, सूर्य अगरबत्ती मोमबत्ती वर्क्स, अजमेर | 22 | 5 |
| 128. | ,, श्रीनाथ मोमबत्ती उद्योग, किशनगढ़ (अजमेर) | 22 | 5 |
| 129. | ,, कमल पेपर कनवर्टर्स ब्यावर (अजमेर) | 18 | 5 |
| 130. | ,, कल्पना पेपर प्रोडक्ट्स, ब्यावर (अजमेर) | 18 | 5 |
| 131. | ,, भाटिया इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, अजमेर | 11 | विचाराधीन |
| 132. | ,, सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, ब्यावर (अजमेर) | 3 | 2 |
| 133. | ,, रायल केण्डल्स एण्ड अगरबत्ती वर्क्स, अजमेर | 19 | 5 |
| 134. | ,, कमल वैक्सिंग वर्क्स, अजमेर | 12 | 5 |
| 135. | ,, राजेन्द्र केण्डल वर्क्स, बीकानेर | 22 | 5 |
| 136. | ,, राजस्थान कैंडल वर्क्स, बीकानेर | 242 | 66 |
| 137. | ,, बन्शीवाल कोटेज एम्पोरियम, बीकानेर | 22 | 5 |
| 138. | ,, राष्ट्रीय उद्योग भवन, बीकानेर | 42 | 5 |
| 139 | ,, सुषमा मोमबत्ती उद्योग, बीकानेर | 22 | 5 |
| 140. | ,, जय श्री महा प्रेस, बीकानेर | 7 | 2 |
| 141. | ,, गिरधरलाल गोपालदास, बीकानेर | — | 5 |
| 142. | ,, शंकर इन्डस्ट्रीज एण्ड केण्डल वर्क्स, उदयपुर | 22 | 5 |
| 143. | ,, ऐड्की पेड्की एण्ड कम्पनी, उदयपुर | 42 | 10 |
| 144. | ,, पण्डित केमिकल वर्क्स, उदयपुर | 22 | 5 |
| 145. | ,, मन्सूरी इन्डस्ट्रीज, उदयपुर | 10 | 2 |
| 146. | ,, नोरटन केमिकल इन्डस्ट्रीज, उदयपुर | 22 | 5 |
| 147. | ,, मधु मैन्यू., उदयपुर | 22 | 5 |
| 148 | ,, शिराज केमिकल इण्डस्ट्रीज, कांकरोली (उदयपुर) | 22 | 5 |
| 149. | ,, राजस्थान केण्डल्स एण्ड तारपोलिन वर्क्स, गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) | 22 | 5 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 150. | मैसर्स | जयभारत सोप एण्ड केमिकल वर्क्स, गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर) | 22 | 5 |
| 151. | ,, | श्री गोपाल सोप एण्ड केमिकल एण्ड स्माल कॉटेज इन्डस्ट्रीज, गंगापुर सिटी (स. मधोपुर) | 22 | 5 |
| 152. | ,, | राजू एण्ड ब्रदर्स, हिण्डौन सिटी (स. माधोपुर) | 22 | 5 |
| 153. | ,, | आदर्श गृह उद्योग, हिण्डौनसिटी (स. माधोपुर) | 23 | 6 |
| 154. | ,, | जैन एजेन्सी, स. माधोपुर | 22 | विचाराधीन |
| 155. | ,, | सवाल गृह उद्योग, हिण्डौन सिटी (स. माधोपुर) | 22 | 5 |
| 156. | ,, | नवीन गृह उद्योग, हिण्डौन सिटी (स. माधोपुर) | 16 | 5 |
| 157. | ,, | बनवारी लाल सन्तोष कुमार, फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) | 22 | 5 |
| 158. | ,, | देवड़ा डाईंग एण्ड प्रिंटिग वर्क्स, फतेहपुर शेखावाटी (सीकर) | 16 | 5 |
| 159. | ,, | श्री मोमबत्ती उद्योग, खण्डेला (सीकर) | 22 | 5 |
| 160. | ,, | स्वास्तिक इण्डस्ट्रियल वर्क्स, सीकर | 22 | 5 |
| 161. | ,, | शर्मा मोमबत्ती उद्योग, पो. बो. कुर्ली (सीकर) | 22 | 5 |
| 162. | ,, | प्रकाश इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, सीकर | 22 | 5 |
| 163 | ,, | विनोद परफ्यूमरी एण्ड केमिकल वर्क्स, रींगस (सीकर) | 22 | 5 |
| 164. | ,, | तंवर मोम इण्डस्ट्री, खण्डेला, (सीकर) | 18 | 5 |
| 165. | ,, | शंकर इन्डस्ट्रीज, कोटा | 69 | 25 |
| 166. | ,, | प्रकाश ब्रदर्स, कोटा | 316 | 97 |
| 167. | ,, | चेतन एण्ड मुकेश एन्टरप्राइजेज, कोटा | 10 | 5 |
| 168. | ,, | श्री राम मोमबत्ती वर्क्स, कोटा | 22 | विचाराधीन |
| 169. | ,, | डिक्की एन्टरप्राईजेज, कोटा | 22 | 5 |
| 170. | ,, | मिल्की वे इन्डस्ट्रीज, कोटा | 18 | 5 |
| 171. | ,, | आनन्द प्रिंटर्स एण्ड वैक्सर्स, कोटा | 18 | 5 |
| 172. | ,, | गनेश मैन्यू. कम्पनी, श्री गंगानगर | 63 | 16 |
| 173. | ,, | गोल्डन गणेश मैन्यू. कम्पनी, श्री गंगानगर | 22 | 5 |
| 174. | ,, | जैन केमिकल वर्क्स, रायसिंह नगर (गंगानगर) | 37 | 9 |
| 175. | ,, | सुभाष केमिकल वर्क्स, हनुमानगढ़ (गंगानगर) | 24 | 6 |
| 176. | ,, | जैन रबर एण्ड प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज, श्री गंगानगर | 22 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 177. | मैसर्स आनन्द थ्रेडबाल फैक्ट्री, श्री गंगानगर | 22 | 5 |
| 178. | ,, बालाजी मैन्यू. कम्पनी, श्री गंगानगर | 22 | 5 |
| 179. | ,, सेठी बूट फैक्ट्री, श्री गंगानगर | 22 | 5 |
| 180. | ,, जगदीश केण्डल वर्क्स, टाऊन (श्री गंगानगर) | 14 | 5 |
| 181. | ,, गोयल उद्योग, भरतपुर | 22 | 13 |
| 182. | ,, प्रकाश केण्डल इन्डस्ट्री , धौलपुर (भरतपुर) | 150 | 57 |
| 183. | ,, गीता गृह उद्योग, रूदावल (भरतपुर) | 22 | 5 |
| 184. | ,, कनक सोप फैक्ट्री, भरतपुर | 22 | 12 |
| 185. | ,, श्री मोमबत्ती उद्योग, भरतपुर | 22 | 12 |
| 186. | ,, नीलम केमिकल, भरतपुर | 16 | 5 |
| 187. | ,, सरस्वती सेफ्टी फायर वर्क्स, भरतपुर | 30 | 12 |
| 188. | ,, राजस्थान केण्डल इन्डस्ट्री , धौलपुर (भरतपुर) | — | 5 |
| 189. | ,, भारत केण्डल वर्क्स, बूंदी | 22 | 5 |
| 200. | ,, एम. एम. लालवानी, बाड़मेर | 22 | 5 |
| 201. | ,, जनता उद्योग वर्क्स, बाड़मेर | 22 | 5 |
| 202. | ,, दिनेश अगरबत्ती वर्क्स, बाड़मेर | 22 | 5 |
| 203. | ,, लक्ष्मी महासुगन्धित अगरबत्ती वर्क्स, बाड़मेर | 22 | 5 |
| 204 | ,, लालचन्द लक्ष्मनदास, बाड़मेर | 22 | 5 |
| 205. | ,, सरस्वती केण्डल वर्क्स, जालौर | 19 | विचाराधीन |
| 206 | ,, कृष्णा इन्डस्ट्रीज, ग्राहोर (जालौर) | 8 | 5 |
| 207. | ,, पाटोदिया मोमबत्ती वर्क्स, झुन्झुनू | 22 | 5 |
| 208. | ,, महेश इन्डस्ट्रीज, उदयपुर शेखावाटी (झुन्झुनूं) | 22 | 5 |
| 209. | ,, जैन केण्डल वर्क्स, सादुलपुर (चूरू) | 42 | 10 |
| 210. | ,, पी. पी. केण्डल वर्क्स, सुजानगढ़ (चूरू) | 22 | 5 |
| 211. | ,, सारडा इण्डस्ट्रीज, सुजानगढ़ (चूरू) | 22 | 5 |
| 212. | ,, शंकर वैक्स प्रोडक्ट्स, नागौर | 20 | 5 |
| 213. | ,, चमक इन्डस्ट्रीज, कपासन (चित्तौड़गढ़) | 22 | 5 |
| 214. | ,, पी.के. केमिकल्स, (चित्तौड़गढ़) | 6 | विचाराधीन |
| 215. | ,, लक्ष्मी केण्डल वर्क्स, बांसवाड़ा | 22 | 5 |
| 216. | ,, नरेन्द्र केण्डल वर्क्स, आबूरोड (सिरोही) | 22 | 5 |
| 217. | ,, शिव केण्डल वर्क्स, डूंगरपुर | 22 | 5 |

## जयपुर शहर में मोम की खपत करने वाली इकाइयों की सूची

| क्र. सं. | | नाम इकाई | आवंटित मात्रा प्रथम तिमाही 1973 (बोरी में) |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| 1. | मैसर्स | कृष्णा प्रोडक्ट्स, जयपुर | 13 |
| 2. | ,, | राज. केन्डल वर्क्स, जयपुर | 5 |
| 3. | ,, | शंकर मोम बत्ती उद्योग, जयपुर | 35 |
| 4. | ,, | इण्डियन वैक्स प्रोडक्टस, जयपुर | 37 |
| 5. | ,, | विमल कॉटेज इन्डस्ट्री, जयपुर | 45 |
| 6. | ,, | राजस्थान इन्डस्ट्री (वैक्स प्रोडक्ट), जयपुर | 9 |
| 7. | ,, | महेश गृह उद्योग संस्थान, जयपुर | 13 |
| 8. | ,, | गर्ग ट्रेडर्स, जयपुर | 15 |
| 9. | ,, | लिबर्टी केण्डल वर्क्स, जयपुर | 5 |
| 10. | ,, | विनीत उद्योग, जयपुर | 5 |
| 11. | ,, | अग्रवाल केमिकल वर्क्स, जयपुर | 5 |
| 12. | ,, | कुंज बिहारी सारडा, रेनवाल (जयपुर) | 5 |
| 13. | ,, | सोहन एण्ड कम्पनी, जयपुर | 6 |
| 14. | ,, | आदर्श इन्डस्ट्री, जयपुर | 5 |
| 15. | ,, | ज्योती उद्योग, जयपुर | 52 |
| 16. | ,, | जेरसल ट्रेडर्स, जयपुर | 5 |
| 17. | ,, | महेश मोमबत्ती उद्योग, जयपुर | 5 |
| 18. | ,, | आभा लघु उद्योग, जयपुर | 5 |
| 19. | ,, | खण्डेलवाल केमिकल्स इन्डस्ट्रीज, जयपुर | 5 |
| 20. | ,, | राज सीमेंट प्रोडक्ट्स, जयपुर | 38 |
| 21. | ,, | शिव शक्ति इन्डस्ट्रीज, जयपुर | 5 |
| 22. | ,, | एगसन्स केन्डल, जयपुर | 6 |
| 23. | ,, | सिमको केमिकल्स, जयपुर | 5 |
| 24. | ,, | उषा ट्रेडर्स, जयपुर | 5 |
| 25. | ,, | शिव कॉटेज इन्डस्ट्रीज, जयपुर | 5 |
| 26. | ,, | कला वैक्स प्रोडक्टस, जयपुर | 5 |
| 27. | ,, | ईश्वर मोमबत्ती भण्डार, जयपुर | 5 |
| 28. | ,, | श्री भगवती उद्योग, जयपुर | 5 |
| 29. | ,, | मधुबाला केमिकल्स, जयपुर | 5 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 30. | मैसर्स श्री श्याम उद्योग, जयपुर | 5 |
| 31. | ,, गोविन्द कैण्डल इण्डस्ट्रीज, जयपुर | 10 |
| 32. | ,, अग्रवाल परफ्यूमरी वर्क्स, जयपुर | 5 |
| 33. | ,, लिटवेल प्रोडक्ट्स, (इण्डिया) जयपुर | 5 |
| 34. | ,, श्रीराम केण्डल वर्क्स, जयपुर | 5 |
| 35. | ,, दुर्गा मोम बत्ती उद्योग, जयपुर | 5 |
| 36. | ,, प्रेम गृह उद्योग, जयपुर | 5 |
| 37. | ,, स्नेह उद्योग प्रतिष्ठान, जयपुर | 5 |
| 38. | ,, वेस्टर्न इण्डस्ट्रीज, जयपुर | 5 |
| 39. | ,, प्रताप (इण्डिया) इण्डस्ट्रीज, जयपुर | 5 |
| 40. | ,, कलात्मक मोमबत्ती उद्योग, जयपुर | 5 |
| 41. | ,, जैन उद्योग प्रतिष्ठान, जयपुर | 5 |
| 42. | ,, गुप्ता इण्डस्ट्रीज, जयपुर | 5 |
| 43. | ,, राजस्थान कैमिकल्स सप्लायर्स, जयपुर | 5 |
| 44. | ,, विक्ट्री केण्डल्स, जयपुर | 5 |
| 45. | ,, गुप्ता मोमबत्ती उद्योग, जयपुर | 5 |
| 46. | ,, राजस्थान वेक्स प्रोडक्ट्स, जयपुर | 76 |
| 47. | ,, एम. जी. इण्डस्ट्रीज, जयपुर | 62 |
| 48. | ,, गीता लघु उद्योग, जयपुर | 5 |
| 49. | ,, जयपुर वैक्स प्रोडक्ट्स, जयपुर | 5 |
| 50. | ,, राजस्थान वैक्सेज इण्डस्ट्रीज, जयपुर | 285 |
| 51. | ,, इण्डियन प्रिंटिंग वर्क्स, जयपुर | विचाराधीन |
| 52. | ,, किटलो क्राफ्ट्स, जयपुर | 5 |
| 53. | ,, जय उमा शंकर डाइंग एण्ड क्लॉथ प्रिंटिंग वर्क्स, सांगानेर (जयपुर) | 5 |
| 54. | ,, थार्केम लेबोरेट्रीज, जयपुर | 5 |
| 55. | ,, सोना प्रिंटर्स, जयपुर | 5 |
| 56. | ,, अजय एन्टरप्राईजेज, जयपुर | 5 |
| 57. | ,, महावीर रबर वर्क्स, जयपुर | 14 |
| 58. | ,, गनेश उत्पादन उद्योग, जयपुर | 5 |
| 59. | ,, डेन्टो केम इन्डस्ट्रीज, जयपुर | 5 |
| 60 | ,, अशोक साईजिंग फैक्ट्री, जयपुर | 5 |
| 61. | ,, नामदेव डाईंग एण्ड प्रिंटिंग, जयपुर | 5 |
| 62. | ,, महालक्ष्मी कैमीकल्स, जयपुर | 5 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 63. | मैसर्स पी. पी. एन्टरप्राईजेज, जयपुर | 5 |
| 64 | ,, हंसा केमीकल फार्मेसी, नरायना (जयपुर) | 5 |
| 65. | ,, परनामी रबर इन्डस्ट्रीज, जयपुर | 5 |
| 66. | ,, रतन मोमबत्ती वर्क्स, जयपुर | 5 |
| 67. | ,, मोती केमीकल्स, जयपुर | 576 |
| 68. | ,, ईगल केमीकल्स, जयपुर | 396 |
| | | (इनका 886 बोरी का हिस्सा बनता है, बकाया 490 बोरी माल आने पर आवंटित किया जावेगा) |
| | योग: - | 1964 |

## परिशिष्ट 10

( अतारांकित प्रश्न संख्या 195 की सूची )

### विभागवार सूची

| क्र. सं. 1 | विभाग का नाम 2 | उठाई गई राशि 3 |
|---|---|---|
| 1. | राजस्थान सचिवालय, जयपुर | 4,08,783.49 |
| 2. | राज्यपाल सचिवालय एवं हाउस होल्ड, जयपुर | 11,738.73 |
| 3. | निदेशक कृषि विभाग | 3,08,609.19 |
| 4. | ,, पशुपालन विभाग, जयपुर | 1,70,000.00 |
| 5. | ,, राज्य अभिलेखागार, बीकानेर | 15,289.00 |
| 6. | ,, पुरातत्व एवं सग्रहालय विभाग, जयपुर | 23,330.00 |
| 7. | ,, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर | 1,29,100.00 |
| 8. | ,, निदेशक, भाषा विभाग | 3421.47 |
| 9. | ,, राज्य बीमा विभाग, जयपुर | 93,028 90 |
| 10. | ,, मुल्यांकन संगठन विभाग, जयपुर | 19,224.52 |
| 11. | ,, स्थानीय निकास विभाग, जयपुर | 6,910.54 |
| 12. | ,, पर्यटन विभाग, जयपुर | 159,41.13 |
| 13. | ,, नियोजन सेवा निदेशालय, जयपुर | 31,825.43 |
| 14. | ,, आयुर्वेद विभाग, अजमेर | 1,48,787.96 |
| 15. | ,, प्रावधायी निधी विभाग, जयपुर | 14,916.00 |
| 16. | ,, भूमि एवं भवन कर विभाग, जयपुर | 27,785.47 |
| 17. | ,, जन सम्पर्क कार्यालय, जयपुर | 2[illegible],767.62 |
| 18. | ,, अल्प बचत विभाग, जयपुर | 9,644.89 |
| 19. | ,, नगरीय भूमि विभाग, जयपुर | 5.243.00 |
| 20. | ,, जिला गजेटियर्स विभाग, जयपुर | 7,714.47 |
| 21. | ,, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर | 1,19,713.36 |
| 22. | ,, उद्योग विभाग, जयपुर | 70,915.45 |
| 23. | ,, कॉलेज शिक्षा, जयपुर | 5,00,922.22 |
| 24. | ,, संस्कृत शिक्षा, जयपुर | 57,568 11 |
| 25. | ,, एन. सी. सी., जयपुर | 47,530.00 |
| 26. | ,, डेयरी विकास विभाग, जयपुर | 6,056.64 |
| 27. | ,, भू-जल विभाग, जोधपुर | 1,02,228.64 |
| 28. | अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें ( ) | 23,031.73 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 29. | मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर | 2,97,278.00 |
| 30. | ,, राजस्थान नहर परियोजना, बीकानेर | 2,34,724.00 |
| 31. | मुख्य लेखाधिकारी, राज. नहर परियोजना बीकानेर | 31,482.11 |
| 32. | सचिव, राजस्थान नहर मण्डल, जयपुर | 16,888.00 |
| 33. | मुख्य अभियन्ता, कमाण्ड ऐरिया डवलपमेन्ट, रा.न.प. बीकानेर | 1,00,000.00 |
| 34. | आयुक्त क्षेत्रीय विकास रा.न.प., बीकानेर | 95,994.46 |
| 35. | मुख्य अभियन्ता, माही बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा | 1,01,183.08 |
| 36. | राजस्व मण्डल, अजमेर | 20,517.27 |
| 37. | आयुक्त आबकारी विभाग, उदयपुर | 56,224.70 |
| 38. | ,, देवस्थान, विभाग, उदयपुर | 16,990.00 |
| 39. | ,, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर | 58,288.00 |
| 40. | ,, भू-प्रबंध कार्यालय, जयपुर | 1,03,504.09 |
| 41 | ,, पुनर्वास विभाग, जयपुर | 19,572.70 |
| 42. | ,, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर | 1,87,139.00 |
| 43. | ,, जागीर विभाग, जयपुर | 8,226.17 |
| 44. | सचिव राज. पंचायत एवं स्वायत्त शासन अधीनस्थ सेवा आयोग, जयपुर | 6,000.91 |
| 45. | उपायुक्त खाद्य विभाग, जयपुर | 95,458.32 |
| 46. | मुख्य लेखाधिकारी, कमाण्ड ऐरिया डवलपमेन्ट, कोटा | 23,802.00 |
| 47. | क्षेत्रीय विकास आयुक्त चम्बल, कोटा | 2,37,516.00 |
| 48. | मण्डी कमेटी चम्बल परियोजना, कोटा | 3,111.00 |
| 49. | मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान, जयपुर | 9,563.66 |
| 50. | राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर | 25,390.00 |
| 51. | पंजीयक राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर | 8,858.25 |
| 52. | विद्युत निरीक्षक, जयपुर | 13,231.22 |
| 53. | विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना, बीकानेर | 3,719.56 |
| 54. | राजस्थान सरकार के विभिन्न विश्राम भवन | 11,013-22 |
| 55. | राज्य सैनिक बोर्ड, जयपुर | 4,465-00 |
| 56. | सहायता विभाग, जयपुर | 7,952.45 |
| 57. | सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग, जयपुर | 47,421.00 |
| 58. | सवाई मा. महा. एवं नियंत्रण संलग्न चिकित्सालय, जयपुर | 1,16,599.08 |
| 59. | प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर | 3,732.00 |
| 60. | मुख्य नगर नियोजक एवं वास्तुविधिक परामर्शदाता, जयपुर | 59,558 84 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 61. | मुख्य अधीक्षक राज. मोटर विभाग, जयपुर | 18,205.00 |
| 62. | मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स, जयपुर | 11,782.00 |
| 63. | मुख्य निर्वाचन विभाग | 25,816.41 |
| 64. | स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर | 38,795.79 |
| 65. | पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर | 7,370.00 |
| 66. | राजकीय उपक्रम विभाग, जयपुर | 20,458.21 |
| 67. | राज. स्टेट केमिकल्स वर्क्स, जयपुर | 733.44 |
| 68. | महानिरीक्षक कारागार, जयपुर | 71,421.00 |
| 69. | भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर | 21,262.00 |
| 70. | नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक मुख्यालय, जयपुर | 36,980.20 |
| 71. | जन जाति क्षेत्रीय विकास आयोग, जयपुर | 3,635.00 |
| 72. | निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर | 12,504.73 |
| 73. | श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर | 27,811.33 |
| 74. | लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर | 13,957.97 |
| 75. | जिलाधीश, जयपुर | 43,476.00 |
| 76. | ,, गंगानगर | 31,105.15 |
| 77. | ,, भरतपुर | 6,569.00 |
| 78. | ,, कोटा | 35,662.83 |
| 79. | ,, सीकर | 15,927.00 |
| 80. | ,, (भू-अभिलेख) झालावाड़ | 6,461.44 |
| 81. | ,, अजमेर | 15,666.00 |
| 82. | ,, पाली | 16,017.00 |

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 197 की सूची)

(क्षेत्रफल एकड़ों में)

| क्र. सं. | नाम जिला | भूमि जो कब्जे में ली गई | कब्जे में ली गई भूमि में से | |
|---|---|---|---|---|
| | | | एन कमान्ड भूमि का क्षेत्रफल | अन एन कमान्ड भूमि का क्षेत्रफल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अजमेर | 7966 | 110 | 7856 |
| 2. | अलवर | 1716 | 70 | 1646 |
| 3. | बांसवाड़ा | 1442 | — | 1442 |
| 4. | बाड़मेर | 49155 | 236 | 48919 |
| 5. | भरतपुर | 2693 | — | 2693 |
| 6. | भीलवाड़ा | 30527 | 1628 | 28899 |
| 7. | बीकानेर | 93983 | — | 93283 |
| 8. | बून्दी | 12359 | — | 12359 |
| 9. | चित्तौड़गढ़ | 6588 | 719 | 5869 |
| 10. | चूरू | 1691 | — | 1691 |
| 11. | डूंगरपुर | 2073 | — | 2073 |
| 12. | गंगानगर | 18719 | 1077 | 17642 |
| 13 | जैसलमेर | 83220 | | 83220 |
| 14. | जालोर | 31785 | 1523 | 30262 |
| 15. | झालावाड़ | 3020 | 240 | 2780 |
| 16. | झुंझुनू | 993 | — | 993 |
| 17. | जोधपुर | 23828 | — | 23828 |
| 18. | कोटा | 44928 | 1511 | 43417 |
| 19. | नागौर | 4122 | 45 | 4077 |
| 20. | पाली | 25648 | 1187 | 24461 |
| 21. | सवाईमाधोपुर | 7419 | — | 7419 |
| 22. | सीकर | 1440 | — | 1440 |
| 23. | सिरोही | 8737 | 97 | 8640 |
| 24. | टोंक | 14463 | 1591 | 12872 |
| 25. | जयपुर | 37409 | सूचना प्राप्त नहीं हुई है। | |
| 26. | उदयपुर | 17255 | सूचना प्राप्त नहीं हुई है। | |
| | राजस्थान राज्य | 533179 | 10034 | 468481 |